राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

2 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11:00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपायक्ष : श्रीमती विजयलक्ष्मी।

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ का नकली खाद व कीटनाशक प्रकरण

75.**श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई**(सूरतगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन जिलों में अत्यधिक रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में नकली रसायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयां बेची जाती हैं ?

(4) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु श्री गंगानगर में रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री(श्री तैयब हुसैन) : (1) जी हां ।

(2) निर्धारित मात्रा में आवश्यकतानुसार ही उपयोग होता है ।अत्यधिक मात्रा में नहीं।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो जवाब है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इनका जवाब गुमराह करने वाला है। इनका जवाब है मेरे प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में कि नकली रसायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहीं बिकती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना विजयनगर में अभी हाल ही में एक केस दर्ज हुआ था जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 53 है, बहुत ही बड़ी मात्रा में नकली खाद वहां पकड़ी गयी थी। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जांच करवा कर मुझे बताएं। मैं एक और निवेदन आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई)

करना चाहूंगी कि नकली खाद, जिप्सम के ग्रेन्यूल्स डी.ए.पी. के नाम से बेचे जा रहे हैं डी.ए.पी. के कट्टों में। एन.पी.के. और एस.एस.पी. दो सस्ती खादें हैं, उन्हें भी डी.ए.पी. के नाम से जो कि महंगी हैं, बेचा जा रहा है। इसकी जांच करवायी जाए।

साथ ही मैं कीटनाशक दवाइयां, पेस्टी-साइड्स, उनके बारे में भी कुछ तथ्य बताना चाहूंगी। ये पेस्टीसाइड्स हमारे गंगानगर से जुड़े हुए राज्य हरियाणा और पंजाब और उनमें भी खास तौर पर अबोहर और डबली हैं, यहां से बन कर गंगानगर में आते हैं। उनके जो कंटेनर्स हैं वे मल्टी नेशनल कम्पनीज के ओरिजनल कंटेनर्स होते हैं। ये कहां से प्राप्त करते हैं यह मुझे नहीं पता लेकिन सीबागायगी और नासिल जैसी मल्टी नेशनल कम्पनीज के कंटेनर्स में नकली दवाइयां, जो ये कीटनाशक हैं, ये बेची जाती हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : पूरा आ जाने दो जी आप।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : मैं फिनिश कर लूं, साहब, फिर जवाब दे दीजिये।

यह जो नरमा कपास की फसल है यह भी बरबाद हो रही है। जैसाकि आप सबको मालूम है इसका एक कारण तो सेम है और दूसरा कारण "सूंडी" नाम का एक कीड़ा है जो इसको बरबाद कर रहा है, जो इसके लिए बहुत घातक है। तो यह नकली जो पेस्टीसाइड्स छिड़की जाती है इससे यह सूंडी खतम होने के बजाय और ज्यादा मोटी-ताजी हो रही है और पनप रही है। आप जैसे मंत्री के होते हुए ये कीड़े ऐसे तगड़े हो रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा ?

श्री तैयब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेम्बर-साहिबा ने जो फिकरमंदी दिखाई है उससे सहमत हूं, जिस तरह की बात उन्होंने कही है यह वाकई चिन्ताजनक है। इसमें इन्होंने जो एफ.आई आर. संख्या 53 बताई है, मैं उसकी जानकारी करूंगा और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य साहिबा को भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही इस सिलसिले में हम करेंगे।

दूसरी, जहां तक गंगानगर जिले की बात है, कपास में जो सूंडी बीमारी लगी हुई है उससे हम सब लोग चिन्तित हैं और इस सिलसिले में किसानों का वाकई नुकसान हो रहा है लेकिन इस बीमारी का अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई इलाज नहीं मिल पाया है। पूरी तरह से इसकी साइंटिफिक खोज जारी है। इसका किसी तरह से इलाज हो पाए, इसके लिए न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश हो रही है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब से जो खाद आ रही है या आने की शिकायत है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और आपके जरिये हाउस को यह यकीन दिलाना चाहता

(श्री तैयब हुसैन)

हूं कि अपनी तरफ से हम यह भरपूर कोशिश करेंगे कि किसान को असली खाद, बीज और दवाइयां मिले और वक्त पर मिले। यह हमारी कोशिश रहेगी।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : मंत्री महोदय, आपने कहा कि यहां प्रयोगशाला खोलने का आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यह निहायत जरूरी है क्योंकि, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन आपके डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं ये भी जो नकली दवाइयां बेच रहे हैं उनसे मिले हुए हैं, इनकी मिलीभगत है। ये सही सैम्पल ले जाकर जांच कर लेते हैं किसानों की शिकायत पर और फिर कहते हैं कि सैम्पल सही है, नकली दवाई नहीं बिक रही है जबकि वह धड़ल्ले से बिक रही है। अगर प्रयोगशाला होगी तो किसान अपने स्तर पर जांच करवा सकता है और उसके पास एक सबूत होगा जिसके जरिये वह कंजूमर कोर्ट में भी जा सकता है। क्योंकि यह बहुत ही सघन सिंचाई का एरिया है, यहां पर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन होता है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है हमारे इस इलाके से, इसलिए यहां पर अगर आप यह नहीं करेंगे तो यहां की जो अर्थव्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी, किसान की आजीविका का एकमात्र जो साधन है वहां खतम हो जाएगा और किसान को भी वही स्टैप लेना पड़ेगा जो आन्ध्र के किसानों ने लिया। मतलब वे मरने को मजबूर हो जाएंगें आर्थिक तंगी से। तो आप प्रयोगशाला... (व्यवधान) हां, आप सरप्राइज चैक करवाएं। आज ही मुझे पता चला है कि सूरतगढ़ का जो जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय है उसको समाप्त करने के आदेश जारी हुए हैं जबकि बीकानेर सी.ए.डी. क्षेत्र में आठ ऐसे कार्यालय कार्यरत हैं—हनुमानगढ़, अनूपगढ़, पूगल, बीकमपुर, बज्जू, छत्तरगढ़, मोहनगढ़ और सूरतगढ़। इसमें सूरतगढ़ का ही कार्यालय बन्द करने का सरकार क्यों सोच रही है ? बड़ा क्षेत्रफल है हमारे सूरतगढ़ का एक लाख पैंतालीस हजार हैक्टेयर। इसमें से 56 हजार हैक्टेयर में खरीफ और 64 हजार 928 हैक्टेयर में रबी की फसल ली जाती है । इतने बड़े क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की जगह इसको आप बन्द करना चाह रहे हैं, यह भी गलत स्टैप है। इस पर सरकार वापस विचार करे। और प्रयोगशाला खोलना निहायत जरूरी है क्योंकि किसान दूर जाकर यह टैस्ट नहीं करवा सकता है, इसके लिए बहुत महंगा पड़ता है।

श्री तैयब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह सूरतगढ़ के आफिस के बारे में कहा गया है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसके बारे में पता करके अर्ज करूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि कुछ आफिसर्स दुकानदारों से मिले हुए हैं, इसकी अगर वे मुझे सूचना दे देंगे तो...

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : इसकी सूचना वे नहीं देंगे, इसकी सूचना आप स्वयं को पता करनी होगी।

श्री तैयब हुसैन : नहीं, साहब, मैं यह अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी मदद कर देंगे सूचना देने में। मैं स्वयं भी इसका पता

(श्री तैयब हुसैन)

करूंगा। जहां तक इन आफिसर्स के मिलने की बात है, मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार किसानों के हित में काम करेगी। वह सरकार तो गयी जो ट्रेडर की हिमायती थी।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि ये कब तक हमें बता देंगे ? इसका कोई टाइम पीरियड होगा ? आप शीघ्र से शीघ्र बताने की कृपा करें।

श्री तैयब हुसैन : किस बारे में ?

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : प्रयोगशाला का भी और एफ.आई.आर. दर्ज हुई है इस बारे में भी, कि यह सही है कि नहीं ?

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि प्रयोगशाला बीकानेर में इस वक्त काम कर रही है, इस वक्त वह टैस्ट वहां करवाया जा सकता है। सरदस्त गंगानगर में कोई दूसरी प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव सामने नहीं है क्योंकि बीकानेर ज्यादा दूर नहीं है गंगानगर से और वहां यह प्रयोगशाला मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी ।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : साहब, एक आफिस वाला जो मैंने आपको कहा है जिला विस्तार अधिकारी का उस पर भी गौर किया जाए क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहां यह जरूरी है, इसको यहां से समाप्त नहीं करना चाहिए।

श्री भीमसेन चौधरी(लूणकरणसर) : जो नकली कीटनाशक बेचते हैं उनके लिए कोई निर्णय लेने के लिए आपके अधिकारी कार्यवाही करते हैं क्या, मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : प्रश्न के खण्ड 2 और 3, इसमें साफ लिखा है कि क्या यह सही है कि इन जिलों में अत्यधिक रसायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है ? और आगे, क्या यह सही है कि क्षेत्र में नकली रसायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां बेची जाती हैं ? और आप यह कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्या ने कहा है, आपको डिटेल दिया है। इतना ही नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट भी हुई है। यहां उत्तर देने से पहले आपके अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्यवाही की जानकारी आपको नहीं दी ? और दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि सूरतगढ़ में कार्यालय बन्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह मुझे जानकारी नहीं है। इन दोनों उत्तरों से यह लगता है कि आपका विभाग में कोई तालमेल है कि नहीं ? दफ्तर बन्द हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मुझे जवाब नहीं दिया है आफिस के बारे में कि क्या सोचा है, जो जिला विस्तार अधिकारी का सूरतगढ़ आफिस है। सही जवाब दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न में नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : ये दोनों बातों का उत्तर दें। यही जानकारी नहीं है कि दफ्तर बन्द हो रहा है। दफ्तर बन्द हो रहा है, यही जानकारी नहीं है इससे आश्चर्य की बात तो और क्या होगी। और दूसरा, पुलिस में रिपोर्ट हो रही है, वहां कार्यवाही हो रही है, उसके लिए आपने कहा कि वहां नहीं हो रहा है। आपने एक जिम्मेदारी माननीय सदस्या पर डाल दी कि मुझे नाम दो कौन–कौन बेइमानी कर रहे हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, यह उत्तर कैसे संतुष्ट कर सकता है और कैसे ये व्यवस्थाएं रुकेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी(कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, नो, नो, नो, सर। ये कैसा गलत उत्तर दे रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर जिले में बहुत रहा हूं। मैं सैकड़ों कैसेज बता सकता हूं जहां नकली कीटनाशक और दवाइयों के मामले दर्ज हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। इतना गलत उत्तर दिया है इन्होंने। इन्होंने तीसरे भाग में कहा है कि जी नहीं। क्या इस क्षेत्र में नकली रसायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयां बेची जाती हैं ? इसकी मंशा देखनी चाहिए, यह कोई राजनीति की बात नहीं है। एक्चुअल में वहां का काश्तकार परेशान है वहां उसका कोई इलाज नहीं। जैसे ही यह पकड़ा जाता है पकड़े जाने के बाद में उसका सैम्पल एक भरा जाता है। उसमें मेरा यह सुझाव है मंत्री महोदय को कि आप तीन सैम्पल भरवाइये। एक तो आपके कृषि विभाग के पास में रहे, एक कृषक के पास जिसने शिकायत की है और तीसरा आपकी लेबोरेटरी में भेजा जाए, वहां अलग से सीलबन्द रहे। तीन सैम्पल जब तक अलग से आप नहीं रखेंगे इसका समाधान नहीं हो सकता। मूल आप इस बात को देखिये। कृषि मंत्रीजी, इसमें कोई राजनीति नहीं है, यह बहुत बड़ा मामला है। उस क्षेत्र में दवाइयां और कीटनाशक बहुत ज्यादा संख्या में बिकते हैं, बहुत तादाद में बिकते हैं। इसके लिए आप निश्चित तौर पर वहां लेबोरेटरी की व्यवस्था करवाएं। यह बिलकुल जायज मांग है माननीय सदस्या की। इस क्षेत्र के हजारों किसान इस बात से परेशान हैं। सैकड़ों बार नकली खाद पकड़ी गयी है, मात्र जिप्सम के दाने उसमें डाले हुए थे। इसलिए आप इसको गम्भीरता से लें, इसकी आप जांच करवाएं। विभाग ने इसको टालने के लिए बिलकुल गलत उत्तर दिया है। मेरा आपसे कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है, मैं सिर्फ आपको सही बात कहना चाहता हूं, मैं उस क्षेत्र में बहुत रहा हूं ।

श्री जगत सिंह दायमा(बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूरे राजस्थान की बात है, यह बीमारी पूरे राजस्थान में है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कृषि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप अलग से जांच करवाइये। अवसर मिले, हो सके तो निश्चित तौर पर आप वहां कस्बे में पधारिये। बहुत बड़ा जिला है...

श्री हीरालाल विश्नोई : (व्यवधान) एक कृषि विभाग के अधिकारी ने वहां फर्जी दवाइयां दीं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, खाद और कीटनाशक के साथ–साथ बीज भी नकली बेचे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उसमें दो जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद होता है। आप मौका देखकर निश्चित तौर पर जन प्रतिनिधियों से मिलें, मेरा यह कहना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मसला आपके इस प्रश्न से हल नहीं होगा। बहुत बड़ा प्रश्न है, आप इसको और किसी तरह से उठाइये, उस पर चर्चा की जा सकती है। प्रश्न के माध्यम से मंत्री महोदय ने कह दिया कि मैं जांच करवाऊंगा, इसके अलावा और वे क्या कह सकते हैं ?

डा. किरोड़ी लाल : सारी दवाइयां हरियाणा से आ रही हैं। मंत्रीजी हरियाणा के रहने वाले हैं इसलिए वे तथ्यों को उजागर नहीं कर रहे हैं। सारी नकली दवाइयां हरियाणा से आ रही हैं...(व्यवधान) मंत्रीजी हरियाणा के रहने वाले हैं...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अब मंत्री का और विभाग का प्रयत्न यह बनता है कि इसको सरल करें, पूरे राजस्थान का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। हां–हां है ना, यही तो कह रहा हूं। (व्यवधान) यह कह रहा हूं मैं, इससे हल नहीं हो सकता है। माननीय शंकरलालजी । (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी(चौरासी) : प्रश्न संख्या 76.

श्री हीरालाल विश्नोई : वहां पर पूरी की पूरी दवाइयां नकली दी जा रही हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां पर बीज भी नकली दिये जा रहे हैं किसानों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलालजी ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना जवाब, जांच कराएंगे । (व्यवधान) बैठिये आप। क्या जवाब चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इतना गम्भीर मसला है, आप इसको टाल रहे हैं। (व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बैठिये तो सही, जवाब दे रहे हैं । सुनो तो सही, जवाब दे रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : रसायनिक खाद और कीटनाशक के साथ–साथ बीज का भी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जवाब दे रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने नहीं किया तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप भी नहीं करोगे ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ऐसा है, चौधरी साहब, हर मामले में यह कह देते हैं कि आपने नहीं किया। आप तो करो हमने नहीं किया तो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह(बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात चलती रहेगी क्या ? (व्यवधान)...कि आपने नहीं किया, पिछली सरकारा ने नहीं किया, हम नहीं करेंगे ? तो फिर हाउस बुलाने की जरूरत क्या है ? जिस मंत्री से बात करो यही जवाब मिलता है कि पिछली सरकार ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। फिर हाउस की जरूरत क्या है ? अगर यही जवाब मिलना है तो...(व्यवधान) तो क्या जरूरत थी हमको चुनकर आने की ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब उनको जवाब दे लेने दो ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद आपका जवाब नहीं आएगा। जवाब देने दीजिये, आप बाद में पूछ लेना।

श्री तैयब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बात यहां कही है कि किसान को राहत मिले, इसमें दो राय नहीं हैं और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनसे भी मैं सहमत हूं। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। किसान को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले इसमें, मैं समझता हूं सारा हाउस एक है। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब गंगानगर की इस तरह की बात आयी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे यह कहा कि आप वहां जाएं। मैं वहां पर होकर आया हूं, पूरी सब बात समझकर आया हूं, करके आया हूं। एक तो वहां जो हमारे पास शुगर मिल है वह सारा गन्ना नहीं ले पा रही थी। वह आकर मैंने यहां कहा और कैबिनेट में उसके दूसरे दिन ही यह फैसला हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नकली कीटनाशक दवाइयों का, मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके लिए हमने अलग से सवाल खड़ा कर रखा है। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : सरकार क्या करे, आप सुनने को तैयार तो हैं नहीं।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) जवाब सुनिये पहले। जवाब तो सुनते नहीं और खड़े हो जाते हो बार–बार। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कुछ कहना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : तो वहां किसान को पहली दफा यह इजाजत मिली कि वह गुड़ और खांडसारी वहां बना सके। यह पहली दफा वहां हुआ है, किसान के हित में हुआ है। वहां की जो भी कोई बात है, इस तरह की चीज हुई है, जो भी वहां की जरूरत है...

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : वहां पर कीटनाशकों के विरोध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : ऐसे जुबानी कहने से तो हित हल होगा नहीं किसान का। अगर आप सुनने की बात करें तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि वहां पर जाकर उसको पहली दफा गुड़ और खांडसारी बनाने की इजाजत मिली। दूसरा, वहां पर गंगानगर में के.वी.ए. के जो हैं वह वहां पर खोल देने का फैसला किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : प्रश्न यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों को हटाएंगें या नहीं हटाएंगें आप ? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : अधिकारियों का तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें...

श्री देवीसिंह भाटी : खाद और कीटनाशक के बारे में बताओ ना ।

श्री तैयब हुसैन : कोई भी आफिसर अगर इसमें किसी तरह से भी पाये गये तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री जगत सिंह दायमा : पूरे राजस्थान में यह तो आम बात है...(व्यवधान) पूरे राजस्थान की यह शिकायत है। (व्यवधान)

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : प्रयोगशाला के बारे में...(व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : जहां तक सूरतगढ़ फार्म और आफिस की बात है, मैं पता करूंगा, हमें वहां जरूरत है जिस दफ्तर की उसको वहीं रखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, सारे भ्रष्ट अधिकारी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में भी नकली कीटनाशक बिक रहा है और वहां भी पकड़ा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, सुरेन्द्र जी व्यास बोल रहे हैं।

श्री अमराराम चौधरी : (व्यवधान) जो उड़न दस्ते हैं इसके लिए आप उन उड़न दस्तों को क्या अधिकार दे रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन, क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में नकली रसायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां बेची जाती हैं ? माननीय मंत्रीजी ने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कहा, जी नहीं। माननीय सदस्य ने कांट्राडिक्ट किया । इसमें एक एफ.आई.आर. नम्बर दिया है । खैर, यह मंत्रीजी की सदाशयता है कि उन्होंने कहा कि मैं इसको चैक करा लूंगा लेकिन हाउस के अन्दर यह गलत बयानी हुई या नहीं हुई ? ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन आएगा इनके खिलाफ । यानी इनको जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे आप ? हाउस के अन्दर जिम्मेदारी...(व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैंने यह अर्ज किया है कि जिन्होंने इस तरह की गलत इत्तला दी है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, अब आप बिराजो ।

श्री अमराराम(धोद) : आगे क्या मंशा है और क्या सरकार मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा...

श्री कृष्ण चन्द्र(संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान जिला होते हुए भी यह कह रहे हैं कि बीकानेर में लेबोरेटरी है। लेकिन ढाई सौ किलोमीटर से एक काश्तकार वहां खाद और दवाई टैस्ट कराने जाएगा ? वह कभी नहीं जाएगा। मैं तो मंत्रीजी से कहूंगा कि गंगानगर जिले में प्रयोगशाला होनी चाहिए जिससे कि पंजाब और हरियाणा से आने वाली खाद की और दवाई की जांच हो सके। एक काश्तकार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : के.सी. विश्नोई साहब, इधर आकर बोले विपक्ष में अगर आपकी नहीं चलती तो।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बजरी रायल्टी प्रकरण

76. **श्री शंकरलाल अहारी**(चौरासी)(**श्री शैलेन्द्र जोशी**(बांदीकुई)के स्थान पर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1)विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में किस—किस नदी पर बजरी निकाली जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2)क्या यह सही है कि उक्त नदियों में से निकाली जाने वाली बजरी की रायल्टी भी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किस दर से ?

(3)उक्त क्षेत्र में वर्तमान में रायल्टी का ठेका किस—किस को किस—किस दर पर कितनी—कितनी राशि का दिया हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, खनिज(श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1)विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई से सावा नदी तथा पलसानिया नदी से बजरी निकाली जाती है।

(2)जी हां। उक्त नदियों से निकाली जाने वाली बजरी पर रुपये 5/— प्रति टन की दर से रायल्टी की वसूली की जाती है।

(3)उक्त क्षेत्र में वर्तमान में दिये गये

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

रायल्टी के ठेकों से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं परिशिष्ट"अ" में संलग्न है ।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1देखें)

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि बांदीकुई के पास में सावा और बाणगंगा नदी है और इस नदी में...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रश्न बांदीकुई के विधायक का है।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको इजाजत दी है। (व्यवधान) एम.एल.ए. पूरे राजस्थान का प्रतिनिधि है...(व्यवधान) आप तो अनुभवी विधायक हो।

श्री शंकरलाल अहारी : उस नदी पर दिन में लगभग आठ सौ और एक हजार गाड़िया भर करके बजरी निकलती है। बजरी के निकलने से वह नदी कम से कम चालीस फुट गहरी हो गयी है और वहां आसपास के जो हैण्ड पम्प्स हैं वे सूख गये हैं, कुएं सूख गये हैं, वहां पानी की बड़ी भारी समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं एक सप्लीमेन्टरी प्रश्न कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि गत पांच सालों में क्षेत्र के पानी का स्तर चालीस फुट नीचे चला गया है, समस्त कुएं/हैण्ड पम्प सूख गये हैं तथा बजरी के खनन से स्थिति चिन्ताजनक हो गयी है ?

दूसरा, क्या यह सही है कि बांदीकुई क्षेत्र में बहने वाली नदी सावा और बाणगंगा के दोनों तरफ के तटों से रोजाना एक हजार और आठ सौ ट्रक बजरी भरतपुर, मथुरा व उत्तर प्रदेश में ले जायी जाती है ?

तीसरा, क्या खनिज विभाग बजरी की जरूरत से बहुत अधिक बजरी नदी के क्षेत्र में से निकाले जाने से बांदीकुई क्षेत्र में पानी के तेजी से घटते जल स्तर से चिन्तित है ? यदि हां, तो सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं उससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि पानी का स्तर चीने चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पानी के स्तर का बजरी से कोई लेना–देना नहीं है। बजरी पानी के बहाव से पहाड़ों से रैंग करके नीचे आती है और उसका ठेका दिया जाता है। जहां तक बजरी के 800—1000 ट्रक रोजाना निकलने की बात है, हमने दोनों नदियों के ठेके दे रखे हैं और ठेका हमारा 2000 तक का है। उस पर 5 रुपये रायल्टी और 1 रुपया परमिट फीस हम वसूल करते हैं। वे कितनी बजरी उठाते हैं और कितनी नहीं उठाते हैं इसका लेखा–जोखा हम नहीं रखते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता

(श्री हीरासिंह चौहान)

हूं कि खेती के उपयोग में किसान अपने गांव में मकान बनाये, कुआं बनाए, इन कामों में बजरी का जो उपयोग लिया जाता है सरकार उसकी रायल्टी नहीं लेती है। जबकि हो यह रहा है कि सारे ही ठेकेदार चाहे किसी क्षेत्र से किसान किसी काम के लिए ले जाए, उनसे बजरी की रायल्टी वसूल करते हैं। क्या तत्काल इस प्रकार के आदेश करके सारे ठेकेदारों को निर्देश देंगे कि किसानों से खेती के काम में आने वाली, कुओं के काम में आने वाली, मकान बनाने के लिए या फिर पंचायत अपने क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करती है वहां के काम के लिए बजरी के पैसे जो गलत वसूल किये जाते हैं, उसको रोकने की तत्काल व्यवस्था करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जो सामने आयी है कि किसान अपना कुआं बनाता है, किसान अपने घर में ले जाता है या सरकारी कामकाज के लिए पी.डब्ल्यू.डी. का ठेकेदार कोई बजरी लेता है तो उसके लिए हम अलग से एस.टी.पी. देते हैं, परमिट देते हैं। उस पर कोई रायल्टी वसूल नहीं की जाती है डोमेस्टिक और जो ठेकेदार हैं उनसे। फिर भी अगर कहीं ली जाती है और माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लाएंगे तो मैं इस सम्बन्ध में ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

एक माननीय सदस्य : परमिट की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार परमिट की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : मेरा इसमें निवेदन है कि मंत्रीजी ने कहा ...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा निवेदन है, थोड़ा—सा ध्यान देओ । माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पांच रुपये टन के हिसाब से रायल्टी ली जाती है, यह रायल्टी वसूल किस आधार पर होती है ? लोग ट्रकों में, ट्रोलियों में ऊंट गाड़ों में बजरी ले जाते हैं। उसका तौल पांच रुपये प्रति टन, जो टन का हिसाब है वह क्या हर गाड़ा तुलता है, हर ट्राली तुलती है ? क्या आधार है, एक बात ?

दूसरा, रायल्टी वसूल करने के जो पाइंट्स हैं वे आपने क्या तय कर रखे हैं ? रायल्टी वसूल करने के जो पाइंट्स हैं उनके अलावा भी पाइंट से रायल्टी वसूल होती है, यह आप बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : सारे सवालों का जवाब साथ दे देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रायल्टी का मामला है, हमारे क्षेत्र में भी वहीं से जाती है सारी बजरी। मेरा विनम्र निवेदन है, आप हर बात में यह कहते हैं कि पिछली सरकार यह कर गयी, पिछली सरकार वह कर गयी। पिछली सरकार तो रायल्टी लगा गयी, आप माफ कर दीजिए इसको। इसको माफ किया

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जाए क्योंकि किसानों का काम सबसे ज्यादा पड़ता है इसमें। किसानों के काम में आ रही है यह सारी बजरी। कुएं बना रहे हैं, नालियां बनाते हैं, मकान बनाते हैं। 90 प्रतिशत किसान काम में लेते हैं बजरी को।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उनकी बात सुनी नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जो टैक्स लगाया जा रहा है यह भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। उस सरकार के टैक्स को माफ किया जाए और किसानों को लाभ दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या कह रहे है आप ? कब जगाया था ? कभी नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी।

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, एक का जवाब आ जाए। मेरे ख्याल से मामले को मिक्सअप किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पिछले तीन वर्षो में रायल्टी के ठेकों के मामले में सरकार को कोई शिकायत मिली क्या ? (व्यवधान) एक प्रश्न का जवाब आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ दे देंगे जवाब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षो में बजरी के ठेकों संबंधी अगर सरकार को कोई शिकायत मिली किसी ठेकेदार के खिलाफ तो राज्य सरकार ने आज तक इन तीन वर्षो में किस–किस ठेकेदार के खिलाफ क्या–क्या कार्यवाही की ? मेरी जानकारी में तो आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : इनको क्या पूछना है ? इनको क्या पूछ रहे हो आप, ये तो आप बताओ। आप प्रश्न से डीरेल रहे हो, यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : प्रश्न क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। यह प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह किसानों को मामला है, साहब, किसानों के लिए, पंचायत के काम आती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। मूल प्रश्न को ही आपने समाप्त कर दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कुएं बनाने के काम में आती है। ठेकेदार के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही होती है तो कोई ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह का जवाब दे दो आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक किसी ने नहीं की और किसानों को वहां परेशान किया जाता है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
मेरा यह निवेदन है कि पूरे राजस्थान का मामला है, खाली एक पर्टीकुलर क्षेत्र का नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आप यहां बैठे इधर से पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछो ना, क्या कार्यवाही की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 टन माल क्षमता तक एक रुपया परमिट फीस, 2 टन से 8 टन तक ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप जो शिवनाथ सिंहजी ने बात पूछी है उसका जवाब दीजिए। और जो माननीय हीरासिंह जी ने पूछा कि काश्तकार के जो बजरी काम में आती है उसका टैक्स नहीं लेते हैं कि नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसका टैक्स नहीं लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : टैक्स नहीं लेते हैं। नहीं लेने की क्या व्यवस्था है जिससे उस काश्तकार को राहत मिले ? वहां पर आपका जो नाकेदार रहता है वह काश्तकार से भी पैसा लेता है, उसको रोकने की क्या व्यवस्था है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि नदी पार किसी ठेकेदार का अधिकार नहीं है। नदी क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित है, सरकार के अधीन है। ठेकेदार रायल्टी वहीं वसूल करता है, परमिट एस.टी.पी. से जहां बजरी निकल कर बाहर जाती है नाके पर। बजरी उठाने की किसी को मनाही नहीं है लेकिन बाहर जब जाता है तो वहां वे रायल्टी व परमिट वसूल करते हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव(मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी गलत बता रहे है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी, ठेकेदार एक...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों को लूटा जा रहा है...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी कहते हैं कि हर आदमी का अधिकार है, ठेकेदार वहां लट्ठ लेकर खड़े रहते है, किसानों को पीटते हैं और एक धोरा भी वहां से बजरी का नहीं उठाने देते।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तहसील स्तर पर...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह अखबारों के माध्यम से प्रसारित करवा दें जिससे आम किसान को इसका ज्ञान हो जाए।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो माइंस के ठेके पर भी सेल्स टैक्स लगाया है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साफ प्रश्न है कि क्या आप ....

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या आइडेंटिफिकेशन है कि यह जो बजरी जा रही है...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : उपाध्यक्ष महोदय, शिवनाथ सिंहजी के प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : किस पाइंट पर रायल्टी वसूल होगी ? दो हिस्से कर रखे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी, बिराजें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : रायल्टी वसूल कर ली जाकर किसानों को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : रायल्टी वसूल करने के क्या पाइंट है ? यह साफ बता दें कि क्या पाइंट है रायल्टी वसूल करने के ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें..(व्यवधान) बिराजो। माननीय मंत्रीजी, इस बात को आप गंभीरता से लीजिये। वास्तव में काश्तकारों से बजरी का टैक्स वसूल किया जा रहा है और काश्तकारों को इसका पता नहीं है कि हमारे को यह बजरी फ्री जा सकती है। इसकी आप व्यवस्था कराइये ।

प्रश्न संख्या—77

श्री जनार्दन गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(व्यवधान) माननीय श्री अरूण सिंह...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्षजी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आने दीजिये। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं परमिट के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरूण सिंहजी।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे पूछने दीजिये, इस पर बड़े झगड़े हुए हैं हमारे यहां। (व्यवधान) इतने बड़े मुकदमे चले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसको टालने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब में बात वही है।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्नकाल कर लिया मैंने।

श्री मोहन लाल मोदी : एक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक ही तो प्रश्न, पहला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं।

डीग मिडवे में उपलब्ध सुविधाएं

78. **श्री अरूण सिंह**(डीग) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार डीग मिडवे में कैन्टीन खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या डीग मिडवे में सभी सुविधाओं

(श्री अरुण सिंह)

को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या डीग पर्यटन स्थल राजस्थान के पर्यटन नक्शों में है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन(श्रीमती बीना काक) : (1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के डीग स्थित मिडवे में कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध है।

(2) मिडवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सहायक प्रबंधक, दो रूम अटैन्डैंट व एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है।

(3) जी हां। डीग पर्यटन स्थल राजस्थान के पर्यटन के नक्शे में है।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया के जवाब से संतुष्ट हूं, पर मैं मंत्री महोदया से एक आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान पर्यटन निगम...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक तरह से मंत्री महोदय ने ही प्रश्न करवाये थे इनसे। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : मंत्री महोदया भरतपुर की +++ हैं...(व्यवधान) अब है तो भरतपुर की +++

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ यह शब्द को तो निकाल दीजिये आप मेहरबानी करके। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ शब्द कोई गलत नहीं है। कोई गलत शब्द नहीं है। कह दिया, क्या बुरा कर दिया उन्होंने ? +++ कह दिया, क्या बुरा कर दिया उन्होंने ? नहीं, नहीं, +++ शब्द कोई गलत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : असंसदीय शब्द है। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : बृज की बोली में +++ बोलना...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बृज भाषा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बृज भाषा है, बृज भाषा +++ में ही कहते हैं। बृज भाषा है यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पवित्र है, पवित्र है ...(व्यवधान) +++ का मतलब बेटी है, आप क्या समझ रहे हो ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : इज्जत का शब्द है। +++ का मतलब लड़की, बहुत प्यारी लड़की।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : बहुत प्यारी लड़की है +++ का मतलब।

श्री रामस्वरूप मीणा : ताहि अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ प नाच नचावैं। यह तो बहुत अच्छा शब्द है। बृज भाषा है, इसको पढ़िये।

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : बृज भाषा का शब्द है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ कहने का इनको कोई अधिकार नहीं हैं। माननीय पर्यटन

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
मंत्री को +++ कहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है।

श्री अरूण सिंह : मुझे उम्मीद है कि भरतपुर और बृज क्षेत्र का पर्यटन विकास, राजस्थान पर्यटन विकास के लिए और सुविधा दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : नहीं, +++ कहने का अधिकार क्या नहीं है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आपने मिडवे के अन्दर जिन कर्मचारियों को पदस्थापित करने की बात कह रखी है, आप संतुष्ट है क्या ? जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आएं और वहां कर्मचारी जो कुल तैनात हैं उनकी संख्या है तीन।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न से क्या संबंध था ? माननीय सदस्य, इस प्रश्न से क्या संबंध था ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या आप डीग के महत्व को देखते हुए इन कर्मचारियों को और ज्यादा पदस्थापित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न से क्या संबंध है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी में उन्होंने खुद कहा है ...

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं तो आप बीच में कहा आ गये ?

डा. किरोड़ी लाल : आपको भी संतुष्ट कर दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गलती हो गयी। यह गलती हो गयी, मेरे को बीच में नहीं आना चाहिए था।

डा. किरोड़ी लाल : फिर बीच में आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। डा. जसवन्त सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से। आपने जवाब दिया है कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : डीग मिडवे में कैन्टीन सुविधा उपलब्ध है लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां खाना—पानी तो मिलता नहीं है। हम भी भरतपुर से नगर जाते हैं तो मिडवे डीग रास्ते में पड़ता है। हम भी सोचते हैं कि यहां मिडवे है, अच्छा रिफैशमैंट मिल जायेगा। आपने अगर वहां कैण्टीन शुरू कर रखी है तो आप कृपा करके उसमें चाय, पानी और खाने की व्यवस्था और करा दीजिये।

श्रीमती बीना काक : मैं इसे देखूंगी, जरूर हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान) आप बैठिये।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय मुण्डावर में कन्या विद्यालय की स्थापना

79. **डा. जसवन्त सिंह यादव**(मण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कन्या सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में उक्त विद्यालय कहां–कहां पर संचालित हैं ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर मुख्यालय पर उक्त विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री(श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले नहीं जाकर माध्यमिक विद्यालयों को सी.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किया जाता है, जिसके क्रमोन्नति के मानदण्ड परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) अलवर जिले में संचालित रा.बा.सी. मा.वि. का विवरण इस प्रकार है :–

1.	रा.बा.सी.मा.वि.	एस.एम.डी. अलवर
2.	"	स्कीम नं. 2
3.	"	देवीजी की गली
4.	"	रामगढ़
5.	"	किशनगढ़ बास
6.	"	खैरथल
7.	"	राजगढ़
8.	"	गोविन्दगढ़
9.	"	कठूमर
10.	"	खेड़ली
11.	"	बहरोड
12.	"	तिजारा
13.	"	कोटकासिम
14.	"	बानसूर
15.	"	सानोली

(3) आगामी वित्तीय वर्ष में रा.बा.सी.मा.वि, मुण्डावर के बा.सी.मा.वि. में क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं मापदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिष्शिट-2 देखे)

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में मुण्डावर के लिए प्रस्ताव आएगा, ध्यान दिया जायेगा। एक तरफ मानदण्ड की बात कह रहे हैं, मुण्डावर तहसील मुख्यालय, विधान सभा मुख्यालय, अब मैंने मंत्रीजी से यह पूछा...

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा मुख्यालय ?

डा. जसवन्त सिंह यादव : क्या इसको क्रमोन्नत किया जायेगा कि नहीं किया जायेगा ?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

तो मंत्रीजी कह रहे हैं प्रस्ताव आएगा तब होगा। क्या मंत्रीजी इस बात का जवाब देने से पहले भी मंगवा सकते थे कि वह क्रमोन्नति के क्राइटेरिया में है या नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है यह प्रस्ताव डिपार्टमैंट से आते हैं, सब स्कूल्स के आते हैं उसके बाद सरकार विचार करती है। तो यह तो एक प्रोसीजर है, इसमें क्या बात है ?

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, पर एक मुण्डावर के साथ ऐसा हो रहा है। अलवर जिले की लिस्ट दी हुई है। ऐसा कोई भी विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय नहीं जिस पर की...

श्री उपाध्यक्ष : विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय क्या होता है ?

डा. जसवन्त सिंह यादव : तहसील मुख्यालय, ए.सी.एम. मुख्यालय, सब तरह के क्राइटेरिया में एक मुण्डावर से ही इस तरह से सौतेला व्यवहरा होता है। मंत्रीजी यह कह सकते थे कि क्राइटेरिया के अन्दर क्रमोन्नत किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न। माननीय जगमाल सिंहजी ...(व्यवधान) इसमें आपका प्रश्न क्या है ? उनका प्रश्न है स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। आप डिस्टर्ब मत करो...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन यह है क्राइटेरिया के अनुसार...

श्री जगमाल सिंह यादव : यह अलवर जिले से सम्बन्धित सवाल है।

श्री हीरासिंह चौहान : अलवर जिले का नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, आपका अगला प्रश्न पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : सीनियर सैकण्डरी स्कूल, गर्ल्स का रेज करने का प्रश्न है। रायपुर भी इसी प्रकार की स्थिति में है। जहां पर पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, सभी प्रकार की सीनियर सैकण्डरी है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर का अलग से प्रश्न कर लें, यह तो केवल मुण्डावर का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मुण्डावर की बात नहीं है, साहब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसने क्वेश्चन पूछा है उस सम्बन्ध तक आप सीमित रहिये। अब रायपुर का पूछेंगे, जोधपुर का पूछेंगे, फलौदी का पूछेंगे, सबके जवाब देंगे क्या ? आप विराजें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार के सवाल आते हैं जिनको नोटिस में लाया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुण्डावर से सम्बन्धित ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अगला प्रश्न बोलो।

श्री जगमाल सिंह यादव : शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं जो आपने लिस्ट पढ़ दी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जगमाल सिंहजी, अपना प्रश्न पूछिये। कोई मतलब नहीं है उसका।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने पढ़ी है उससे आपको भी ज्ञान हो गया होगा कि अलवर जिले में कोई पंचायत हैडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहां बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं हो। कोई ऐसा तहसील मुख्यालय नहीं है जहां नहीं हो। मुण्डावर पंचायत समिति मुख्यालय भी है, ए.सी.एम. का कोर्ट भी है, तहसील मुख्यालय भी है और पुलिस स्टेशन भी है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि पूरे जिले में पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर, तहसील हैडक्वार्टर पर बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय है तो सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिये सदन में। यह क्या वित्तीय साधन, वित्तीय साधन। एक हटाकर दूसरा कर देना। मुण्डावर में बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलना चाहिये, नहीं तो यह भेदभाव लगेगा कि विपक्ष से आने वाले सदस्य हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव(मण्डावर) : बिलकुल सही है, क्रमोन्नत तो करना ही चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने मना कहां किया है ? माननीय जगमाल सिंहजी, आपका प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अलवर जिले का ही हूं, मुण्डावर को छोड़ कर बाकी सब जगह...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आश्वासन दे सकते हैं और क्राइटेरिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी।

कलगांव (अलवर) का पशु चिकित्सालय

80. **श्री जगमाल सिंह यादव**(तिजारा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम कलगांव, पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में पशु चिकित्सालय है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पशु चिकित्सालय को ग्राम पुर, पंचायत समिति कोटकासिम में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार अब कब तक उक्त चिकित्सालय को स्वीकृत स्थान पर चालू कराने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पशुपालन(श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) ग्राम कलगांव, पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में पशु चिकित्सालय नहीं है।

(2) जी नहीं है। ग्राम पुर, पंचायत समिति

(श्री हरिसिंह)

कोटकासिम में कोई पशु चिकित्सालय कार्यरत नहीं है। पशु औषद्यालय, जोडिया का एक पशु चिकित्सालय उप केन्द्र ग्राम पुर में कार्यरत है।

(3) ग्राम कलगांव, पंचायत समिति तिजारा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। अतः उक्त स्थान पर पशु चिकित्सालय को चालू कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना भी नहीं चाहता। मुझे जवाब मिल गया, मंत्रीजी ने कह दिया कि आने वाले सत्र में खोल दूंगा। इसलिए समय जाया नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) जवाब नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय अमरारामजी।

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

81. **श्री अमराराम**(धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है ?

(2) न्यूनतम मजदूरी के पुनर्निर्धारण की क्या प्रक्रिया है तथा इसमें सरकार ने आज तक क्या प्रयास किये हैं ?

(3) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी को महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ कर पुनर्निर्धारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन(श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) जी हां, आवश्यक होने पर सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है।

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार समितियां व उप समितियां गठित कर तथा उनके सुझाव प्राप्त कर अथवा राज्य सरकार के प्रस्ताव का राजपत्र में प्रकाशन कर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के विचार ज्ञात कर एवं न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल से विचार–विमर्श करके न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने की प्रक्रिया निर्धारित है। राज्य सरकार प्रक्रियानुसार न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण करती है।

(3) न्यूनतम मजदूरी को महंगाई सूचकांकों के साथ जोड़ कर पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड एक में उत्तर दिया है कि आवश्यकता होने पर। पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी पर वह व्यक्ति काम करता है तो राजस्थान में सबसे आखिरी छोर पर है, सबसे गरीब है, उसकी मजदूरी बढ़ाने के लिए यह कहना कि आवश्यकता होने पर, तो आप यह बताएं कि आज की तारीख में सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करती है या नहीं ?

दूसरा, आपने भाग दो में उत्तर दिया है कि

(श्री अमराराम)

इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार समितियां और उप समितियां गठित करके एवं सलाहकार बोर्ड में, तो पिछले दो साल में इसकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं ? क्या नयी सरकार बनने के बाद समितियों और उप समितियों का निर्माण किया गया है और सलाहकार बोर्ड की क्या मीटिंग की गयी है ?

तीसरा, मेरा सवाल है कि जब तमाम और कर्मचारियों की महंगाई के साथ मजदूरी बढ़ती है तो राजस्थान के जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं उनकी महंगाई बढ़ाने के साथ मजदूरी नहीं बढ़ाकर उनके साथ सरकार क्या अन्याय नहीं कर रही है ?

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 1 मई, 1998 को न्यूनतम मजदूरी का फिक्सेशन किया है और एक्ट यह कहता है कि मजदूरी का पुनर्निर्धारण या रिवीजन पांच साल के अन्दर हो सकता है। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण किये। अन्य प्रान्तों में मजदूरी की दरें हैं, आंध्र प्रदेश में 16 रुपये से 22 रुपये पर डे, अरूणाचल प्रदेश में 21 रुपये से 23 रुपये पर डे। और स्टेट्स में हमसे काफी कम हैं और केन्द्रीय सरकार का जो न्यूनतम फ्लोर लेवल है वह भी 40 है जबकि राजस्थान में 44 रुपये अकुशल के लिए 47 रुपये अर्द्ध कुशल और 50 रुपये कुशल के लिए न्यूनतम मजदूरी स्थापित है।

दूसरे खण्ड में आपने प्रक्रिया पूछी थी कि क्या प्रक्रिया होती है। इसके सम्बन्ध में एक्ट यह कहता है कि धारा 5 के अन्तर्गत जो कमेटियां गठित होती हैं उन कमेटियों को गठित होने के बाद या तो उनसे सलाह ली जाती है या राज्य सरकार स्वयं ही नोटिफिकेशन करती है। उसमें एतराज मांगते हैं और जो इनसे सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनसे सलाह ली जाती है और फिर श्रम सलाहकार मण्डल से राय लेकर यह पुनर्निर्धारण किया जाता है।

मैंने आवश्यकता इसलिए कहा है कि हमारा जो श्रम सलाहकार मण्डल है उसकी इस सम्बन्ध में कोई राय आयेगी और हम समझेंगे कि आज परिस्थितियां इस प्रकार की हो गयी हैं कि फिर रिवीजन किया जाए या आने वाले समय में इसके रिवीजन करने की आवश्यकता होगी तो सरकार इस बात पर निश्चित ध्यान देगी। इसलिए ध्यान नहीं देगी कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस बात के लिए घोषणा की है कि हम 60 रुपये प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकार का दिल खुला हुआ है, जैसा ही समय आएगा, हमारे फाइनेंसेज हमको अलाउ करेंगे तो मजदूरी के अन्दर हम पुनर्निर्धारण करेंगे। जहां तक सवाल आपने पूछा...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं, आपका उत्तर दे रहा हूं। आपने पूछा कि समिति का गठन कब हुआ है, कब किया जा रहा है तो मैं इसमें कहना चाहता

(श्री हरिसिंह)

हूं कि कमेटियों का गठन पुरानी सरकार के जमाने में हुआ है और उस गठन को पुनः संशोधित करके पनर्गठित करने का बहुत जल्दी ही हमारे सामने विचार चल रहा है, कार्यवाही चल रही है।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को अरूणाचल तो याद आ गया लेकिन मंत्रीजी यह बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जो बिलकुल राजस्थान से सटे हुए हैं, जहां राजस्थान के लाखों मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं वहां क्या है ? अरूणाचल तो मंत्रीजी को दिख रहा है लेकिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली नहीं दिखाई दे रहे हैं।

दूसरा, मंत्रीजी के उत्तर से तो मुझे यह लग रहा है कि अभी एक साल पहले रिवाइज हुआ है। मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि पांच साल बाद में विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : मैंने यह नहीं कहा था कि विचार करेंगे। मैंने कहा था कि कानून का प्रावधान यह है कि पांच साल के अन्दर विचार करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : विचार करेंगे, यह नहीं कहा आपने ?

श्री अमराराम(धोद) : वह तो मैन्डेटरी है। लेकिन जब महंगाई बढ़ गयी और राजस्थान के सबसे गरीब लोग हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूरी बात सूनी। उन्होंने कि हम इसका प्रस्ताव भेज रहे हैं और मजदूरी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव कब भेजा जायेगा ? सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने की बात कर रहे हैं। चार महीने में पुनर्गठन नहीं किया, मीटिंग नहीं की तो मंशा तो साफ जाहिर होती है कि प्रस्ताव कहां से भेजेंगे। सबसे पहले यह सलाहकार बोर्ड है उसकी मीटिंग राज्य सरकार बुलाती है, श्रम मंत्री बुलाते हैं। उसके बाद मंत्रीजी अभी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। चार महीने में पुनर्गठन नहीं हुआ, चार साल में सलाहकार बोर्ड नहीं बैठेगा और मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ पायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नन्दलालजी।

श्री अमराराम(धोद) : मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने समय में आप साठ रुपये करने जा रहे हैं ? यह कितने समय में राज्य सरकार लागू कर देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री नन्दलाल मीणा(प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन में यह स्पष्टीकरण दिया है कि श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पांच वर्ष में एक से अधिक बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जाता है।

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : यह मैंने नहीं कहा, यह मैंने नहीं कहा।

श्री नन्दलाल मीणा : यह नहीं कहा ?

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम में दो बार, तीन बार मिनिमम

(श्री नन्दलाल मीणा)

लेबर को बढ़ाया गया है। मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे टाइम में जो श्रम सलाहकार समिति का गठन किया गया था क्या आपने उसको भंग कर दिया है ? और यदि भंग नहीं किया है तो तीन वर्ष में माननीय मंत्री महोदय श्रद्धेय भीखा भाईजी जब पहली बार इस विभाग के मंत्री बने अभी, इन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि हम तत्काल ही न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं। तो इस पर और आज के इनके वक्तव्य पर और आपके सदन में आश्वासन पर, यह कांट्राडिक्टरी जो चीज है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : आपके स्टेटमेंट में और मेरे कहने में कोई फ़र्क नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिये, फिर पूछ लेना।

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : माननीय श्रम मंत्री के स्टेटमेंट में और मैंने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कतई कोई फर्क नहीं है। जहां तक श्रम सलाहकार मण्डल के पुनर्गठन का प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : पहले जो गठित की वो भंग कर दी तो पुनर्गठन करेंगे आप। जब भंग ही नहीं किया तो पुनर्गठन करने का सवाल कहां उठता है ?

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : उसमें संशोधन का विचार चल रहा है। जो हमारे नियोजक हैं और जो लेबर यूनियन्स के पदाधिकारी हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक(सीकर) : तीन महीने में ही परिवर्तन हो गया बहुत बड़ा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मान लो, आपने भंग कर दी है, तो कब तक इन समितियों का पुनर्गठन करना चाहेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : संशोधन और पुनर्गठन में कोई फर्क नहीं हुआ करता, कोई फर्क नहीं है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : भंग की है कि नहीं की है ? कर दी है तो गठन कब करोगे ? बहुत स्पेसिफिक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिये, आपको मौका देंगे, पहले जवाब तो सुन लें उनका। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : आप कितने समय में लागू कर देंगे ? समय सीमा घोषित कर दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह(कुम्हेर) : हमारा जो मैनिफैस्टो है, उसमें इस बात की स्पष्ट घोषणा की गयी है कि हम राजस्थान में मिनिमम वेज साठ रुपये करेंगे और इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री देवीसिंहजी भाटी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, लाखों मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अमराराम(धोद) : मैनिफैस्टो पांच साल तक है, मंत्रीजी, यह बता दें कि पांच साल पूरे होने के बाद साठ रुपये न्यूनतम मजदूरी करेंगे क्या ? मंत्री महोदय स्पष्ट घोषणा करके बतायें कि कितने दिनों में यह कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री भीखा भाई(श्रम एवं नियोजन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी उसकी प्रतिगामी नीतियों के कारण से मीटिंगें नहीं बुलाई गयीं और आई.डी. एक्ट का बिलकुल उल्लघंन किया गया। यह सरकार जब से आई है, रात–दिन इस दिशा में निश्चित रूप से वर्किंग क्लासेज के फेवर में काम कर रही है और जो बोर्ड बनाए थे उनको रिकांस्टीट्यूट कर रहे हैं, हमारी यह नीति है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, सवाल इस बात का है...(व्यवधान) हमने 47 रुपया प्रति दिन के हिसाब से दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नन्द लालजी, उनकी सुनो तो सही। (व्यवधान) आपको मौका देंगे, बैठिए (व्यवधान)

श्री भीखा भाई : पांच साल तक मजदूरों के हित में काम नहीं किया। मैं कहना चाहती हूं कि जो गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार बनी है उसने मैनिफोस्टो में बता दिया है। इनको यह बात मालूम नहीं है कि मैनिफोस्टो में क्या है। लेबर एडवाइजरी बोर्ड, मिनिमम वेज बोर्ड (व्यवधान) मिनिमम वेज एक्ट, सबको हम रिवाइज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : आपकी समझ से बाहर है मंत्रीजी की बात को समझना। बे.जे.पी. वालों, आप क्या समझेंगे, उनकी बात को आप समझ नहीं सकते। वे विद्वान हैं, बोल रहे हैं, आप क्या समझोगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, साठ रुपये मिनिमम वेज करने की घोषणा करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक तो मंत्री महोदय नजर नहीं आ रहे, दूसरे उनकी बात साफ सुनाई नहीं पड़ रही हम बहुत दुःखी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप उनका ख्याल कीजिये, ऐसी बात मत कहिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, राज्य मंत्री महोदय ने कहा है कि नयी सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देगी, चार महीने निकल गये, अब तक श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक नहीं बुलाई। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के खिलाफ जो

(श्री मोहन लाल मोदी)

टिप्पणी की है उसको कार्यवाही से निकलवाया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : अपने शब्दों को वापस लें, हमारे मंत्रीजी के बारे में जो शब्द कहें हैं उसको वापस लें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई असंसदीय भाषा नहीं बोली। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। श्री देवीसिंह भाटी।

श्री राधेश्याम गंगानगर(गंगानगर) : माननीय मंत्रीजी के खिलाफ जो शब्द कहें हैं, वे वापस लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न आ रहा है, आप बैठिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतने वयोवृद्ध मंत्री हैं हमारे, उनके खिलाफ आपने अपशब्द कहे हैं, यह शर्म आने की बात है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे। (व्यवधान) आदिवासी हैं। आपने गाली क्यों दी ? आप गाली नहीं दे सकते। आप गाली दे रहे हैं, इनको नहीं समझ सकते आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे इतने बड़े नेता को गाली देते हो, शर्म आने की बात है।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई तो दे, सुनने नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते, क्या सुनाऊं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सुनना चाहता हूं, राजस्थान के करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं, अब ये नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। राजस्थान का गरीब सुनना चाहता है, मंत्रीजी से दुबारा कहलवाइए कि कब तक घोषणा कर देंगे, भीखा भाईजी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय श्रम मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये नहीं सुनने देते तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान) सुन तो लें कि मंत्रीजी ने उसके बारे में क्या कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिकार्ड पर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : यह रिकार्ड में कैसे आ जायेगा, जब हमने ही नहीं सुना तो रिकार्ड में कहां आ जायेगा ? (व्यवधान)

मंत्रियों के आवासों पर व्यय

82. **श्री देवीसिंह भाटी**(कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नयी सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बंगलों का मरम्मत का कार्य चल रहा है अथवा पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो मंत्री/आवंटी का नाम, पद, खर्च

(श्री देवीसिंह भाटी)
आकलन राशि, खर्च की गयी राशि, किस्म कार्य, बंगला नम्बर, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री हरेन्द्र मिर्धा) : जी हां। नयी सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत का कार्य चल रहा है/पूर्ण हो चुका है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट'अ' में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में नयी सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत और रिनोवेशन का काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो उत्तर और सूची आयी है, पूरे सदन को सुनकर बड़ी तकलीफ होगी कि जहां एक तरफ घाटे की बात करते हैं, पूरे राज्य की जनता को कहते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र में बताया था वह इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राजकोष में पैसे का अभाव है, इन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये मात्र मरम्मत के लिए खर्च कर दिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो गनीमत है कि गंगाजल नहीं धोया। अभी गंगाजल से धोना पड़ेगा उन मकानों को। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ द हाउस जिनका आठ सिविल लाइन्स में मकान है, एक मकान पर 16,00,000 रुपये खर्च किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अभी तक कब्जा नहीं छोड़ा, उन मकानों की दुर्दशा कर दी। जानबूझकर इन्होंने दुर्दशा की है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मन चाहे तरीके से यह किया गया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले भी ...(व्यवधान) राशि खर्च की थी। अंकुश लगना चाहिए।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, +++(व्यवधान) प्लास्टर उखाड़ गये। इसलिए मरम्मत तो होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : what is your question?

श्री देवीसिंह भाटी : किन कारणों से यह राशि खर्च की गयी, जबकि वहां पर एक मकान में 20-20, 25-25 कमरे बने हुए हैं ? जिस प्रकार से उत्तर में बताया गया है, आठ सिविल लाइन्स के रंग रोगन सफेदी पर एक लाख रुपये व्यय किये, उपाध्यक्ष महोदय, क्या पहले उस पर काला रंग डाला हुआ था ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे बंगले अपवित्र कर दिये गये हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने आठ लाख रुपये खर्च किए थे। (व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत(भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये का खर्चा किया, क्या इसके पीछे यह भी प्रमुख कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण जो पहले वहां रहते थे, जब इन्होंने उन बंगलों को खाली किया तो वहां से +++ उनको तोड़ फोड़ कर दिया, सामान को नुकसान पहुंचाया, इस तोड़ फोड़ और नुकसान की भरपाई के कारण से यह डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च आया है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, यह गलत है। यह बिलकुल गलत तरीका है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्रियों की कोठियों पर जो खर्चा किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ इनको घर ले गए। +++

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कौन—कौन से मंत्री ने +++ स्पष्ट कीजिए सदन के अंदर। उन मंत्रियों का नाम लिया जाए जिन्होंने +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : पंखें कितने चोरे, कूलर किसने चोरे, गीजर किसने तोड़ा ? ये जितने भी +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप नाम बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : नाम बताने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : (व्यवधान) तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मदन दिलावर के बंगले से 75 लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है। (व्यवधान) तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मदन दिलावर के बंगले से ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है, इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, +++

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करायी जाये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पूर्व समाज कल्याण मंत्री मदन दिलावर के बंगले से 75 लाख रुपये का सामान चोरी हो गया था। क्या—क्या सामान चोरी हुआ समाज कल्याण मंत्री मदन दिलावर के बंगले से, क्या—क्या चीजें चोरी हुई हैं, इसका रिकार्ड ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मदन दिलावरजी की जांच करायी जाए। कौनसा सामान चोरा, इसकी जांच कराएं। एक कमेटी बनायी जाए, उस कमेटी का हमको चेयरमैन बनाया जाए। हम करेंगे इसकी जांच। (व्यवधान) मदन दिलावर की जांच हम करेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(एक माननीय सदस्य)
विपक्ष के माननीय नेता महोदय के बंगले पर जो खर्चा हो रहा है वह सारे मंत्रियों के बंगलों के ऊपर होने वाले खर्च में सबसे ज्यादा खर्च है।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान की आर्थिक स्थिति विकट है ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 75 लाख रुपये का सामान दिलावरजी के बंगले से चोरी हुआ है। (व्यवधान) मदन दिलावर...(व्यवधान) आपके बंगले से चोरी हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्योंकि वो सारी जनता को, सारे सदन को बताना चाहते हैं कि सबसे अधिक जो पैसा खर्च हुआ है वो माननीय भैरोंसिंह शेखावत के बंगले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को तहजीब सिखाइए। (व्यवधान) इनको शालीनता सिखाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कह रहे हैं सामान +++ ले गए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मदन दिलावरजी, आपका क्या होगा ? 75 लाख की चोरी आपके बंगले से हुई है, 75 लाख रुपये। (व्यवधान) क्या होगा मदन दिलावरजी इसका ? +++

श्री मदन दिलावर : इसको कार्यवाही से निकाला जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार के कोई आरोप चेयर पर लगा दें तो क्या आप सहन कर लेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई सभ्य तरीका है ? कोई आरोप लगा दे कि पूर्व मंत्री फर्नीचर +++ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह भी कहा है कि मदन दिलावर ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसको कार्यवाही से निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री पर आरोप लगाए हैं इसको कार्यवाही से निकाला जाए, नहीं तो आगे कार्यवाही संभव नहीं होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको शालीनता सिखई जाए। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं इनको तहजीब सिखाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बताना नहीं है इस बारे में। आपका मकान ही नहीं है, आप क्यों दुःख पा रहे हो ? बैठो, बैठो। (व्यवधान) श्री यशवन्त सिंह, सदस्य की ओर से... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकाला जाए। भारतीय

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)
जनता पार्टी सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मदन दिलावर को सदन से निकाला जाए। मदन दिलावर को सदन से निकाला जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने +++ कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है... (व्यवधान) आप सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) इन पर ही आरोप लगते हैं। पूर्व मंत्री +++ यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) इसे कार्यवाही से निकालो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा है... (व्यवधान) आप सुनिए तो सही। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह भी कहा है कि मदन दिलावर नहीं +++

श्री अमराराम(धोद) : यह कोई तरीका नहीं है, आप क्या क्या आरोप लगा देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ के यहां से 70 लाख की चोरी हुई है, उसकी जांच करायी जाए। दिलावर की जांच हो। आप पर जो आरोप लगे हैं इसकी एक कमेटी बैठाई जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मदन दिलावर जी को समय दिया जाए, मदन दिलावरजी अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मदन दिलावरजी को समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ उसकी जांच की जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मदन दिलावर अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कृपया उनको समय दिया जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना हल्का मसला नहीं है, पूर्व समाज कल्याण मंत्री पर आरोप लगाया जाए...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम लेकर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नाम लेकर कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : इनको मौका दिया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : मदन दिलावरजी के कमरे से 70 लाख की जो चोरी हुई है वह माननीय सदस्य दिलावरजी, कहां गई, इसका आप सदन के अंदर स्पष्टीकरण दें।

श्री जगत सिंह दायमा : पूर्व मंत्री +++(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गंभीर है, आप बैठिए।

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : मेरे पर आरोप लगाए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपसे निवेदन करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, इनसे स्टेटमेंट दिलाया जाए। इनको +++ कहा है, +++ कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कहा गया है कि +++ दिलावर नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप +++ नहीं कह सकते हैं। दिलावर को +++ कैसे कह रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर जो कुछ चर्चा हुई है...(व्यवधान)

डा. रामप्रताप(हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सर्वोच्च सदन और उसमें इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जाएं कि पूरा मंत्रिमण्डल +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो क्या करूं ?

डा. रामप्रताप : सुनने के लिए तैयार हैं, इसको एक्सपंज कीजिए। इस तरीके से हलके रूप में लिया जा रहा है, राजस्थान की पूरी जनता में इसका क्या मैसेज जा रहा है ? इस तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप सुनो जब कहूं ना।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनकी जांच कराओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो दो मिनट तो। दो मिनट बैठो।

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : एक मिनट।

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य दिलावरजी को +++ कहा है, बहुत बड़ी बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत बुरी बात है +++ कह दिया इनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसको एक्सपंज करूं ? बोलने तो नहीं देते। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कैसे कह रहे हैं इनको +++ ? आप असत्य बोल रहे हैं। मैंने +++ नहीं कहा, मैंने दिलावर कहा है। आप कैसे कहते हैं कि मैंने +++ कहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : हमने भी +++ सुना है।

श्री खेतसिंह राठौड़(संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हम माननीय भूतपूर्व मंत्रियों को

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

+++ तो नहीं कहना चाहते, लेकिन सामान तो इनके बंगलों से जरूर गया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करायी जाए।

एक माननीय सदस्य : जांच कराकर इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही कराना चाहते आप ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है इसकी जांच कराएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय दिलावरजी के यहां से जो सामान चोरी हुआ है, दिलावरजी स्पष्ट करें कि वह सामान कहां गया ? बताइए आप, कहां गया सामान ? फ्रिज कहां गया, पंखे कहां गए और सामान कहां गया ? जितना भी गया +++ यह तो हमको क्या पता ? कौन ले गया सामान बताइए।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने देखा, मैंने देखा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप उस समय कहां थे ? आप उस समय मदन दिलावरजी के घर क्यों गये ? +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, एक मिनट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ कार्यवाही अभी हुई है, जो कुछ चर्चा हुई है उस कार्यवाही में यदि कोई डैरोगेटिव रिमार्क हैं तो मैं उस कार्यवाही को देख कर उसको एक्सपंज कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा के स्तर की बात नहीं है, चाहे इधर का पक्ष कहे या उधर का पक्ष कहे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके तो आपको निर्देश देने चाहिए। चाहे एम.एल.ए. हो या मिनिस्टर हो उसके बंगले में जो सामान दिया जाता है वह सामान पी.डब्ल्यू.डी. को हैण्ड ओवर करना चाहिए था। उसे अपने घर ले जाएं, यह बहुत गंभीर बात है। इसकी जांच की जानी चाहिए कि किस–किस के यहां से क्या सामान गया।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठ जाएं, एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्या बात हुई ? यह संसदीय प्रणाली की बोलचाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : लेकिन राठौड़ साहब ने खड़े होकर स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्री सामान ले गया हो तो...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंक्शन का सवाल नहीं है। माननीय लक्ष्मण सिंहजी ने बड़ा स्पष्ट एलिगेशन लगाया है और माननीय पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने उसकी ताईद की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बड़ा गंभीर मसला है। चोरी गया या नहीं गया, सामान गायब मिला, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? आपने कोई एफ.आई.आर. दर्ज करायी ? पूर्व मिनिस्टर हो या कोई अफसर हो, गवर्नमेंट एकोमोडेशन को अगर वैकेट करके जाएगा और अगर कोई सामान लेकर जाएगा तो वह उसकी इन्डिवीजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी है। बाई वन स्ट्रोक, हम यह नहीं कह सकते कि बी.जे.पी. के मिनिस्टर +++ हैं, बी.जे.पी. में हो सकता है, मिनिस्टर ने किया जो। किया होगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। यह वाइल्ड एलिगेशन लगाना वो नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा, आप इसकी जांच कराएं। यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप सदन के सदस्यों से जांच कराएं इस बात की। क्योंकि अगर कोई आदमी, मिनिस्टर जब पब्लिक आफिस होल्ड करता है और फिर अगर वैकेट करके जाए, सामान चोरी करके चला जाए, यह कोई मामूली मामला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए आप इसे कार्यवाही से नहीं निकालेंगे, आप इसको रहने देंगे। लोगों को मालूम रहना चाहिए। क्रोध में, आवेश के अंदर कुछ कह दिया वह तो अलग है। मदन दिलावर को +++ कह दिया, वह अलग बात है, आप उसे एक्सपंज कर- दीजिए, यह गंभीर चीज है। जैसाकि पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कहा है और माननीय लक्ष्मणजी ने कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) मैं मांग करता हूं, आपके माध्यम से कि इसका प्रस्ताव माननीय पार्लियामेंटरी मिनिस्टर खुद रखे, और हाउस की कमेटी से जांच कराएं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी में लाना चाहती हूं कि जब कभी कोई गवर्नमेंट बंगला किसी अधिकारी को या मंत्री को या किसी और को अलाट होता है, उसमें जो कुछ भी फिटिंग्स होती हैं, या जो कोई भी सामान होता है उसके सारे विवरण उसके साथ में लिए जाते हैं और जब वे छोड़ कर जाते हैं तो जो कोई सामान वहां से मिसिंग होता है उस व्यक्ति से उसकी कास्ट वसूल करने या उसी तरह का सामान वहां पर वापस रखने की उनके ऊपर पाबंदी होती है। पी.डब्ल्यू.डी. को इसके बाबत में बहुत सख्ती से विवरण लेकर के कार्यवाही करनी चाहिए। सामान बहुत गायब हुआ है, यह सही है। लेकिन उसको वसूल करने, पैनल्टी लगाने या उसको वापस स्थापित करने की जिम्मेदारी कायम की जानी चाहिए। यह व्यवस्था है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह किसी मंत्री के कोई सामान बकाया था तो निश्चित रूप से पी.डब्ल्यू.डी. वसूली की कार्यवाही की होगी, एन.ओ.सी. नहीं दी होगी उसको।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कार्यवाही

+++ शब्द/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कर रहे हैं ? क्या कार्यवाही की है ? सदस्यों की तनख्वाह में से भी काटा जाता है। क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.एज. का सामान भी अगर चोरी चला जाता है तो पेंशन का कागज बनाकर नहीं दिया जाता है। पेंशन में से काटा जाता है। उसकी पेंशन के लिए... (व्यवधान) इसकी क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जिनका सामान गया है, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी जाए और उनकी जांच कराई जाए। एक विधान सभा की समिति बनायी जाए, माननीय सदस्यों की समिति बनायी जाए, समिति जांच करे इसकी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सामान तो गायब हो गया और चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। अब आपने कहा कि सामान वापस रख दें। अगर कोई चोर चोरी कर ले जाए और सामान वापस रख जाए तो क्या उसका जुर्म कम हो गया ? माननीय मंत्री महोदय, मैं यह चाहता हूं जिन—जिन मंत्रियों ने और जिन—जिन सदस्यों ने ऐसा +++ वहां की जनता जान सके कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार में पिछली बार जो मंत्री बैठे थे वे कैसे लोग थे। 75 लाख की चोरी हो जाए और आप कहते हैं वापस रख दें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि सब चीजों का रिकार्ड है। किसको कितना सामान इश्यू था, वह सारा रिकार्ड है ऐसा नहीं है कि रेकार्ड नहीं है। मैं यह बताना चाहती हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या कार्यवाही की आपने ? 4—5 महीने हो गए, आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्रिमिनल कैसेज क्यों नहीं दर्ज किए ?

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है। (व्यवधान) फिर इसके बाद बोलने नहीं दोगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा सिंचाई मंत्रीजी ने कहा, मंत्रियों के बंगले में सामान एक तो फिक्सचर है, बिलकुल जो परमानेंट फिटिंग्स हैं। दूसरा उनका एंटाइटलमेंट है फर्नीचर इत्यादि प्राप्त करने का, इनमें पर्दे, कारपेट्स इत्यादि आते हैं। हमारे कई साथी लम्बे अर्से तक मंत्री रहे हैं, उधर भी रहे हैं, दो तरह के आइटम्स होते हैं, एक तो पैरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे पावं-पोछ, चिक पहले खस के पर्दे आते थे किसी जमाने के अंदर। तो दो तरह के आइटम्स होते हैं पैरिशेबल आइटम्स और नॉन पैरिशेबल आइटम्स। हमारे विधायकों की भी सामान की एक सीमा है, उपाध्यक्ष महोदय। सामान भेजते हैं उसकी लिस्ट होती है। जब आप वापस देते हैं सामान मिसिंग हुआ कभी—कभी उसमें डिस्क्रेपैंसी आ जाती है,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह) ले जाते हैं. लोग रसीद देकर नहीं जाते हैं, मंत्री या विधायकों के नाम वह सामान बोला करता है वहां पर। (व्यवधान) एक मिनट, सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी निश्चित प्रक्रिया है। जब सामान मिस करता है तो आपके यहां से इतना सामान कम आया, उसकी वे लिस्ट बना कर दे देते हैं, इन्वेंटरी जो आपके मूवेबल आइटम्स हैं। अब एक फिक्स आइटम्स जैसे गीजर है, एक मकान के अंदर। एक गीजर एम.एल.एज. के और दो मंत्री के, पंखे, टयूब लाइट्स और फिटिंग्स सैनिटरी फिटिंग्स, उनके फिक्सचर्स फिक्स होते हैं वहां पर। अगर फिक्सचर जो कि परमानेंट हैं वहां पर, अगर वे गायब हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, नम्बर एक। (व्यवधान) आप बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। अगर शब्द इस्तेमाल किया है, मैं किसी पर और आरोप नहीं लगा रहा, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि यहां पर लोगों में टैंशन बढ़ती जा रही है, लोग उत्तेजित होते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस किस्म की बातें यहां बैठ कर करें, बाहर अखबारों में सब बातें जाएंगी, हम लोगों के बारे में लोग क्या सोचेंगे ? पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) आखिर एक डैकोरम तो होता है। आपको जब तक वहां से एन.ओ.सी. नहीं मिलता, भूतपूर्व विधायक हो गये, भूतपूर्व मंत्री हो गए, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जब तक आप क्लीयर नहीं करेंगे, **You won't get the pension.** आपकी पेंशन रुक जाती है। प्राप्त नहीं होती है। (व्यवधान) वन फोर्थ नहीं है तो कितनी बनती है ? वन फोर्थ भी नहीं मिलेगी, तो जिंदगी नहीं मिलेगी। मेरा आपसे निवेदन है, इस मामले को यहीं समाप्त करें, तूल दें नहीं और जो इसमें असंसदीय शब्द कहे गये हैं उनको आप देखकर एक्सपंज करें। शुरूआत आपकी तरफ से होती है, देखिए होता क्या है ? अब सवाल आया मंत्रीजी के बंगले का।

डा. चन्द्रभान : खाली नहीं करा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह के बंगले हैं, मिनिस्टर्स के लिए ईयरमार्क्ड हैं। एक मंत्रिमण्डल का फैसला हुआ कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री को दिया जाएगा, उस श्रेणी में माननीय भैरोंसिंहजी आते हैं। चूंकि मंत्री के ईयरमार्क्ड बंगले हैं उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी का आफिस हो या बी.जे.पी. का आफिस हो, उसकी मेंटीनेंस पर जो खर्चा आएगा वह भी मंत्री का गिना जाएगा। अब देवीसिंहजी भाटी विधायक हैं, वो किन्हीं कारणों से अभी खाली नहीं कर पाए। जो करना चाहिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : क्यों नहीं करेंगे खाली ? (व्यवधान) यह कोई तरीका है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह इनके सोचने की बात है, करें या नहीं करें उस बंगले पर भी पैसा खर्च हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनें जरा। अब चूंकि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का स्टेटस प्राप्त है, जैड कैटेगरी की इनकी सिक्योरिटी होती है, उनको बंगला देना आवश्यक था। उनको बंगला प्रोवाइड किया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

गया, उसके ऊपर 4 लाख 95 हजार रुपये खर्च हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : 8 लाख रुपये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुनिए। जो उसके एस्टीमेट हैं उसमें से करीब पांच लाख का खर्चा हो गया बाकी तीन लाख का खर्चा और होना है। लेकिन जैड केटेगरी के अंदर है। इतना बड़ा बंगला मुख्य मंत्रीजी का सिविल लाइन्स का है, आप उसका राजनीतिकरण करके बैठ गये। शुरूआत वहां से हुई। अगर आप उसका राजनीतिकरण नहीं करते, पूरा प्रश्न का उत्तर आपके पास था, लिस्ट थी, अगर आप अपना खर्चा देख लेते और माननीय विपक्ष के नेता का खर्चा देख लेते। मुख्य मंत्रीजी का कितना बड़ा बंगला है ? इतना बड़ा बंगला है। अगर आप एनुअल किसी प्राइवेट मकान के अंदर भी व्हाइट वाश या कलरिंग कराएं तो उसमें भी 40—50 हजार रुपये का खर्चा होता है। आज कई बंगलों के अंदर नयी सीवरेज लाइन डल रही है, उस सीवरेज लाइन का खर्चा ...(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) इसमें मैं कतई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) आप बिराजें। ज्ञानदेवजी, आपकी समझ के बाहर है यह। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) कोलायत से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए इसका राजनीतिकरण किया। कहते विपक्ष के नेता के ऊपर आपने क्यों इतना खर्चा किया ? आप मुख्य मंत्री को लेकर बैठ गए, इसमें वाद विवाद शुरू हो गया। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले के अंदर अगर आप ईमानदारी बरतते तो यह नौबत नहीं आती। अब एक बात बताइये, ललित किशोर जी... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है मैं किसी से नहीं डरता। मुझे इसी बात का गिला है, फाल रूफिंग के नाम पर बार—बार जनता का पैसा बरबाद किया जाए पहले से फाल रूफिंग है उसको तोड़ कर दुबारा फाल रूफिंग हो रही है, क्या जरूरत है ? जहां पहले से टाइल्स लगी हुई हैं...(व्यवधान) मुझे यह तकलीफ है कि 16 लाख वहां खर्च हो रहे हैं और आठ लाख विपक्ष के नेता के वहां पर खर्च हो रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ हुई, इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है, बाकी इस प्रश्न को उठाने में कोई मतलब नहीं था। जब एक तरफ हम इस पूरे प्रदेश में अकाल को भुगत रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह फिजूलखर्ची की बात है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पैसा बरबाद हो रहा है, मेरा प्रश्न पूछने का यही था। मुझे कोई शंका नहीं है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का नेता हो, मैं खुलेआम कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय

(श्री जगत सिंह दायमा)
उपाध्यक्ष महोदय, सर्कट हाउस में फिजूलखर्ची हो रही है। (व्यवधान) फिजूलखर्ची की बात है। यह भी आवास से अलग नहीं किया जा सकता। 60 लाख रुपये का सामान वहां मंगाया गया है और बीकानेर की एक ही फर्म से मंगवाया गया है। वह प्राइवेट फर्म है। उपाध्यक्ष महोदय, पलंग मंगवाये गये हैं। पलंग की व्यवस्था आप देख लीजिये, पलंग वहां पर पहले से मौजूद हैं उसके बाद भी 60 पलंग और मंगवाये गये हैं। एक ही बीकानेर की कोई प्राइवेट फर्म है उससे मंगवाये गये हैं। यह फिजूलखर्ची है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न यहां कहां से आ गया ?

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें भी आवास की बात है। हम आवास कर रहे हैं उसमें। हमारे पास कोई फ्लैट नहीं है, हमारे पास कोई कोठी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनरल आवास की बात नहीं है, केवल मंत्रियों के बंगले की बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरी स्थिति आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम उसमें निवास कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां पर इतना खराब खाना मिलता है कि जेल में भी उससे अच्छा मिलता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सर्कट हाउस की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या सम्बन्धित है ?

श्री जगत सिंह दायमा : 60 लाख रुपये का सामान आया है। फिजूलखर्ची हो रही है, पलंग वहां पर पहले से मौजूद हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर हैं...

श्री जगत सिंह दायमा : सामान वहां पहले से मौजूद है और फिर 60 लाख रुपये का मंगा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आप जांच करवाइये कि 60 लाख रुपये का सामान किसलिए आया है, जब पहले से वहां पर सामान मौजूद है। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, आप बताइये इस बारे में, आप क्या कहते हैं ? (व्यवधान) 60 लाख का सामान जब वहां पर उपलब्ध है तो फिर क्यों आया ?

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी, आप बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जिस तरह की चर्चा हुई...(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह अलग से प्रश्न है इसके सम्बन्ध में आप मुझसे सम्पर्क करें, मैं जांच करवाकर आपको सूचित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बैठिये आप, यह क्या तरीका हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : एक सैकण्ड। यह जो 16 लाख का खर्चा बता रहे हैं यह एक लाख 60 हजार रुपये का है, इसको आप सुधार करें। एक लाख 60 हजार का है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वह आप गलत बता रहे हैं। पहले आप देख लें।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे पास है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, एक जीरो इसमें ज्यादा लग गया होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। (व्यवधान) यह क्वेश्चन आवर नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस में से एक नतीजा निकला...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप हाउस को चलाना चाहते हो या नहीं ? (व्यवधान) एक माननीय सदस्य को काल किया है उनको बोलने दीजिये। आप रुकिये । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अभी गवर्नमैंट ने कहा कि बंगले खाली करो तो इधर से जवाब आया कि बंगले खाली नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। फिर हमारा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड में ही समाप्त करता हूं। अभी सरकार ने कहा कि बंगले खाली करो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। मैं अलाउ नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जगमाल सिंहजी, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। नहीं,नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव :...इधर से जवाब आया कि चाहे जो कर लो, बंगले खाली नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये, बोलने का आपको अवसर दे देंगे। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव :... फिर जो एम.एल.एज. रह गये हैं जिनको मकान नहीं मिले, वे कहां जाएं ? आज 4–4 महीने से आप खाली करा नहीं सकते। उन्होंने तो आपके मुंह पर कह दिया कि चाहे जो कर लो, हम खाली नहीं करेंगे। (व्यवधान) फिर हमारा क्या होगा ?

श्री जगत सिंह दायमा : पांच महीने से घूम रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप उपलब्ध कराएं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : 4–4 महीने हो गये, ये खाली नहीं करते और ये कराते नहीं, हम कहां जाएं ? आप हमे नये दो।(व्यवधान) इन्होंने तो मना कर दिया कि चाहे जो कर

(श्री जगमाल सिंह यादव)
लो, हम खाली नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पांच महीने से आवास की सुविधा नहीं मिली है। (व्यवधान) कितना समय होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, आप ही बोलते रहें...(व्यवधान) और हम जो बोलने के लिए खड़े हो जाएं तो...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट उसको सुन लें।

श्री जगत सिंह दायमा : ये बंगले खाली करते नहीं और ये करवाते नहीं तो फिर हम कहां जाएं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस स्तर की चर्चा हुई, मैं समझता हूं कि इस स्तर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो इस बात से खड़ा हुआ था कि नये मंत्रिमण्डल के गठन के पश्चात् उन बंगलों की साज—सज्जा के लिए कितना रुपया खर्च हुआ। इस बात के पश्चात् अब प्रश्न को घुमा कर इस बात पर ले आये कि पुराने मंत्री जो बंगले में रहते थे वे उसमें से सामान निकाल कर ले गये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ठीक कह रहे थे, कुछ फर्नीचर एम.एल.ए. और मंत्री के रूप में आबंटित होता है, कुछ उस बंगले में परमानेंट फिक्सचर्स होते हैं। पर यहां जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आरोप लगा दिया, माननीय कमलाजी ने बात कह दी, अच्छा यह होता कि सबसे पहले पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी जाकर वैरिफिकेशन करते कि कितना फर्नीचर मंत्री के रूप में आवंटित था, कितना उस बंगले का स्थायी फर्नीचर गीजर, पंखे हैं और कितनी इसमें कमी है। आप नोटिस देते। अगर नोटिस नहीं देना चाहते तो आप प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज कराते। आप कहना क्या चाहते हैं, गृह मंत्रीजी ? इस सदन को सारा राजस्थान देख रहा है। आज हम विपक्ष में हैं, आप यह मत समझो कि हम परमानैंट ही आ गये, कल आप भी आएंगे। इस तरह से हल्के आरोप—प्रत्यारोप से कि +++ है, ये है, मैं समझता हूं कि सदन का कितना समय नष्ट हुआ है। आप जैसे सीजण्ड आदमी को, मुझे तकलीफ है। (व्यवधान) माननीय खेत सिंहजी, इस तरह से हल्के—फुल्के आरोप...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राजेन्द्र सिंहजी, वह 23 हजार करोड़ रुपयों का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि कार्यवाही से असंसदीय बात को निकालें और प्रताड़ित करें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, आपने भी बंगला खाली नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने बंगला खाली नहीं किया है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एम्फोर्ट प्रकरण ने पूरे राजस्थान के किसानों को लूट लिया है। याद कीजिये एम्फोर्ट प्रकरण को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तैयार हूं। विधायक के रूप में आवंटित जो मकान है उसे तैयार करके जिस दिन दे देंगे उस दिन चला जाऊंगा मैं। कोई सड़क पर रहूं क्या ? एम.एल.ए. के रूप में रहने के अधिकारी नहीं हैं क्या हम ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक रिकार्ड सही कर लीजिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी के मकान पर एक लाख 60 हजार रुपये खर्च हुए हैं और हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य 16 लाख रुपये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत कह रहे हैं। आप जो मर्जी आये कह देते हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किसको धमका रहे हैं ? (व्यवधान) धमकाने आ गये। धमकाने आ रहे हैं। हम धमकाने में नहीं आने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चाहे जो बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम धमकाने में नहीं आने वाले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम कांग्रेस वालों को भी कह देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...हम कांग्रेस वालों को भी दबा लेंगे। इन्होंने भैरोंसिंहजी को दबाया होगा, हम दबने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपके पास तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीज़ी और ऊर्जा मंत्रीजी धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास है क्या यह ? आर्डर, आर्डर, विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। प्रतिपक्ष की बात पर मंत्रीजी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप इनको दो मिनट का टाइम दीजिये, मामला शांत हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास इसकी कापी नहीं है। माननीय प्रश्नकर्ता के पास है और माननीय मंत्रीजी के पास है। रुको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इनके आचरण को तो देखिये, किस तरह से हाउस को डिक्टेट कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य का आचरण बिलकुल खेदजनक है। आसन को आकर डिक्टेट करना...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्या कर लेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : खेद प्रकट करना चाहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात उचित नहीं है। (व्यवधान) यह परम्परा गलत है, इसको रोकिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं...(व्यवधान) हम डरने वाले नहीं है। भैरोंसिंहजी को डराया होगा, हमको नहीं डरा सकते।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के हर एम.एल.ए. और मंत्री ने सम्पत्ति की घोषणा की है। (व्यवधान) क्या आरोप लगाते हो आप ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा होती है। (व्यवधान) जिस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। (व्यवधान) माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना चाहिए इस बात के लिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : किस बात के लिए ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने जिस तरह से आसन को डिक्टेट किया। आप किस तरह से आसन को धमकाते हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका अधिकार है। सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्रीजी ने आपको सूची दी, गृह मंत्रीजी ने बहुत अच्छे विचार रखे और सदन को...(व्यवधान) धमकाया जाए, यह कोई बात है क्या ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बाहें चढ़ाकर क्यों ...(व्यवधान) आप आसन को धमकाएं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं आप ? माननीय मंत्रीजी। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाटीजी ने जो सवाल पूछा है उसका डिटेल में विवरण मैंने...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कौन से भाटी जी ?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : श्री देवी सिंहजी, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो चुका, अब इस पर चर्चा कहां हो रही है ?

एक माननीय सदस्य : एक मिनट रुको ना, बात सुनने दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : प्रश्नकाल चालू है या वापस शुरू कर रहे हैं ? मैं तो इतना ही जानना चाह रहा हूं कि प्रश्नकाल वापस शुरू कर रहे हैं ? जीरो आवर में प्रश्नों का उत्तर होगा ? (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी 8, सिविल लाइन्स, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निवास पर जो मेंटिनेंस और रिनोवेशन के सम्बन्ध में कहा गया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य देवीसिंहजी भाटी ने कुछ बात आपके सामने रखी। यह कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इट्स ए टाइपिंग एरर। उसका कैलकुलेशन 1.60 लाख रुपये हैं पर टाइपिंग एरर से एक बिन्दु ज्यादा जुड़ गया इसलिए...

श्री देवीसिंह भाटी : उन्होंने पहले कहा ही नहीं। शुरू में ही कह देते तो...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : एक्चुअली खर्चा 1.60 लाख रुपये है और टाइपिंग एरर से यह हो गया।

श्री जनार्दन गहलोत : वह आप भी करके आते और इसको जोड़ लेते तो यह दिक्कत नहीं होगी। आप भी करके आते थोड़ा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब समाप्त करें। चर्चा समाप्त हुई अब।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) शांतिकुमारजी।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या बचा है इसमें ? मंजूर कर ली ना गलती, अब क्या बचा है इसमें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि एरर को ये अगर समझ ही पाते तो इनकी यह हालत नहीं होती। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : देखिये, हम लोग तो कई खेल खेलते हैं। आपको एक अवसर दिया है और मटियामेट करके फिर पांच साल बाद में आएंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इसी आशा पर जिंदा रहो, आप इसी आशा पर कायम रहो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई :...सपने देखे, सपने।

श्री महेश जोशी : अभी तो जो झटके आपको लगातार लगे हैं उनको संभालो आप। (व्यवधान) वह भी देख लेंगे पांच साल बाद में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, चर्चा समाप्त हुई।

श्री महेश जोशी : जो उप चुनाव में झटके लगे हैं उससे तो अपने आपको संभालो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : इन दोनों पार्टियों का ही ठेका नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी राज में आ सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी जिस प्रकार का वातावरण बना है और माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के आरोप लगाये, इससे सारा सदन चिंतित है। (व्यवधान) अभी खतम नहीं हुआ, ठहरिये। मेरा यह निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस को तो आर्डर में रखें, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) बैठ जाओ, आप क्या बोल रहे हैं ? आपका कोई सब्जैक्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर :...आप ही आर्डर करते हैं और आप ही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं, बोलने दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने पहले आदेश दे दिया कि चर्चा समाप्त हुई। फिर यह इश्यू तो कभी बंद ही नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इजाजत दे दी इनको। आप भी बोल लेना।

श्री देवीसिंह भाटी : यह इनको ही बोलने दो, सभी को बोलने दो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसके बाद तो आप हमें भी समय दीजिये, मुझे भी समय दीजिये। हमें तो कहते हैं कि बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा, जो मंत्री या विधायक सामान लेते हैं, अब जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, उनका सामान चला गया, उसकी जिम्मेदारी उनकी है कि वे हर सामान को संभालकर रखेंगे। तो वहां कोई तो केयर टेकर होता है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि आप पुरानी लिस्ट देखेंगे, प्रद्युम्न सिंहजी, जो पुराने मंत्री रहे हैं, जो 15–15, 20–20 साल पहले मंत्री रहे हैं, उनकी बहुत सारी बकाया हैं, उनकी बहुत बकाया निकलेंगी। इनकी (व्यवधान)... I am sure about it.

एक माननीय सदस्य : नहीं है, नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं, आप इसकी जांच करिये...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, मैंने वही बात कही थी। मैं वही बात कह रहा था। मैं उसी बात को कह रहा था कि दो तरह के सामान होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है बकाया ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूं। लैट मी कम्प्लीट। किसी मंत्री में या विधायक में कोई सामान बाकी है, इसका मतलब यह है कि वह चुरा ले गया ? सामान बाकी हो सकता है तो यह जो +++ बारबार कही गयी है, उसको एक्सपंज करने के लिए निवेदन किया है, आप फरमा दें कि एक्सपंज कर दिया इसको।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : एक्सपंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि...

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, सब बोले हैं, हमें भी अवसर मिला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। इससे पहले मैं चार दफा मंत्री रहा हूं और उतरा हूं, चार दफा ही हमने सामान जमा कराया है और अभी तक कोई एक पैसा बाकी नहीं रहा है। इस बार जिस बंगले में आया हूं, वहां पर उन्होंने गीजर बदल दिया, कहीं से पुराना गीजर लाकर लगा दिया। पंखे लाकर बदल दिये और इतने पुराने पंखे लाकर लगा दिये तब हमें यह बात कहनी पड़ी कि आपके भी मंत्रियों ने गड़बड़ की है। बाकी हम नहीं कहना चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : तो फिर इसकी एफ.आई. आर. दर्ज करा दो।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सामान्य चिकित्सालय करौली में रिक्त पद

77. **श्री जनार्दन गहलोत**(करौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सामान्य चिकित्सालय करौली में चिकित्सक, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के कितने पद हैं ?

(2) उक्त पदों पर कौन–कौन कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

(3) उक्त चिकित्सालय में कितने वर्षों से गायनोलोजी विरिष्ठ विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं ?

(4) क्या इस चिकित्सालय में आपरेशन व सर्जरी का कार्य किया जाता है ?

(5) क्या बिना एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के भी आपरेशन या सर्जरी का कार्य संभव है ?

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय करौली में चिकित्सक के 19 पद, वरिष्ठ विशेषज्ञ के 4 पद एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के 10 पद स्वीकृत हैं।

(2) उक्त चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों की नामवार एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(3) वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद 15.7.94 से रिक्त है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। वैसे सामान्य चिकित्सालय में 2 चिकित्सक एनेस्थीसिया में विशेषज्ञता प्राप्त उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मियों हेतु आवास प्रकरण

100. **श्री अमराराम**(धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सरकार के पास राज्य कर्मियों हेतु कितने राजकीय आवास उपलब्ध हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में किस—किस वर्ग के कितने—कितने आवास कहां—कहां स्थित हैं ? इनके लिए कौन—कौन राज्यकर्मी वर्ग के अनुसार पात्र है, उनके आवंटन के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) राज्य सरकार नये आवास कहां—कहां बनवा रहीं हैं एवं इन पर कितनी राशि व्यय होनी अनुमानित हैं ?

(4) वर्तमान में किस—किस श्रेणी के कितने—कितने राजकीय आवास जयपुर में निर्माणाधीन हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकत्य) राज्य कर्मियों हेतु कुल 6899 आवास उपलब्ध हैं सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर शहर में (सामान्य प्रशासन विभाग) के अधीन आवासों की स्थिति की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। पात्रता हेतु आदेश की प्रति संलग्न है। आवंटन वरियता सूची के तहत नियमानुसार किया जाता है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नये आवासों का निर्माण कराया जा रहा है, की सूची परिशिष्ट "ग" व "घ" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में जयपुर में गांधीनगर की रीमोडलिंग के अन्तर्गत 34 पुराने एफ टाइप स्वतंत्र आवासों को तोड़कर उनके स्थान पर III, IV व पंचम श्रेणी के कुल 264 आवास बनाये जा रहे हैं यह कार्यवाहीं शुरू हो चुकी है इसके अतिरिक्ति II श्रेणी के 35 आवास मालवीय नगर में पी.एण्ड.टी. कालोनी के पास बनवाये जा रहे हैं।

इस प्रकार जयपुर में निम्न आवास निर्माणाधीन है :—

II	35
III	84
IV	88
पंचम	92
	299

(सूची एवं आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

महेशवास (दूदू) पहाड़ी क्षेत्र का अवैध खनन प्रकरण

101. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति दूदू, जयपुर के महेशवास पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान में किन—किन को खानें आवंटित की हुई हैं ? आवंटी के

(श्री कन्हैया लाल)

नाम सहित रकबे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन क्षेत्र में आवंटियों द्वारा स्वीकृत रकबे से अधिक क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस–किस के द्वारा एवं कितने–कितने क्षेत्र में ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में आवंटियों के अतिरिक्त अवैध खनन कार्य भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अवैध खनन रोकने के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं आगे क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार है ?

(4) क्या सरकार को उक्त अवैध खनन के संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त खनन क्षेत्र में आवंटियों को आवंटित रकबे का सीमा ज्ञान पुनः कराने की विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दूदू, जयपुर के महेशवास पहाड़ी क्षेत्र में आबंटित खानों का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। दिनांक 31.1.99 को खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा महेशवास क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं पाया गया।

(4) पंचायत समिति दूदू, जयपुर के महेशवास पहाड़ी पर अवैध खनन बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) आबंटियों को आबंटन के समय क्षेत्र का सीमा ज्ञान करवा दिया गया था। किसी भी आबंटी द्वारा पुनः सीमा ज्ञान करने हेतु कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6देखें)

उप सरपंच महलां (दूदू) के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

102. **श्री कन्हैया लाल**(बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान उप सरपंच ग्राम पंचायत महलां, पंचायत समिति, दूदू के विरुद्ध पुलिस थाना, दूदू एवं जोबनेर में मुकदमे दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो दर्ज प्रकरणों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों की जांच कब–कब, किस–किस के द्वारा की गई एवं वर्तमान में उक्त प्रकरणों की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत महलां के वर्तमान उप सरपंच श्री कमलेन्द्र सिंह के विरुद्ध एक

(गृह मंत्री)

अभियोग सं0 16/18.1.92 अन्तर्गत धारा 143, 323, 353, 238 भा.द.सं. थाना दूदू में पंजीबद्ध हुआ है। इस अभियोग में बाद अनुसंधान श्री कमलेन्द्र सिंह सहित 38 अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 22.1.92 को चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जा चुका है। थाना जोबनेर में उक्त उप सरपंच के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध होना प्रकाश में नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियोग का अनुसंधान हनुमान सिंह, एस.आई. द्वारा किया गया है। यह अभियोग वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पुलिस कर्मियों की निर्धारित आयु सीमा प्रकरण

103. **श्री रामनारायण विश्नोई(फलौदी)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार उप निरीक्षक के पद के लिये आयु सीमा अधिकतम 23 साल से बढ़ाकर 25 साल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नियमों में कांस्टेबल की आयु सीमा भी 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राजस्थान पुलिस सबआर्डिनेट नियम, 1989 के नियम 13 में, यह स्पष्ट करने का विचार रखती है कि यदि किसी आवेदक द्वारा अपना आवेदन फार्म भरते समय कोई भी सूचना आवेदक को किसी अपराध में लिप्त होने की बाबत भूल से भी लिखना रह गया हो उसे चयन होने के पश्चात् भी नियुक्त से वंचित रखा जायेगा ?

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में समय—समय पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भिन्न—भिन्न निर्णयों को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में फार्मों में ऐसी सूचनाएं नहीं देने पर नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिये और कुछ प्रकरण अभी भी सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में एक जैसा मानदण्ड अपनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में अलग से प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(5) उप निरीक्षक पुलिस पद हेतु वर्ष

(गृह मंत्री)

1997 में की गई सीधी भर्ती के सम्बन्ध में 13 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन फार्म में किसी अपराधिक प्रकरण की सूचना अंकित नहीं की गई थी। इनमें से 11 प्रकरण मोरल टर्पिट्यूड के नहीं होने से नियुक्त योग्य पाये गये शेष 2 को अयोग्य पाया गया। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्य में खडीनों से सिंचाई

104. **श्री अमीन खान**(शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गत दस वर्षों में कितने खडीन बनाए गए हैं ? जिलेवार उनकी संख्या क्या–क्या है तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के ऐसे कितने खडीनों से सिंचाई होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिन–जिन जिलों में खडीनों से सिंचाई नहीं होती है उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले दस वर्षों में 1417 खडीन बनाये गये है। जिलेवार खडीनों की संख्या एवं इन पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) खडीन का निर्माण का मुख्या उद्देश्य वर्षा के पानी का संरक्षण करना है जो कि काश्तकारों की निजी भूमि पर किया जाता है इससे पेटा काश्त खेती की जाती है। इससे सिंचाई का प्रायोजन नहीं होता है।

(3) खडीन निर्माण का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण है जिससे काश्तकार पेटा काश्त खेती करते है। अतः खडीन से सिंचाई किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

एग्रीकल्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा व्यय

105. **डा. करणसिंह यादव**(बहरोड) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एग्रीकल्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये क्या किसी सलाहकार समिति की सहायता ली गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि दी गई तथा उसकी रिपोर्ट क्या पूरी तरह लागू की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एग्रीकल्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हुए व्यय के संबंध में क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किन–किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या–क्या आरोप लगाये गये तथा उनकी जांच की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की रणनीतिक विकास योजना अमेरिका की कंसोर्टियम फॉर इन्टरनेशनल डवलपमेंट की सेवाएं सलाहकार के रूप में प्राप्त की गई थी जिसे 3,23,73,355/—का भुगतान रणनीतिक विकास योजना तैयार करने के

(कृषि मंत्री)

लिये किया गया। रणनीतिक विकास योजना अल्प (सन् 2000 तक), मध्यम (सन् 2010) तथा दीर्घकालिक (सन् 2020) के आधार पर तैयारी की गई है। लघुअवधि की सिफारिशों की क्रियान्विति प्रगति पर हैं जो सन् 2000 तक पूरी हो जायेगी। दीर्घ एवं मध्य कालिक योजनाओं की क्रियान्विति करने के लिये कदम उठाये गये हैं तथा यह आशा की जाती है कि समस्त सिफारिशों की क्रियान्विति सन् 2020 तक हो सकेगी। इस योजना के आधार पर विश्वविद्यालय का विकास हो रहा है।

(2) जी, हां। कृषि विकास योजना के तहत हुए खर्चे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन को अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। श्रीमती सोनाली माथुर, पुत्री प्रेम कुमार माथुर, रानी बाजार, बीकानेर के यहां प्राथमिक जांच कं.स. पी.आई./2/141/98 दिनांक 4.9.98 को दर्ज कराई जिसमें निम्न अधिकारियों के प्रति आरोप लगाए हैं :–

1. डा. एम.एस.मनोहर, निदेशक, अनुसंधान
2. डा. के.प्रधान, वाइस चान्सलर
3. श्रीमती मन्जूला वर्मा, कम्पट्रोलर

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में लगाये गए आरोपों का विवरण व उनका उत्तर एनेक्चर 'ए' पर संलग्न है। अभी तक जांच की कार्यवाही चल रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

बारां चिकित्सालय के चिकित्सक का निलम्बन प्रकरण

106. **श्री मदन दिलावर**(अटरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला कलेक्टर बारां ने, बारां चिकित्सालय के किसी चिकित्सक को निलम्बित करने हेतु सरकार को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिस चिकित्सक को निलम्बित करने हेतु पत्र लिखा था, उसके विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के आरोप–पत्र प्राप्त हुये ? यदि हां, तो क्या–क्या ?

(3) क्या जिला कलेक्टर द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी मांगी गई है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। आरोप पत्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां से मांगे गये हैं, प्राप्त होते ही वांछित कार्यवाही की जावेगी। जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 29.12.98 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। श्रीमती लीला पत्नी, श्री कृष्ण बिहारी यादव एवं उसके नवजात शिशु के मृत्यु के सम्बन्ध में मुकदमा 285/93 धारा 315–304 ए भा.द.स. के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ था।

(राज्य मंत्री,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) जी, हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम लुणसरा (नागौर) का स्थानान्तरण प्रकरण

107. **श्री हरजीराम बुरड़क**(लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या 964, दिनांक 15.7.1997 के द्वारा नागौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम लुणसरा, तहसील जायल से ग्राम बरड़वा, तहसील डीडवाना में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना कब किस प्रकार से की गई ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश की पालना में उक्त केन्द्र में अब तक किस–किस कर्मचारी की कब–कब नियुक्ति की गई तथा कौन–कौन कर्मचारी कब से कब तक यहां रहा ?

(3) क्या अभी तक यहां पर किस कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। निदेशाालय के आदेश क्रमाक: योजना/964 दिनांक: 15.7.97 द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, लूणसरा, तहसील, जायल को ग्राम बरड़वा, तहसील, डीडवाना में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालनास्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा निदेशालय के आदेश की छाया प्रति को क्रमांक : 2179–93 दिनांक 19.7.97 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गई।

उपरोक्त दर्शाएं आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) उप केन्द्र, करड़वा को आरम्भ करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के आदेश क्रमांकः 128/दिनांक 18.3.99 द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय का पदस्थापन किया जा चुका है।

(3) जी, नहीं। नर्स श्रेणी, द्वितीय का पदस्थापन किया जा चुका है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रिक्त पद को प्रशिक्षित आशार्थी के उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ (अलवर) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

108.**श्री ज्ञानदेव आहूजा**(रामगढ) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़(अलवर) में कुल कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं कार्यरत हैं ?

(2) उक्त संस्थाओं में कौन–कौन से

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पद रिक्त हैं ? अब रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी सुविधा बढ़ाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़(अलवर) में एक सामु. स्वा. केन्द्र, 5 प्रा. स्वा. केन्द्र एवं 34 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) उक्त संस्थानों में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), 3 पद बहुउद्देशीय कार्य-कर्त्ता, एक पद वाहन चालक व 4 पद पार्टटाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त हैं। प्रा.स्वा.केन्द्र में पद रिक्त नहीं है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ(सर्जरी) को पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव होगा। बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता के पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरना संभव होगा। वाहन चालक के पद को भरने पर वर्तमान में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। वार्ड बॉय के पदों को भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) की स्वीकृत सड़कें

109. **डा. रतन लाल जाट**(सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कौन—कौन सी सड़कों की स्वीकृति कब—कब प्रदान की गई ?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर कार्य कब आरम्भ किए गए तथा कार्य आरम्भ में देरी के क्या—क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की में पर रखें ।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु 20 कार्य स्वीकृत किये गये। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 2 (19)/95/डी—164 दिनांक 7.6.95 के द्वारा 8 कार्य व आदेश संख्या एफ. 2 (29)पी.डब्लू/ए.एस./96 डी—2298 दिनांक 22.10.96 एवं एफ.2/70/ए.एस./96 दिनांक 5.11.96 द्वारा क्रमशः 9 और 3 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत की गई सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) वर्ष 95—96 में स्वीकृत 8 कार्यों में से 6 कार्य प्रारम्भ कर दिये गये व दो गांव डेलाना व चीरडा पहले ही डामर सड़क पर होने से इन कार्यों को ड्राप कर दिया गया। वर्ष 96—97 में स्वीकृत 12 कार्यों में से 9 कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष आरम्भ कर दिया गया। जबकि शेष 3 कार्यों को आरम्भ में देरी का कारण उन कार्यों का अन्य कार्यों से बड़ा होने से उनके सर्वेक्षण एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निविदा प्रक्रिया के अधिक समय का लगना रहा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की प्रस्तावित सड़क योजना

110. **श्री ज्ञानदेव आहूजा**(रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नई सड़क मरम्मत की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अलवर—दिल्ली सड़क पर रामगढ़ कस्बे से रेल्वे फाटक गोविन्दगढ़ मोड़ तक निर्मित सड़क में अनियमितताएं हुई हैं ? क्या सरकार इस सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर जिले में वर्तमान अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति के बाद में काफी अनियमितता हुई हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रामगढ़ क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण हेतु योजनानुसार वर्ष 98—99 में 2 कार्य स्वीकृत हुये हैं जिनकी वर्तमान स्थिति एवं पूर्ण करने की तिथि परिशिष्ट "अ" पर अंकित हैं। साधारण मरम्मत का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में वर्ष 1999—2000 में सड़कों के मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के प्रस्तावित कार्य परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(स्थिति एवं तिथि के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

ग्राम बीजवाड़ चौहान (अलवर) का सड़क प्रकरण

111. **डा. जसवन्त सिंह**(मण्डावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीजवाड़ चौहान से तहसील मुख्याल मुण्डावर को जने वाली सड़क का बीजवाड़ चौहान से चोर तिबारा (जसाई) तक का 2 किलोमीटर टुकड़ा कच्चा होने से यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय अलवर से अलग पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्राम पलावा, मिर्जापुरा, सकतपुरा, बावद, भोजपुरी, हुलमाना कलां, हुलमाना खुर्द, जालावास, मनेठी, मोलावास, बीचला, गादूवास, बीरोद, माणका आदि को उनके तहसील मुख्यालय

(डा. जसवन्त सिंह)

(मुण्डावर) व जिला मुख्यालय अलवर से जोड़ने की दृष्टि से उक्त सड़क के टुकड़े का शीघ्र निर्माण कराने व इस पर साबी नदी में काजवे बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बीजवाड़ चौहान तहसील मुख्यालय मुण्डावर एवं जिल मुख्यालय अलवर से वाया शाहजहांपुर बडोद–सोडावास मुण्डावर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बीजवाड़ चौहान से चोर तिबारा मार्ग साबी नदी में से होता हुआ 2 कि.मी. लम्बा है एवं चोर तिबारा से जसाई (डामर सड़क) तक 3.5 कि.मी. कच्चा मार्ग है। इस 5.5 कि.मी. कच्चे मार्ग पर सड़क निर्माण राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(2) ग्राम पलावा, मिर्जापुर, सकतपुरा, बावद, जालावा, मौलावास, गादूवास एवं मानका तहसील मुख्याल मुण्डावर से वाया शाहजहांपुर, बड़ोद–सोडावास–मुण्डावर सड़क मार्ग से पूर्व में ही जुड़े हुये हैं। बीरोद ग्राम के अलावा शेष गांवों की जनसंख्या 1991 की जनगणना पर 1000 से कम आबादी है। अतः इन सड़क मार्गो का निर्माण सड़क विकास नीति में नहीं आता है। इसी प्रकार बीजवाड़ चौहान से चोर तिबारा, जसाई सड़क मार्ग का निर्माण सड़क विकास नीति के अन्दर नहीं आता है। इस सड़क मार्ग का निर्माण एवं साबी नदी पर काजवे का निर्माण राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

बाल श्रमिकों का शिक्षा प्रकरण

112. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**(बड़ी सादड़ी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996 से 1998 तक कितने बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाल श्रमिकों में से कितनों को विद्यालयों से जोड़ा गया ?

(3) बाल श्रमिकों ने निर्धारित आयु से पूर्व कितनों ने विद्यालयों को छोड़ दिया तथा छोड़ने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से 1998 की अवधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 465/86 एच.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में दिनांक 10.12.96 को पारित निर्णय की अनुपालना में राज्य के सभी जिलों में माह अप्रेल, 97 से जून, 97 के मध्य बाल श्रमिकों का जिला कलेक्टरों के माध्यम से किये गये सर्वे में 3026 बाल श्रमिक जोखिमपूर्ण एवं प्रक्रियाओं में और 5064 बाल श्रमिक गैर जोखिमपूर्ण व्यवसायों में चिन्हित किए गए हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जोखिमपूर्ण व्यवसायों में चिन्हित 3026 बाल श्रमिकों में से 2070 बाल श्रमिकों को एवं गैर–जोखिमपूर्ण व्यवसायों में चिन्हित 5064 बाल श्रमिकों में से 1481 बाल श्रमिकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण

(श्रम मंत्री)

संस्थाओं में सर्वे के पश्चात् प्रवेश दिलवाया गया।

(3) सर्वेक्षण के समय यह सूचना संकलित नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जयपुर पोलिस्पिन लिमिटेड रींगस (सीकर) के मजदूर संगठन

113. **श्री अमराराम**(धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर पोलिस्पिन लि., रींगस (सीकर) में मिल प्रबन्धकों ने किस संगठन को मान्यता दे रखी है ? उक्त संगठनों को किस आधार पर मान्यता दी गई है ?

(2) क्या उक्त मान्यता हेतु चुनाव किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि मान्यता हेतु चुनाव किया जाना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या इस बाबत कोई नियमों में संशोधन कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर पोलिस्पिन लि., रींगस में मिल प्रबन्धकों ने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, रींगस (इण्टक) को मान्यता दे रखी है। उक्त संगठन को मान्यता का आधार प्रबंधकों के अनुसार संस्थान में बहुमत प्राप्त यूनियन होना है।

(2) नहीं।

(3) अभी तक मान्यता हेतु चुनाव किया जाना आवश्यक नहीं है लेकिन सरकार इस संबंध में श्रम कानूनों में संशोधन करने पर विचार करेगी।

तहसील सिवाना (बाड़मेर) के विद्यालयों में रिक्त पद

114. **श्री गोपाराम मेघवाल**(सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना में उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

बाड़मेर जिले की तहसील सिवाना में 22 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले अध्यापकों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता

115. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**(बड़ी सादडी) : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित परीक्षाओं में वर्ष 1994—95 से 1998—99 तक श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम किन—किन राजकीय विद्यालयों का रहा ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्था प्रधानों को राज्य सरकार स्थानान्तरण में प्राथमिकता देगी जिनकी संस्था का परीक्षा परिणाम गत तीन वर्षो से 80 प्रतिशत से अधिक रहा है ?

(3) क्या सरकार न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा सत्र 94—95 से 97—98 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित परीक्षाओं में श्रेष्ठ (सर्वोच्च सूचकांक वाले) परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों में जिले में प्रथम राजकीय विद्यालयों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों को उनके इच्छित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में लगाए जाने का प्रयास किया जाता है।

(3) जी, हां। संस्था का परीक्षा परिणाम न्यून रहने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा विषय अध्यापक का परीक्षा परिणाम न्यून रहने पर भी नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शिक्षकों की नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

116. **श्री देवीसिंह भाटी**(कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए किन—किन विश्वविद्यालयों की बी.एड. डिग्री मान्य है ? सूची विश्वविद्यालयों के नाम, स्थान, प्रदेश सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने क्रमांक : एफ.7(8)शि. 3/80 दिनांक 23.11.91 के द्वारा निर्देश जारी किए हुए है, (परिशिष्ट— I) कि वे समस्त विश्वविद्यालय जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित हैं एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध हैं, उनसे नियमित रूप से अध्ययन कर उत्तीर्ण की गई परीक्षाएं मान्य हैं। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् अधिनियम, 1993 पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया है तथा राजस्थान राज्य में यह दिनांक 1.7.95 से प्रभावी हुआ है। इसके प्रभाव में आने के पश्चात् उक्त श्रेणी के विश्वविद्यालयों की बी.एड. की परीक्षाएं वे ही मान्य हैं, जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से अनुमोदित हों। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल (बारां) में अध्यापकों के रिक्त पद

117. **श्री राम गोपाल बैरवा**(पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बारां की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल (बालक व बालिका) में व्याख्याता, अध्यापक व अन्य श्रेणी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने—कितने पद कब—कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बारां के सी.मा.वि. एवं बा.सी.मा.वि., बारां मांगरोल में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

उर्दू विषय के अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताएं

118. **श्री गोविन्द सिंह**(नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक शिक्षा (पुरुष) अजमेर मण्डल, अजमेर के द्वारा माह मार्च, 1996 में उर्दू विषय के तीन वरिष्ठ अध्यापक नियुक्ति कर जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) अजमेर को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) अजमेर ने उनके पत्र दिनांक 3.4.1996 के द्वारा उप निदेशक शिक्षा (पुरुष) अजमेर को यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उनके अधीन उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापक के कोई पद रिक्त नहीं हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उर्दू विषय के पद रिक्त नहीं होने के बावजूद भी उर्दू विषय के अध्यापकों को सामान्य विषय के अध्यापक पदों के विरुद्ध एवं नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां दी गई हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त नियुक्ति के मामले में कोई मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पंजीकृत हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) विभाग के निर्देश दिनांक 16.3.96 के अनुसार अल्पभाषा के पद पर सामान्य

(शिक्षा मंत्री)

अध्यापक नहीं लगाया जावे। अल्पभाषा के जानकार अध्यापक अस्थाई तौर पर अल्पभाषा अध्यापक उपलब्ध होने तक लगाया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर के द्वारा 5 पदों पर उर्दू के जानकार सामान्य अध्यापकों को पदोन्नति पर लगाया गया है। यह व्यवस्था विभाग के निर्देश दिनांक 16.3.96 के प्रावधानों के तहत दी गई है। यह व्यवस्था नियुक्ति अधिकारी के द्वारा छात्रों के हितों में की गई है। स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण चयनित 3 उर्दू अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। अतः किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(4) जी, नहीं।

शिक्षण प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाएं

119. **श्रीमती कमला बृजलाल**(सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बी. एड. शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र देने वाली कौन–कौन सी अराजकीय संस्थाएं हैं, जिन्हें सरकार ने मान्यता दे रखी है ? उक्त संस्थाओं को कब–कब से मान्यता दे रखी है ? प्रत्येक संस्था हर वर्ष कितने अध्यर्थियों को प्रशिक्षण दे रही है ?

(2) राजस्थान से बाहर की किन–किन संस्थाओं को (जो शिक्षक प्रमाण–पत्र देती है) राजस्थान सरकार ने मान्यता दे रखीं है ? नाम, स्थान, वर्ष सहित प्रत्येक संस्था को कितने अभ्यर्थी तैयार करने की अनुमति है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाकर केवल संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण--पत्र जारी किया जाता है। राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त अराजकीय संस्थाओं को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त बी.एड.कालेजों की सूची मय प्रतिवर्ष आबंटित सीटों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाकर सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य से बाहर किसी भी संस्था को शिक्षक प्रमाण पत्र अभ्यर्थी

(शिक्षा मंत्री)

तैयार करने की अनुमति प्रदान नहीं दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

पंचायत समिति तिजारा में क्रेशर मशीन लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

120. **श्री जगमाल सिंह यादव**(तिजारा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति तिजारा की कितनी ग्राम पंचायतों ने क्रेशर मशीन लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति, तिजारा की निम्न दो ग्राम पंचायतों ने क्रेशर मशीन लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किए है :—

1. ग्राम पंचायत चहडपुर

2. ग्राम पंचायत हसनपुरमाफी

राज्य की शिक्षाकर्मी योजना का विस्तार

121. **श्री हीरासिंह चौहान**(रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ग्रामीण दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में "शिक्षाकर्मी परियोजना" के तहत प्राथमिक स्कूलें खोलकर वंचित वर्ग के लिए शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना का विस्तार करने का विचार रखती है ?

(2) वर्तमान में राज्य की किन—किन पंचायत समितियों में इस योजना के तहत कितनी—कितनी प्राथमिक स्कूलें व प्रहर प्राथमिक शालाएं चल रही हैं ? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षाकर्मी अध्यापकों के स्थाईकरण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि शिक्षाकर्मी परियोजना के तहत दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्राथमिक शिक्षा को समन्वित कार्यक्रम बनाने के लिए योजना की समीक्षा कर निर्णय किया जावेगा।

(2) शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत 2697 दिवस विद्यालय एवं आंगन पाठशाला (प्राथमिक विद्यालय) तथा 4829 प्रहर पाठशाला संचालित है। इनकी पंचायत समितिवार संख्या संलग्न है।

(3) जिन शिक्षाकर्मियों का कार्य संतोषजनक पाया जाता है, उनको वरिष्ठ शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है शिक्षाकर्मियों हेतु चिकित्सा पुनर्भरण, 2 त्योहारों

(पंचायती राज मंत्री)

पर उपहार, शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि करने हेतु आवकाश आदि की सुविधा का भी प्रावधान है।

(संख्या के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जयपुर जिले की पंचायत समितियों के अध्यापकों का वेतन स्थरीकरण

122. **श्री कन्हैया लाल**(बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ देकर वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कौन—कौन सी पंचायत समितियों में वेतन स्थरीकरण नहीं किया गया है ?

(2) उक्त पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन स्थरीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक वेतन स्थरीकरण कर बकाया राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर जिले की कोटपूतली बस्सी, सांगानेर, दूदू, गोविन्दगढ़, सांभर एवं फागी पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ देकर वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है। पंचायत समिति, शाहपुरा, विराटनगर, जमवारामगढ़ चाकसू, आमेर तथा झोटवाड़ा के अधिकांशतः अध्यापकों का वेतन स्थिरीकरण किया जा चुका हैं एवं शेष अध्यापकों का वेतन स्थिरीकरण कार्य प्रगति पर है।

(2) वेतन स्थिरीकरण में विलम्ब होने का कारण जिला परिषद में नौ माह से लेखाधिकारी का पद रिक्त होना है। अब अपेल, 1999 के अन्त तक वेतन स्थिरीकरण कार्य पूर्ण किया जा कर बकाया राशि का भुगतान पंचायत समितियों के माध्यम से करा दिया जावेगा।

(3) विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

पंचायत अधिनियम के तहत घोषित अयोग्य जनप्रतिनिधि

123. **डा. किरोड़ी लाल**(बामनवास) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(6) के द्वारा 27—11—1996 के बाद से तीसरी सन्तान हो जाने के बाद कितने पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं

(डा. किरोड़ी लाल)

जिला परिषद् सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रकार के ऐसे किने प्रकरण अभी तक किन कारणों से लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19(ठ) के द्वारा 27.11.96 के बद से तीसरी सन्तान हो जाने के बाद 583 पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त प्रकार के ऐसे 1579 प्रकरण अभी तक लम्बित हैं। क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 40 में यह प्रवधान है कि :–

"जब कभी यह अभिकथित किया जावे कि किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निरर्हित है या हो गया है और ऐसा सदस्य इस अभिकथन को स्वीकार नहीं करता है या जब कभी कोई सदस्य स्वयं इस सन्देह में हो कि वह सदस्य होने के लिये निरर्हित है या नहीं या हो गया है या नहीं तब ऐसा सदस्य या सक्षम प्राधिकारी या पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य, अभिकथन या सन्देह पर विनिश्चय के लिये, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा।"

अतः उक्त धारा 40 के तहत प्रकरण जांच कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम विनिश्चय हेतु सक्षम न्यायालय में प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण प्रारम्भिक जांच कार्यवाही जारी होने के कारण लम्बित है। लम्बित प्रकरणों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

124. **श्री फतेह सिंह**(कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत सिमितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्व में लिये गए साक्षात्कार के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करली गई है ? यदि नहीं, तो अब सरकार कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

(2) जिला बांसवाड़ा की किन–किन पंचायत समिति में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) राज्य की पंचायत समितियों में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर देने से पंचायत समिति के कार्यों के लिये अतिरिक्त स्टॉफ के पद सृजन कब तक किये जावेंगे ?

(4) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति

(श्री फतेह सिंह)

में प्रसार अधिकारियों के कौन–कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा इन पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(2) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के कुल 592 पद रिक्त हैं। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है। रिक्त पदों को भरने हेतु भाग संख्या–1 में उत्तर अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) पंचायत समिति के कार्यो के लिए नोर्म्स के अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद पूर्व में ही स्वीकृत हैं।

(4) पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कुल 101 पद लगभग एक वर्ष से रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों की सूची संलग्न है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्यवाही चल रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विकास अधिकारी

125. **श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की पंचायत समितियों में किस–किस सेवा के कौन–कौन अधिकारी विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं ? वे कब–कब से प्रतिनियुक्ति पर आए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने इनको कितने समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया था तथा सरकार की नीति के अनुसार अधिकतम कितने समय तक प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना चाहिए ?

(3) क्या सरकार का विचार है कि जिन अधिकारियों को लम्बा समय प्रतिनियुक्ति पर रहते हो गया है उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करके वापस विभाग में लौटाया जावे ? यदि हां, तो कितने समय पश्चात् उनको वापस लौटाया जाएगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों में वर्तमान में कार्यरत विकास अधिकारियों की सेवा एवं उनकी प्रतिनियुक्ति पर आने का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दिनांक 30.9.98 से पूर्व विशिष्ट चयन के आधार पर विकास अधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिए तथा दिनांक 30.9.98 के पश्चात् 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ट शर्तो) नियम 1982 के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 6 वर्ष हो सकती है।

(3) पांच वर्ष से अधिक अवधि से प्रति–नियुक्ति पर कार्यरत रहे विकास अधिकारियों

(पंचायती राज मंत्री)

की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनकी सेवाएं पैतृक विभाग को लौटा दी गयी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में उच्च प्राथमिक विद्यालयविहीन ग्राम पंचायतें

126. **श्री केसाराम चौधरी(खारची) :** — क्या पचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में उच्च प्राथमिक विद्यालयविहीन कितनी ग्राम पंचायतें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में एक ही ग्राम पंचायत गुडाराम सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालयविहीन है।

(2) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1999—2000 में ग्राम पंचायत गुडाराम सिंह में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय किया जावेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थान्तरण

127. **श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज विभाग को सुपुर्द कर दी गई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माह मई एवं जून 1999 से अध्यापकों की नियुक्ति/ [illegible] नियुक्ति/ स्थानान्तरण पंचायत विभाग ही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कोई ज्ञापन दिये हैं कि इन स्कूलों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण शिक्षा विभाग के पास ही रहें ? यदि हां, तो उन ज्ञापनों पर सरकार ने क्या विचार किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा हो हस्तानान्तरित करने एवं संबधित निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिनांक 1.7.99 से हस्तानान्तरित करने से जारी किये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) कतिपय शिक्षक संगठनों ने अपने

(पंचायती राज मंत्री)

मांग पत्रों में इस संबंध में पुनर्विचार हेतु ज्ञापन दिये हैं। इन ज्ञापनों में पुनर्विचारार्थ कोई ठोस तर्क न होने के कारण पुनर्विचार नहीं किया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

कलरफुल राजस्थान फिल्म का निविदा प्रकरण

128. **श्री केसाराम चौधरी**(खारची) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा माह जुलाई, 1998 में "कलरफुल राजस्थान" पर कोई फिल्म बनाने की निविदाएं आमन्त्रित की गई थी ? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य के लिए किस—किस कम्पनी से निविदा प्राप्त हुए ? प्राप्त निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निविदाओं में सबसे कम एवं सबसे अधिक राशि किस—किस कम्पनी की रही और अन्तर कितनी राशि का रहा ? क्या सरकार उक्त अन्तर को सामान्य मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) उक्त निविदा किस आवेदक के नाम किस आधार पर खोला गया ? क्या असफल आवेदकों को उन्हें निविदा स्वीकृत नहीं देने की सूचना दी गई ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त निविदा के साथ आवेदक कम्पनियों से "अर्नेस्ट मनी" के रूप में राशि जमा करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस—किस ने कितनी—कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त अर्नेस्ट मनी की राशि निविदा पास होने के बाद संबंधितों को वापस लौटा दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार अब उक्त राशि मय ब्याज के लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(8) उक्त निविदा हेतु बनाये गये बोर्ड में कौन—कौन सदस्य थे ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर उक्त निविदाओं को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग ने दिनांक 21.7.98 को फिल्म "कलरफुल राजस्थान" के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्य के लिये 22 फर्मों से निविदा प्राप्त हुये, जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। राज्य सरकार के आदेश

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

से गठित समिति ने प्राप्त निविदाओं में सभी निविदादाताओं का लिफाफा "अ" तकनीकी निविदा, दिनांक 4.9.98 को सभी फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला। उक्त समिति ने दिनांक 10.9.98 को तकनीकी अनुभव, यात्रा फिल्मों के निर्माण और प्राप्त पुरस्कारों के आधार पर 22 में से 10 फर्मों को सूचीबद्ध किया और 10 फर्मों को दिनांक 12.10.98 को प्रस्तावित फिल्म का संक्षिप्त सार व कन्सेप्चुलाइजेशन प्रस्तुत करने हेतु बुलाया। उक्त तिथि को सूचिबद्ध फर्मों द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर समिति से 6 फर्मों की वित्तीय निविदा दिनांक 16.10.98 को खोलने का निर्णय लिया तथा दिनांक 16.10.98 को उक्त सूचीबद्ध 6 फर्मों की वित्तीय निविदाएं उपस्थित पक्षकारों के समक्ष खोली, जिसकी प्रतियां परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) समिति के निर्णयानुसार सूचीबद्ध 6 फर्मों की वित्तीय निविदाओं में सबसे कम की निविदा मैसर्स विडियोवालाज, नई दिल्ली की तथा सबसे अधिक राशि की निविदा मैसर्स रिवर बैंक, नई दिल्ली की रही। 25 से 30 मिनट की फिल्म निर्माण की अन्तर राशि 18,18,000/–रुपये, 50 से 55 मिनट की फिल्म राशि 26,00,000/–रुपये है। तुलनात्मक विवरण पत्र परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है। विभाग का उद्देश्य एक अच्छी फिल्म का निर्माण ऐसी कम्पनी में कराना है, जिसको पर्यटन पर फिल्म निर्माण का अच्छा अनुभव हो तथा जिसने पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार अर्जित किये हो, अतः गठित समिति ने अनुशंषा की कि मैं. वीडियोवालाज की दरें वास्तविकता से परे काफी कम होने के कारण उनके द्वारा एक ऐसी फिल्म जिससे राज्य की छवि एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके, का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उचित निविदा का चयन किया।

(4) समिति ने मैसर्स एम. टेलीविजन, नई दिल्ली को उक्त फिल्म निर्माण सौंपने की राज्य सरकार को अनुशंषा की (परिशिष्ट "य") राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् मैसर्स एम. टेलीविजन को फिल्म निर्माण का कार्यादेश देने पर असफल आवेदकों को बयाना राशि लौटाने की सूचना दिनांक 17.2.99 व 3.3.99 को दी गई।

(5) जी, हां। प्रत्येक आवेदक से 50,000/ रुपये की राशि बयाना राशि के रूप में जमा करवाई गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "र" पर उपलब्ध है।

(6) फिल्म निर्माण का कार्यादेश देने के उपरान्त सम्बन्धित असफल निविदादाताओं बयाना राशि लौटाये जाने की स्वीकृति दिनांक 17.2.99 एवं 3.3.99 को जारी की गई और राशि प्रतिदाय करने हेतु बिल कोषागार से पारित करवाकर संबधित फर्मो का बिल पृष्ठांकित कर बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाकर भिजवाये जा रहे हैं।

(7) निविदा की शर्त संख्या 24 (ब) के अनुसार असफल निविदादाता की बयाना

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

राशि निविदा का अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जाने की शर्त है, किन्तु निविदा एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में बयाना राशि मय ब्याज के लौटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) उक्त निविदा हेतु बनाये गये बोर्ड के सदस्य निम्न थे :—

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर — अध्यक्ष
2. निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
3. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
6. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर
7. लेखाधिकारी, पर्यटन विभाग, जयपुर
8. सहायक, निदेशक (प्रचार) पर्यटन विभाग, जयपुर
9. श्री मुकेश सक्सेना, प्रबन्धक (विपणन एवं प्रचार)
10. राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर

(9) जी, नहीं। निविदाएं राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार खोली गई व कमेटी की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार ने निविदा का अन्तिम अनुमोदन किया।

(विज्ञप्ति, सूची, प्रतियां एवं विवरण पत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला धौलपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र प्रकरण

129. **श्री जसवन्त सिंह**(बाड़ी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां—कहां पर संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या महिला एवं बाल विकास के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के पद हेतु स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को वरीयता देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी महिलाएं धौलपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लगी हुई हैं, जो उन गांवों की रहने वाली नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय महिलाओं के होने के बावजूद भी बाहरी क्षेत्र की महिलाओं को इन पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने ऐसे प्रकरणों की जांच कर इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की है ?

(4) क्या यह सही है कि बाल पोषाहार

(श्री जसवन्त सिंह)

के रूप में बाल विकास परियोजनाओं के लिए हाल ही में घटिया किस्म का गुड़ धौलपुर जिले में अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे धटिया किस्म के गुड़ का वितरण रुकवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस घटिया गुड़ को वितरित करवाना चाहती है ? क्या सरकार इस घटिया गुड़ की खरीद पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में 4 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन कुल 457 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनकी परियोजनावार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। धौलपुर जिले में 62 महिलाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लगी हुई हैं, जो उन गांवों की नहीं हैं।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए निर्धारित योग्यता मिडल पास तथा 21 वर्ष की आयु नियत है। वर्ष 1995 से पूर्व इन अर्हताओं की पूर्ति स्थानीय महिलाओं द्वारा नहीं किये जाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु अन्य निकटवर्ती ग्रामों की महिलाओं को कार्यकर्त्ता रख लिया गया था। वर्ष 1995 के उपरांत स्थानीय ग्राम की महिलाओं को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया।

विभाग को 2 ऐसे प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें अन्य ग्राम की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता रखा गया है, जिनकी जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, भरतपुर से करवायी जा रही है।

(4) जी, नहीं। विभाग को धौलपुर जिले की परियोजनाओं के लिए घटिया गुड़ क्रय करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौलपुर एवं राजाखेड़ा द्वारा गुड़ क्रय में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाई की जा रही है। परियोजना अधिकारी द्वारा क्रय किये गुड़ का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चूरू में सांसद कोष के स्वीकृत कार्य

130. **श्री रामसिंह कस्वां**(सादुलपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में सांसद कोष से चूरू जिले में कौन—कौन से विकास कार्य कब—कब स्वीकृत किये गये ? संसद सदस्य के नाम व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के लिए कितनी राशि

(श्री रामसिंह कस्वां)

स्वीकृत हुई व कितनी व्यय की जा चुकी है ?

(3) उक्त कार्यों में कौन—कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन से अपूर्ण हैं ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त अपूर्ण कार्यों के लिए कौन जिम्मेवार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(5) शेष स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में(वर्ष 1993—94 से 1997—98 तक) सांसद कोष (लोक तथा व राज्य संभा) से चूरू जिले में स्वीकृत किये गये सांसदवार एवं विधान सभा क्षेत्रावार विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट—1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों के लिए रुपये 446.449 लाख स्वीकृत हुये व रुपये 405.648 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(3) उक्त कार्यों में से पूर्ण हुये, अपूर्ण रहे व अधूरे रहने के कारण परिशिष्ट नं. 2 पर संलग्न सूची में कार्यवार वर्णित है। कुछ कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण कार्यकारी ऐजन्सीज द्वारा कार्यस्थल के विवादास्पद होने के व सड़क कार्यों में डामर उपलब्ध नहीं होना बतलाया है।

(4) जो कार्य अधूरे रहे हैं वे कुछ उपरोक्त परिस्थितिवश अपूर्ण हैं तथा शेष कार्यों के लिये विस्तृत विवरण मंगवाया जा रहा है कार्यों की समीक्षा के उपरान्त संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के विरुद्ध उचित कारण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) भाग—3 में बतलाये गये परिस्थितियों वश कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। **(विवरण एवं कारण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गए)**

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री यशवंत सिंह एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले को चम्बल का जल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूर्व सैनिकों अथवा मृतक सैनिकों के नाम से अलाट भूमि का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) डा. किरोड़ी लाल मीणा एवं 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरणों में कथित भारी धांधली तथा अवैध कारोबार के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्य कार्मिकों का स्थानान्तरण एक सामान्य प्रक्रिया है और यह विषय स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति परिसर में राजनैतिक दल की बैठक करने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के पास पखाई खेड़ा और बमवाद के बीच एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों द्वारा पीट–पीटकर मार दिये जाने की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सुरेन्द्र जी। प्लीज, बैठिये, वे बोल रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तथा 10 अन्य माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है कि किस आधार पर ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रासफर कैसे–कैसे लोगों के हुए हैं। एक प्रधानाध्यापक सेवानिवृत हो गया, उसका भी स्थानान्तरण कर दिया, एक डाक्टर सेवानिवृत हुआ उसका स्थानान्तरण कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह दैनिक भास्कर का 21 मार्च का एडवर्टाइजमेंट निकाला है कांग्रेस ने कि जो इच्छित स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं, जो इच्छानुसार...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह पढ़कर बताओ ना, पढ़कर बताओ।

डा. किरोड़ी लाल : नौकरी में इच्छानुसार स्थानान्तरण के लिए विवरण सहित लिखें, पोस्ट बाक्स नं. 946, दैनिक भास्कर, जयपुर। यह 21 मार्च, 1999 का दैनिक भास्कर है...

श्री रामनारायण चौधरी(मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कौनसी प्रक्रिया के तहत बोल रहे हैं ? आपने कैसे अनुमति दे दी, किन नियमों में अनुमति दे दी ? यह क्या तरीका हुआ ? आपने तो सुरेन्द्र व्यास को बोलने के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई अखबार में निकल गया, उसकी कोई आथेंटिक बात थोड़े ही होगी ?

डा. किरोड़ी लाल : इसमें विज्ञापन जारी किया है एक कारोबार के में, कारोबार की तरह से होटल में कांग्रेस के लोग आ–आकर रुक रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसकी भाषा को पढ़िये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 5500 ट्रांसफर दलालों के माध्यम से किये हैं, करोड़ों रुपये ट्रांसफरों में खा गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहली दफा इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके अखबार में बॉक्स नं. प्रकाशित कराया, सरकार ने क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की है अब तक ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ...कांग्रेस ने उन होटलों में अपने दलाल शिफ्ट कर दिये हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...यहां तक कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भाषण दिया... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

डा. किरोड़ी लाल : यहां तक कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने...

श्री परसादी लाल मीणा(राज्य मंत्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अखबारों में यह बात छापी है और यह समाचार छापा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के कार्यालय से जो नाम आएंगे, उनका ट्रांसफर किया जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा : पाइंट आफ आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : पूरे कर्मचारियों का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है और राजनैतिक आधार पर इन सबके ट्रांसफर किये जा रहे हैं। ट्रांसफर भी इस हद तक पहुंच गये कि होटलों में अड्डे बने हुए हैं। कांग्रेस के लोग लिस्ट ले—लेकर आ रहे हैं और ट्रांसफर की उगाहियां हो रही हैं। यह धंधा कांग्रेस ने चालू कर दिया है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कैसे कह दिया ? नहीं नहीं, +++ आदत खराब हो रही है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला(कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दो ट्रांसफर बता दें जो मैंने वाइसवर्सा किये हैं पूरे राजस्थान में। ये बिलकुल असत्य भाषण कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में वाइसवर्सा ट्रांसफर शिक्षा विभाग में नहीं किये गये हैं, ये बिलकुल असत्य बयान कर रहे हैं। ये दो ट्रांसफर भी अगर वाइसवर्सा किये हुए बता दें तो जो कहें, मैं करने को तैयार हूं, (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ... और जो ये सरकार ने...

श्री परसादी लाल मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर ने... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : +++ की जांच कराई जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ माननीय मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच कराई जाए।

+++ अभिव्यक्ति/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने मंत्रीजी के ऊपर पर्सनल आरोप लगाया है, क्या समझ रखा है इन्होंने। (व्यवधान) यह गलत आरोप लगाया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने कैसे आरोप लगाये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि मैंने +++ या तो ये सही करें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिलकुल सही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह आप साबित करें कि +++ साबित करिये आप। आपने झूठा आरोप लगाया है कि +++ बताइये आप, मदन दिलावर जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या सही है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं। अभी माननीय दिलावर जो भूतपूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है परसादी लाल मीणा ने +++ (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : स्पष्टीकरण है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कोई पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हर होटल में दलाल बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर जब मंत्री थे तब +++ (व्यवधान) मैं आरोप लगाता हूं इन पर।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इसको स्पष्ट करिये, कैसे आरोप लगाया है इस प्रकार ?

(12.40 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, यह दैनिक भास्कर में छपा है, इसकी जांच होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा पर्सनल स्पष्टीकरण है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि शांति धारण करें एक बार।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, एक मिनट मेरी सुन लीजिये आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : विराजें। मंत्री महोदय, विराजिये एक बार।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, पहले मेरी सुन लीजिये।

श्री सभापति : आप विराजें तो सही। विराजिये तो सही आप एक बार।

श्री परसादी लाल मीणा : पहले सुनिये आप मेरी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एक मंत्री आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहा। एक मंत्री आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। आप बैठिये एक बार। (व्यवधान) माननीय राज्य मंत्री परसादी लालजी, आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, माननीय भूतपूर्व मंत्री मदन दिलावरजी ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया है कि परसादी लाल मीणा ने +++ नहीं सदन से माफी मांगे। मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं। किसी का अगर मेरे खिलाफ एक पैसे का भी आरोप साबित कर दें राजस्थान में, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो इनको बाहर निकाला जाए और कार्यवही से ये शब्द निकालें। यह +++ करके हाउस का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। (व्यवधान) अगर ऐसी बातें होती रहीं, सभापति महोदय, हम भी +++ बात कर सकते हैं यहां। या तो इनको बाहर निकालो, हाउस से बाहर निकालिये या वे स्पष्टीकरण दें। मेरे पास न तो ऐसा विभाग है...(व्यवधान) एक भी पैसे की बात साबित कर दें। (व्यवधान) मैं राजनीति से, आपकी विधान सभा से इस्तीफा देकर आज ही चला जाता हूं। आप स्पष्टीकरण दीजिये, +++ एक भी साबित करे दें, मैं आज ही विधान सभा से इस्तीफा देता हूं। नहीं तो बाहर निकालो विधान सभा से इनको। ऐसे +++ विधान सभा में कोई काम नहीं है। कैसे कह दिया इन्होंने ? कैसे लगा दिया सभापति महोदय ? +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दैनिक भास्कर मैं एक विज्ञापन जारी हुआ है...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : दैनिक भास्कर में विज्ञप्ति निकली है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : +++ बातें करते हैं, हम सुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम +++ आरोप सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप व्यवस्था करें, आप इनका इंतजाम कीजिये और +++ सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : दैनिक भास्कर में विज्ञप्ति निकली है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : +++ (व्यवधान) एक भी पैसे का आरोप आप साबित कर दें, मैं विधान सत्र से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन छपा है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से मैं निवेदन करता हूं कि या तो ये आरोप साबित करें या इसको बाहर निकालिये, इस विधान सभा से बाहर निकालिये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिलावर को बाहर निकालिये...(व्यवधान) मदन दिलावर को सदन से बाहर निकालिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादी लाल मीणा : इनको सदन की सदस्यता से बर्खास्त करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : हम कोई आरोप सुनने नहीं आये हैं। हमको जनता ने चुन कर भेजा है, कोई खैरात में नहीं आये हैं। (व्यवधान) बाहर निकालो हाउस से... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बहार निकालिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मदन दिलावर को बाहर निकालो, इनकी सदस्या समाप्त की जाय...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : इनकी सदस्यता समाप्त की जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदस्यता समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मदन दिलावर को तीन महीने के लिए सदन से बाहर निकालें।

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : मदन दिलावर को बाहर निकाला जाय, इन्होंने आरोप लगाया है...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी ? आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते है, आप स्थान ग्रहण करें। आप सब स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य। आप सब स्थान ग्रहण करें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप बाहर निकालिये हाउस से इनको।

श्री सभापति : आप सब स्थान ग्रहण करें कृपा करके। कृपा करके आप सब स्थान ग्रहण करें। कृपा करके स्थान ग्रहण करें। देखिये, हम नियमों के द्वारा कार्यवाही का संचालन करते हैं, आप सब अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जो अभी इस वर्ष आप आये हैं वे भी बहुत अध्ययन करके आते हैं। यह स्थिति है कि कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर बिना आसन की अनुमति के किसी भी मंत्री के खिलाफ बिना किसी नोटिस के, पूर्व नोटिस के आरोप लगा देते हैं कि फलां +++ यह सब अनियमित कथन हैं। ये सारे अनियमित कथन हैं...(व्यवधान) एक मिनट।

डा. किरोड़ी लाल : हमको +++ कहा था...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनते नहीं हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप बैठ जाइये +++ बैठ जाइये आप। +++

श्री मदन दिलवार : मेरे ऊपर सत्तर लाख का आरोप लगाया है, माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) स्थानान्तरण में पैसे खा गये...यह दैनिक भास्कर में छपा है।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आरोप कैसे लगा दिया मैंने खिलाफ ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है ? मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : कैसे लगा दिया मेरे खिलाफ आरोप ? क्यों लगाया ? कैसे लगा दिया ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन की गरिमा है, एक मंत्री...(व्यवधान)

(डा. किरोड़ी लाल, श्री मदन दिलावर, श्री श्रीचन्द कृपलानी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य कुछ सदस्य सदन कूप में आकर आसन की ओर मुखातिब होकर बोलने लगे)

एक माननीय सदस्य : माफी मंगवाइये, सभापति महोदय। इनसे माफी मंगवाइये।

श्री सभापति : विराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : क्या +++ हो रहा है ? यह +++ कर रहे हैं। यह क्या +++ हो रहा है, देखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज।

श्री मोहन लाल मोदी : इन्होंने सारे अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किये हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इन्होंने अपने आठ साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : इस गरिमामय सदन में मेरे जैसे बहुत से नये लोग आये हैं जिनके मन में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खुद ही विज्ञापन छपवाते हैं और खुद ही आरोप लगाते हैं। यह आपने निकाला है विज्ञापन...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप प्रस्ताव करों, इनको निकलो। आप प्रस्ताव करो इनके निकालने के लिए तीन महीने के लिए।

एक माननीय सदस्य : न्याय किया है लोगों के साथ में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यह गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) अब यह भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हमारे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी, माननीय सदस्यगण । माननीय सदस्यगण, आप शांत रहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खाली कार्यवाही से निकालने से काम नहीं चलेगा। ऐसे सदस्य को जब तक सदन से निष्कासित नहीं करेंगे तब तक सदन में...(व्यवधान) श्री मदन दिलावर जी की जांच करायी जाए।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं, आप प्रस्ताव रखिये +++ खिलाफ, +++ का इल्जाम लगाया है, ये प्रूव करें, या तीन महीने के लिए बाहर निकालने का प्रस्ताव करो आप । (व्यवधान)

श्री सभापति : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी बाहें मरोड़ कर आये है झगड़े के लिए... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। समाप्त हो कोई बात भी।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : मैंने मंत्री महोदय को पुकारा है। मैंने मंत्री महोदय को पुकारा है, आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : खेत सिंहजी, एक मिनट।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मदन दिलावर को तीन महीने के लिए सदन से बाहर किया जाए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य का जो व्यवहार है और जो आये दिन इस तरह किसी पर आरोप लगा देते हैं, यह कोई सदन +++ नहीं है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ? हाउस आर्डर में नहीं हैं, तो किसको सुनाना चाहते हैं आप ? आप किसको सुनाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मंत्रियों पर कोई आरोप लगा देते हैं ...(व्यवधान) नोटिस नहीं...

श्री सभापति : आप बैठिये तो सही।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन ही +++ बन रहा है। इसलिए मैं तो प्रस्ताव कर रहा हूं संसदीय कार्य मंत्रीजी से... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है सब ने उसका समर्थन किया है। मैंने जो प्रस्ताव किया है पूरे सदन ने उसका समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : पहले शुरूआत वहां से हुई है, उनको कन्डेम करें कि आरोप नहीं लगाएं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर आप इसका इंतजाम नहीं करेंगे तो हाउस कभी चलेगा नहीं। यह कोई तरीका है। यह मजाक है कोई। (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही के व्यवस्थित रूप से चलाने के अन्दर सत्ता पक्ष की भागीदारी, आसन के प्रति सहयोग का पार्ट बड़ा है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को दायित्व अधिक है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। माननीय सहकारिता मंत्री श्री परसादी लालजी के बारे में जो आरोप एक्स टैम्पो खड़े होकर लगाये, ऐसे आरोप लगाये नहीं जा सकते विधान सभा में। ऐसा इस प्रकार का जो कथन है वह अनियमित कथन है, that will not go on record and on the proceedings.

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपंज करिये।

श्री सभापति : वह रिकार्ड नहीं होगा, एक्सपंज होगा। रिकार्ड में जाएगा नहीं, फिर एक्सपंज क्या होता है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : (व्यवधान) मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) सदन में मारने के लिए मंत्रीजी आ रहे हैं। मंत्रीजी सदन में मारना चाहते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति, महोदय, किसी सदस्य पर आरोप लगा दिया गया और आपने कार्यवाही से निकाल दिया लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से जो मानसिक वेदना होती है, जो परेशानी होती है...

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) ऐसा कोई भी आरोप लगाएंगे तो कोई भी बाहें चढ़ा सकता है, कोई ईमानदार आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह। यह तो गलत तरीका है।

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया। आपने उस आरोप को तो एक्सपंज कर दिया पर आप जरा यह भी महसूस कर सकते हैं कि जब किसी मंत्री या किसी सदस्य पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको मानसिक वेदना कितनी होती है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? नियम, कानून–कायदे भी कुछ होते हैं। चाहे जिसके ऊपर मर्जी आये जब खड़े होकर के कोई भी आरोप लगा दिया, यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : तो क्या कहना चाहते हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है। आप सूचना देकर लगाइये, नियमों से लगाइये...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : तुरन्त एक्शन लिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रक्रिया के तहत इस काम को करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) कम से कम ऐसा सदस्य, जो मंत्री रहा हुआ हो अगर इस तरीके की गैरजिम्मेदाराना बात करे तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो पाए ? इस तरीके से गलत कार्यवाही करने पर आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति : बहुत हो गया विराजिये। माननीय श्री खेतसिंहजी राठौड़।

डा. करोड़ी लाल : सभापति महोदय, आपने एक बात तो क्लीयर कर दी...

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, हम चेयर से अपेक्षा करते हैं, पूर्व में विधि मंत्रीजी ने निवास के बारे में कह दिया कि पूर्व में जो उसमें मंत्री रहे हैं उन्होंने पंखे बदले, कूलर बदल दिये।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा उन्होंने। मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने यह कहा कि मकान से गायब हुए हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : (व्यवधान) इतने हल्केपन से लिया जा रहा है हाउस को। मैं चेयर से अपेक्षा करता हूं कि चेयर अपना निर्णय दे इसमें ताकि हाउस की गरिमा बनी रहे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : (व्यवधान) पहले वह डिसीजन लो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, माननीय परसादी लालजी ने कहा है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं वे बिलकुल गलत हैं। पर माननीय परसादी लालजी ने यह भी कहा है कि मेरे पास कोई ऐसे विभाग नहीं हैं फिर मैं क्या करता। तो मतलब कोई अच्छा-सा डिपार्टमैंट होता तो निश्चित ही चालू हो जाते।

श्री सभापति : बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, कुलमिलाकर अच्छा वातावरण नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने बिगाड़ा है, दोषी नं.– ।...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेहरबानी करके आपने ही यह प्रश्न शुरू किया था, अब इसको समाप्त कीजिये। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि श्री मदन दिलावरजी ने जो चार्जेज लगाये, अगर हम आपकी जगह होते तो हम निश्चित तौर पर माफी मांगते। आपका भी यह दायित्व है कि आप या तो नेता महोदय या मदन दिलावरजी स्वयं खड़े होकर माफी मांगें, क्षमायाचना करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : पहले आप खड़े हो, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपने सरेआम एलीगेशन लगाया था। यह दायित्व आपका बनता है

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

माफी मांगने का। आप माफी मांगेंगे तो आपका अनुसरण हम भी करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप शुरूआत कीजिये, हम भी मांग लेंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव : क्योंकि सबसे पहले एलीगेशन लगाने वाले आप हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो चुकी है, कोई किसी के भी खिलाफ खड़े होकर सीधा आरोप नहीं लगा सकता। नियम है हमारा और ऐसा कोई कथन है, वह रिकार्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। अब आगे की बात है इसको आप...

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्षमा तो मांग लें, साहब।

एक माननीय सदस्य : पहले क्षमा आप मांगिये, संसदीय मंत्रीजी। पहले क्षमा आप मांगेंगे, आपने +++ इल्जाम लगाया था।

श्री रामस्वरूप मीणा : श्री मदन दिलावर माफी मांगें।

श्री मोहन लाल मोदी : अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको सदन से निष्कासित किया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मदन दिलावरजी, माफी मांगिये हमसे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं नियम 157 के अन्तर्गत माननीय मदन दिलावरजी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव रखता हूं, जो आरोप इन्होंने लगाया है माननीय मंत्री के खिलाफ।

श्री हेमाराम चौधरी : (व्यवधान) ये हाउस में +++ ही करते हैं, इसके सिवाय इनके पास और कोई काम ही नहीं है। ये तो +++ ही करते हैं। अब +++ कितना समय खराब करता है, जनता का कितना पैसा खराब होता है, इनका कोई धंधा ही नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : "न नमंती कदाचनः नमंती फलीनो वृक्षा, नमंती उड़लोजना और शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च न नमंती कदाचनः"

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, प्रस्ताव तो करने दीजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बोलने दें।

श्री सभापति : माननीय देवीलालजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : ये विरोधी दल के नेता जो ऐसी गलत बात कह देते हैं, यह तो विधान सभा में कई दिनों से चल रहा है पर मेरा यह निवेदन है इनको कि एक बात कह देने पर सभी +++ करने के लिए खड़े हो जाते हैं न तो कोई बात सुनते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि एकाध सुनने वाले भी रहा करें, सभी क्यों खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापति : बैठिये।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Under rule 157... (interruptions) I am in possession of the floor.

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठाने की बात कर रहे हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया है, नियम उसमें लिखा हुआ है। खड़े होकर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, कर सकते हैं, पढ़कर सुना दूं।

श्री सभापति : उसमें है ऐसा, उसको आप पढ़कर उसके हिसाब से कार्यवाही करें। आप स्वतंत्र हैं देने के लिए। आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को पेश करिये उसके बाद में आगे की कार्यवाही होगी। माननीय भंवरलालजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, ऐसा नहीं है, आप जरा इसको पढ़ लीजिये। Let me read it. "Provided that—"

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) मेरे को मारा जाएगा बाहर।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : इनको बैठाइये साहब औरों को।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलालजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am in possession of the floor, Sir. पहले आप सुनिये, रूल 157 पढ़िये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य फ्लोर पर पजेशन में हैं, इनको सुन तो लें पहले, बाद में रिजैक्ट कर देना। आप तय कर लेना, अगर आपको नहीं लगे तो रिजैक्ट कर देना।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, बात तो सुनें, बहुत विद्वान आदमी हैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी हत्या की जाएगा, मुझे बचाइये। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मेरी हत्या की जाएगी, मुझे बचाइये।

श्री सभापति : आपको बचा लिया जाएगा। बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) सभापति महोदय, अब मेरी हत्या की जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जैसी हाउस में बात चल रही है और अभी जो प्रश्न खड़ा हुआ है यदि इसका...

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलालजी, आप, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिये। आपकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही है, क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मदन दिलावरजी माफी नहीं मांगेंगे

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ये +++ करेंगे कि मैं क्षमायाचना करता हूं, यह कैसे चलेगा ?

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और जो कुछ हुआ है उसको कोई भी स्वस्थ नहीं मानता। माननीय उपाध्यक्षजी ने भी और आपने भी इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनके लिए एक्सपंज करने के लिए कह दिया, वे रिकार्ड पर नहीं आएंगे। लेकिन हाउस में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब उत्तेजना आती है और उसकी प्रतिक्रिया में भी उत्तेजना खड़ी होती है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब आज यह बात चली उस समय माननीय मोदीजी, जो नीमकाथाना से पधारते हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री सामान +++ ले गये। यह रिकार्ड पर है। रामस्वरूपजी ने भी कहा।

श्री सभापति : वह एक मंत्री के खिलाफ नहीं कहा। मंत्रीजी ले गये सामान, यह कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, सबको ही कह दिया।

श्री सभापति : वह तो जनरल बात थी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : **I am coming to that, Sir.** अगर आप उसको अलाउ कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर यह विधान सभा में होना चाहिए क्या ?

श्री सभापति : अब क्या फरमा रहे हैं आप ? **Please, come straight to the point.**

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : **I am coming to that, Sir.** मैं भूमिका बता रहा हूं कि यह हुआ क्यों है, सर। उसके बाद लक्ष्मण सिंहजी खड़े हुए, उन्होंने भी यह कहा, नाम लेकर कह दिया कि मंत्रीजी सामान चोर कर ले गये और उसके बाद रामस्वरूपजी ने कह दिया। तब कहने के बाद...

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने क्या कह दिया, आप मेरा नाम कैसे ले रहे हैं ? मैंने क्या बुरा कह दिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपका नाम बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : कौन–सा बुरा कह दिया जो आप मेरा नाम ले रहे हैं ? इस दलदल में आप फंसे हो, पर मेरा नाम कैसे लगा रहे हो ? असत्य आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर। माननीय सभापति महोदय, मेरे ऊपर असत्य आरोप लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा, श्रीमान्, स्पष्ट करें आप। मैंने कब कहा इनको +++ ? मैंने नहीं कहा इनको+++ मैंने मदन दिलावर कहा, +++ नहीं कहा। आपने कैसे कहा ? मैंने नहीं कहा +++ कौन कहता है +++ कहा मैंने ?

(13:00 बजे)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय खेतसिंहजी ने आरोप लगा दिया इस सारे वातावरण में। खास कर माननीय मदन दिलावरजी के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगा दिये कि

+++ शब्द/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सामान ले गये। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी उत्तेजना मे मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का आचरण करना चाहिये, लेकिन अगर यह वातावरण बन गया है इतने बड़े–बड़े लोगों ने भी इस प्रकार का व्यवहार किया उससे उत्तेजना आना स्वाभाविक है। मैं यह नहीं मानता कि श्री मदन दिलावरजी को और भी किसी को बिना नोटिस दिये इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये। जो भी कहा उसको आपने एक्सपंज करा दिया अब अगर उसके बाद भी कोई बात बचती भी है तो उसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। सबको समय दिया है इसमें सब माफी मांगें। (व्यवधान) अगर सब माफी मांगें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिलकुल मांगें। पर इसके लिये वे सब भी माफी मांगें जिन्होंने इस प्रकार का आचरण किया है, मदनजी भी मांगेंगे। आप सबने जो कुछ कहा वे भी माफी मांग लें, मदनजी भी माफी मांग लेंगे। इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाइए। आपको बहुमत है उसके आधार पर इस प्रकार के...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : बहुमत है तो इसका मतलब झूठे आरोप सहन करने के लिए नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अगर मान लीजिए किसी ने कहा है तो सब मांगो माफी, झूठे आरोप सहन करने की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र मीणा : सभापति महोदय, बहुमत के आधार पर किसी का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मदन दिलावरजी को सदन से निष्कासित किया जाए, माफी से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) मदन दिलावरजी को सदन से निष्कासित किया जाए, माफी से काम नहीं चलेगा। हमारे मंत्री महोदय पर आरोप लगाया है इसलिए मदन दिलावरजी को आज के लिए सदन से निष्कासित किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : बहुमत के आधार पर कोई अन्याय मत कीजिए। अगर माफी मांगनी है तो जिन–जिन लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाये हैं उन सबको माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नाम लेकर किसी ने नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नाम लेकर भी कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसी ने नामजद आरोप नहीं लगाये हैं।

श्री महेश जोशी : आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी ने भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। जनता ने ही कह दिया हम क्या कहें ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कहा था कि सामान जरूर गया है बंगलों से। इसको आप चाहे कुछ भी मानें, सामान जरूर गया है बंगलों से। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह का आरोप श्री

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मदन दिलावरजी ने श्री परसादीलालजी मीणा के खिलाफ लगाया है और खुल्ला लगाया है कि इन्होंने +++

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं, उनके खिलाफ नहीं लगाया है, आप रिकार्ड देख लीजिए, उनके खिलाफ भी आपने आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभापति महोदय ने वह कार्यवाही तो निकाल दी...

श्री मोहन लाल मोदी : पिछली विधान सभा में घणे ही आरोप लगे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें आपका गौरव नहीं बढ़ता है। आप मेहरबानी करके उनसे कहिए...

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : कोई नहीं बढ़ता है, किसी का भी गौरव नहीं बढ़ता है, आपका भी नहीं बढ़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : या आप माफी मांगिए दल की तरफ से। अगर आप नहीं मांगेंगे तो हमको अन्य कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप भी मांगिए पहले, मंगाइए आप माफी। वो तो थ्रैट मत दीजिए, वो धमकी तो मत दीजिए आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आप संख्या बल के ऊपर धमकी दे रहे हैं। ऐसी बात प्रजातंत्र में शोभा नहीं देती कि आप यह धमकी दे दें कि हम ऐसा करेंगे...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको निवेदन कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से अगर आप सदन को चलाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके ऐसे कई समय हुए हैं जहां पर हमने भी खेद प्रकट किया है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय खेतसिंहजी, पहले आप माफी मांगो। आपका पुराना रिकार्ड लोगों को पता है कि आपने बहुत बड़े—बड़े काम किये हैं, पहले आप माफी मांगो फिर सारे सदस्य भी मांगेंगे। मदन दिलावरजी सदस्य हैं और आप मंत्री हैं, पहले आपने आरोप लगाये हैं, पहले आप माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं आपसे सहमत हूं जिन माननीय सदस्यों ने श्री मदन दिलावरजी के खिलाफ आरोप लगाये हैं उनसे माफी मंगवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अब खेतसिंहजी पर आरोप लगा दिये, यह क्या तरीका है ? अगर एक को प्रतिबन्धित कर दें तो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ आरोप नहीं लगाते। मालूम है क्या कहा है ? कि खेतसिंहजी, हम आपको जानते हैं, +++ यह क्या तरीका हुआ ?

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(व्यवधान) अभी जस्ट कहा, आप दिखवा लें। यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने जो बोला है वह सब सत्य बोला है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ इन्होंने क्या शब्द कहे, आप सुने। (व्यवधान) कार्यवाही में आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उप नेता महोदय, इस तरह की परम्परा मत डालिए, आप तकलीफ में मत पड़िए। इस तरह की परम्परा मत डालिए यह अनुशासनहीनता है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, आज इस बात पर अगर कार्यवाही नहीं हुई तो ये हरेक माननीय सदस्य के ऊपर या मंत्रीगण के ऊपर हमेशा आरोप लगाएंगे, इनकी आदत हो गई है इस तरह की।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कार्यवाही देख लीजिए, जिन—जिन माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं उनको एक्सपंज करवा दीजिए। उनसे भी माफी मंगवा दीजिए, मदनजी भी माफी मांग लेंगे। न्याय तो सबको बराबर होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, पहले कार्यवाही संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ होनी चाहिये उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री होकर अपनी मर्यादा के खिलाफ बात की थी।

श्री जगमाल सिंह यादव : खेतसिंहजी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा है, मालूम है आपको ? उन्होंने कहा है कि खेतसिंहजी मैं आपको जानता हूं, राजस्थान जानता है कि +++ यह कोई तरीका नहीं हुआ। या तो आप कार्यवाही करें...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री कई प्रकार का सामान ले गये और +++ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी हम आपसे यह अपेक्षा नहीं करते थे। (व्यवधान) आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत अनुभव है, अनुभव होते हुए भी आपने एक सहज भाव में आरोप लगा दिया कि बी.जे.पी. के पूर्व मंत्री सामान ले गये। यह कोई सहज नहीं है, आपसे यह अपेक्षा यह सदन नहीं करता था। इस प्रकार की भाषा बोले हैं आप।

श्री बनवारी लाल : सभापति महोदय, हमारे पार्लियामैंटरी मिनिस्टर ने ऐसी बात नहीं कही है। सामान गया है, यह बोला गया है। +++ किसी ने नहीं कहा है, आप गलतबयानी क्यों कर रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने +++ नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

सबसे पहले आरोप उधर से लगे हैं तब जाकर यह वातावरण बना, वरना यह वातावरण नहीं बनता। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : सभापति महोदय, इन्होंने नामजद आरोप लगाये हैं। यदि हम भी नामजद आरोप लगाने लगें तो यह पूरा सत्र निकल जाएगा पर इनके आरोप कम नहीं पड़ेंगे, इसलिए इनसे माफी मंगवाइए।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कम उम्र के माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन बुजुर्ग लोगों के दिमाग में क्या हो गया है. ..(व्यवधान) रामस्वरूपजी को कुछ कंट्रोल कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैंने दिलावर कहा था। (व्यवधान) सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि मैंने इनको +++ कहा है। मैंने...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप शालीनता सीखो, व्यवहार सीखो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैंने तो दिलावर कहा था +++ नहीं कहा था। कौन कहता है +++ कहा। +++ मैंने दिलावर कहा था...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : +++

श्री जगत सिंह दायमा : हमने सुना, +++ कहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : श्री रामस्वरूपजी को भी निकाला जाएं। सिर दर्द कर दिया रामस्वरूपजी ने।

श्री सभापति : हां, बोलिये। मैंने उनका नाम पुकार दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : मेरा निवेदन यह है कि जब से यह सदन की कार्यवाही शुरू हुई है इस प्रकार के दृश्य इस सदन में उपस्थित होते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी के पदाधिकारियों का अपने दल के सदस्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे कहते हुए बहुत खेद है कि...

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, हमारा नियंत्रण है। ऐसी बात नहीं है। हमारा पूरा नियंत्रण है। यह कोई बात हुई क्या ? गलत बात है, नियंत्रण कैसे नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिए, वो अपनी बात कह रहे हैं, आर्डर प्लीज, सुनिए आप।

श्री शिवनाथ सिंह : सदन की कार्यवाही संयत रूप से चले, यह आसन की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और उससे भी ज्यादा प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य जब चाहे जैसा भी चाहें खड़े होकर अपनी बात करने लग जाते हैं और प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, यहां के सचेतक महोदय देखते

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहते हैं। कोई भी अपने सदस्यों को संयत करने की चेष्टा नहीं करता है। सभपति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो नियंत्रण होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पिछले कुछ समय से सदन में जो आवश्यक कार्य हैं हम नहीं कर पाते। आप इसके साक्षी हैं, एक रोज तो साढ़े चार बजे तक सदन की कार्यवाही नियमित रूप से नहीं चल पाई। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष के माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से और प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से कि इस प्रकार की व्यवस्था बैठकर करें। हम लोग राजस्थान की जनता की समस्याओं को यहां रखने के लिए आये हैं, वे समस्याएं तो गौण हो जाती है और दूसरी बातें यहां आती हैं। आज जो वातावरण बना, माननीय श्री मदन दिलावर ने जो बात कही, खेदजनक है, नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी होती आ रही हैं। जब कांग्रेस विपक्ष में थी ऐसे कई वातावरण आये तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने या हमारे सचेतक महोदय ने, उस सदस्य की तरफ से खेद व्यक्त किया है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह मामला यहां शांत होना चाहिए। माननीय सदस्य खेद व्यक्त नहीं करना चाहें, कोई बात नहीं लेकिन प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय इस बात के लिए खेद व्यक्त करें और इस मामले को यहां शांत करें। आगे के लिए आप आपस में बैठकर ऐसी व्यवस्था करें ताकि हम इस सदन में जिस काम के लिए आये हैं, बजट का महत्वपूर्ण विषय है, उसको सही रूप से हम अंजाम दे पाएं। माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैम्बर में दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को बुलाकर ऐसी व्यवस्था करें ताकि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके। माननीय उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष से यह भी कहता हूं कि आप इसको हठ का काम नहीं बनाएं और खेद व्यक्त करें, मामला समाप्त हो जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, सदस्य क्यों खेद व्यक्त नहीं करे ? जिसने+++ किया, मान–मर्यादा सदन की गिरायी है वह बड़ा हो गया ? अगर नहीं करे तो निष्कासन का प्रस्ताव लाया जाए। (व्यवधान) प्रस्ताव करते निष्कासन करने का।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी, आप बहुत बार–बार उठते हैं। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : सभापति महोदय, निश्चित रूप से लगातार डिबेट का क्या स्तर है ? यह कोई समाचार पत्र में महत्व देंगे इस बात का ? यह आरोप–प्रत्यारोप कोई परिधि में आता है ? यह गाली–गलौच की परिधि में आता है। सभापति महोदय, कोई आरोप हों, प्रमाणित आरोप हों, कोई तथ्यों के आधार पर आरोप लगाये जाएं कि फलां डील के अन्दर मंत्री ने, बिलकुल

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लगाएं. रूल 273 है, नोटिस दीजिये, आरोप लगाइये। यह बिलकुल गाली–गलौच की परिभाषा में आता है, सदन का स्तर गिर गया। आपको सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी, सदन की मौजूदगी में यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। आपका फरमाना बिलकुल सही है, आपने फरमाया कि लिखित में आपको नोटिस देना पड़ेगा लेकिन रूल 159-"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to the raised at any time during the course of sitting after the disposal of question." सदन के सामने ब्रीच आफ प्रिविलेज हो तो आखिर कहीं न कहीं...यह आज बहुत दुःखद घटना हुई है, माननीय डिप्टी चीफ व्हिप ने कोई प्रस्ताव रखा है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव रखा है तो उसको आप सदन में लाकर प्रिविलेज कमेटी को दीजिये, वहां खेद व्यक्त करेंगे, माननीय मदन दिलावर खेद व्यक्त करेंगे। सब पार्टीज की कमेटी बनी होती है, पार्टी के मैम्बर होते हैं, और भी किसी माननीय सदस्य ने किया होगा तो उनके विरुद्ध करेंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि अब विपक्ष के नेता बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कोई पदाधिकारी अपाइंट नहीं किया, लेकिन कौन जिम्मेदार है इसकी तरफ से ? माननीय भंवरलालजी बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, इनकी बात मानें तो मानें, नहीं मानें तो नहीं मानें। कोई व्हिप नहीं है इनको। कोई चीफ व्हिप नहीं है, कोई सैक्रेटरी नहीं, वह भी अलग बात है। लेकिन पार्लियामैंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर कोई आफिस बियरर तो आपको अपाइंट करना चाहिए। आप डिप्टी चीफ व्हिप हैं, पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप इन रामस्वरूपजी का क्या करते हो, हर बात पर खड़े हो जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं क्या बोला यहां पर ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये।(व्यवधान) प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये कौन होते हैं उनको +++ कहने वाले। ये कहते हैं +++ किस तरह कहते हैं, +++ दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कौन हो आप इस तरह से ?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापतिजी, फिर कह दिया +++ (व्यवधान) उनको कंट्रोल करवाइये, फिर +++ कह दिया, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप +++ को ही पूछ रहे थे। (व्यवधान) और क्या नहीं तो। (व्यवधान)

डा. करोड़ी लाल : फिर +++ कह दिया, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम लोग बैठे हैं और देखिये इनका दबाव, सत्ता पक्ष का। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं सिर्फ आसन से यह जानकारी चाहता हूं कि उप मुख्य सचेतक महोदय की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है क्या ?

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो प्रस्ताव रख ही रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : तो फिर आप अपनी बात कहिये, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चाहता हूं यह मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए, और कोई एक्सपंक्शन नहीं किया जाए। यह तो पोस्टिरिटी के लिए है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इस विधान सभा के माननीय सदस्य किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं और किस प्रकार आरोप–प्रत्यारोप लगाते हैं। यह एक्सपंक्शन कोई नहीं है। (व्यवधान) इससे कोई बहुत बड़ा अपना आदर बढ़ जाएगा ? I have a right to know कि क्या लैंग्वेज होती है हाउस के अन्दर। लेकिन एक्सपंक्शन से ब्रीच आफ प्रिविलेज खतम नहीं होता है, यह पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय मदन दिलावर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावर, मदन लाल की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव करने का तरीका...

श्री सुरेन्द्र व्यास : तरीका है, इसमें आप पढ़ लो।

श्री हीरासिंह चौहान : पढ़ लिया, मेरे पास किताब है। जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे हो...(व्यवधान) उस तरह नहीं लाया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर हाउस के अन्दर ब्रीच आफ प्रिविलेज कमिट होता है तो हाउस को यह राइट है। हाउस को तो यह रूल रिलैक्स करने का भी राइट है, हीरासिंहजी, आप तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री सभापति : आपकी बात से मैं सहमत हूं, यह सदन सुप्रीम है, कोई नियम आड़े आ रहा है उसको यह सस्पेंड कर सकता है। बैठकर पांच मिनट में आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, यह आपके अधिकार में हैं लेकिन यह गरिमापूर्ण सदन जल्दबाजी में कोई कार्यवाही कभी नहीं करता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : निष्कासित करने की नहीं कर सकता, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : इसमें हमें बहुत संयम रखना पड़ता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा प्रस्ताव प्रिविलेज कमेटी को रैफर करने का है। मेरा प्रस्ताव यह है कि यह जो ब्रीच आफ प्रिविलेज आज कमिट किया गया है, जो मान हानिकारक बातें माननीय मदन दिलावर ने माननीय परसादीलालजी के लिए कही हैं उस पूरे सम्पूर्ण प्रकरण को विशेषाधिकार समिति के लिए रेफर किया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत विद्वान हैं और यह सदन सर्वोपरि हैं लेकिन जो कुछ माननीय मदन जी दिलावर ने कहा और दूसरों ने भी कुछ कहा उसके सम्बन्ध में व्यवस्था हो चुकी है, इस समय वह हमारी प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं है इसलिए विशेषाधिकार किस बात पर आएगा ? विशेषाधिकार आने की कोई बात ही नहीं रही क्योंकि जो कुछ हुआ, जो वार्तालाप हुआ इधर से और उधर से वह पूरी कार्यवाही हमारी आज की कार्यवाही में शामिल नहीं है। आगे के लिए... (व्यवधान)... आर्डर प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : कोई लेना न कोई देना। नहीं निकालने से क्या हुआ ?

श्री सभापति : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : ये गलत काम करते हैं। इतना ही हुआ कि बस बोला वह आया गया। ये तो और करेंगे, ये तो रोज करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आपकी व्यवस्था है, यह तो और अव्यवस्था फैलाएगी क्योंकि जिसके जो मर्जी आएगी। वह कहेगा और फिर आप उसको एक्सपंज कर देंगे। इस लिए आप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करिये। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जो मर्जी आवे सो बालें, मर्जी आवे उस पर आरोप लगावें। क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ अता–पता ही नहीं हैं। और आज्ञा ही नहीं बोला है, यह तो जब से सदन...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : सभापति महोदय, यह सदन की गरिमा के खिलाफ हैं, खेद प्रकट होना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : पूरे दिन हर एक मिनट के बाद में कभी क्या होता ही रहता है।

श्री मोहन लाल चौहान : मदन दिलावर को खेद प्रकट करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावर की तरफ से खेद प्रकट होना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, सदन से तो कार्यवाही आपने निकाल दी लेकिन यह जो मुख्य मुद्दा है...

श्री जगत सिंह दायमा : ये दोनों पार्टियां ही ऐसा कर रही हैं, जनता देख रही है इसको। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह ट्रांसफर में दलाली हो रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन की गरिमा के खिलाफ है, सभापति महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान में कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना, उसके बारे में क्या हैं ? (व्यवधान) हम बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में बोलने नहीं दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : ये भंवरलाल जी कितने जिम्मेदार हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसके बारे में सदन को कोई न कोई निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। जिस तरह 'भास्कर' में पोस्ट बाक्स नम्बर देकर स्थानान्तरण करने की कार्यवाही की गयी, निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार की परिधि में आता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है। एक्सपंक्शन करके इतने बड़े ब्रीच आफ प्रिविलेज को कंडोन नहीं कर सकते आप। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जिस तरह राजस्थान में पिछले 3 महीनों से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह ट्रांसफर की दलाली हो रही है, निश्चित रूप से राजस्थान की गरिमा गिरी है और राजस्थान के हजारों कर्मचारियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र जी व्यास डिवीजन नम्बर 183, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के पास पखाई खेड़ा और बमवाड़ा के बीच एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों द्वारा पीट–पीट कर मार डालने की घटना के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में आपको दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अव्यवस्था तो आप फैला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य या लीडर आफ अपोजिशन इस मामले में खेद प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : संसदीय मंत्री जी ने जो असंसदीय भाषा बोली थी, उस प्रकार का नोटिस...(व्यवधान) खेद प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) संसदीय मंत्री जी अपना बहुमत दिखाते हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह गैर–जिम्मेदाराना वक्तव्य इनको वापस लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर ये खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं चीफ व्हिप को निवेदन कर रहा हूं कि वे प्रस्ताव रखें। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने भी खुले आम आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेद व्यक्त करवाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वे व्यवस्था ही नहीं समझ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप प्रस्ताव रखिये ना।

श्री हीरालाल इन्दौरा : खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। वक्तव्य वापस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, एक प्रस्ताव आ रहा है पहले उस पर विचार कर लिया जाए।

श्री महेश जोशी(सरकार उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा... (व्यवधान) आज सुबह से सदन में एक उत्तेजना है और सभापति महोदय, आप इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, कई मौके ऐसे आते हैं जिन मौकों पर...(व्यवधान) इस तरह के...

श्री भंवरलाल शर्मा(सरदारशहर) : प्रस्ताव रखिये। (व्यवधान) प्रस्ताव रखिये आप। (व्यवधान) क्या मौके आ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : हम प्रस्ताव रख रहे हैं, आप कृपया सुनिये और बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस सदन को चलाने के लिये पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, हम इससे सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : भ्रष्टाचार के असत्य आरोपों को सुनकर कोई सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान) आप माफी मंगाइये पहले, इसके बाद कोई और बात कीजिये। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : आप चाहे जो बोल सकते हैं, चाहे जैसा कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(सरदारशहर) : उप मुख्य सचेतक महोदय, आप प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव रखिये, प्रस्ताव।

श्री सभापति : आप बड़ी जिम्मेदारी से लेओ, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : ठोस बात कहो आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, मैं बात कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपने अभी निर्णय लिया कि यह जो कुछ हुआ उसको आपने एक्सपंज कर दिया और अब वह विषय विचारार्थ नहीं है। लेकिन जैसे माननीय खेतसिंहजी कहते हैं, यदि ऐसा नहीं करोगे तो हमारे पास बहुमत है, हम वह प्रस्ताव रखेंगे। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं कहा, उन्होंने कब कहा बहुमत है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : नहीं, यह नहीं कहा। ऐसा मत बोलिये आप। आप भाषा बनाइये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : क्या बात कर रहे हो ? इस तरह से धनखड़ साहब को निकाला था, तब आपके पास बहुमत नहीं था ? अब आप बहुमत की बात कह रहे हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लौट करके नहीं आए वे, ये तो लौट...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : सभापति महोदय, इस विधान सभा की गरिमा बनाये रखने के लिये हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हाउस को बहुत ही सर्वमान्य और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका तरीका बिलकुल अप्रजातांत्रिक है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : प्रजातंत्र का मतलब यह नहीं है कि मर्जी आए, जो आरोप लगाएं किसी पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, सदन का वातावरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। शालीन व्यक्ति से भूल हो भी जाती है, और इन्सान मिट्टी का पुतला होता है, एक बार यदि गलती हो भी जाती है तो उसकी शालीनता इस बात में है कि वह क्षमा मांगे। माननीय सदस्य द्वारा जो इतनी बड़ी गलती की गयी है, एक मंत्री महोदय की मानहानि है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : ये नहीं मांगे तो आप मांग लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्षमा मांगने से वे बड़े होते। इसके बावजूद बार–बार वे प्रजातंत्र की दुहाई देकर इस तरह का अप्रजातांत्रिक वातावरण यहां बनाने में लगे हुए हैं, यह बड़ा खेदजनक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जो कुछ कह रहे हैं उसको माननीय खेतसिंहजी साहब ने फरमा दिया है। आप उनसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। वे संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस सदन के बहुत–बहुत अनुभवी मुख्य सचेतक रहे हैं। वे बोल लिये, उसके बाद में सत्ता पक्ष में से दूसरे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं रह जाती है। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : यह बात आप उनको समझाओ, उनको समझाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आपने एक व्यवस्था दी उस व्यवस्था के बाद में फिर आप दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री सभापति : क्या, क्या दे रहा हूं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने पहले व्यवस्था दी, एक्सपंज कर दिया।

श्री सभापति : हां, कर दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज कर दिया इसलिए अब किसी को कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ने यह व्यवस्था दी। अब फिर मामला उठ गया। आपने कहा, आपने व्यवस्था दी है। अब फिर आप उसको...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिलकुल ठीक कह रही हैं। दोनों तरफ से आरोपों–प्रत्यारोपों का सिलसिला चलने के बाद, दोनों ही तरफ से जो कुछ कहा गया था उसको कार्यवाही में से हटा दिया गया है, वह कार्यवाही का पार्ट नहीं है। इसलिए वह जो मदनजी दिलावर ने कहा और मदनजी के खिलाफ दूसरे लोगों ने, जिन किन्हीं ने भी कहा, दोनों तरफ के जो आरोप–प्रत्यारोप हैं उनकी गम्भीरता समाप्त हो जाती है क्योंकि इस बक्त और आगे के लिये वह हमारी कार्यवाही का पार्ट नहीं है। अब सदन की कार्यवाही चलाने के लिये सदन का सहयोग जरूरी है। सबसे बड़ा मेजर रोल सत्तापक्ष का है, उसके बाद प्रतिपक्ष का है और सामूहिक रूप से सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अब इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दें क्योंकि जो कुछ कहा गया था उसको हटा दिया गया है। कार्यवाही में है ही नहीं तो फिर किस बात का खेद ? (व्यवधान) प्लीज, प्लीज। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सत्तापक्ष से भी इस मामले पर अधिक जोर न दिया जाए और आगे की कार्यवाही चलाई जाए, इसी में अच्छा है। काफी काम पैंडिंग हैं, आज वे निपटाये जा सकें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : खेद प्रकट करो। सभापति महोदय, आज तो एक मंत्री के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, खेद प्रकट करने का प्रस्ताव, मेरे ख्याल से प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बोल रहे थे, पहले वे अपनी बात समाप्त कर लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है। (व्यवधान) मैं बोल रही हूं।

श्री सभापति : ये सिर्फ कार्यवाही से निकाले...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ भारत वर्ष को ही आग में झोंक दिया। +++(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम पुकारा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि आपने जो व्यवस्था दी है, वह तो शिरोधार्य है लेकिन इस प्रकार असंसदीय शब्द ही नहीं, गाली–गलौच को भी यदि आपने कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दे दी है तो यह भविष्य में और भी अधिक अव्यवस्था पैदा करेगी, और लोग अव्यवस्था करेंगे। क्योंकि वे इस बात को जानेंगे कि आसन फिर ऐसी व्यवस्था देगा कि सब एक्सपंज हो गया, होना–जाना कुछ नहीं है। न कोई डरेगा, न कोई अनुशासन में रहेगा, न यह सदन नियमों से चलेगा। इसलिए आपने व्यवस्था दी, वह तो ठीक है लेकिन पुनर्विचार करिये। आपका वह निर्णय और व्यवस्था अव्यवस्था कराएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्सपंशन क्या हुआ ? What is 'expuntion' ?

श्री बुलाकीदास कल्ला(शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, यह बात सही है कि वह

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सदन नियम, कानून, परम्पराओं और राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों से चलता है, कोई भी माननीय सदस्य किसी भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो नियमों में उसका प्रावधन हैं। इसलिए मैं आपके आग्रह करना चाहता हूं, या तो मदन दिलावर इस बात पर कायम रहें कि वे नियमों में नोटिस देकर, जो बात उन्होंने कही है उसको सदन में लाएंगे और नहीं तो उनकी उस सन्दर्भ में माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। अटरू से आगे वाले माननीय सदस्य भी एक सम्मानीय मंत्री रहे हुए हैं और मंत्री रहा हुआ व्यक्ति यदि गैर जिम्मेदारी से काम करता है और असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, बिना नोटिस के आरोप–प्रत्यारोप करता है तो यह संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है। इसलिए या तो वे यह कहें कि मैं नियमों में... (व्यवधान) एक मिनट, मेहरबानी करके मेरे को सुन लीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय खेत–सिंहजी राठौड़ साहब ने क्या कहा ? (व्यवधान) माननीय खेतसिंहजी राठौड़ साहब ने सबको +++ कह दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापतिजी, शुरूआत फिर वहां से हो रही है जहां अन्त हुआ था आपकी व्यवस्था के बाद, माननीय मंत्रीजी क्षमा मांगे, फिर दुबारा से वही नहीं बात रख रहे हैं। संसदीय मंत्रीजी ने असंसदीय शब्द बोले हैं, इसलिए पहले वे क्षमा मांगें, खेद व्यक्त करें उसके बाद मदन दिलावर का नम्बर आएगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अब यह देखिये, कितना असंसदीय है, आपने मेरे को इजाजत दी है।

श्री सभापति : बैठे, बैठे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए कृपा करें। आपने व्यवस्था दें दी है, व्यवस्था करने के बाद सत्तापक्ष के लोग क्यों बोल रहे हैं ? ये शालीनता सीखें व्यवहार सीखें। सबके सब एक साथ +++ (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, ये तब सीखे हुए देख लें आप (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, विधान सभा नहीं चल रही है। टाइम खराब हो रहा है राजस्थान की जनता का, और पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे पर आराम से बैठकर अरापे लगा रहे हैं। जनता का समय खराब हो रहा है, जनता इसको माफ नहीं करेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा : और आगे वाले समय में दोनों को ही जनता को सबक सिखाने का अधिकार है, करके रहेगी, इसमें क्या बात है ? (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : विधान सभा चल ही नहीं है। किसी में ताकत नहीं है जो विधान सभा को चला ले। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको इनके बारे में जो कहना है, आप नोटिस देकर और पुख्ता प्रमाण देकर अपनी बात कहने के अधिकारी हैं लेकिन बिना तथ्यों के, जो चाहे मन में आए, जिसके बारे में कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो बात हो गयी, आगे नई बात बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक्सपंज करने की बात से काम नहीं चलने वाला है। या तो वे यह कहें और मैने जिस पर भी आरोप लगाये हैं, वे कानूनी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नोटिस देकर लगाएं। नहीं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। What is expunction ? (व्यवधान) एक्सपंज कर दिया, वह केवल पब्लिश नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लिए यह राजस्थान का सदन चल रहा है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिए यह सदन बुलाया गया है।

एक माननीय सदस्य : मनुवादी है।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए नहीं कि मनुवाद आपस में भिड़ते रहें और कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) यह मजाक का बात नहीं है इसलिए आप बताएं कि... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : झूठे आरोप मनुवादी पर नहीं लगाए, यह आरोप नहीं लगाएं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप बताएं कि सदन किसलिए बुलाया गया है ? राजस्थान की जो समस्याएं है, उनके निराकरण के लिए बुलाया गया है और यहां पर रोज आरोप– प्रत्यारोप लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, दो घंटे से हम देख रहे हैं या तो इस समस्या का निराकरण करें, नहीं तो कल तक के लिए सदन को स्थगित करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : कह दिया, विराजिये आप। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, रूल 299:The portion of the proceeding of the

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

House...एक मिनट, मैं निवेदन कर दूं।

श्रीमती कमला(सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय भंवरलालजी आपना कुछ वक्तव्य दे रहे थे। वे यदि पूरा करना चाहें और अन्तम में कुछ कार्यक्रम को चलाने के लिए व्यवस्था को कायम करने के लिए कोई मानने को तैयार हो रहे हो तो वे अपना वक्तव्य पूरा कर लें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, किस हैसियत से वे वक्तव्य देंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, उनसे कहिये कि अगर उनका वक्तव्य अधूरा है तो वे पूरा कर लें। पूरा करें, इससे पता तो लगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय कमलाजी, ये उप नेता नहीं हैं। (व्यवधान) ये उप नेता नहीं हैं। कोई नहीं है। बी.जे.पी. के अन्दर कोई उप नेता नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, भंवरलालजी +++ अभी बोल रहे थे। आप अगर अपना वक्तव्य अधूरा मान रहे हैं तो पूरा कर लें और आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो आप कर दें कि मुझे कुछ नहीं कहना हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, माननीय कमलाजी को गलतफहमी है, ये उप नेता नहीं हैं। इनकी पार्टी में को उप नेता नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने नेता, उप नेता नहीं कहा है, मैंने माननीय सदस्य के नाम से ही सम्बोधित किया है। आपको गलत–फहमी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिनिस्टर को भी गलतफहमी है, बाराबर कह रही हैं, उप नेता, उप नेता। (व्यवधान)

श्री सभापति : हवामहल से निर्वाचित माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वह है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय मदन दिलावर साहब जब तक खेद प्रकट नहीं करते, इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मदन दिलावरजी...(व्यवधान)

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं कहें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, आपका कहना ठीक है कि उप नेता नहीं हैं, पर कम से कम यह तो मालूम पड़ जाएगा कि उनके दल के लोग उनकी कितनी मानते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप जो कुछ भी कहेंगे वह हम सबको मान्य है। हमारे ये वरिष्ठतम सदस्य हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। ये जो कुछ भी कहेंगे वह हम सबको मान्य है। (व्यवधान)

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि वे उप नेता नहीं हैं तो...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मान लिया मैंने कि उप नेता नहीं हैं, पर यह तो मालूम पड़ जाएगा कि...(व्यवधान) उनका दल उनके वरिष्ठ नेताओं की कितनी मान्यता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, भंवरलालजी सीनियर मोस्ट मैम्बर हैं उस पार्टी के। उप नेता हैं या नहीं हैं, वह कोई मायने नहीं रखता, सीनियर मोस्ट हैं। भंवरलालजी बोल रहे थे और कुछ निवेदन कर रहे थे। मेहरवानी करके मैं भंवरलालजी से कहूंगा कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, वह कहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने इनका नाम पुकार लिया है, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, एक बात...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, सदन +++ बन गया है। आप मेरे को टोकेंगे भले ही। यह चाह रहे हैं कि भंवरलालजी, आप थोड़ी–सी +++ कर दें, हम इसको माफ करे देंगे, यही चाहते हैं। यही चाह रहे हो न आप, बारबार हाथ जोड़ रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, ये लड़ाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर कौन कह रहा है, माफ कर दो न।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, उन्होंने माफ कर दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक्सपंक्शन के...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए वैदजी को बुलाया गया है।

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, कहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, पहले तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचनार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपंक्शन का मतलब यह नहीं है कि रिकार्ड से बाहर हो गया। वह सिर्फ पब्लिश होने के लिए बाहर हुआ है। आप 299 का मुलाहिजा करें। "The portion of the proceeding of the House so expunged shall be marked by asterisks and an explanatory foot-note shall be inserted in the proceedings as follows" :

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Expunged as ordered by the Chair." तो यह रिकार्ड पर रहता है।

श्री सभापति : आपकी बात से मैं सहमत हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, Let me conclude. सभापति महोदय, यह आपने कंसीडरेशन के लिए, हाउस केकंसीडरेशन के लिए रिकार्ड पर मौजूद है। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस के सामने कमिट हुआ है, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर मुख्य सचेतक प्रस्ताव नहीं रखते तो मेरा प्रस्ताव यथावत है, आप इस पर मतदान करवाइये। मेरा कोई हार्श प्रस्ताव भी नहीं है, मेरा यह प्रस्ताव भी नहीं है कि इनको निकाल दिया जाए, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह सब प्रकरण, विशेषतया जो माननीय मदन दिलावर ने माननीय परसादीलालजी के लिए +++ वाइल्ड एलीगेशन, यह एलीगेशन की परिभाषा में भी नहीं आता है, इसको प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया जाए। आप इस पर सदन की राय जान लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की जानकारी के लिए...(व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय सभापति महोदय, हम नये सदस्य चुनकर आये हैं, हमारा जनता के प्रति कुछ कर्तव्य है। जनता हमें यह अपेक्षा करती है कि हम कुछ सीख कर आएं।

श्री सभापति : प्लीज आप बैठिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हम क्या यही सीखेंगे ? यहां से आरोप-प्रत्यारोप लगाना सीख कर जाएं ? (व्यवधान) कल से हम आपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाएंगे, अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे तो इसी तरह से हम आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे ? आप उनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह इस प्रकार से है कि यदि आसन की अनुमति से कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो, मंत्री हो या सदस्य हो, आसन की अनुमति से उस दरमियान में कोई ऐसी बात भी आ जाए जो असंसदीय है, गाली-गलौच की भाषा में आती है, तो उसको आसन एक्सपंज कर सकता है, रिकार्ड में नहीं छपेगा। लेकिन जो बात बिना आसन की अनुमति से की जाएगी That will not be the part of the proceedings. जो कुछ हुआ उसमें आसन की अनुमति नहीं थी, वे अपने फ्रीलान्स में बोल रहे थे। वह कैसे प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनेगी ? बिना आसन की अनुमति से जो कुछ भी कहा गया है वह आज की कार्यवाही का पार्ट नहीं बनेगा। एक्सपंज वे शब्द जो आपने फरमाये। वह ठीक है कि आपको अनुमति मिली, अनुमति के दरमियान आप बोल रहे हैं, कोई बात असंसदीय बात बोल दी, वह एक्सपंज हो जाएगी लेकिन जो सारी कार्यवाही बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं, वह कैसे प्रोसीडिंग के पार्ट में हो जाएगी ? वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका मतलब प्रिविलेज ही नहीं होगा ?

श्री सभापति : प्रिविलेज होगा या नहीं, इसका निर्णय...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमें तो पता नहीं था, नहीं तो हम तो खूब बोल लेते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिविलेज प्रस्ताव का निर्णय सदन करेगा। हाउस में होगा, हाउस करेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रिविलेज प्रस्ताव का नियमों में है और उसके लिए माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के पास रखना होगा, वे उसको एक्जामिन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, ऐसा समय कोई निश्चित नहीं था क्या ? ऐसे समय में आप कुछ भी बोल लो ? (व्यवधान)

श्री सभापति : वह हाउस में तरीके से होगा। सीधे ही आसन को सदन में खड़े होकर कोई माननीय सदस्य विशेषाधिकार का प्रस्ताव दें, वह नहीं रह सकता। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अनुमति दें और फिर हम आरोप लगाएं तो वह तो प्रिविलेज होता है और अगर आप अनुमति नहीं दें और आपकी अनुमति के बगैर हम किसी को भी मां, बहन की कितनी भी गालियां, गाली–गलौच कर दें तो वह प्रिविलेज नहीं है। (व्यवधान) आपकी परमीशन के बगैर मुझे कोई पीट दे तो वह प्रिविलेज नहीं है ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, ये आसन के सलाहकार नियुक्त हुए हैं क्या ? इनको आसन का सलाहकार किसने नियुक्त किया है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : +++(व्यवधान) यहां आप परमीशन देंगे तो ही पीटें किसी को ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप परमीशन देंगे तब ही हम किसी को गाली दें ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, श्री जगमाल सिंहजी यादव आसन के सलाहकार नियुक्त हुए हैं क्या ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, माननीय जगमाल सिंहजी ने...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, बात इतनी–सी है कि आप क्षमा मांग रहे हैं या नहीं ?

डा. किरोड़ी लाल : अभी बताएंगें। मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी तरफ से आप तो यहां पर अपने विचार रखिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हम बोल रहे हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोलिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप प्रस्ताव रखिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आप प्रस्ताव रखिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इस तरह खेड़ हो जाते हैं कि कोई...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दे दी।

श्री जगत सिंह दायमा : एक व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब माफी किस बात की ? नहीं, नहीं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अगर विपक्ष के नेता माफी नहीं मांगें तो पक्ष के नेता माफी मांगें, इसमें क्या बात है ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब किस बात की माफी ? (व्यवधान) आप समझते हो क्या ? इनको तो समझाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप ही तो कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, इस तरह का वातावरण हो गया है, यह धमकी की परिभाषा में आता है। धमकी देते हो क्या ? यानि आप यह धमकी दे रहे हो कि माफी मांगते हो या नहीं मांगते हो ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, ये एस.सी. के माननीय सदस्य हैं और खेतसिंह जी सवर्ण कास्ट के हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर तो कार्यवाही नहीं हो रही और एक माननीय सदस्य जो एस.सी. के हैं, उनको दबाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लालजी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था तो कुछ और हो गयी। आसन की व्यवस्था के बाद में अब कुछ बोलने को शेष ही नहीं रहता है। आसन ने...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : धमका रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन ने व्यवस्था दे दी है, आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। आसन ने व्यवस्था दे दी है, नहीं, अब किस बात की माफी ? (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप चुनौती दे रहे हो। आप व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं क्या ? सभापति महोदय की व्यवस्था को आप चुनौती दे रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप विराजिये। आप बार—बार क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई चुनौती दे रहे हैं क्या ? क्यों बैठूं ?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : नहीं, तो आप

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)
सदन की कार्यवाही को क्यों नहीं चलने देना चाहती ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब आसन ने व्यवस्था दे दी तो बात ही खतम हो गयी। अब किस बात की माफी ? आप चुनौती दे रहे हैं। आप सभापति जी की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) बताइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पुनर्विचार की प्रार्थना तो, सुमित्रा सिंहजी, आपने ही की है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह(गृह मंत्री) : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी, आप कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी लेकिन मैं आप सबसे पूछ रही हूं कि ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया विराजिये आप। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सत्ता पक्षा से पूछना चाहती हूं कि...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विपक्ष का नेता अगर इस बात के लिये माफी नहीं मांगना चाहता तो सदन का नेता माफी मांग ले। सदन के नेता के अण्डर में आते हैं ये माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भंवरलाल जी। (व्यवधान) कुछ कहना है ? कुछ नहीं कहना क्या ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो सदन के नेता हैं उनके अण्डर में 199 विधायक हैं, अगर इनको शर्म आ रही है और ये माफी नहीं मांगें तो सदन के नेता माफी मांग लें कि मेरे सदस्य से गलती हो गयी। कहां दिक्कत है ? कोई दिक्कत नहीं है और सदन चलना चाहिये। इसमें कहां दिक्कत आ रही है ? मेरा यह प्रस्ताव है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो आपके निर्णय के बाद यह मामला समाप्त हो गया और आपने जो व्यवस्था दी है, वह हमको स्वीकार्य है और मैं समझता हूं कि सभी को स्वीकार्य होनी चाहिये...(व्यवधान)

अनेक मामनीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपको नहीं होगा तो आप कह दीजिये, नहीं है। यह तो आपकी मर्जी है। मैं तो मेरी तरफ से कहता हूं, मैं अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि हमको तो आपने जो निर्णय दिया वह स्वीकार्य है और आपने हिसाब से और वर्तमान जो व्यवस्था है उस हिसाब से यह मैटर अब विचारार्थ नहीं है। लेकिन खेतसिंहजी साहब का यह बराबर आग्रह है, दबाव भी है और कभी–कभी... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : धमका भी रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : कि नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)
आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैं और मेरा दल...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उनकी इज्जत रखने के लिये कह दीजिये जो कुछ कहना है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं और मेरा दल पूर्णतः प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारी पूरी आस्था है। माफी मांग लें, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे दस बार माफी मांग लें, पर आप भी मांगने को तैयार हो क्या ? (व्यवधान) आप भी मांगने को तैयार हो क्या, मोदीजी ? हमको...(व्यवधान) मंगा दो, क्या दिक्कत है। आप बुलवा रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो क्या हो गया ?

श्री मोहन लाल मोदी : आपको मेरे से विशेष हमदर्दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि वह मैटर तो एण्ड हो गया। लेकिन उसके बाद भी माननीय खेतसिंहजी का यह दबाव है...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दबाव नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दबाव नहीं, निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : इनकी सलाह होगी, निवेदन होगा और इस हाउस का वातावरण ठीक करने के लिये, सद्भाव बढ़ाने के लिये यह सलाह होगी। सलाह हो सकती है। मैं भी सलाह देता हूं आपको कि मान लो हमारी तरफ से, ऐसी कोई बात हुई है जो नहीं होनी चाहिये, तो बात ही खतम हो गयी। उसके लिये अफसोस करें कि नहीं करें, वह अलग विषय है। लेकिन मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं और सलाह मेरी तो आप मानोगे नहीं, वैसे मेरे से बड़े हो। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ से जो बातें हुई हैं, मारने की तैयारी, और मदन दिलावर ने जो बात कही है, आप तो खुद एडवोकेट हैं, आउट आफ प्रोवोकेशन कही हैं। कितना उस पर आक्रमण किया है, तो आउट आफ प्रोवोकेशन जो कोई करता है वह सामान्यतः आपराधी भी माना जाता है। (व्यवधान) मानव तो मानव है। मानव तो मानव होता है। (व्यवधान) अब चाहे विधान सभा हो, चाहे विधान सभा के बाहर हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोवोकेशन में तो माफी हो गयी, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : I am coming to that point. उसी पर आ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि जो मदन दिलावर के खिलाफ और पूर्व माननीय मंत्रियों के खिलाफ लोगों ने जो बात कही है, उसके लिये आप भी खड़े होकर खेद प्रकट कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह आई बात।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : कर दीजिये आप। हो जाइये। खड़े कर दीजिये। मैं तो इनके साथ हूं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप खेद प्रकट कहां कर रहे हैं ? आप खेद प्रकट कीजिये कि यह जो कुछ गलती हुई...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : परसादी लाल जी ने क्या कहा था, वे तो चुपचाप बैठे हुए थे। आपके सदस्य +++ खड़े हो जाते हैं और मर्जी आये, जो आरोप लगाते हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : +++ आप भी खड़े हो गये। माननीय खेतसिंहजी, मैं आपसे चाहता हूं कि किस भाषा का प्रयोग मुझे करना चाहिये...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इटेंशनली कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मुझे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिये जिसको आप खेद मान लेते हो, आप बोलिये, मैं उसे ही दोहरा दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : यह विपक्ष की पार्टी है, ऐसा ही बोलेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कहिए कि मैं खेद प्रकट करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अगर आप करते हो तो मैं भी करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी पार्टी के श्री मदन दिलावर...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अगर आप करते हो तो मैं भी करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : के बोलने की वजह से आपको और श्री परसादी लालजी को जो तकलीफ हुई है उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं, यह कहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : अच्छी कुश्ती आपकी हो गयी और प्रेस से पब्लिक में चली जाएगी। अब आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपने खेद प्रकट कर दिया तो हमने भी प्रकट कर दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : कई लोग पूछते हैं कि मनुवाद की परिभाषा क्या है, यह है मानुवाद की परिभाषा। आपस में रोजाना ऐसा होता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सदन की दोनों तरफ से कुछ ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि कार्यवाही आगे बढ़ाना आसन के लिये मुश्किल हो रहा है और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में उस बात को लेकर खींचतान है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप प्रस्ताव तो आने दीजिये, सभापति महोदय। प्रस्ताव तो आने दीजिये आप। कम से कम प्रस्ताव तो आने दीजिये।

श्री सभापति : आप लोग आपस में विचार–विमर्श करके किसी एक नतीजे पर पहुंच सकें, इसके लिये सदन की यह कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगति करता हूं।

(तद्‌नन्तर सदन की कार्यवाही 13.46 बजे तीस मिनट के लिये स्थगित हुई)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(14.16 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार की स्थिति बनी है मैं समझता हूं कोई भी पक्ष उसको ठीक नहीं मानता है, वह चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे और किधर से हो। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि यह जो सब कुछ हुआ है, शुरूआत जो हुई है यदि इसको हम देखेंगे तो उसके कारण इसकी अन्तिम परिणति यह हुई। यह तो कोई अधिकार किसी को नहीं मिल सकता कि हम बहुमत में हैं या ज्यादा संख्या में हैं इसलिए हमारे माननीय सदस्य किसी प्रकार का भी आचरण करें, कोई एलीगेशन लगाएं वह क्षम्य होगा। यहां अगर यह परम्परा डाली जाएगी तो जो हमारी भावना है कि वह सर्वोच्च सदन है इसमें व्यवस्था ठीक रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण चले, इसकी गरिमा बनी रहे, वह संभव नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी(ओसियां) : यह शिक्षा आपके लोगों को दो, परम्परा तो उन्होंने तोड़ी है। भाषण दे रहे हो यहां पर।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अब आप तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे हो ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो तोडूंगा ही, आप अगर असत्य वचन करोगे तो।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : तो यदि आप तोड़ोगे तो मुझे कुछ नहीं कहना हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मत कहो। पूरे भाषण हमारे पे ही होते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उनको सुन लीजिए पहले। पहले सुन लीजिये उनको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सुने क्या ? परम्पराओं की बात करते हैं। या तो अच्छी तरह माफी मांगें। सत्ता पक्ष पर क्यों आरोप लगा रहे हैं ? हम चुपचाप बैठे हैं और आप शुरूआत कर रहे हैं दोनों तरफ से पांच साल भुगते है, आठ साल इनके नेता के कारण। सबसे गलत परम्परा इन्होंने लगायी।

अध्यक्ष पद से असत्य–असत्य निर्णय दिलवाये। हम तो कहना नहीं चाहते हैं। भंवरलालजी ये भुक्तभोगी बैठे हैं देवीसिंहजी भाटी यहां पर, इन पर आपने कम की क्या। आपकी खुद की पार्टी के, इनको आपने क्यों निकाला मंत्री पद से ? यह हंसी की बात नहीं हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप या तो माफी मांगें या कुछ भी कहें और बगैर आरोप के कहें, थोड़ा संयम रख करके करें। भंवरलालजी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी हमें। आपके नेता से तो थी, आपसे नहीं थी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस सदन में माननीय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आप बैठें। माननीय सदस्य इनकी बात पूरी सुन लीजिए उसके बाद आप बोलना चाहे तो बोले। पहले इनकी बात सुन लीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अगर आप इनको बोलने को फरमा रहे हैं तो फरमाए। मेग्नेनिमिटी से बोले, संयम में बोले। अगर मदन दिलावरजी ने गलती की है तो उनसे माफी मंगवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Let him conclude. आपको सन्तोष नहीं है तो...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, You cannot start a debate by force, pointing a finger to us.

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट शुरू नहीं कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डिबेट करके इन्होंने सीधा इधर लगाया है, क्या ग्रेस रहा इनको ? ग्रेसफुली करें। हम कब मना कर रहे हैं ? हमारे पास 153 हैं आज इतने दिन हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इन 33 में से 14 जनों ने या 15 जनों ने यहां पर +++ हम लोगों का। रीयली, मजाक नहीं कर रहे हैं हम 85 थे, उपाध्यक्ष महोदय, 85 थे और 85 में ऐसा नहीं लगता था कि 10 जने बोल रहे हैं। ये खेतसिंह साहब विराजे हैं, पूछ लेना। आप बड़े हैं मैं तो कहता हूं आप चेयर करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं They should not provoke us by accusing us. No ifs and buts.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी, आप अपनी बात संक्षेप में करके इस प्रसंग को समाप्त करने की चेष्टा करें। बोलो। भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अगर माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं बोलने देंगे और जिस प्रकार का वह आचारण कर रहे हैं उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, I am nothing to say.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No ifs and buts.

एक माननीय सदस्य : इनकी बिलकुल इच्छा नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब ने कहा कि नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलने देने का प्रश्न नहीं है, खेद प्रकट करें, अपनी गलती को स्वीकार करें। नहीं बोलने का प्रश्न कहां पैदा होता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपकी आत्मा पर हाथ रखकर...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप माफी मांगते हैं या नहीं, यह बात कहिये ना, बाकी भूमिका बनाने की जरूरत ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नो बार्गेनिंग, नो बार्गेनिंग।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो मदन दिलावरजी ने आज कार्यवाही की, कौन कह रहा है बार्गेनिंग ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : खेद प्रकट करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सदन की गरिमा बनी रहे, यह हमारी बहुत इच्छा है। आप नहीं बोलने देंगे तो आप मत बोलने दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में वह बात हुई थी कि आप सीधे जा करके यह कहेंगे कि उन्होंने गलती की है, हम माफी मांगते हैं। अब माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं ? खेद प्रकट करिये।

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावर को मारने के लिए तैयार हो गये थे। वह बहुत गलत परम्परा होगी। माननीय परसादीलालजी से भी माफी मंगवाइये... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम माफी नहीं मांगते...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माफी नहीं मांगी तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इश्यू कोई डिबेट करने का नहीं है। यह तो शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस की मेजोरिटी है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे विरोध पक्ष में जीत करके आये हैं उनकी बात समझें। सुने। भाटी साहब की मंशा नहीं थी कि ये आपको इन्टरवीन करें। हमारी यह मंशा निश्चित तौर पर है कि आप हमको एक्यूज करके हमसे फैसला करवाना चाहते हैं यह ठीक नहीं है। आप अपने सदस्य की जो भावना है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am putting the facts.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप क्या कहना चाह रहे थे ? हम तो 153 हैं और रहेंगे, पांच साल तक रहेंगे...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय भंवरलालजी शर्मा ने जो आश्वासन दिया उसी बात को कह दें, खतम हो जाती यह बात। इसमें कोई लम्बी बात ही नहीं थी। उसको घुमा करके डिबेट में भाषण देकर हमारी तरफ इंगित करके हमको किसी कठघरे में खड़ा करके क्या कहना चाहते हैं आप जो आपने फरमाया है, माननीय उपाध्यक्षजी के सामने जो स्वीकार किया है उसको कह करके खतम करते।

श्री जगमाल सिंह यादव : भाटीजी ने कह दिया कि नहीं मांगेगे माफी और क्या चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जो माननीय उपाध्येक्षजी ने चैम्बर में तय हुआ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। प्लीज आप बैठो पहले। मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि अभी मेरे चैम्बर में माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और आपके बीच में जो कुछ बात हुई बिना किसी भूमिका के बांधे आप अपनी बात कह दीजिए ताकि यह बात समाप्त हो जाए ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : देवीसिंहजी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया, अभी आपके वश्म में...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये—बैठिये। इसमें कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है। नहीं, आप नहीं बोल सकते। बोलना ही है तो भंवरलालजी शर्मा बोले। जो बात है वह कह दें ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। बाकी यह कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है। दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आप बोले जो कुछ तय हुआ उसके अनुसार। विदाउट एनी डिबेट आप अपनी बात कह दें, सदस्य यह कह दें कि बात समाप्त हुई।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वे नहीं बोल रहे हैं आप जबरदस्ती ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पार्टी में ही नहीं हैं आप काहे को बोल रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप माफी नहीं मांग रहे हैं आप ? नहीं बोल रहे है ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : चार्ज नहीं हो, अभी दो मिनट लग जाएंगे आप एक बार फिर हाउस को एडजोर्न कर दें। इसमें डिबेट...

श्री जगत सिंह दायमा : क्यों कर दें ? आपको क्या तकलीफ है ? यह कोई बात है क्या ? किस बात के लिए एडजोर्न कर दें ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, आप मानें या न माने यह आपका अधिकार है। अपनी बात कहने का मुझे मौका दें।

श्री जगत सिंह दायमा : अधिकार की क्या बात है यह ? आपने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूगा। आपको कुछ करना है तो कर लीजिए। बार—बार हाउस एडजोर्न नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो तो सही, एडजोर्न कौन कर रहा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जो अन्दर बातचीत हुई थी उसके बाद यह आपकी जिम्मेदारी थी कि हाउस में वातावरण वही बने और आपके जो माननीय सदस्य हैं वे मुझे बोलने दें, आपके अत्यन्त सम्माननीय सदस्य आपके कन्ट्रोल में रह करके मुझे बोलने दें। लेकिन बीच—बीच में खड़े होकर आप इस प्रकार अवरोध पैदा करें... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप कर रहे हो। फिर वही बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। आप बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अगर आपको बोलना हो तो संयम रखकर बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल): You cannot put your words in my mouth.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : You also cannot put.

श्री उपाध्यक्ष : We are not putting any words in your mouth but we are asking you to to say what we have decided you and finish it.

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : The learned Member is denying it. बात ही मत करो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Don't point a finger at me. You do your duty Bhanwarji.

श्री भवंरलाल शर्मा(हवामहल) : I am doing that. Why are you disturbing in it ?

श्री दिग्विजय सिंह : इनको वही बात कहनी थी जो बात चैम्बर में तय हुई थी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अन्दर जो वातावरण था, उस समय जो बात हुई थी वह अलग है लेकिन यहां जो वातावरण बना रहे हो और जो बनाया है आपने, तीन बार आपने कह दिया कि आप हमारी मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। इतना कंटैम्प्चुअस आप स्टेटमैंट देओ, वह वातावरण करो, क्या कहें आपको। We should feel sorry for it. आपने जो आचरण किया आप सॉरी प्लीज करिये।

श्री सी.पी. जोशी : मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं, Let me have a privilege. आपको क्या तकलीफ है ? (व्यवधान) क्या तकलीफ है ?

श्री जगत सिंह दायमा : हाउस का टाइम बरबाद कर रहे हैं...(व्यवधान) हाउस का समय सबका खराब हो रहा है। मनचाहे जब बैठा देते हैं आप उप सचेतक महोदय को।

एक माननीय सदस्य : सारे सदस्यों की मांग है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप क्या चाहते हैं, यह बताइये। इसका अल्टरनेट क्या है ? (व्यवधान) आपने कहा कि माफी मांगिये, आप नहीं मांगते।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान) हां, बिलकुल यही बात है। बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जो बात जिस प्रकार से हुई, अन्दर से अगर यहां आने के बाद यह वातावरण मिलता तो शायद इतना नम्बर लगता ही नहीं। लेकिन पता नहीं, आपके माननीय सदस्यों पर आपका कण्ट्रोल है कि नहीं है, या क्या है उसका और उसके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात शुरू कर दी आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो जानते नहीं हैं। +++ इन्होंने पूरे भारतवर्ष को आकर डुबो दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : क्या बोलने लग जाऊं ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार की भाषा बोली जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हाइट है।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ माफी नहीं मांगी।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार की यह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ज्यादा जोर से मत बोलो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप भी किनसे माफी मांगने की कह रहे हो।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह तब चले गये थे अब वह बोलते हैं कि +++ (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

सदस्य का निलम्बन

श्री मदन दिलावर, सदस्य का निलम्बन

श्री महेश जोशी(उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 2 अप्रेल, 1999 को माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर द्वारा श्री परसादीलाल मीणा, माननीय राज्य मंत्री के विरुद्ध...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बार प्रक्रिया के तहत तो प्रस्ताव ले आइये। यह नहीं हैं। नहीं है यह।

श्री महेश जोशी : बिना किसी प्रमाण के अनर्गल आरोप लगाये गये हैं, जो संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सीभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 292 के अन्तर्गत श्री दिलावर को

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महेश जोशी)

7 दिन के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य मदन दिलावर को 7 दिन के लिये सदन की कार्यवाही से निष्कासित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी :...(व्यवधान) यह +++ से प्रस्ताव पारित करवाया गया है। एक तरफ इन्होंने अपनी जो भी कार्यवाही की उसको सदन के सामने लाया है। मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसके लिये आपने कतई चिन्ता नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सारे वातावरण के लिये अगर जिम्मेवार है तो पूरा सदन जिम्मेवार है। किसने शुरूआत की ? यदि मैजोरिटी के आधार पर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संसदीय मंत्री जिम्मेवार हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैजोरिटी के आधार पर आप बार–बार इस प्रकार के प्रस्ताव पारित करवाते थे लेकिन इससे न तो सदन का माहौल ठीक रहेगा न गरिमा बनी रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिये। यह शुरूआत ठीक नहीं रहेगी। अगर यह शुरूआत कर दी गयी तो रोजाना का यह वातावरण रहेगा। न यह सदन के हित में है, न यह प्रदेश के हित में है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसके ऊपर पुनर्विचार करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर, सर। पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं इस पर कि आपने 292 में रखा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय खराब...(व्यवधान) पहले माननीय सदस्य को सदन से निष्कासित करें उसके बाद चर्चा करवाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य से कहिये सदन से बाहर जाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : यह प्रस्ताव पारित हो भी सकता है कि नहीं हो सकता ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य बाहर जाएं उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी क्रियान्विति होगी, उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
XXX शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पहले जो प्रस्ताव हुआ उसकी क्रियान्विति हो जाए उसके बाद आप बोलें। मैं...

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अगर गलत हुआ तो करैक्ट कर लेंगे। लेकिन जो प्रस्ताव पारित हो गया उसको तो आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री बाबूलाल नागर : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य को बाहर किया है उनके हाउस में बैठे रहने से मैं कार्यवाही नहीं करूंगा शुरू।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री मदन दिलावर जी से निवेदन करता हूं कि वे सदन से बाहर चले जाएं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री सांवरलाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार फिर प्रस्ताव के निर्णयानुसार मदन जी दिलावर से निवेदन करता हूं कि वे सदन से बाहर चले जाएं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री सांवरलाल : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) :XXX

श्री किरोड़ी लाल : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री सांवरलाल : XXX

XXX शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : XXX

श्री किरोड़ी लाल : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री सांवरलाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं सार्जेन्ट को आदेश देता हूं कि मदन दिलावर को बाहर ले जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री जगत सिंह दायमा : हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, आप जाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं 292 के तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि...(व्यवधान) Even then I can with the permission of the Deputy Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : वह तो इश्यू...(व्यवधान) अब क्या फायदा, वह तो प्रकरण ही समाप्त हो गया ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुंजाइश ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अब आप भंवरलाल जी शर्मा...(व्यवधान) यहां बोलने का अधिकार है...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : गरिमा निभानी चाहिए...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : व्यवस्था हो चुकी है, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती ममता शर्मा : +++ (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप व्यवस्था दे चुके हो। (व्यवधान) किस बात का पाइंट आफ आर्डर ले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आसन की व्यवस्था के खिलाफ पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। (व्यवधान) आसान की व्यवस्था के खिलाफ कभी नहीं होता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, नीचे बैठिये। आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : This is my point of order.

XXX शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : इन्हीं मदन दिलावर ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य गोपी को सत्ता के बल पर यहां मारा जब इनकी सरकार थी, तब अन्याय नजर नहीं आया आपको ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : पिछली विधान सभा में नगर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) मंत्रियों ने पकड़ कर मारा और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : तब कानून–कायदे नहीं हुए ? आपने तब नहीं सोचा कि सीमा लांघी जा रही है ? कल माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी कह रहे थे... (व्यवधान) कि कालर खुल्ला है तो उन माननीय सदस्य से मालूम है क्या कहा ? मैं दादागीरी करता हूं और +++

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर सर, इनको ही बोलने देंगे, मुझे तो बोलने दें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : और कल मुझसे +++ बलात्कार के आरोप हैं... (व्यवधान) कानून का संरक्षण चाहिये तो वह कानून को फालो भी करे।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री जगमाल सिंह यादव : आज महसूस हो रहा है कि हम...(व्यवधान) उस दिन महसूस नहीं हुआ कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन ग्रहण कीजिये। आसन ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नगर से आने वाले माननीय सदस्य को इसी मदन दिलावर से आपने पिटवाया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं वापस आ गया, पाइंट आफ आर्डर के लिये जाकर के आया हूं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपका राज था पिछली बार, पिछली बार उस गोपी को मारा, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पिछली बार मारा। यह गलत है, मिलकर मारा उसको। हम नहीं थे उस वक्त। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब आ गये हो।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, हम नहीं थे, नहीं हम करते दो–दो हाथ। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे पाइंट आंफ आर्डर की ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : +++

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर उठाने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No point of order on this point.

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मेरा पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : No point of order on this point.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : You can reject it. (व्यवधान) ठीक है, आपका बहुमत है यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो इश्यू ही सामने नहीं है उस पर क्या पाइंट आफ आर्डर ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : सदन तो नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : पाइंट आफ आर्डर तो उठ ही सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : सदन तो नियमों से चलेगा।

श्री अमराराम(धोद) : पाइंट आफ आर्डर उठाने की...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप रिजैक्ट कर दीजिये उसको। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर जिस इश्यू पर उठाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : आप नियमानुसार उसको रिजैक्ट कर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मैं उठा रहा हूं ना, I am raising it.

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर जिस इश्यू पर उठाना चाहते हैं वह इश्यू ही नहीं है हाउस के सामने। (व्यवधान) क्या उठाना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपको पता ही नहीं हैं मैं क्या उठाऊंगा। आपको पता नहीं है क्या उठाऊंगा... (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : जिस पर पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं...(व्यवधान) अभी तो उठाया ही नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : यह बात तो अभी मालूम ही नहीं है।

श्री अमराराम(धोद) : अभी भंवरलाल जी ने कोई पाइंट आफ आर्डर उठाया ही नहीं और आपने कह दिया, पहले कैसे पता लग गया कि इस इश्यू पर उठा रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में क्या बिजनस है जिस पर पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : बिजनस नहीं है इसलिए पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। (व्यवधान) इसी पर पाइंट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप रिजैक्ट कर दीजिये...(व्यवधान) आप रिजैक्ट कर देना, मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में कोई बिजनस ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट कर सकते हैं। पर सुनेंगे ही नहीं, यह तो नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस बात पर पाइंट आफ आर्डर ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जब आप सुनेंगे तब ना। (व्यवधान) मैं बोलूंगा तब ना तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस बात पर पाइंट आफ आर्डर ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : पहले मेरी सुने। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : आप विराजें। सुनेंगे तब बैठिये ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में कोई बिजनस ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर तब होगा जब हाउस में कोई बिजनस हो।

श्रीमती कमला : कोई सब्जैक्ट डिस्कस नहीं हो रहा है तो किस बात पर पाइंट आफ आर्डर ? शून्य में नहीं होता।

श्री जनार्दन गहलोत : बिजनस हो... (व्यवधान) ये वाकआउट कर गये।(व्यवधान) नैक्स्ट इश्यू ले रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वाकआउट हो गये, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपको जब उपाध्यक्ष महोदय ने अलाउ ही नहीं किया है। हाउस में कोई बिजनस ही नहीं चल रहा है जिस पर आप पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं।

श्री अमराराम(धोद) : जब आपके आदेशों की पालना हो गयी। मदन दिलावर को बाहर निकाल दिया इसके बाद पाइंट आफ आर्डर उठाने में क्या दिक्कत आ रही है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let the House come into the business.

श्री अमराराम(धोद) : हाउस ने जो निर्णय किया उसकी पालना हुई। अब अगर भंवरलाल जी कोई पाइंट आफ आर्डर उठा रह हैं तो सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : किस पर उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर ? (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर किस पर ला रहे हैं ? (व्यवधान) किस पर पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : You cannot force me. Let the House start. उसके बाद उठाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) शुरू तो करें, कुछ हाउस का बिजनस तो शुरू करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने पाइंट आफ आर्डर के लिये इनको अलाउ नहीं किया है, चीज कोई पैंडिंग नहीं है जिस पर ये पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप उसको नामंजूर कर दें। (व्यवधान) पर सुनें नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनेंगे आप बताए, Let him start, please.

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप सुनें ही नहीं, यह तो ठीक नहीं है। (व्यवधान) आप रिजैक्ट कर दीजिये पर यह नहीं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस को चलने दीजिये। एक दफे हाउस को शुरू होने दीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : शुरू हो गया ना, हाउस तो शुरू है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिये, फिर बुला लूंगा, एक दफे आप बोल लें, फिर उठा लेना। (व्यवधान) पहले आप बोल दें।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हाउस बंद कहां हुआ है ? हाउस तो चल ही रहा है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आगे का बिजनस लीजिये, आगे का बिजंनस शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हाउस तो चल रहा है। मेरा पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट कर देना, पर सुनेंगे नहीं यह तो कोई बात नहीं हुई। यह कोई बात नहीं हुई कि पाइंट आफ आर्डर ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हाउस में कौनसे बिजनस पर ? (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : हाउस चल रहा है और हाउस ने जो निर्णय किया वह लागू हो गया और अब पाइंट आफ आर्डर सुना नहीं जाए यह तो +++ हो गयी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी +++ कोई हो नहीं सकती कि बिजनस चल रहा है, अभी एडजोर्न नहीं है हाउस...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इनकी कोई इश्यू पैंडिंग ही नहीं है जिस पर ये पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं। इश्यू तो हो जिस पर ये पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : हाउस चल रहा है ना।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हाउस चल रहा है लेकिन जिस इश्यू पर लाना चाहते हैं वह इश्यू नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : बिजनस नहीं हो रहा है इसी पर पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कोई इश्यू है ही नहीं जिस पर पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको कैसे पता कि इस पर पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री अमराराम(धोद) : पाइंट आफ आर्डर उठाने के कौनसे नियम हैं, बता दें आप ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हां, इश्यू होना चाहिये। (व्यवधान) नहीं है इश्यू समाप्त हो चुका है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम(धोद) : इश्यू पर ही आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, बैठिये।

श्री अमराराम(धोद) : इश्यू नहीं होगा तो रिजैक्ट कर दीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, रिजैक्ट कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कोई इश्यू पैंडिंग ही नहीं है जिस पर आप पाइंट आफ आर्डर ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दीपेन्द्र जी आप बैठिये। (व्यवधान) दो मिनट, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि पाइंट आफ आर्डर जो मेन्टेनेबल न हो, लेकिन अब विपक्ष का... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पहले ये स्वीकार तो कर लें कि पाइंट आफ आर्डर मेन्टेनेबल न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेन्टेनेबल नहीं, मैं कब कह हूं कि मेन्टेनेबल...(व्यवधान) लेकिन उसके बाबजूद भी आपकी अनुमति से, आपकी सदाशयता से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप अपनी बात दो मिनट कहिये, उसके बाद ये पाइंट आफ आर्डर उठा देंगे, मैं अलाउ कर दूंगा। लेट दी स्टार्ट...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : यह कंडीशन नहीं हो सकती...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : It is a condition. Let the House start. आप बोले ना दो मिनट। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : Raising of point of order की कोई कंडीशन नहीं हो सकती उसमें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये बाहर ही नहीं गये हैं। इनकी नैतिकता देखी कि... (व्यवधान) इनके दल ने वाकआउट किया, ये सदन के बाहर ही नहीं गये हैं फिर किस बात का पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : कोई जरूरी नहीं हैं, जरूरी नहीं है। (व्यवधान) मेरा जरूरी नहीं है बाहर जाना।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी बाहर जाएं या नहीं जाएं, प्रश्न यह नहीं हैं। इश्यू यह था कि मदन दिलावर बाहर जाएं, अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भंवरलालजी बाहर नहीं गए। गए कि नहीं गए, यह इनका लुक आउट है, वाकआउट करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन पाइंट आफ आर्डर तो सिवाय प्रश्नकाल के हर समय उठाया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : वाकआउट तो सारे दल ने किया है, भंवरलालजी सदन के बाहर ही नहीं गए, इन्होंने वाकआउट नहीं किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : बाहर जाकर अंदर नहीं आया क्या ? बाहर जाकर वापस आ सकता हूं।

श्री अमराराम(धोद) : पाइंट आफ आर्डर तो कभी भी उठाया जा सकता है, सिवाय क्वेश्चन ऑवर के। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल के अखबार में माननीय बिजली मंत्री द्वारा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप बैठिए, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मैं कोई बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नहीं कह सकते। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अनुमति मांगी नहीं और मैंने दी नहीं, आप बैठिए।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप मुझे बताइए कि अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, Could I start ?

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने जीरो आवर में बोलने के लिए अनुमति मांगी थी।(व्यवधान) मैं शुरू कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुरेन्द्र व्यास को काल अपान किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : मुझे आप पाइंट आफ आर्डर उठाने देंगे कि नहीं ? मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि पांइट आफ आर्डर उठाने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं दे रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं दे रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दे रहा।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अच्छा ठीक है, आई डू इट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रजी व्यास बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एडजोर्नमेंट मोशन को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानते हुए आसन ने उसे खारिज करके मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दी है। आसन उसको अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता है तो मैं भी उस पर आग्रह नहीं करता कि उस पर बोलूं। पर एक बहुत विशेष बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पांच अप्रेल से विश्नोई साधु समाज के आमरण अनशन करने का मसला पूरे अखबारों में प्रकाशित हुआ है। 26 तारीख को दो विषय सदन में बहुत जोर-शोर से उठाए गए,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
एक तो काले हिरण मारने का, दूसरा क्रिकेट मैच की फर्जी टिकटों का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उस मोशन पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जिसका नोटिस दिया उस पर बोलिएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैंने नोटिस नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने की इजाजत दी है वह विषय भरतपुर के सम्बन्ध में हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए, आप जिस प्रकरण को उठा रहे हैं, उसकी सरकार से अभी सूचना आनी बाकी है, आपको अवसर देंगे। आज आप भरतपुर पर बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका अवसर नहीं चाहिए। सवाल मैटर की अर्जेन्सी का है, विश्नोई साधु समाज पांच अप्रेल से आमरण अनशन पर बैठ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रकरण आज हाउस के सामने नहीं है। मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया कि भरतपुर जिले का जो प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसको बिना सुने आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। 26 मार्च को आसन से माननीय अध्यक्ष ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ पाऊं कि नहीं समझ पाऊं, यह बात अलग है लेकिन मैं समझ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उसके सम्बन्ध में बोलूंगा ही नहीं तो आप क्या समझेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर बोले जो इश्यू है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस पर मैंने आपसे निवेदन किया कि आज मैं उस विषय पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी इजाजत से बोल रहे हैं लेकिन इस इश्यू पर बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इस इश्यू पर नहीं बोलना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोल रहे हैं तो बन्द करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब मैं जीरो आवर के हिसाब से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा इश्यू ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई इश्यू नहीं है पर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जीरा आवर में आप बोलने देते हैं। आसन से कोई सूचना चाहता हूं कि 26 मार्च को दो विषय सदन में बहुत जोर से उठाए गए, एक, तो 25 काले हिरणों को मारने का, दूसरा क्रिकेट मैच में फर्जी टिकटों का। उस वक्त सदन में बजट का प्रजैंटेशन चल रहा था, उसकी सैंक्टिटी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष ने आसन से यह व्यवस्था दी थी कि मैं इन दोनों ही मोशन पर अगर कोई रैगुलर मोशन मेरे पास आया तो 31 तारीख को अनुमति दूंगा। मैंने 27 तारीख को नियम 131 में काले हिरणों को मारने का और नियम 127 में क्रिकेट मैच में फर्जी टिकटों का रैगुलर मोशन पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे लेकिन आसन को भी इस बात को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि बिना नोटिस दिए हम हल्ला करें और जबर्दस्ती मोशन लगवाएं और स्टेटमेंट दिलवाएं। 27 तारीख को मैंने दो मोशन दिए थे, आसन ने यह व्यवस्था दी थी, आप बाकायदा प्रोसीडिंग्स को चैक करे लें। माननीय अध्यक्ष ने यह कहा हे कि दोनों रैगुलर मोशन मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बिजनस में लिस्ट कर दूंगा। अब दोनों मोशन लगे नहीं, उसके बावजूद मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। क्रिकेट मैच के लिए मैं फिर आपसे आग्रह करूं सकता हूं लेकिन आज दो तारीख हो गई, तीन और चार का सदन का अवकाश है, पांच तारीख को हम वापस मिलेंगे और पांच तारीख को ही आमरण अनशन विश्नोई साधु समाज के लोग शुरू कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, बहुत सैंसेटिव ममला है, वैसे भी वन्य प्राणियों के लिए हमारे सभ्य समाज की सभी की भावना जुड़ी हुई है, विशेषकर विश्नोई समाज की भावना तो बहुत तीव्रता से जुड़ी हुई है। मैं आपसे यह सूचना चाहता हूं कि आप इस पर कोई व्यवस्था देकर मेरे कालिंग अटेंशन पर सुओ मोटो या कोई भी तारीके से इस पर चर्चा करवाकर गवर्नमेंट से स्टेटमैंट दिलवाएं। वे आखिर माइनोरिटी में हैं इसलिए उनको सुना ही नहीं जाए, यह तो कोई तारीका नहीं है सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों विषयों की सूचना आ चुकी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक विषय छोड़ दिया, वह काल अटैंशन नहीं कर रहा हूं केवल विश्नाई साधु समाज वाला कर रहा हूं, काले हिरणें वाला।

श्री उपाध्यक्ष : काले हिरणों और क्रिकेट मैच, दोनों के बारे में सूचना आ गई है और ऐनेलिसिस करके आपको सूचित करते हुए मौका दिया जाएगा। आप इस पर बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मौके के लिए निवेदन नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई(सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, साधु–संत लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं, 26 तारीख का मसला है, आप कब

(श्री हीरालाल विश्नोई)

तक मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पांच तारीख को।

श्री हीरालाल विश्नाई : उपाध्यक्ष महोदय, वे धरने पर बैठ रहे हैं, मर रहे हैं। विश्नोई समाज के लोग एक हिरण के लिए दस–दस व्यक्ति शहीद हुए हैं, इतिहास है आपके सामने। पर्यावरण के लिए खेजड़ी के लिए 363 आदमी शहीद हुए हैं, उस समाज के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। आपके राज्य मंत्री आज दिन तक वहां पर नहीं गए हैं, अनियमितताएं हुई, उसकी कोई जानकारी नहीं, किस–किस को सस्पैण्ड किया, आज दिन तक कोई जानकारी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर ऐसी क्या बात है ? विश्नोई समाज एक छोटा समाज होने के नाते, हमारा समाज वन्य प्राणियों के लिए, वन वृक्षों के लिए हमेशा से शहीद होता आया है, 25 काले हिरण मार दिए जाएं और उसकी काई सुनवाई नहीं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्व का विषय है, आपको इसके बारे में मंत्री महोदय, से स्पष्ट जवाब दिलवाना चाहिए कि क्या–क्या कार्यवाही हुई किस–किस को सस्पैण्ड किया, क्यों ऐसा मामला बना। बार–बार इस तरह के मामले बन रहे हैं। पहले भी चिड़ियाघर में 250 कबूतर मारे गए थे और जिस तरह से यह वाकया हुआ बताते हैं, 4 कुत्ते 25 हिरणों को मार सकत हैं, मैं यह कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः आपसे अनुरोध है, सरकार की ओर से जब तक हमको संरक्षण नहीं मिलेगा, हमारा साधु समाज और धरने पर बैठे हुए लोग हजारों लोग वहां धूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किस के पास जाऊंगा, आप बताइए ? हमारे समाज के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कार्यवाही वहां पर कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ने फरमा दिया कि पांच तारीख को इस पर गवर्नमैंट स्टेटमैंट देगी।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 तारीख का मामला है, जानकारी आ गई है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल और परसों छुट्टी आ गई, हम क्या करें ? आज मंत्रीजी हैं नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आज जानकारी दे दीजिए। पांच तारीख से साधु समाज अनशन पर बैठ जाएगा, जानकारी आ गई तो आज ही जवाब देने में क्या आपत्ति है ? विषय की गम्भीरता को देखते हुए आसन से निवेदन है कि जानकारी सरकार के पास आ गई तो कृपया आज ही स्टेटमैंट दे दीजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आज दिन तक मंत्री महोदय को यह पता ही नहीं है कि साधु समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : विषय की गम्भीरता को देखते हुए, मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा, उसके सुधरने की स्थिति नहीं रहेगी, जब जानकारी आ गई तो आज ही करवा दीजिए कृपया, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री जगत सिंह दायमा : एक फिल्म एक्टर द्वारा काले हिरणों को मारने पर उसको पांच–छह दिन के लिए बन्द कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किसकी इजाजत से बोल रहे हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : मन से ही।

श्री जगत सिंह दायमा : आसन की इजाजत से।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इजाजत दी ही नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इजाजत दी ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं ? नहीं, नहीं, प्लीज सिट डाउन।

श्री जगत सिंह दायमा : उसको साम्प्रदायिक रंग दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इसको अंकित नहीं कीजिए। आज आप इसका एण्ड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा यह हाउस ? ऐसे हाउस नहीं चल सकता। काले हिरणों के बारे में आपको निवेदन कर दिया कि पांच तारीख को गवर्नमैंट का स्टेटमैंट आ जाएगा।

(15.00 बजे)

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : जो एक हिरण के लिए शहीद हो सकते है वहां 30–30 हिरण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो रोज हाउस ही नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : दो दिन बाद तो साधु–संत धरने पर बैठ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, आप इस पर बोलना चाहते हैं ? आप भरतपुर वाले पर बोलना चाहते हैं या नहीं ? नहीं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम में विद्युत सब स्टेशन 132 के.वी. का स्वीकृत होने के उपरान्त भी चालू नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के

XXX शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

एन.डी.पी.एस. मामलों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायाधीश बालोतरा को देने एवं गुढ़ामलानी के उपखण्ड कार्यालय को गुढ़ामलानी में रेखने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिला मुख्यालय में दिनांक 23.10.98 को एक नवयुवक का अपहरण कर हत्या कर देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल में बालिकाओं के लिए सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्वा इटावा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मानस ग्राम में निर्मित किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री जीतमल खांट,सदस्य, विधान सभा की ओर से माही बाजाज सागर परियोजना के अधूरे रहे कार्यो को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भवरू खां, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नगरपालिका द्वारा निर्मित किये जा रहे नाले का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर आगार से पूर्व में संचालित कतिपय एक्सप्रेस बसों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर एवं दौसा में पत्थर खनन का ठेका बड़े--बड़े पूंजीपतियों को दे देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) डा. रघुवीरसिंह गौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दुर्घटनाओं में असाधारण वृद्धि के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

टोडाभीम क्षेत्र में 132 के.वी. का सब स्टेशन

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोडाभीम क्षेत्र में 132 के.वी. के स्टेशन स्वीकृति के बाद भी न लगाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील

(श्री रामस्वरूप मीणा)

टोडाभीम में विगत एक वर्ष से 132 के.वी. का सब स्टेशन खोलने की स्वीकृति हो चुकी है। सरकार द्वारा तहसील टोडाभीम के ग्राम पाडला खालसा में चरागाह भूमि इस कार्य हेतु एक्वायर कर ली गई है उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है जिसका एक्वायर नम्बर भी सेवा में पेश कर रहा हूं। अब सरकार ने जमीन विद्युत विभाग के नाम कर रखी है एवं 33 के.वी. का सब स्टेशन का कार्य भी सरकार ने चालू कर दिया है। यह जमीन ऐसे स्थान पर है जहां नेशनल हाइवे भी नजदीक है, पास में पहाड़ी एवं रेतीली मिट्टी है जिसमें सीलन भी नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम विद्युत विभाग को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, किसानों का एकमात्र सहारा बिजली है जिससे ट्यूबवैल चलते हैं। वर्तमान में मात्र 5 एम.वी. का एक ट्रांसफार्मर टोडाभीम में लगा हुआ है जबकि मण्डावर 132 से वर्तमान में बिजली दी जाती है जिसको आए दिन काट देते हैं। वोल्टेज भी पूर्ण नहीं आ पाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो दिया है उसी को पढ़ें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसी को पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मिला लो, साहब, आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो मिला रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : विगत सरकार में मैंने बिजली की मांग की तो पैर तोड़ दिया, पानी मांगते हैं तो हाथ तोड़ देते हैं और स्वीकृति होने के बावजूद भी आज तक 132 का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। अब हमारी किसान हितैषी सरकार आ गई है जिसने आठ घण्टे से ज्यादा बिजली दी है, पर मेरे क्षेत्र का 132 के.वी. का ग्रिड स्वीकृत शुदा लगा नहीं है। कृपया इसे जल्दी लगाए। इसका उद्‌घाटन करें ताकि किसानों की बिजली की समस्या हल हो सके। इस क्षेत्र में नादौती तहसील भी आती है उसमें बिजली श्री महावीर जी से आती है और ओ.सी.बी. मशीन नहीं होने के कारण बिजली कटती रहती है। कृपया ओ.सी.बी. मशीन लगावें ताकि समस्या हल हो सके। किसानों के डिमाण्ड नोटिस व घरेलू कनेक्शनों के भी डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं, पर बिजली आज तक नहीं मिली है। अतः उनको कनेक्शन दिलाने का कष्ट करें।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोडाभीम क्षेत्र की तहसील टोडाभीम में स्वीकृत 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर स्वीकृत शुदा जमीन में जल्दी बनाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पर वे कब तक कार्यवाही कर रहे हैं ? माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (अनुपस्थित), श्री मोहन लाल बारूपाल। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे हमारे 132 की कार्यवाही जल्दी करें। मेहरबानी करके थोड़ा—बहुत आश्वासन तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले भी कोई आश्वासन नहीं देते थे, अभी तो बहुत अच्छे मंत्री आ गए। इसके बारे में आप कब तक कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, बैठिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है, कृषकों की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : समस्या हो गई, आपने पढ़ दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें इससे और आगे कुछ कर नहीं सकते आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय यहां विराजमान है।

डा. चन्द्रभान(ऊर्जा मंत्री) : बनवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल। (अनुपस्थित), श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित) श्रीमती पूनम गोयल।(अनुपस्थित), श्री जीतमल खांट।(अनुपस्थित),श्री भंवरू खां।

फतेहपुर (सीकर) में नगरपालिका द्वारा नाला निर्माण कार्य

श्री भंवरू खान(फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर में नगरपालिका द्वारा नाला निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक कराने हेतु स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उक्त नाले के रुके हुए निर्माण कार्य को चालू कराया जाए। अगर नाला नहीं बना तो वर्षा के मौसम में भयंकर समस्या होगी क्योंकि पूर्व में बनाई गई नालियां बंद कर दी गई हैं। इसलिए वर्षा का समय आने से पहले इस नाले का निर्माण पूर्ण करवाया जाए ताकि वर्षा का पानी शहर के मुख्य बस स्टैण्ड पर नहीं रुके। नाले का निर्माण कार्य वर्षा से पहले पूरा नहीं होने की स्थिति में सारा जनजीवन अस्त—व्यस्त हो सकता है। फतेहपुर शहर का पूरा पानी इस जगह पर इकट्ठा होता है जिससे बस स्टैण्ड पर 4—4 फुट पानी भर जाता है और यातायात पूरी तरह बन्द हो जाता है।

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से इस नाले का निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

नागौर आगार से एक्सप्रेस बसों का संचालन बन्द

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा(डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत नागौर आगार से पूर्व में संचालित एक्सप्रेस बसों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

पूर्व में नागौर आगार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक्सप्रेस बसें नागौर से सिरोही तथा नागौर से जयपुर वाया मूंडवा, कुचेरा, मेड़ता सिटी, भरूंदा, धांवला, पुष्कर, अजमेर जो राशि 9.00 बजे नागौर से रवाना होती थीं, पिछले काफी दिनों से उक्त आगार द्वारा दोनों एक्सप्रेस बसों को बन्द कर दिया गया है जिससे इन रूटों के समस्त ग्रामों एवं कस्बों के हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामीण जनता में भयंकर आक्रोश है। नागौर से सिरोही, नागौर से जयपुर रात्रिकालीन बस, जो वाया अजमेर संचालित हो रही थी, काफी अर्से से बिलकुल बन्द कर दी गयी है।

अतः मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उक्त दोनों महत्वपूर्ण बसों को पुनः शीघ्र शुरू करवा कर इन रूटों पर सभी ग्रामों एवं कस्बों व शहरों के यात्रियों को लाभान्वित कराने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। (अनुपस्थित) डा. रघुवीरसिंहगौड़। (अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97-98

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा, खनिज राज्य मंत्री कम्पनीय अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997—98 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा(राज्य मंत्री,खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619—ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997—98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अब्दुल हादी/श्री हीरालाल विश्नोई/श्री हेमाराम चौधरी/श्री रिछपाल सिंह मिर्धा/श्री शिवनाथ सिंह/श्री वृद्धिचन्द जैन/श्री गोपाराम मेघवाल/श्री अमीन खान/श्री रामनारायण चौधरी/श्री भीमसेन चौधरी/श्री अमराराम (पचपदरा), सदस्य, विधान सभा जैसलमेर एवं बाड़मेर के भूमिहीन

(श्री उपाध्यक्ष)

कृषकों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जैसलमेर एवं बाड़मेर के भूमिहीन कृषकों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-आवंटन

श्री अमीन खान(शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत उपनिवेश मंत्री का ध्यान आकर्षित आपकी मार्फत करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला(सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये माननीय विधायकों ने जिला जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में बाड़मेर जिले के सीमावर्ती ग्रामों में काफी तादाद में गरीब भूमिहीन किसान होने के कारण सामान्य आवंटन के रूप में भूमि आबंटित की जाए, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के तहत सामान्य श्रेणी में भूमि के आवंटन का प्रावधान है। उक्त आवंटन, उक्त नियमों के नियम 7(1) के अनुसार बनी प्राथमिकताओं के अनुसार किये जाने का भी प्रावधान हैं जिसमें प्रथम वरीयता उसी जिले के भूमिहीन काश्तकारों को दिये जाने का प्रावधान है। माननीय विधायकों द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि बाड़मेर व जैसलमेर दोनों जिले एक ही सांसद के क्षेत्र में आते हैं और दोनों जिलों में फैले हुए हैं इसलिए समानता उचित है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमों में जो प्राथमिकताएं दी गयी हैं, उनकी प्राथमिकताओं का आधार सम्बन्धित जिला है, न कि संसदीय क्षेत्र और न ही विधान सभा क्षेत्र इसलिए संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्र के आधार पर दोनों को समान आवंटन के अवसर दिया जाना संभव नहीं है।

यह सही है कि पूर्व में आवंटित भूमि के आवेदन पत्र विभिन्न चरणों में जिला जैसलमेर के आवंटन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1984–85, 1986–87, 1988–89 एवं 1994–95 में मांगे गये थे। सामान्यतया एक बार ही एक जिले के भूमिहीन किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने का नियमों में प्रावधान है, लेकिन 4 बार प्रार्थना पत्र मांगने का मुख्य कारण यह रहा है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है, वहां के ग्रामों में प्रचार–प्रसार माध्यमों का अभाव है तथा गैर आबाद क्षेत्र होने के कारण समय समय पर भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्रों के आमंत्रित होने की जानकारी नहीं होने से वंचित रहे भूमिहीन कृषकों को भूमि का आवंटन करने के लिए वहां के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने पर चौथी बार से भी अधिक प्रार्थना पत्र मांगे गये हैं।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले मरूस्थलीय

(श्रीमती कमला)

विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत वहां की बारानी भूमि होने के कारण शासन के आदेश क्रमांक प. 6(9)राज./ग्रुप–4/76 दिनांक 21.4.76 के द्वारा आवंटन पर रोक लगी हुई है, तथा उप निवेशन क्षेत्र की बारानी भूमि के आवंटन पर आदेश क्रमांक प.3(25)उपनि/91 दिनांक 13.3.91 के द्वारा बारानी भूमि पर रोक लगा दी गयी है। इसलिए इस क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन किया जाना संभव नहीं है। जहां तक अतिक्रमण किये जाने का प्रश्न है, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984–85, 1986–87, 1989–90 एवं 1994–95 में आवेदन मांगे गए थे जैसलमेर क्षेत्र के। अंतिम बार विज्ञप्ति सामान्य आवंटन हेतु दिनांक 12.2.95 को जारी की गई। आवेदन दिनांक 20.2.95 से 21.3.95 तक मांगे गए थे। दिनांक 21.3.95 तक पूर्व के आवेदकों को शामिल करते हुए कुल 65093 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 16715 आवेदन रद्द किए गये। शेष 48378 आवेदनों में से 27696 को भूमि आवंटित कर दी गई। इनको एक लाख दो हजार 745 हैक्टेयर कमान्ड तथा 9541 हैक्टेयर अनकमान्ड, कुल एक लाख 12 हजार 286 हैक्टेयर आवंटित हुई। लम्बित आवेदन 20682 माह फरवरी के अन्त तक थे। इनमें से यदि जांच के दौरान आवेदन रद्द होने पर करीब 13000 आवेदन आवंटित हेतु सक्षम आवेदन मांगे जाते हैं और यदि औसतन 20 बीघा भूमि भी प्रत्येक को दी जाती है तो कुल 2 लाख 60 हजार बीघा यानि 65 हजार हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि उपलब्ध भूमि केवल 59213 हैक्टेयर ही है। अतः इन आवेदकों को भूमि उपलब्ध करने के लिए भी 5787 हैक्टेयर भूमि कम पड़ेगी। ऐसी स्थिति में पड़ौसी जिले के आवेदकों को निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमीन खान(शिव) : उपाध्याक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमि की जो कमी नहर मंत्री ने बताई है वह उन आंकड़ों के आधार पर बताई है कि सी.ए.डी. से चक उनके पास उपलब्ध हो गया है। जमीन जैसलमेर के मूल निवासियों से भी वहां बचत है। सामान्य में भूमि की अभी इन्होंने कीमत बनाकर रखी है एक लाख रुपया जिसको 20 किस्तों में इनको वसूल करना है। विशेष आवंटन में 4 लाख 35 हजार रुपया उपनिवेशन विभाग ने इसमें कीमत बनाकर रखी है और उसके लिए 8 साल पहले सन् 1992 में राष्ट्रपति शासन के दौरान विशेष आवंटन के लिए पड़ौसी जिले को इजाजत दी थी। उस टाइम एक लाख 80 हजार रुपये एक मुरब्बे की कीमत थी और आज उस मुरब्बे की सालाना 15 प्रतिशत रेट बढ़ाने की वजह से 4 लाख 35 हजार में मुरब्बे होगा। सरकार का यह वक्तव्य आया है और सरकार के बजट में भी वित्त मंत्री जी के बयान आये हैं कि हम सरकार की आमदनी दो अरब रुपया इंदिरा

(श्री अमीन खान)

गांधी नहर परियोजना की उपलब्ध भूमि से कर देंगे। जब आपके पास भूमि उपलब्ध ही नहीं है तो आप कहां से दो अरब रुपये की भूमि लाएंगे ? अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के जिला जैसलमैर में मोहनगढ़ के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है, भ्रष्टाचार में इतनी ताकत हो गयी है कि दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। वहां पर विशेष मुरब्बों की जो गजट नोटिफिकेशन में सूची थी उसमें 600 मुरब्बों की सूची गायब कर दी जिस पर सरकार के बड़े—बड़े आई.ए.एस. अधिकारियों के रिश्तेदारों के आवंटन के लिए वन एप्लीकेशन एक मुरब्बे की लगे और करोड़पति आदमियों के लिए एक—एक एप्लीकेशन आवे। उन 600 मुरब्बे का आम जनता को मालूम नहीं होने दिया और बाकी मुरब्बों पर 40 हजार एप्लीकेशन इंवाइट की गयी। कम से कम एक—एक मुरब्बे पर 6 से 40 तक एप्लीकेशन आयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब अमीर आदमी, करोड़पति आदमी गरीबों के नाम पर जमीन एक—एक एप्लीकेशन लगाकर जो सरकार की सीधी रेट है, उस पर हासिल कर लेंगे और गरीब आदमी जो इस भूमि को लेना चाहता है उसको नीलामी की बोली के सामने आना पड़ेगा। उस बोली से भी यह बात सीधी है कि अगर दो अरब रुपये की आमदनी हो जाएगी तो यह ज़मीन करोड़पतियों को मिलेगी, सद्भावी किसान को नहीं मिलेगी। सद्भावी किसान के नाम बेनाम से शहरों के दूसरे आदमी खरीदेंगे और वहां के पड़ौसी भूमिहीन गरीब किसान को जबरदस्ती भविष्य के लिए बेरोजगार होना पड़ेगा। उनकी भुखमरी को रोकने का भविष्य में हम कोई इंतजाम नहीं कर सकते। वहां पर आप खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि सामान्य नियमों में एक बार ही आप एप्लीकेशन इंवाइट करते हैं। सन् 1991 की जनगणना के आधार पर जैसलमेर जिले में कुल 40 हजार ग्रामीण परिवार हैं और आप एक लाख से ऊपर एप्लीकेशन इंवाइट कर रहे हो, ये परिवार कहां से आये ? जमीन सद्भावी किसान को मिले, मूल निवासी को मिले, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। उनसे बचत जमीन है, हम पड़ौसी हैं, पड़ौस के गरीब किसान हैं, सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर सरकार गरीबों को रोजगार लगाना चाहती है, सरकार का हृदय से गरीब आदमी के प्रति हमदर्दी है तो इस जमीन को जैसलमेर की पूर्ति के बाद में बाड़मेर के किसानों को सामान्य आवंटन किया जाए जो कि जैसलमेर के किसान को किया जा रहा है।

दूसरा, अगर सरकार की मजबूरी है, वित्तीय हालत का बार—बार संकट बताते हो तो हमारी अंत में आखिरी यही गुजारिश है कि अगर आप 4 लाख रुपये भी वसूल करो पड़ौसी जिले के गरीब किसानों से लेकिन उनकी किस्त कम से कम 10 साल की हो। अगर 10 साल की किश्त में आप

(श्री अमीन खान)

जमीन नहीं देना चाहते हो, एकमुश्त आप डेढ़ लाख रुपये पहली किस्त लेकर सद्‌भावी भूमिहीन गरीब किसान को जमीन बेचेंगे तो यह गरीबों के साथ सरासर धोखा है। गरीब मायूस रहेगा। इसका भी वजन आखिर आपके राजकोष पर पड़ने वाला है। आज बाड़मेर, जैसलमेर जिले के लोग अकाल राहत मंत्री के पास रोजाना क्यों परेशानी पैदा कर रहे है ? इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वहां के लोग फरेबी नहीं हैं, वहां के लोग राजनीति नहीं जानते, वहां के लोग चालाक और चतुर नहीं हैं। चाहे कोई भी अधिकारी गया हो, मंत्री गया हो, उसको यह महसूस होता है कि बाड़मेर, जैसलमेर जिले के लोग आम तौर पर शरीफ हैं, आम तौर पर भोले आदमी हैं। आज बाड़मेर जिले का रकबा 28 हजार वर्ग किलोमीटर है और जैसलमेर जिले का रकबा 38 हजार वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर जिले की आबादी 17 लाख की है और जैसलमेर की आबादी 3 लाख की है। तो यह चाहे नहरी भूमि हो, चाहे बारानी भूमि हो, जमीन वहां बचत है और इस बचत जमीन को हमने वहां देखा है। पड़ौसी आदमियों को ये पटवारी और तहसीलदार पैसे लेकर मूल निवासी मानकर जमीन आबंटित कर रहे है। और उस तरह से कई लोगों को आवंटन कर चुके हैं। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, मंत्रीजी, अगर आप ईमानदारी से जांच कराएंगे तो वहां के लोगों ने बराबर शिकायत की है कि 600 मुरब्बों पर सिंगल एप्लीकेशन कैसे आयी। यह राजकोष को धोखा नहीं दिया ? अगर ये आक्शन की तरफ आते तो यहां भी आपको करोड़ों रुपयों का इन्होंने धोखा दे दिया। अब उन पर तो कोई अमल होता नहीं, उन पर तो कोई रुकावट नहीं है और एक भूमिहीन गरीब आता है तो कहते है कि आप श्रेणी में नहीं हो। यह श्रेणी तो सरकार के हाथ में है। श्रेणी कोई अवतार तो आकर बनाएंगे नहीं। हमारा यह निवेदन है कि चूरू जिले को जमीन आबंटित हुई है, बीकानेर को अलाट हुई है और यह भाखड़ा नहर की भी जमीन अलाट हुई है उसी तरीके से आप हमें अगर ट्रीट करो तो बाड़मेर जिले के गरीब भूमिहीनों को दो। हम यह नहीं कहते हैं कि सारे लोगों को ही आप जमीन दे दो। जिसने आदमियों की हमदर्दी करते हो, जन कल्याणकारी सरकार का यह फर्ज है और पारदर्शी और समाज के उत्थान के लिए जो हम नारा देते हैं उस नारे को तहेदिल से और कलेजे से सपोर्ट करना है तो उपनिवेशन मंत्री जी आप मेहरबानी करके जमीन दें। अगर आपको 4 लाख रुपये वसूल करने है तो बाड़मेर के पड़ौसी किसान दे देंगे लेकिन उसकी 10 साल की किस्त कम से कम करों। अगर 4 लाख रुपये में नहीं देना चाहते हो तो इसका मतलब है कि बंधे सो पावे। उनको बेचनी है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जमीन है नहीं और दूसरी तरफ आप स्टेटमैंट दे रहे हैं कि जमीन हम खुले आम ऑक्शन करके दो अरब रुपये पैदा करेंगे। जमीन नहीं है तो आप दो अरब रुपये कहां से पैदा करेंगे ? इससे हम सहमत नहीं हैं।

(श्री अमीन खान)

सैकण्ड, मैं बात कहना चाहता हूं बारानी भूमि के बारे में। बारानी भूमि को डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट मानकर बड़े आई.ए.एस. अफसरों ने कहीं बैठकर एक स्कीम बना दी कि यह रेगिस्तान ऐसे हटेगा कि यहां जमीन पर हल चलने मत दो। हल चलेगा तो रेगिस्तान बढ़ जाएगा, इसलिए 7–8 डिस्ट्रिक्ट में जमीन काश्त मत होने दो। सिवाय चक की जितनी भी जमीन है वह परत रहन दो। आज आपके वन विभाग की क्या हालत है ? वन विभाग जितना भी है उसमें जितने भी आपके अफसर रहते हैं, रेंजर रहते हैं वे खुलेआम लोगों के मवेशी चराते हैं। कुदरती जहां ओरण हैं, गोचर है वहां तो पेड़ खड़े हैं और वन विभाग में पेड़ उससे कम हैं। इसके अतिरिक्त सिवाय चक भूमि है उस पर गरीब आदमी का भूमिहीन का अतिक्रमण कोई सहन नहीं करता है लेकिन गांव के प्रभावशाली लोग चाहे किसी भी जाति के आदमी हों, अफसरों से वे मिले हुए होते हैं। और वे अतिक्रमण करते हैं। वे हजार–पांच सौ रुपये देकर हजारों रुपयों की उस सिवाय चक भूमि की आमदनी उठाते हैं।

मैं खुद पशुपालक हूं और हमारा गुजारा भी पशुपालन पर है। वहां की बारानी जमीन की इतनी हैसियत है कि हम खेती की आमदनी से 12 महीने गुजारा कर नहीं सकते। गुजारा हम पशुओं पर करते हैं। हम खुद चाहते थे कि जमीन पशुओं के लिए ज्यादा रहे तो अच्छा है। लेकिन समय की परिस्थिति के अनुसार आज पड़ी हुई जमीन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। यह प्रजातंत्र है, चाहे अपन रहे चाहे अपनी विरोधी पार्टी कल राज करेगी, जनप्रतिनिधियों पर पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा और ये अतिक्रमण करने वाले लोग अपना पट्टा हालिस करेंगे। यह मैं खुलेआम कहता हूं। उस दिन यह गरीब का भार गांव के महत्वपूर्ण और जबरदस्त प्रभावशाली, पैसे वाले आदमी हासिल करेंगे। इसलिए बारानी भी चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य नें पिछली बार भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, उनसे मैं सहमत हूं। तो आज जमाने की परिस्थिति बिगड़ गयी है। रेगिस्तान तो तब रुकेगा जब खेत–खेत में किसान रहेंगे, किसानों के लिए पीने के पानी का अच्छा इंतजाम होगा, किसान अपने खेतों पर अच्छे पेड़ लगाएंगे तो हरियाली अपने आप दिख जाएगी। इसलिए गरीब आदमी के हित में बारानी, सिवाय चक भूमि को फोरेस्ट से अलग रखा जाए। ओरण और गोचर की जमीन को अच्छा रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और उनके पीछे भी तारबंदी पक्की की जाए। नहीं तो लोग तो गोचर पर भी दनादन अतिक्रमण कर रहे हैं। पावर जब कभी चैंज होता है, प्रैशर जिसका ज्यादा होता है उसके हक में बाद में वह रैगुलराइज भी हो जाएगी। इसलिए हमें डर है कि आखिर चाहे बारानी जमीन हो, चाहे नहर की जमीन हो, अतिक्रमण के हिसाब से ले जाएंगे तो भी प्रभावशाली आदमी, पैसे वाले आदमी ले जाएंगे और फिलहाल जो आप

(श्री अमीन खान)

हमको विशेष आवंटन के लिए पाबन्द कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़े—बड़े, अमीर आदमी को ही ये भूमि मिलेगी, गरीब किसान को जमीन नहीं मिलेगी।

बाड़मेर जिले की परिस्थिति सारे राजस्थान से भिन्न हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भिन्न यूं है कि एक तो बाड़मेर जिले का रकवा छोटा है और उस जिले की 17 लाख आवादी है। उस जिले पर भारत—पाकिस्तान के दो युद्ध हुए हैं और युद्धों के समय पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोग यहां आकर बसे। उन लोंगों को बसाया और उन लोगों को भी जो सिवाय चक जमीन थी वह आबंटित हुई। आपने यहां अभी बताया कि हमने 21.4.75 के बाद आबंटन नहीं किया। आवंटन 1978 एवं 1979 में भी हुआ हैं एक नोटिफिकेशन जारी हुआ हैं। 1978 में, वह पाकिस्तान विस्थापितों के लिए, जिसमें हजारों आदमियों को भूमि मिलेगी। हमारे ऊपर एक तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों का दबाव और एक आबादी का दबाव। इतनी परेशानी के होते हुए भी अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि मानवता, गरीब किसान, मजदूर की परेशानियों को ध्यान में रखें जैसलमेर के आदमियों को जमीन मिले, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनमें एक भी बीधा बचत नहीं होती तो हमें एक इंच भी नहीं मिले, कोई जरूरत नहीं हमें, परन्तु उनके अलावा जो सिंचित जमीन है वह हम पड़ौसी गरीब, भूमिहीन को दी जाए, विशेष की नहीं दी जाए, सामान्य की दी जाए। अगर सामान्य की आप देते हैं और एक लाख रुपये में सरकार का खजाना डिगता है तो विशेष की रेट मंजूर है, हमें दे दो लेकिन कम से कम 10 साल की किस्त में जमीन दो। अगर यही दो बातें नहीं मानते हैं तो हम यह मानेंगे, वहां के गरीब यह मानेंगे कि जमीन अमीरों के लिए है, सुविधाएं अमीरों के लिए है, सब कुछ छूट अमीरों के लिए है। गरीब के लिए केवल कागज और अखबार है और कुछ नहीं है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्द जी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो...

श्री हेमाराम चौधरी(गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मुझे तो मौका मिला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलेंगे, बोलेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : अब तो दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां देंगे, अभी देंगे। मौका देंगे, अभी देंगे। तुरन्त इनके बाद देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : इनके बाद क्या देंगे ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी : पेश तो हमने किया है, हमको, बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ये सबसे भारी मतों से जीत कर आये हैं सारे राजस्थान में।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा लेट हो गये, ये उठ गये पहले।

श्री हेमाराम चौधरी : पहले तीन—चार घंटे यूं ही हुआ, उसमें भी मुझे एक मिनट ही नहीं बोलने दिया। सब बोल लिये, मेरे बोलने का मौका आया तो नहीं बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बुलाते हैं आपको।

श्री वृद्धिचन्द जैन(बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उपनिवेशन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है (व्यवधान) नहीं, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उपनिवेशन मंत्रीजी का, मैं भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पहला तो मेरा निवेदन है कि ये जो दरख्वास्तें आई थीं सामान्य दर्जे की जैसलमेर जिले के किसानों की, एक तो यह जांच करने की आवश्यकता है कि वास्तव में भूमिहीन किसान थे या नहीं। दूसरा यह भी उसकी जांच करने की आवश्यकता है कि वास्तव में वे जैसलमेर के बोनाफाइड, रहने वाले, हैं या नहीं। उन्होने दूसरा सर्टिफिकेट प्राप्त करके क्या इसका लाभ नहीं लिया है, इस सम्बन्ध में जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो आबादी है तीन लाख जैसलमेर जिले की और उसमें जिस प्रकार से एप्लीकेशन्स दी गई हैं, करीब 60,000 से ज्यादा दरख्वास्तें दी गई हैं, वे दरख्वास्तें कभी नहीं दी जा सकतीं। हालांकि सब दरख्वास्तें मंजूर नहीं हुई हैं, दरख्वास्तें रिजैक्ट भी हुई हैं। इस सम्बन्ध में जांच करने की आवश्यकता है कि वास्तव में इसमें जिनको जमीन अलाट की गई है वे वास्तव में बोनाफाइड हैं। यह भी जानने की आवश्यकता है कि जिनको अलाट की गई है यह उन्होंने जमीन अपने कब्जे में रखी है, वे काश्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या उन्होंने जमीन बेच दी है। अगर वास्तव में उन्होंने जमीन बेच दी है तो इस सम्बन्ध में जो भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, करने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी बात, जो अधिकारियों के बारे में एक ही एप्लीकेशन आई है 600 मुरब्बा की, उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। वह तो बिलकुल अन्याय किया गया है, बिलकुल पक्षपात किया गया हैं। इस प्रकार का पक्षपात किन अधिकारियों के द्वारा किया गया है, इसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और मुरब्बा जो उनको अलाट किये गये हैं, अभी जो निरस्त करने वाले हैं, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है, कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह है, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की है, मैं तो यह समझता हूं कि जैसलमेर जिले के भूमिहीन किसानों को अगर पूरी की पूरी कानूनी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हिसाब से जमीन अलाट की जाए, मुरब्बा दिया जाए तो भी काफी जमीन बाड़मेर जिले के किसान पड़ौसी हैं उनके लिए है। यह क्षेत्र लोक सभा क्षेत्र भी है और विधान सभा क्षेत्र शिव का इसी में आता है, बिलकुल जुड़ा है तो यह भी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उनको तो सामान्य दर्जे का लाभ हो और हमारे ऊपर सामान्य दर्जे से ज्यादा की रेट लगे। एक लाख उसकी कीमत है 40 इंस्टालमैंट हैं। और हमारी 4.50 लाख कीमत है और इंस्टालमैंट सिर्फ तीन हैं। कहने का अर्थ यह है कि वह तो कभी भी भूमिहीन किसान किसी भी सूरत में खरीद नहीं सकता। बाड़मेर जिले के किसान भी लेंगे तो भूमिहीन किसान या गरीब किसान को कभी भी इसका लाभ नहीं मिल सकेगा, 4.50 लाख रुपये की इन्होंने 10 इंस्टालमैंट का जैसा कहा है। मैं कहता हूं, 10 इंस्टालमैंट नहीं बिलकुल जैसे ही एक लाख की इंस्टालमैंट हो, जहां 40 इंस्टालमैंट आये तो 40 इंस्टालमैंट का लाभ मिलना चाहिए। तब जाकर वह परचेज कर सकता है, गरीब आदमी को लाभ मिल सकता है, वास्तव में किसान को लाभ मिल सकता है। इस प्रकार से उनको कंसेशन दिया जाना चाहिए, लाभ दिया जाना चाहिए पड़ौसी जिला होने के नाते।

तीसरी बात है, नया विषय है। डैजर्ट के बारे में जो उद्देश्य था वह तो वास्तव में उद्देश्य सही था। डैजर्ट के बारे में यह निर्णय था कि काफी जमीन पशुओं के लिए रखी जाए, इसमें भी हम चाहते है कि गोचर की जमीन हो, ओरण की जमीन हो, उसका प्रोटैक्शन करने की आवश्यकता है। प्रोटैक्शन के लिए लेखाबंदी की बात है, वह भी होनी चाहिए। जो अभी गोचार की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है या ओरण की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। सबसे पहले यह किया जाना चाहिए कि जो गोचर की जमीन और ओरण की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाए। दूसरी बारानी जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा है वह भी। कहने का अर्थ यह है कि या तो सरकार इस बारे में व्यवस्था करें कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं हो या अगर हो तो सख्त से सख्त कदम उठाकर उसको हटाया जा सकता है। इस बारे में कानून बहुत सख्त है, उनको जेल भी भिजवाया जा सकता है, तो यह सख्त कानून की पालना करनी चाहिए ताकि अतिक्रमण कोई नहीं कर सके। अब अतिक्रमण करके प्रभावशाली किसान, तो लाभ उठा लेंगे और भूमिहीन किसान को अलाट नहीं की जाए तो वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इसलिए हमने बहुत सोच–समझकर यह निर्णय लिया और दिमाग में यह सोचा कि यह जमीन न तो पशुओं के लिए काम आएगी, जिस उद्देश्य के लिए यह जमीन थी, न यह ज़मीन फोरेस्ट के काम में आएगी बल्कि इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, अतिक्रमण करने वाला और वे भी प्रभावशाली व्यक्ति। इसलिए हमने यह उचित समझा कि इस प्रकार से अतिक्रमण को रोका जाकर भूमिहीन किसानों

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

को बांटी जाए जाकि वे उसका सदुपयोग कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी(गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया है उसके द्वारा माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जैसलमेर जिले के लिए आपने सामान्य आबंटन का प्रावधान रखा है उसी तरह से बाड़मेर जिले को भी सामान्य आबंटन किया जाए। आपने कहा कि रूल में ऐसा प्रावधान नहीं है। रूल सरकार ने ही बनाये हैं, सरकार उन नियमों में संशोधन किसी भी समय ला सकती है, यदि सरकार की नियमों में संशोधन करने की मंशा हो। इसलिए आपको यह बात बतानी चाहिए कि आपकी सरकार की मंशा क्या है। नियमों का हवाला देकर आपने हमें समझाने की कोशिश की। नियम तो हमारे पास भी पड़े हैं, हमने नियमों को पढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि हमें नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए यह प्रस्ताव रखा है। नियमों की हमें भी पूरी जानकारी है लेकिन उन नियमों से हमारे बाड़मेर जिले के गरीब किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। हकीकत में खेती करने वाले जो लोग हैं वे बाड़मेर जिल के किसान है। जैसलमेर जिले के लोग तो पशुपालन का धंधा करते हैं। खेती तो जैसलमेर में होती ही नहीं थी, लोग बहुत नाममात्र की खेती करते थे। जितनी भी जैसलमेर की जमीन है यह पशुओं के चरने के लिए रहती थी। लोग अपने पशु रखते थे, बहुत बड़ी—बड़ी तादाद में टोले रखते थे गायों के, भेड़ों के। बाड़मेर के लोग खेती का काम करते हैं, खेती करना जानते हैं। अभी भी नहर के अन्दर बाड़मेर के लोगों को जो मुरब्बे मिले हैं उन लोगों ने वहां पर खेती करना शुरू किया है और इस साल अच्छी पैदावार वहां पर की है। जैसलमेर के लोगों को जिनको भी मुरब्बे मिले हैं, अधिकांश ने तो बेच दिये हैं और बाकी के वैसे ही पड़े हैं। आप जांच करवा लो कि जैसलमेर के लोगों को जिनको आपने मुरब्बे दिये, उनमें से इस साल कितने लोगों ने उस पर काश्त की और बाड़मेर के लोगों को जो विशेष आबंटन के जरिये इतने महंगे मुरब्बे दिये उन पर कितनी काश्त हुई। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि आप बाड़मेर और जैसलमेर जिले को समान रूप से मानें। आपने कहा, संसदीय क्षेत्र की हमारे कोई परिभाषा नहीं, विधान सभा क्षेत्र की कोई परिभाषा नहीं, हमारे तो जिले को हम इकाई मानते हैं और उसको इकाई नहीं मानते। इकाई में तो आप बाड़मेर के साथ जैसलमेर को भी मिला लो तो दो जिलों की इकाई बन जाएगी। इसमें कोई नियम कहीं आड़े नहीं आते। ऐसे नियम बनाये ही नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है मामला। नियम सरकार बना सकती है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है यदि सरकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

बनाना चाहे और बाड़मेर के किसानों को लाभ देना चाहती है तो। पहले जैसलमेर जिले के लोगों को जो सामान्य आबंटन हुआ उसकी कीमत मुरब्बे की एक लाख और उसकी 20 किस्तें हैं। 20 साल में वह पैसा चुकाना हैं। बाड़मेर जिले के लोगों को चार लाख पैंतीस हजार रुपये तो उसकी कीमत है और तीन किस्तें हैं, तीन साल में वह पैसा देना है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, कितना अन्तर है ? थोड़ा–बहुत अन्तर तो हो सकता है। हम कहते हैं कि चलो, जैसलमेर के बराबर हमें मत रखो, दो नम्बर पर रखो। उनसे एक लाख रुपये लेते हो, हमसे दो लाख ले लो। बीस साल की उनकी किस्त है, हमारे लिए दस साल की किश्त कर दें, दस साल में हम सारा पैसा चुका देंगे। कहीं तो कोई होना चाहिए। यह तो फिर यह हो गया कि खुले बाजार में जो ज्यादा पैसा देगा उसको जमीन मिलेगी। फिर तो आप किसानों का नाम क्यों लेते हो कि हम जमीन किसानों को दे रहे हैं ? फिर तो आप यह कहें कि हमारी सरकार के पास पैसे की कमी है, इस जमीन को बेचेंगे, बेच करके हम पैसा लेंगे और जो सबसे ज्यादा पैसा हमें देगा उसको हम जमीन देंगे। हमें और किसी का कोई मतलब नहीं है, हमें तो पैसा चाहिए और पैसा ज्यादा देना उसको देंगे, कोई आ जाओ। राजस्थान का कहीं का रहने वाला कोई आ जाओ। राजस्थान का ही क्यों, फिर तो आप हिन्दुस्तान के लिए खुला कर दो तो हरियाणा, पंजाब से लोग आएंगे, वे और ज्यादा पैसे दे देंगे आपको। दस–दस लाख दे देंगे मुरब्बे के, बीस–बीस लाख भी दे सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि वहां पैसे वाले लोग बहुत हैं, ज्यादा ही पैसा करना है तो। नहीं तो फिर किसानों को आपको कुछ राहत देनी चाहिए जिससे कि गरीब किसान इन मुरब्बों में खेती कर सकें और स्वयं खेती करके इस देश में अन्न पैदा कर सकें। देश के अन्दर अनाज की कितनी कमी थी, इस कमी को किसने दूर किया ? किसान ने किया। पच्चीस और छब्बीस में जब अकाल पड़ा था, विदेशों से, अमरीका से ज्वार मंगाई थी। खाने को अनाज था ही नहीं। फिर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस समय अनाज की कमी पड़ गई थी। शास्त्रीजी ने एक दिन के लिए कहा कि उपवास करो। अनाज की कमी है, क्या करें ? इसलिए एक दिन सभी भूखे रहो ताकि अनाज की कमी दूर हो। इस तरह के उपाय करके काम चला रहे थे। आज देश में अन्न की कोई कमी नहीं हैं, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, किस की वजह से ? किसानों की वजह से। और आप किसानों को जमीन नहीं देंगे तो फिर यह पैदा कौन करेगा ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इन नियमों में संशोधन किया जाना बहुत जरूरी है। चार लाख पैंतीस हजार रुपये में आप दे रहे हैं उसमें विशेष आबंटन में हर साल 15 प्रतिशत कीमत बढ़ा देंगे। अब यह दिसम्बर तक है, 31 दिसम्बर, 99 तक यह कीमत है। एक जनवरी को 15 प्रतिशत इसकी कीमत बढ़ जाएगी इस प्रकार से

(श्री हेमाराम चौधरी)

कीमत बढ़ने से विशेष आबंटन के लिए लोगों ने जो आवेदन किया था उनको एक तरफ से लूटा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी काश्तकार ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कि बीस हजार रुपये रिश्वत के तौर पर नहीं दिये हों, उसको मुरब्बा मिला हो। वहां पर बीस हजार रुपये की रिश्वत चल रही है। इसमें अगर गलत हो, आप कमेटी बना दो विधान सभा के सदस्यों की, वह जांच कर ले। मुरब्बे लिए वे लोग जिन्दा बैठे हैं, उनसे जाकर आप पूछ लो, बयान ले लो कि आपने गवर्नमैंट को पैसा जो दिया उसके अलावा रिश्वत के भी पैसे दिये कि नहीं दिये। वे अधिकारी भाजपा के शासन में लगाये हुए हैं। उनको उस समय उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। उस उद्देश्य से, उस हिसाब से जो लगाये गये थे कि आप किसानों को लूटते रहना, पैसे इकट्ठे करते रहना। फिर उसमें से क्या होता था आगे, किस हिसाब से, वह तो वह जाने। आज भी वे बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। चार महीने हो गये अभी तक लूटा जा रहा है। हमने चुनाव के समय में कहा कि भाजपा के शासन में बीस—बीस हजार रुपये किसानों से जो लूट कर खा रहे हैं, पहली बात तो इतना महंगा मुरब्बा, फिर उसके बाद में पैसा नहीं दे, उसको मुरब्बा मिलने का सवाल ही नहीं है, हम इसको बंद करवा देंगे। नवम्बर में चुनाव हुए और मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में वह रेट बढ़ गई। अधिकारियों की रेट जो पहले थी उससे बढ़ गई। पहले दस थी, फिर बढ़ कर पन्द्रह थी, उससे बढ़ कर बीस हो गई, पच्चीस हो गई, तीस हो गई। वह किस्त क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी ? कि 31 दिसम्बर तक हम अलाट करा लेंगे यह मुरब्बा तो हमको पन्द्रह प्रतिशित कीमत कम देनी पड़ेगी और ज्यों ही एक जनवरी आ गई तो 15 प्रतिशत कीमत बढ़ जाएगी, करीब साठ हजार रुपये और लग जाएंगे। इसलिए साठ हजार रुपये से बचने के लिए काश्तकारों ने देखा कि इनको बीस हजार रुपये दो, पच्चीस हजार रुपये दो तो भी फायदा होगा, इतना तो कम लगेगा। नहीं तो फिर इतने ज्यादा एक जनवरी के बाद में और देने पड़ेंगे। कोई किसान वहां जाता है तो न कोई दफ्तर में घुसते देता है, न कोई जबाव देता है और न कोई आता है, न पता है। जिन काश्तकारों ने विशेष आबंटन के लिए आवेदन किया उनको किसी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया कि आपको मुरब्बा अलाट किया गया है, या आपके उस मुरब्बे पर ज्यादा एप्लीकेशंस हैं उस पर नीलामी होगी। कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं, सूचना नहीं है, आवेदन पेश करने के बाद भी। उनके वहां रजिस्टर खुले हुए हैं आउटवर्ड रजिस्टर, उनके अन्दर वे बता देते हैं, नोटिस भेजा, रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। पता नहीं क्या सिस्टम है उनका। यों तो वैसे कोई उनको रजिस्टर बताता है, न कोई दफ्तर में घुसने देता है और कोई जबाव नहीं देता, फिर वह कोशिश करे किसी को, छोटे—मोटे आदमी को कुछ राजी करके कुछ पता लगाता है तो पता पड़ता है

(श्री हेमाराम चौधरी)

कि तुम्हारा तो मुरब्बा खारिज हो गया। भाई, खारिज कैसे हो गया, मैं लेने के लिए तैयार हूं ? पैसे देने के लिए तैयार हूं, खारिज कैसे हो गया ? तुम्हारे को नोटिस दिया, तुम आये नहीं, तुमने किस्त जमा कराई नहीं, इसलिए खारिज किया। तो इस तरह से खारिज कर दिये गये। लोगों ने फिर उसकी अपीलें की और अपीलों के अन्दर कोशिश करके उसको बहाल कराया। अपीलों में भी यों आसानी से तो कोई बहाल होने वाला नहीं, कैसे किस तरीके से बहाल हुए, वह आप जानते हैं। बहाल होने के बाद में उन्होंने फिर किस्त जमा कराई। किस्त जमा करने के बाद में फिर उनको डिनोटिफाई कर दिया। विशेष आवंटन से हटा कर उन मुरब्बों को सामान्य मुरब्बों में कर दिया। अब सामान्य मुरब्बे में कर दिया तो उनके पैसे भी जमा हो गये। अब भी रोते हुए घूम रहे हैं, क्या करें। ये मेरे पास पड़े हैं कई ऐसे मामले। हजारों, सैकड़ों की तादाद में मामले हैं, लोग कह रहे हैं। अब नवम्बर के बाद में हमने कोशिश की, फिर कहा इनके लिए कुछ करें तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के कई मामले हैं जिनमें लोगों ने पैसे तो जमा करा दिये लेकिन उसके बाद भी आज दिन तक उनको इसलिए नहीं मिला कि डिनोटिफाई कर दिया। यह भाजपा की सरकार ने एक चाल चली कि बाड़मेर जिले के किसानों को जमीन नहीं मिले। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमुक मुरब्बा आपने पहले तो नोटिफाई किया गजट में आप कहते हो रूल 13 ए के तहत तब काश्तकार ने उसमें आवेदन दिये। आवेदन देने के लिए भी उसको कार्य तैयार करने में बीस फार्मल्टीज हैं, उन फार्मल्टीज से गुजरने में भी उसको बहुत परेशानी होती है जैसे बाड़मेर के रहने वालों को पटवारी से प्रमाण—पत्र काश्तकार का लेना और दूसरे अन्य प्रमाण पत्र लेना। बीस जगह गुजरना पड़ता है वहां भी लूटा जाता है उसको। एप्लाई कर दिया, पांच सौ रुपये जमा करा दिये और उसके बाद में उनको वापस सामान्य श्रेणी में करते हो तो ये क्या मजाक है ? काश्तकारों से आप कोई अपनी बात पर कायम ही नहीं हो। सरकार इस तरह से बदल जाती है और उसको यह जबाब दे देती है वर्षों के बाद कि ये तो सामान्य श्रेणी में कर दिया, सामान्य का है तो विशेष कर दिया। इस तरह से पता नहीं किसके कहने से होता है, कैसे होता है, क्या होता है यह मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको नाम बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, दो—चार मैं उदाहरण दूंगा। लूटा जा रहा है। विशेष आवंटन, उसमें भी लूटा जा रहा है। कम से कम वह लूट तो बन्द करें। मैं कह रहा हूं कि इस हिसाब से पैसा खा रहे हैं, कितना पैसा खा गये होंगे वे। अब आप कहें कि ये इस तरह से बात नहीं कहेंगे। हमने उन

(श्री हेमाराम चौधरी)

किसानों को चुनावों के वक्त कहा कि हमारा राज आ जाएगा तब यह रिश्वत हम बन्द करा देंगे। आपकी यह जो लूट है इस लूट को हम बन्द करा देंगे। उन्होंने कहा कि कैसे बन्द करा दोगें। तो मैंने कहा कि इन अधिकारियों को किसी जगह उठा कर फैंक देंगे और दूसरे ठीक लाएंगे, इनको कहीं खांचे में लगा देंगे। अब खांचे में अभी तक वह एक भी लगा नहीं और यै लुटे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, बाधाराम पुत्र श्री लादाराम चक नं. 23 एस.एल.एम. मुरब्बा संख्या 226/15 व 16 इन्होंने पैसा जमा कराया 9 अक्टूबर, 1998 को। उमाराम पुत्र श्री फुलाराम 23 एस.एल. एम. मुरब्बा नम्बर 206/55 सागरमल पुत्र श्री भंवरलाल 49 एस.एल.टी. मुरब्बा नम्बर 221/3, 201/59, कन्हैया लाल पुत्र श्री भंवरलाल चक नम्बर 221/59 एस.एन.डी., इसी तरह से श्रीमती इंदिरा पत्नी श्री माणिकलाल, श्रीमती देवी पत्नी श्री भंवरलाल, भैराराम पुत्र श्री विशनाराम इन सबकी किस्त जमा है एक–एक किस्त और उन मुरब्बों को सामान्य कर दिया, डिनोटिफाइड कर दिया। अब पैसा तो राज ने ले लिया और वे रो रहे हैं। उसके लिये उनको कितनी वेदना होती है वे चक्कर काट–काट कर कितने परेशान हैं, उनको कितना मानसिक तनाव हुआ उसकी कोई कल्पना करता है क्या ? कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये आवेदन किये फिर। उपाध्यक्ष महोदय, बदमाशी क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं। गौतमचन्द पुत्र श्री नेमीचन्द, नेमीचन्द पुत्र लादूराम, हस्तीमल पुत्र श्री लादूराम, सुरेशकुमार पुत्र नेमीचन्द, बाबूलाल पुत्र श्री लादूराम इन लोगों का जो चालान काटा उसमें ब्याज की राशि ज्यादा जोड़ दी जानबूझकर। उन्होंने कहा कि आपकी राशि गलत है, गलत चालान काटा है। ज्यादा पैसे का क्यों काटा ? तो उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके उस चालान को सही करवाया। सही करवाया इतने में बैंक का टाइम चला गया चालान जमा करवाने का और इतने में वह मुरब्बा ही डिनोटिफाई हो गया। इस तरह से मतलब ब्याज ज्यादा जोड़ दिया, क्यों जोड़ा ज्यादा ? जोड़ कर समय बिताना चाहते हैं और इस तरह से उसको परेशान करना चाहते हैं। पैसा मिले तो वापस उसको ठीक कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप और कुछ नहीं कर सकते हो तो इस तरह से जो किसानों को लूट रहे हैं, उस तरफ आप विशेष ध्यान दें। कोई कमेटी बनाएं। विधान सभा की आपको कमेटी बनानी चाहिए। दो सौ करोड़ रुपये की आमदनी सरकार करने जा रही है, बजट में बताया है कि दो सौ करोड़ रुपये हम नहर की भूमि बेच कर प्राप्त करेंगे। उसमें इस तरह से लूट कर किसानों को खा जाएंगे और सरकार इसमें सोचगी नहीं तो फिर किसको कहेंगे ? अब हमारे मंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं दूसरे किसी मंत्री को अभी चार्ज दिया नहीं। यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

बात हम कहें भी तो किसको कहें ? कमला जी तो विधान सभा में जवाब देने के लिए हैं, ये अभी जवाब दे देंगी हम चले जाएंगे घर। विधान सभा की जैसी कार्यवाही होती है, होती रहती है उसके बाद में फिर किसको कहेंगे ? अभी ये कोलोनाइजेशन पोर्टफोलियो किसी को भी तो दो ताकि हम उनके पास जाएं और उनको कहें। अधिकारियों के पास जाएं और कहें तो अधिकारी तो क्यों सुनें ? अधिकारियों का तो जैसा हिसाब—किताब चल रहा है वैसा चल रहा है। चलता है, चलता रहेगा। अब ज्यों फिर आगे टाइम निकलेगा, आगे दिसम्बर जाएगा।

यह 600 मुरब्बों की एक बात इन्होंने कही। 600 मुरब्बे पर सिर्फ एक एप्लीकेशन कैसे है ? ये तो कोई बड़े स्तर पर बदमाशी हुई है, उन मुरब्बों का लोगों को पता ही नहीं लगने दिया है कि यह मुरब्बा अलाटमेंट के लिए है। किसी को पता ही नहीं लगने दिया, सिर्फ उन लोगों को ही पता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय बजट पर सामान्य वाद—विवाद के लिए है, चार बज गये हैं, समय की लिमिट तो कीजिये इनकी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। पहली दफा बोल रहे हैं ये।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, लिमिट कीजिये पर मैं बात तो किसानों की कर रहा हूं। अब आप भी यही बात कहेंगे। सुबह कोई लेना—देना नहीं था पर वह +++ वह +++ है दूसरे कहे कि यह +++ है इनमें ही दो—चार घंटे चले गये, तब तो कोई नहीं बोला और अब जब मैं किसान की बात कर रहा हूं।

श्री देवीलाल बैरवा : ...(व्यवधान)... उन किसानों ने ही जिताया है कांग्रेस को, कहने दो, कहने दो।

श्री हेमाराम चौधरी : किसान की समस्या की बात... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अब हमको निकालने का चक्कर है क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी : ...या तो आप यह कह दें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो।

एक माननीय सदस्य : बोलो—बोलो, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो चलता रहेगा। फिर तो चलता है वैसे ही चल रहा है अब तक। पर इसमें कोई सुधार हो सकता है, सुधार की कोई गुंजाइश हो और सरकार कोई सुधार कर सकती हो, सरकार इस ओर ध्यान देना चाहती हो तो ध्यान दे। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में कोई चीज असम्भव हो। असम्भव को भी सम्भव किया जा सकता है इसलिए इस रिश्वत को भी प्रयास करने पर रोका जा सकता है। रोका नहीं जा सकता तो कुछ कम किया जा

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सकता है, कुछ डर पैदा किया जा सकता है जिससे खुले आम न लेकर थोड़ा बहुत कहीं मौका लगे तो ले लें। किसी को तो बख्शें इस तरह से आखें बन्द थोड़ा ही करें। इस तरह की कोई बात तो हो इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच करायी जाए।

दूसरा निवेदन करूं मैं कि उस एरिया में जहां जमीन है जिस गांव की वहां का एम.एल.ए., वहां का सरपंच, वहां का प्रधान वगैरह मैम्बर हो। जैसलमेर जिले के लोगों का इन्टरेस्ट वाच करेंगे ये कमेटी के मैम्बर दूसरे जिलों के लोगों का इन्टरेस्ट व क्यों वाच करेंगे ? हमारे जिले के लोगों का इन्टरेस्ट जांच कौन करेगा ? जोधपुर जिल के लोगों का इन्टरेस्ट वाच कौन करेगा ? इसलिए इसमें कोई मैम्बर आप और बढ़ाते हो, बाड़मेर, जोधपुर या दूसरे जिलों के कोई मैम्बर उसके अन्दर आप और बढ़ाते हो तो उससे कौन—सा बड़ा घाटा सरकार को हो जाता है ? मैम्बर भी एक—दो और बढ़ाने हैं पब्लिक रिप्रजैंटेटिव, जो कि थोड़ा बहुत इन अधिकारियों पर ध्यान रखने की कोशिश करें। अब हमारे जिले का आदमी तो हमारे पास एप्रोच करेगा और हम उस कमेटी के मैम्बर है नहीं जो कि थोड़ी बहुत राहत दिला सकें। जैसलमेर जिले के लोगों के लिए तो जैसलमेर जिले के जनप्रतिनिधि हैं, वे राहत दिलाते है पर हमारे जिले के लोगों को कौन राहत पहुंचाएगा ? इसलिए ...(व्यवधान)

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के राज में उस जिले को एम.एल ए. कालोनाइजेशन अलाटमैंट कमेटी का मैम्बर था मेरे से पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोल चुके हैं और आप वहां पर पहुंच कर बोलने लग गये।

श्री हेमाराम चौधरी : अब, उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. वाले ऐसा कर सकते हैं तो फिर कांग्रेस वाले ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें। यह किसानों का मामला है, बहुत ही अहम ममला है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अनाज नहीं होगा तो यह सारी विकास की बात सबसे पहले...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री हेमाराम चौधरी :...अनाज चाहिए इसलिए आप किसानों की समस्या को सुनें। किसानों को लूट से बचाइये। सामान्य आवंटन न करें तो जैसा मैंने कहा, उनसे एक लाख लेते हो तो हमसे दो लाख ले लो । उनसे बीस किस्त तो हमारे से 10 किस्तें 10 साल में ले लो। उनसे भी तो बीस साल में पैसा लेते हो। कहीं कुछ तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए।

दूसरा यह डैजर्ट डवलपमैंट प्रोग्राम का बहाना करके अलाटमैंट पर रोक लगा दी है गवर्नमैंट की लैण्ड पर। पहले गवर्नमैंट की लैण्ड अलाट हुई है, यह तो अभी बाद

(श्री हेमाराम चौधरी)

में रोक लगी है। पहले जब काश्तकारों को जमीन मिली तो उन्होंने खेती की। पाकिस्तान से विस्थापित आये तो उनके तो रोक हटा दी, उनके लिए तो रोक नहीं थी, उनको तो जमीन अलाट कर दी। हम यहां के जाये जन्मे हैं, हमने गुनाह किया क्या ? हमने हिन्दुस्तान में जन्म लेकर भी गुनाह किया है क्या, कि हम तो उस जमीन को पाने के हकदार नहीं हैं और वे पाने के हकदार हैं ? उन्होंने जमीन पा ली, अलाट करवा ली इसलिए हमारे को भी वह जमीन मिलनी चाहिए। हमारे वहां के लोगों को मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये जो कह रहे हैं कि इसके पीछे सोच थी, यह सोच थी अधिकारियों की, इसमें किसानों की सोच नहीं थी कि अलाटमैंट बन्द होना चाहिए। किसानों की अगर सोच होती तो मैं आपको बताऊं, आप वहां पर देख ले, गवर्नमैंट की लैण्ड पड़ी है अभी भी। गवर्नमैंट की लैण्ड देख लो किसान का खेत जाकर देख लो। किसान के खेत के अन्दर आपको बहुत ज्यादा तादाद में पेड़ मिलेंगे, गावों के अन्दर आपको खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे। और जो गवनमैंट लैण्ड है उस पर आपको एक पेड़ नजर नहीं आएगा, कहीं छाया नहीं मिलेगी।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, फिर कैसे डैजर्ट मिटाना चाहते हैं ? ये तो डैजर्ट बढ़ाना चाहते हैं, मिटाने की बात कहां हुई ? मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसानों को यह जमीन मिलती तो किसान उस पर फसल करते। जमीन जब उड़ जाती है तो उस जमीन में कोई अनाज पैदा नहीं होता। किसान कभी भी जमीन को उड़ने नहीं देगा। तना बांध दो, चाहे पेड़ लगाओ, कैसा ही इन्तजाम करो, कुछ कोशिश करेगा कि मेरे खेत् में से एक कण भी उड़कर बाहर नहीं जाएं। जिस खेत में से जमीन उड़ कर चली जाती है उस खेत में अनाज पैदा नहीं होता है। इसलिए किसान को आप अलाट कर दोगे तो किसान तो उस जमीन को उपजाऊ बनाएगा, हरा—भरा बनाएगा और रेगिस्तान को रोकेगा। मतलब उलटा चल रहा है। यह अपनी—अपनी सोच है। मैं समझता हूं कि यह अधिकारियों की सोच थी, अधिकारियों ने सोचा होगा। ऐसा होता है कई बार। एक बार एक भेड़ निष्क्रमण कमेटी थी...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भेड़ निष्क्रमण कमेटी थी, अधिकारियों की मीटिंग थी। उस कमेटी में दुर्भाग्य से मुझे भी मैम्बर बना दिया। मैं भी उस कमेटी में एक दिन गया। तो उन्होंने कहा कि इन भेड़ वालों पर टैक्स लगना चाहिये। मैंने कहा क्यों, भेड़ वालों पर कैसा टैक्स ? कि ये भेड़ वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मालदार हैं। मैंने कहा कि कैसे मालदार हैं ? कि इनके एक भेड़ होती है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

एक भेड़ साल में दो बार ब्याती है, फिर उसके दो बार ऊन कटती है, फिर उसकी दो भैड़ों के इतने रुपये होते है। वह हिसाब लगाकर इस तरह एक साल के एक काश्तकार के इतने रुपये होते हैं, उसके दो सौ भेड़ें हैं तो उसके तो इतने लाख की साल की कमाई हो जाती है। वो ऐसे हिसाब लगाते हैं जैसे अनाज का एक दाना है और एक दाने से फिर पैदा करूं तो कितने दाने हो जाते हैं, फिर उससे किसान को कितना अनाज पैदा हो जाता है फिर वह लखपति, करोड़पति हो जाता है। यह पता नहीं है कि उसमें से कितनी मर जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तबाही हो जाती है। 24 घंटे उसके घर का पता नहीं, कहां रहता है, कहां नहीं। जूते खाता--फिरता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों को पता ही नहीं कि किसान कितना दुःखी है, पशुपालक कितना दुःखी है और उसके ऊपर टैक्स लगा देते है। यह योजना जिस किसी ने भी बनाई है उनकी सोच में फर्क था, उसका हर्जाना आज हमारे किसान को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप स्वयं किसान हैं, किसानों की सरकार है, यह कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है, आगे भी कांग्रेस ने ही किसानों को मदद दी है, यह जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है, राजस्थान टीनेंसी एक्ट है, उपनिवेशन एक्ट वगैरह हैं, इन सब में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप इसमें बेहिचक संशोधन कीजिए और मंत्रिमंडल में रखिए, मुख्य मंत्री जी से बात करिए, कुछ राहत पहुंचाइए। यही मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसी संदर्भ में मैं दो–तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। मंत्री जी ने जवाब में खास तौर से जोर इस बात पर दिया कि आवंटन के नियम बने हुए हैं और उन नियमों में जैसलमेर जिले के बाहर के लोगों को जमीन नहीं दी जा सकती। एक मुद्दा तो यह था। दूसरा, वहां जमीन की उपलब्धता कितनी है ? मंत्री जी के हिसाब से जमीन वहां उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए जैसलमेर वालों की ही पूर्ति नहीं होती है बाड़मेर वालों को कहां से दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन में बहुत बार आवंटन की चर्चा चली। बहुत–से क्षेत्रों में आवंटन पर प्रतिबन्ध थे, सीमाएं थी कि उसी गांव के लोगों को आवंटन होगा, उसी तहसील के लोगों को आवंटन होगा। जैसे–जैसे आवश्यकता पड़ती गई उन नियमों में शिथिलता बरती गई और दूसरे लोगों के लिये भी आवंटन खोला गया।

श्रीमती कमला(सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य, आगे तक की बात नहीं कही गई, वर्तमान में जितनी भूमि उपलब्ध है और जितने आवेदक हैं उसके प्रपोर्शन की बात की है। आगे 800 चक का प्लान जो तैयार

(श्रीमती कमला)

हो रहा है उसकी स्थिति बाद में पता लगेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष जी, एक निवेदन और है। मंत्री जी ने कहा कि सामान्य आवंटन चार बार हुआ। ये कह रहे है कि लोगों को जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जन्मे हैं 15 साल बाद, 18 साल बाद में, आप फिर सामान्य आवंटन करोगे तो वह फिर बंजर हो जाएगी, वे भी एनटाइटल हो जाएंगे। घर में जितने मेजर सदस्य हैं। वे सब बार–बार एप्लाई करते रहते हैं। आप इस पर रोक लगाओगे नहीं तो फिर नये और पैदा होते जाएंगे, फिर वे ही लेते जाएंगे। एक ही परिवार में मैंने ली, मेरे लड़के ने ली, मेरा पोता ही ले रहा है, दूसरे को कहां से मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इन्दिरा गांधी नहर राष्ट्रीय परियोजना है। सम्पूर्ण राजस्थान के टैक्स पेयर का बहुत बड़ा भाग उसके निर्माण में खर्च हो रहा है। खर्च हुआ है, आगे भी होता जा रहा है। इसलिए इतनी बड़ी परियोजना को हम किसी एक जिले तक और तहसील तक सीमित रखना चाहे, यह न्याय नहीं है। राजस्थान के उन लोगों के साथ जो जमीन आपने हाथ से काश्त करना चाहते है, न्याय नहीं है। इसलिए पहला तो मेरा निवेदन होगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को कैबिनेट में रखे, जहां भी संभव हो वहां रखे और जो बना हुआ है उस नियम में संशोधन किया जाए। राजस्थान के हर जिले को वहां अलाटमैंट मिले, इस प्रकार का प्रावधान हो। मैं यह मानता हूं कि जैसलमेर के लोगों को पहले दिया जाए लेकिन बाड़मेर पड़ौसी जिला है वहां के लोगों को भी दिया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया का तो आप रोकिए कि बार–बार अलाटमैंट में जमीन लेने जाते हैं। उनको बेच दिया फिर भूमिहीन हो गये, फिर बेच दिया फिर भूमिहीन हो गये। हमारे यहां पोंग डैम के रिफ्यूजी थे उन लोगों को राजस्थान में जमीन अलाट हुई। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जांच करवाइए, कितने लोग जिनको आवंटन हुआ था, आज उस जमीन पर आबाद हैं, काश्त कर रहे हैं। सब के सब बेचकर चले गये। इसी तरह से राजस्थान की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में जिन लोगों ने फर्जी काश्तकार बनकर अलाटमैंट करवाया उन्होंने जमीनें बेच दीं और आगे से आगे भूमिहीन बनते गये। जैसे बड़े–बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ी का किस्सा चल रहा है आज उनको स्थान दे दिया गया कल दूसरी जगह चले गये, वही प्रक्रिया इस जमीन के आवंटन में हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी धांधली सरकारी अधिकारियों के हित में की जा रही है। ये नियम भी सरकारी अधिकारियों ने बनाये हैं और इन नियमों का अपने हिसाब से वे फायदा उठा रहे हैं। यदि जांच की जाए तो जितने भी आवंटन हुए हैं उनमें कितने प्रतिशत लोग सरकारी अधिकारी या सरकारी

(श्री शिवनाथ सिंह)

अधिकारियों के रिश्तेदार निकलेंगे ? क्या सरकार यह मन बना सकती है कि जिन—जिन सरकारी अधिकारियों के हित के लिये आबंटन किया गया है उसको निरस्त करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, 600 मुरब्बों के लिये दरख्वास्तों का बहुत बड़ा सवाल यहां है। सोचा भी नहीं जा सकता कि 600 मुरब्बों के लिये एक—एक दरख्वास्त पेश हो। उसमें वहां के कलेक्टर, वहां के एस.पी., तहसीलदार, पटवारी और बड़े से बड़े आफिसर सम्मिलित हैं। उन्होंने एक गिरोह बना लिया और गिरोह बनाकर उन मुरब्बों का गजट आउट भी नहीं किया, प्रकाशन नहीं किया और किसी को पता नहीं लगा कि इन मुरब्बों की जमीन भी अलाट हो सकती हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बिना जांच के आरोप नहीं लगाए प्रशासन पर, एस.पी. पर कलेक्टर के नाम लेकर आरोप नहीं लगाए। आपको पता नहीं, जांच आपने देखी नहीं, आपको पता ही नहीं है और आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा आरोप नहीं लगाएं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने बहुत अच्छी पैरवी की।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : क्योंकि मैं मैम्बर हूं वहां का, कमेटी का मैम्बर हूं, वहां का विधायक हूं, इस तरह के आरोप मेरे ऊपर आरोप हैं। कृपया ऐसे आरोप नहीं लगाए। आपको कोई जानकारी है ही नहीं, आप किसी के कहने से बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपको बधाई देता हूं, उन सरकारी अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने आपको उनकी पैरवी करने लिये फीड किया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैंने पैरवी नहीं की है, मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि हमने क्या कार्यवाही की है। हमने क्या कार्यवाही की है, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस तरह से आलोचना नहीं करेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर देंगे, आपस में नहीं बोले।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है लेकिन ये जानबूझकर कहते है कि मैं भी कमेटी का मैम्बर हूं इसलिए ये आरोप मेरे ऊपर भी हैं, इसका उन्हीं की आत्मा को पूछिए, मुझे कुछ पता नहीं है। ये ही जाने, इन पर आरोप होते हैं या नहीं होते हैं। ये जानबूझकर अपने ऊपर आरोप लेना चाहते है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मुझे पता है, मेरे यहां के लोग जमीन के लिये दरख्वास्तें देने गये थे। वहां के तहसीलदार ने मिसगाइड किया, वहां के पटवारी ने मिसगाइड किया। अभी पिछली होली के आस—पास की बात है, 4 तारीख दरख्वास्त देने का आखरी दिन था, हमारे यहां से सैकड़ों लोग गये, जाकर

(श्री शिवनाथ सिंह)

वापस घूमफिर कर आ गये। किसी ने भी यह नहीं बताया कि कौनसा मुरब्बा अलाटमैंट के लिये है। इसलिए मुझे जानकारी है और मैं कोई भी बात बिना जानकारी के नहीं कह सकता।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, इन 600 मुरब्बों की एक–एक दरख्वास्त आई, उस मामले में पूरी जांच की जाए। उनको कैंसिल कर दिया जाए यहां यह बात सफीशिएंट नहीं है। किस प्रकार से षडयंत्र करके इन 6 सौ मुरब्बों को छुपाया गया, उनकी दरख्वास्तें ली गयीं, और जिन–जिन भी अधिकारियों का और कमेटी के सदस्यों का उसमें हाथ है, सहयोग है, उन सब के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो बड़ी परियोजना है उसमें राजस्थान के हर करदाता की भागीदारी है। पहले उन जिलों को दीजिये लेकिन राजस्थान के किसी भी जिले के काश्तकार को हम उससे वंचित नहीं कर सकते। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी संशोधन हो सके, जैसलमेर, बाड़मेर और जिन जिलों में होकर यह नहर गुजर रही है, उन जिलों के काश्तकारों के हितों की रक्षा करते हुए दूसरे लोगों को भी जमीन वहां मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी करने का कष्ट करें।

अभी यह कहा गया कि जमीन सीमित है, आगे के फेज में जमीन और अवेलेबल होगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा कि जो आगे जमीन आपके पास उपलब्ध होगी क्या उसमें भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, या उसमें इस प्रक्रिया में, इन नियमों में कोई ढील बरती जाएगी या सुधार किया जाएगा ? इसकी तरफ सरकार ध्यान दें और मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो आज बंदिश है उस बंदिश को हटाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आखिरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन आबंटन के इन मामलों में हमेशा ही शिकायत रही है, इस सदन में बार–बार इस प्रकार के आरोप– प्रत्यारोप और सफाइयां पेश होती रही हैं कि आवंटन में गड़बड़ हुई, कोई कहता है आवंटन में गड़बड़ नहीं हुई इस पूरे प्रकरण के लिए यह सरकार संवेदनशीन तो है ही, लेकिन सरकार सक्रिय भी हो। आवंटन की खमियों को दूर करने और सही काश्तकारों को जमीन मिले इसके लिए सरकार सक्रिय हो तो इस हाउस की एक कमेटी बनायी जाए और अब जितने भी मामले सामने आये हैं आबंटन में भ्रष्टाचार के, गड़बड़ी के, उन सब मामलों की जांच की जाए।

मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहूंगा कि जैसलमेर के किसानों के हित सुरक्षित रखते हुए पड़ौसी जिले बाड़मेर को और दूसरे जिलों को भी जमीन जो उपलब्ध हो उसमें दी जाए और नियमों में परिवर्तन

(श्री शिवनाथ सिंह)

किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती कमला : मैं थोड़ा जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अल्प सूचना में श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्रीमती कमला : मैं थोड़ा रिप्लाई करना चाहूंगी।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले मंत्री जी जवाब देंगी, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देना चाहे तो दें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो मुद्दा सदन में उठा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें जो बिन्दु उभरकर सामने आये हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अधिकतर माननीय सदस्यों ने, जो 6 सौ आवेदन अलाटमैंट के लिए सिर्फ एक—एक आये हैं उनके बारे में बहुत गम्भीरता जतायी है। मैं स्वयं भी इस बात को मानती हूं कि ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है कि 600 मुरब्बों के लिए सिर्फ एक एक ही आवेदन आये। तो यह अपने आप में एक शंकास्पद बात है, इसकी जांच कराने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी और जो कुछ मुद्दा इसमें आया है उसको बिना किसी हिचक के सामने लाकर जो कोई भी इसमें दोषी हैं, इन्वाल्व्ड हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाएगी।

दूसरा एक और उसी तरह का गंभीर मुद्दा यह है कि जितनी भी आबादी है जैसलमेर जिले की उससे ज्यादा अर्जियां आ रही हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि चार बार आवेदन लिये हैं, अभी पांचवीं बार आवेदन उसी के साथ में चल रहा है और उसमें से काफी कुछ लोगों को अलाटमैंट हो भी चुके हैं, फिर भी इतने आवेदन मौजूद हैं। तो इनको भी एक बार देखा जाना, समझा जाना आवश्यक है। आपकी जो चिन्ता है या आशंका है उसको मिटाने की भी व्यवस्था की जाएगी, अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उनका निराकरण कर पाबंदी की जाएगी और आगे उसी तरह से उनकी व्यवस्था भी की जाएगी।

स्पेशल अलाटमैंट में काश्तकारों को भी जमीन लेने की सुविधा हो सके इसके लिए माननीय सदस्यों ने खास तौर से शिव के माननीय सदस्य ने यह बताया कि अगर किस्तें आप ज्यादा बांध ले तो शायद काश्तकार भी स्पेशल अलाटमैंट में कम्पीट कर सके। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है उसमें 25 परसेन्ट राशि अलाटमैंट के समय, 10 परसेंट कब्जे के समय और बाकी काश्तकारों से बाद में ली जाती है। सुविधा है लेकिन काश्तकार की अवस्था और उसकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से यह भी भारी पड़ती है, यह बात सही है। इसमें क्या किया जा सकता है, यह अभी कहना उचित नहीं है, न सम्भव है। आगे इसमें क्या किया

(श्रीमती कमला)

जा सकता है इसके बारे में जांच करायी जाएगी। एक बार से अधिक एक जिले के आवेदन नहीं लिये जाने चाहिए, यह लॉ के अन्दर भी प्रावधन है, नियमों में भी है, इसको आगे लागू किया जाए इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

कई सदस्य साहबान ने यह भी कहा कि गोचर, ओरण और अन्य राजकीय भूमि पर लोग अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं उन अतिक्रमणों को हटाया भी नहीं जा रहा है और आगे अतिक्रमण न हों इसकी व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। तो इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। अलाटी को कोई सूचना नहीं की जाती कि उसको अलाटमैंट हो गया। काफी समय उसको हो जाता है, किस्त जमा नहीं होती, खारिज हो जाती है, डिनोटिफाई हो जाती है। डिनोटिफाई की अपील करता है, अपील आने के बाद में वह फिर अपनी किस्तें भरता है लेकिन किस्तें जमा कराने के बाद भी वह जमीन नहीं मिल पाती, इस तरह का जो आदरणीय हेमाराम जी ने बताया कि इस प्रक्रिया में जिस तरह से अलाटी को परेशान होना पड़ रहा है, इसका किस तरह का फूलप्रूफ सिस्टम बनाया जाय, किस तरह से प्रक्रिया पाबंद की जाए और कदम दर कदम उसकी पालना में किस तरह की स्थिति कायम की जाए। यह तभी सम्भव हो सकेगा कि उसको हम इस तरह की अवस्था में न डालें। आवेदन देने में अनेक फार्मेलिटीज हैं, उससे भी बहुत दिक्कत हो रही है। उसका कितना सरलीकरण किया जाए, इसके बारे में भी कुछ प्रस्ताव आपसे लेकर इस बाबत में कार्यवाही की जाएगी। एडवाइजरी कमेटी में जो सदस्य हैं, चाहे वे एम.एल.ए. हैं, चाहे प्रधान हैं, सरपंच हैं, एस.सी. के सदसय हैं, उनमें किस तरह की सतर्कता है। अगर ये गलतियां सचमुच में एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बावजूद भी हुई हैं तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एडवाइजरी कमेटी किस तरह से फंक्शन कर रही है। अगर 6 सौ सिंगल एप्लीकेशन और लोगों के साथ में इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसको किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, इस बारे में भी विचार किया जाएगा। डी.पी.ए.पी. एरिया के अन्दर बारानी जमीन पर अलाटमैंट और खेती करने पर जो पाबंदी लगी हुई है इस पाबंदी के बारे में एक कमेटी बैठा दी गयी है कि वह इसे रिव्यू करे। अलाटमैंट के लिए आज वह जमीन तैयार है और वह जमीन अलाटमैंट की जा सकती है तो उसके बाबत में कार्यवाही की जाएगी। आप भी अपने कोई सुझाव इस बाबत में दे सकते हों तो जरूर दें। कानून और नियमों में वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारी अनियमित और शंकास्पद बातें हो रही हैं उनको किस तरह से खतम किया जाए और लोगों को किस तरह सुविधा हो, पास के अन्य जिलों को किस तरह से उसमें भागीदार बनाया जा सकता हो, इसके बारे में भी व्यापक एग्जामिन करके इसकी कार्यवाही करने की

(श्रीमती कमला)

चेष्टा की जाएगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इतना ही माननीय सदस्यों को भरोसा दिला सकती हूं कि सचमुच में वास्तविक काश्तकार को बिना किसी परेशानी के उसके हक के मुताबिक जमीन का अलाटमैंट हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करने में जो कुछ भी सरकार की कार्यवाही करनी होगी, उसको जरूर करेंगे। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 2 मिनट मुझे चाहिए। सदन गुमराह हो जाएगा, यदि इस तरह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण ही नहीं है, किस पर बोलेंगे आप ?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैंने आपको निवेदन किया है, 600 मुरब्बा की जो चर्चा की है वे कागज 7 तारीख को सील हो गये, जांच चल रही है। उन अधिकारियों से सारे पेपर्स ले लिये गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप इसका स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं ? सरकार अपने आप स्पष्टीकरण ले लेगी, आप इसमें चिन्ता न करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठे। रामस्वरूपजी बैठें आप भी बैठे। अब चूंकि समय कम है इसलिए दूसरे बिजनस को सस्पैंड करते हुए आय–व्ययक अनुमान वर्ष 1999–2000 प्रथम अवस्था के सामान्य वाद विवाद पर चर्चा शुरू करते हैं। माननीय श्री मोहन लालजी मोदी।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मेरा तो नाम पुकार लिया। हमारे यहां पागल कुत्तों की घटनाएं चल रही हैं और जो इंजेक्शन लगाने की दवाई आती है वह जिला हैडक्वार्टर, करौली में नहीं मिल रही है। इसके बारे में मैं निवेदन कर रहा था और आपने मेरा नाम भी पुकार लिया था, इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि दवाई की व्यवस्था जिला हैडक्वार्टर पर करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहनलालजी मोदी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य विपक्षी दल तो है नहीं और कांग्रेस के लोगों से ही आप डिबेट करवाओगे तो मजाक–सी बन जाएगी। अब जो प्रहार इधर होने थे, कुछ हमको थोड़ा बहुत...

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं, बहुत थोड़ा–थोड़ा समय लेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलवाएंगें, आपकी इच्छा है तो आपको बुलवाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : या हम भी वाकआउट कर जाएं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हमें शुरू तो करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

अनुरोध

श्री मदन दिलावर, सदस्य के निलम्बन को सीमित किया जाना

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन ने पारित किया और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

माननीय सदस्य को निष्कासित किया तो उनको सदन के प्रस्ताव को शिरोधार्य करके उस वक्त बाहर चले जाना चाहिए था। नहीं गये, इसलिए उस वक्त मैंने उसमें हस्तक्षेप करना या आपको प्रार्थना करना उचित नहीं समझा। लेकिन अब वे जब चले गये तो मेरा निवेदन है कि आपको पूरी पृष्ठभूमि का पता है। प्रोवोकेशन भी हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। उन्होंने किया है, निश्चित रूप से उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं उनको उचित नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन अब अपने न उनको पैनलाइज तो कर दिया और एक एग्जाम्पल भी क्रीएट हो गया। एग्जैम्प्लरी पनिशमैंट है, ऐसा तो नहीं है। अब वे सब साथ में वाकआउट कर गये, मैं उनको उचित नहीं मानता। सदन का निर्णय बिलकुल सही था। लेकिन मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है और आपके माध्यम से ट्रैजरी बैंचेज से प्रार्थना है कि 153 का बहुमत लेकर हम यहां बैठे हैं, अब जैस्टर आफ गुडविल शो होना चाहिए। माननीय उप मुख्य सचेत साहब और माननीय कमलाजी को विशेषकर प्रार्थना है कि जैस्चर आफ गुडविल दिखा कर इस सस्पैंशन को रिवोक करें। वरना आगे डिबेट कैसे चलेगी ? अपना जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति तो हो गयी। सदन में अनुशासन रखना चाहिए लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : तो अपन क्या करें ? उनको वापस बुलाएं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वापस न बुलाएं, सस्पैंशन रिवोक कर दो, वे अपने आप आ जाएंगे। एक दिन का काफी होता है, 7 दिन का बहुत ज्यादा हो जाता है।

श्री मोहन लाल मोदी : वे रिक्वैस्ट तो करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह तो हो गया।

श्री मोहन लाल मोदी : उनकी तरफ से रिक्वैस्ट तो होनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, मेरे ख्याल से... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सजा दे दी उनको। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उनकी तरफ से हम विपक्ष के लोग रिक्वैस्ट कर रहे हैं। (व्यवधान) हम रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आप कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी बात भी सुन लीजिए थोड़ी देर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले कम्प्लीट तो कर लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको विवाद में मत डालो, इसको चालू होने दो। We cannot do anything. What can we do ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, No, You can. The House will resolve the suspension even on 5th.

श्री उपाध्यक्ष : By what mens?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble Deputy Speaker Sir, you...

श्री उपाध्यक्ष : Unless and until resolution comes how can we resolve it ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, वे आपके पास हैं, 6 अनुरोध ही तो कर रहे हैं। जो आप फरमा रहे हैं वह बिलकुल सही फरमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let them do suo-moto.

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह ठीक है। How do they react. यह उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना ट्रैजरी बैंचेज से, माननीय कमलजी से, माननीय डा. चन्द्रभानजी से, माननीय डिप्टी चीफ व्हिप से करता हूं कि अब जैस्चर आफ गुडविल हमको दिखानी चाहिए। एक दिन की सजा पर्याप्त होती है। 7 दिन का अपन दे रहे हैं, 7 दिन वाकआउट करें। कंफ्रंटेशन का रास्ता अपने को नहीं अपनाना है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी एक दिन तो होने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : वह तो 5 तारीख को भी वापस बैठक है, कोई खतम थोड़े ही हो गयी है। (व्यवधान) 5 तारीख को भी बैठक है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह मेरे ख्याल से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लालजी मोदी।

श्रीमती कमला : आप किस काज को लेकर एक्शन करवाना चाह रहे हो, वह तो कुछ है ही नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी की मौजूदगी में यह तब हो गया था, तब होने के बाद में यहां उन्होंने जो रुख अपनाया, उसके लिये आप फिर किस बात की पैरवी कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो गयी ना बात। (व्यवधान) माननीय मोहनलालजी मोदी। विराजिए, विराजिए।

आय व्ययक पर वाद-विवाद

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 1999–2000 का जो बजट पेश किया है मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय व्यासजी ने जो प्रस्ताव रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट सुन तो लीजिए, विराज तो रहा हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : कांग्रेस सरकार ने जिस हालात में कर्जे के रूप में सत्ता उनको मिली...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उनको लाना है तो इसके देख लीजिए, साहब। नहीं तो परसों तो करेंगे ही जब माननीय भैरोंसिंहजी आ जाएंगे, तब करेंगे, हमारी बात मान जाओ।

श्रीमती कमला : चलने दीजिए। इतनी क्या हमदर्दी उमड़ रही है ?

श्री मोहन लाल मोदी : उन हालता के अन्दर हमारे वित्त मंत्री ने इस तरह का जो आम नागरिकों के लिये लाभदायक है वह बजट पेश किया, उसके लिये मैं उनको बहुत—बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत—बहुत आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिए मुख्य मंत्रीजी का और वित्त मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने नीमकाथाना की जनता को एक महिला कालेज दिया। उसके बारे में बहुत—बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। इन्होंने जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया, उसी तरह से काम कर रहे हैं। 18 तारीख को मुख्य मंत्रीजी नीमकाथाना पधारे, उन्होंने इस महिला कालेज की घोषणा की तथा 26 तारीख के इस बजट के अन्दर उसका प्रावधान रख दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस सरकार के कार्य करने की क्षमता यह दर्शाती है। इसलिए मैं इस बारे में बहुत—बहुत धन्यवाद देता हूं।

घोषणा—पत्र के आधार पर किसानों को 8 घण्टे बिजली देने की बात थी, किसानों को बराबर 8 घण्टे बिजली दी जा रही है। एक करोड़ रुपया रोज बिजली बोर्ड को देकर किसानों को सही हालत में बिजली मिल रही है। मैं गांव जाता हूं, गांव में जगह—जगह मैंने पूछा है, बिजली बराबर लोगों को मिल रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जब कभी भी 8—8 घण्टे बिजली देने की घोषणाएं हुई हैं तो कभी 4 घण्टे नहीं मिली, कभी 2 घण्टे नहीं मिली, लेकिन अभी बराबर 8 घण्टे बिजली मिल रही है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

घोषणा—पत्र में दूसरी बात सरकारी कर्मचारियों के लिये आयु 60 साल से 58 साल की। बड़े लोग यह कहते थे कि हाई—कोर्ट में रिट करवा दी। सरकार ने रिट करवा दी कि यह पैसा उनको नहीं देना पड़े। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वह आयु 58 वर्ष करके 31 तारीख को उन्होंने अपना फैसला कर दिया। जिन लोगों को देना था उसका भी उन्होंने भुगतान का हिसाब इसमें कर लिया।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज के इन विषम हालात में हमारे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। मैं जब चुनावों में गया था, लोगों से बातें हुई। लोग यह चाहते थे कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल हो। मिडल स्कूल वाले चाहते थे कि हमारे यहां मैट्रिक हो, और मैट्रिक है वे चाहते थे कि हमारे यहां सीनियर सैकण्डरी हो। ये सारी बातें थीं लेकिन जब चुनकर आए और इस राजस्थान के बजट का हिसाब देखा तो 23 हजार करोड़ का कर्जा और 2 हजार करोड़ से ऊपर ब्याज। इन सारे हालात में यह अंदाजा लगाएं कि किस

(श्री मोहन लाल मोदी)

तरह से हम उन लोगों को तसल्ली दे पाएंगे। मैं तो स्वयं नहीं समझता था कि वित्त मंत्रीजी 16 हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और उसमें भी 16 हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं कक्षा के बच्चे को आज कहीं भी रोजगार नहीं मिलता। खासकर किसान का लड़का ग्रेजुएट होने के बाद खेत में हल जोतने लायक भी नहीं रहता है, बस पैंट और कोट पहनकर 100—200 रुपया महीने घर वालों से चाय—पानी के लिये चाहता है मैं आपसे इतना इसमें संशोधन करने की मांग करता हूं जो पढ़े—लिखे लड़के हैं अगर वे इस मानदेय में आपके यहां काम करना चाहते तो निश्चित रूप से आप इसमें अपना संशोधन करें।

एक हजार प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया। चार सौ उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : करेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : बजट में आ गया जो हो गया। इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। सुमित्राजी, आप इस बात को मानिये कि यह सरकार झूठी घोषणाएं नहीं करती है। (व्यवधान) आठ दिन में, आप ताज्जुब की बात तो देखिये कि 18 तारीख को घोषणा करते हैं और 26 तारीख को बजट पेश होता है, बजट में आ गया। यह कितनी बड़ी बात है। फिर भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहन लाल मोदी : दो सौ विद्यालयों को सीनियर में क्रमोन्नत करेंगे, ग्यारह महाविद्यालय खोलेंगे। डाक्टर साहब की तो है ही, डाक्टर साहब उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वे नीमकेथाने के हैं इसलिए इनका योगदान तो पूरा का पूरा है। मैं इसके साथ—साथ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सौ पशु चिकित्सालय, चार सौ नवीन पशु उप केन्द्र, यह अपने आप में एक विशेष बात है कि सारी तरफ ध्यान दिया गया है। पशु चिकित्सालय की विशेष जरूरत थी, उस पर भी पूरा ध्यान दिया है।

सड़कों का जो हमारी पूर्व सरकार ने सारे का सारा भट्टा बैठा दिया और जगह—जगह पर गहरे—गहरे खड्डे कर दिये, आज उसके कारण से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इन्होंने पूरी तरह से इस बजट में उसका भी प्रावधान रखा है। 1350 किलोमीटर नई सड़कें बनाएंगे, दो हजार किलोमीटर सड़कें कृषि उपज मण्डी के माध्यम से बनाएंगे। 30 हजार कुओं को बिजली के कनेक्शन देंगे। नर्सरी योजना समाप्त की। आप देखिये कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की तारीफ करने लायक बजट आया है। 55 वर्ष की आयु के जो वृद्ध लोग हैं उनको पहले सौ रुपये दे रहे थे, आपने उसको भी दो सौ कर दिया। विधवाओं के लिए भी दो सौ रुपये कर दिये। यानि, बजट में इन्होंने किसी तरह की भी यह चीज नहीं रखी कि

(श्री मोहन लाल मोदी)

हमारे पास साधन नहीं हैं या कमी है, उसको उन्होंने दर्शाने नहीं दिया। सारी जगह पर उन्होंने अपने हिसाब से सब किया है।

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के हिसाब से वन क्षेत्र की सारी सुविधाएं बन्द हो गयी हैं। लेकिन आज वन अधिकारियों से मिलकर कोई भी गांव में रहने वाला आदमी पत्थर ला सकता है। उसमें न तो आपकी सरकार को आमदनी होती है और लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में थोड़ीसी बात करें इस वन क्षेत्र के अन्दर काम तो हो ही रहे हैं, लोग पत्थर खोद रहे हैं, दिहाड़यों, गार्ड से मिलकर खोद रहे हैं। आप इसके बारे में व्यवस्था करें ताकि आपकी सरकार को आमदनी हो। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश हैं, इसके बारे में ज्यादा जिक्र तो कोई कर भी नहीं सकता लेकिन यह आवश्यक है, आपके इस राजस्थान में बहुत बड़ी आमदनी है खानों की। लोगों को चेजे का पत्थर और इन सारी की सारी चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांव में रहने वाले आदमी जो आज पहाड़ों में ही निवास करते हैं, वहीं पर वे घर बनाते हैं, वहीं से पत्थर निकाल कर वहीं पर लगाया। अब वे क्या करें ? जब तक वहां के फोरेस्ट गार्ड और अन्य अधिकारी उनसे नहीं मिलें, तब तक वह कंकर नहीं निकाल सकता। उनको सजा भी दे सकते हैं। आप इस ओर पूरा ध्यान दें जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़े और इन गरीब लोगों को उसका आराम भी मिले।

मैं आपसे एक निवदेन और करना चाहता हूं कि सिवायचक भूमि और चरागाह भूमि पर लोगों ने मकान बना रखें हैं और वे वर्षो से जमीन काश्त भी कर रहे हैं। आपके यहां तीन—तीन महीने की सजा का प्रावधान है, मेरे यहां के सैकड़ों काश्तकारों को तीन—तीन महीने की सजा दे दी गयी। आप इस तीन—तीन महीने की सजा के प्रावधान को बन्द करवाइये। जो जमीन वे काश्त करते हैं उनसे उसकी कीमत ले लीजिए, उनको कीमत लेकर दे दीजिये। जिन्होंने चरागाह भूमि पर मकान बना लिये हैं उन जमीनों की आप कोई न कोई कीमत लेकर के उनको इस तरह से रेगुलाइज करिये कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। आज सबसे बड़ी तकलीफ है कि लोगों को नोटिस जाते हैं और वे बारबार तहसील के दरवाजे खटखटाते हैं। कभी तोड़ने के आदेश देते हैं, कभी कुछ करने के। इसलिए इस बारे में भी आप थोड़ा—सा विशेष ध्यान दें।

दस लाख रुपये से 20 लाख रुपये विधायकों जो काम कराने के लिए आपने दिये हैं, मैं समझता हूं कि आप इसमें और भी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि ये काम तो डी.आर.डी.ए. के मार्फत होंगे। विधायक तो खाली इतना ही काम करेंगे कि काम उनके कहने के मुताबिक हो जाए। पैसा तो

(श्री मोहन लाल मोदी)

डी.आर.डी.ए. खर्च करेगा, आप विधायकों को तो कोई यह पैसा देते नहीं हैं। डी.आर.डी.ए. में जहां पर जरूरत है उस तरीके से काम हो जाए इसलिए मैं समझता हूं कि इस बीस लाख रुपये के लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन इसमें आप दस लाख रुपये स्पेशल पानी के लिए दीजिये। पानी के लिए जो अनुशंसा विधायक दें उसके लिए आप दस लाख रुपये की घोषणा और करें तो विशेष कृपा होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस राजस्थान को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। वह क्या है कि बड़े—बड़े माफिया यहां आपके शराब के ठेकेदार के रूप में आ गये हैं। ऐसे माफिया हैं जो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की जनता को बिहार बना देंगे। बैदजी...

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या बिहार कोई स्टेट नहीं है ?

श्री मोहन लाल मोदी : जो है वह तो आप भी जानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यूं कहो न कि राजस्थान बना देंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : वह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मध्य प्रदेश बना देंगे। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार बना देंगे ? आपके आंकड़े रखे हैं वह देखो तो आपकी तस्वीर नंगी हो जाएगी।

श्री मोहन लाल मोदी : आप बता देना।

श्री जगमाल सिंह यादव : बिहार से ज्यादा कोई आदर्श स्टेट नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : आपका मौका आये तब आप वह भी कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान बहुत शांत प्रदेश है और इस शांत प्रदेश से आपने 811 करोड़ रुपये के ठेकों की आमदनी बतायी है। अब तक आपके 450 करोड़ रुपये के ठेके हो गये 21 जिलों में। अब 11 जिले रह गये, जिलों में आपके ठेके नहीं उठे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था आप 11 जिलों में करना चाहते हैं उसी तरह क्यों

(16.38 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी,सभापति,पदासीन)

नहीं आप सारे 21 जिलों में कर देते ? कितना अन्तर पड़ेगा आपका ? आपकी रेवेन्यू में पचास करोड़ रुपये कम आता है तो आपकी जनता की जान—माल की बड़ी रक्षा होती है। ये सारे माफिया समाप्त हो जाते। मैंने आपको अपनी तरफ से सजेशन भी दिया था कि आप ये दुकानें पचास—पचास हजार रुपये लेकर लाइसेंस दीजिए, पचास हजार रुपये उनसे सिक्योरिटी लीजिए। फिर आप ये सारी की सारी दुकानें देते तो आपकी रेवेन्यू पर असर नहीं पड़ता और यह माफिया गिरोह भी सक्रिय नहीं होता।

(श्री मोहन लाल मोदी)

अब आपने अलवर का जो ठेका दिया उसके अन्दर विशेष तौर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यू.पी. के माफिया उसमें शामिल हैं। (व्यवधान) मैं उनमें से नाम किसी का नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आप आज जो इस रेवेन्यू का लाभ देख रहे हैं, हमारी राजस्थान की शांत प्रवृत्ति की जो जनता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी तकलीफ होगी।

एक और मैंने देखा कि हनुमानगढ़ जिले में अंग्रेजी शराब की 246 दुकानें थीं। अब आप 146 ही चलाएंगे। आप उसके अन्दर सौ क्यों छोड़ रहे हैं ? जब आप पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये उन से लेंगे और पच्चीस हजार रुपये लाइसेंस फीस मिलेगी तो 246 को लाइसेंस देने में क्या दिक्कत आती है ? मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दुकानें देकर लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी लीजिए। पच्चीस हजार के बजाय पचास हजार कीजिए, आखिर दिक्कत कहां आएगी आपको ? आज हर आदमी जो दुकान चलाना चाहेगा, उसको तो पैसा मिलेगा, आप उसको माल देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : बनिये बैठे हैं वे चलाना चाहते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : बनिये दुकान तो चलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शराब की दुकान चलाने वाला राजस्थान में कोई बनिया होगा नहीं। होगा, लेकिन अभी यह मेरी जानकारी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद(वित्त मंत्री) : शराब की दुकानें चलाने वाले हर जाति के लोग हैं। इस बात का जाति से कोई सवाल नहीं है, हर जाति के लोग हैं उसमें।

श्री मोहन लाल मोदी : हां, उनकी बात तो सही है ही। सर्वमान्य है उनकी बात।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान को इन परिस्थितियों में जो बजट दिया, उसके लिए मैं सम्मान करता हूं आपका। मैं यह भी मानता हूं कि जिन परिस्थितियों में यह बजट आपने बनाया, यह जो कहा करते थे इधर बैठकर कि सारी की सारी दिक्कतें जब अपना राज आएगा तो आपको भुगतनी पड़ेगी, वह आज आपने भुगत करके भी इस राजस्थान को बहुत अच्छा बजट दिया है। टैक्सों में जब कमी होती है तो थोड़े—से टैक्स लगाने भी पड़ते हैं और टैक्स लगाने भी चाहिये, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जैसे बजरी पर रायल्टी बढ़ गयी। यह बजरी आम आदमी के काम की चीज है, नदी में से ले जाता है। इनके दूरगामी परिणाम देखिए, आप, क्या होंगे पिछली सरकार ने सैल्स टैक्स का और रायल्टी का ठेका दिया बजरी का और चेजे के पत्थर का। आप देखिए, उसके रिजल्ट ऐसे खराब मिले हैं कि 500—500 रुपये ट्रक के। आपने तो पांच रुपये टन की अभी की थी कि पांच रुपये टन की रायल्टी लेंगे, वे तो पांच क्या पचास रुपये टन की रायल्टी ले रहे हैं। वह तो गिरोह है, एक ट्रैक्टर

(श्री मोहन लाल मोदी)

गया, दस आदमी उसके पीछे लग गये और उन्होंने मनचाहे पैसे वसूल किये। मैं आपसे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बजरी और चेजे के पत्थर के सैल्स टैक्स का ठेका पिछली सरकार ने दिया, उस तरीके से तो कम से कम आप नहीं दें। थोड़ी बहुत आमदनी तो होती है सरकार को, लेकिन इसका उन गरीबों को कितना पैसा देना पड़ता है ? 500–500 रुपये एक ट्रक के 500। रुपये एक ट्रक बजरी में लगे तो उससे बहुत बड़ा उनको नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से किसानों को दुःखी किया, गरीबों को दुःखी किया, आम मजदूर को दुःखी किया उसकी पुनरावृत्ति आप नहीं होने दें। मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हुआ आपके इस बजट की बहुत सराहना करते हुए मैं आपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : आप मुझे समय ही नहीं दे रह हैं। हम कब तक बैठे रहेंगे ? इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई वाक आउट करने की बात हुई ? इसमें कौनसी वाकआउट...(व्यवधान)

श्री सभापति : इनके बाद में आपको टाइम देंगे। बिराजिये, बिराजिये, सिंह साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बैठिये अभी।

श्री परसादी लाल मीणा(राज्य मंत्री,अल्प बचत) : बिराजिये, आपका भाषण सुनने के लिये तो हम बैठे हैं।

(श्री जगमाल सिंह यादव, नेता, राजद द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह(झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को आठवीं बार इस विधान सभा में बजट पेश करने पर बधाई देती हूं और यह शुभकामना भी करती हूं उनके लिये कि वे अपना एक नया कीर्तिमान बनाएंगे और बारह बार विधान सभा में इसी तरह राजस्थान राज्य का बजट पेश करेंगे। क्योंकि चार साल बाकी हैं, आठवीं बार पेश किया है, चार साल तो आपको और करना ही करना है। इसलिए मैं यह शुभकामना भी करती हूं आपके लिये।

श्री चन्दन मल बैद : आप भगवान नहीं हैं। भगवान के हाथ की हैं ये बातें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खैर, हाथ में किसी के हो, मनुष्य शुभकामना तो कर ही सकता है। वह शुभकामना मैं आपके लिये कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वैसे तो सरकारी बजट किसी प्रदेश का एक वित्तीय लेखा–

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जोखा होता है लेकिन उसमें वहां की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं भी प्रतिबिम्बित होती हैं। चूंकि आठ साल के कुशासन का अन्त हो गया और एक जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार आयी है, इसलिए राजस्थान की जनता को आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी हैं। यह बात सही है कि इस बार आपने जो बजट पेश किया है वह राजस्थान की प्रगति को एक नया आयाम देगा। ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं इसके साथ एक निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार के आठ साल के प्रशासन को हिट करता हुआ आपने जो श्वेत–पत्र जारी किया, उसमें नया तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। इसलिए मुझे नया नहीं लगा कि पिछले आठ साल से लगातार मैं भी और आप भी वही बातें कर रहे थें जो आपने श्वेत–पत्र में लिखी हैं। हां, केवल आंकड़ों का जोर आपने उसमें जरूर बताया है। बाकी यही सब कह रहे थे इसलिए कोई नयी बात तो की नहीं यह श्वेत–पत्र जारी करके। इसके साथ आपने कोई संकल्प भी नहीं दिखाया जिस संकल्प के जरिये यह पता लगता हो जैसा आपने कहा कि 23 हजार करोड़ आज के दिन कर्जा है इस प्रदेश के ऊपर। रिजर्व बैंक कहता है 20535 करोड़ का और आप बता रहे हैं 23655 करोड़ रुपयों का। स्पष्ट कीजिएगा जब आप अपना उत्तर दें कि वास्तव में सही बात क्या है। लेकिन आपने अपना कोई संकल्प प्रदर्शित नहीं किया कि हम आगे कर्जा नहीं लेंगे। वैसे तो इस बार ही 858 करोड़ के संसाधन जुटाने हैं। क्योंकि जब आपने 5 हजार 22 करोड़ की अपनी यह योजना रखी है इस वर्ष की तो उसमें आपको 858 करोड़ के नये संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आपने कर लगाकर यह जुटाने का प्रयत्न तो किया है लेकिन यह कहीं भी नहीं दर्शाया है कि आप कहां मितव्ययता करेंगे, आप क्या कुछ और बन्दोवस्त करेंगे जिसके जरिये आप और संसाधन जुटा सकेंगे। हां, आपने यह जरूर कह भर दिया है कि हमारे कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो हमें घाटा दे रहे हैं, उन्हें भी बन्द कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि ये सार्वजनिक उपक्रम जो समाजवाद लाने की दिशा में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा जी के द्वारा शुरू किये गये थे उन उपक्रमों को अब सफेद हाथी बताकर आप बन्द करने जा रहे हैं। मंशा आपने जरूर प्रकट कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वैसे तो आपने श्वेत–पत्र के जरिये पिछली सरकार को कोसा, लेकिन अब तो केवल पिछली सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। वर्तमान और भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, यह भी बताएं। आपकी जिम्मेदारी है, आज आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, उस जिम्मेदारी को आप किस प्रकार से निभाते हैं, यह जिम्मेदारी अब आप की है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं के आर्थिक विकास पर और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए विशेष बल देने की बात कही। लेकिन केवल इतना कह भर देने से, वित्त मंत्रीजी, काम नहीं चलता है। मेरे पास एक परित्यक्ता की एक दरख्वास्त है, सुनिएगा आप मेरी बात। उधर बात न करें, वित्त मंत्री, तो अच्छा होगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया(यातायात मंत्री) : आपकी बात पर ही बात कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मेरी बात तो कहिये, लेकिन बाद में करिएगा, पहले सुन लें।

एक परित्यक्ता महिला का मेरे पास यह प्रार्थना–पत्र है। सीनियर सैकण्डरी के बाद नौकरी के लिये 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है विधवा, निराश्रित और परित्यक्ता महिलाओं के लिये। लेकिन जब वह इंटरव्यू में गयी तो वहां पर उसको कहा गया कि नहीं, 50 प्रतिशत अंक आना अनिवार्य है इसलिए आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। ये आपके कानून की कमियां और खामियां हैं, केवल लिप सिम्पैथी करने से और केवल अपने बजट भाषण में लिख देने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब आपने इसमें स्पष्ट लिखा है तो उनके लिये अब तक 40 प्रतिशत अंक होना ही अनिवार्य था, लेकिन इस बार झुन्झुनूं जिला परिषद ने यह कहकर उसको इंटरव्यू में बिठाने से इंकार कर दिया कि आपके 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं इसलिए आप नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए इन सब बातों की ओर भी गौर कीजिए।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के बारे में दूसरे वित्त आयोग के गठन की बात की गयी है। लेकिन मैं एक ब्लंडर मिस्टेक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। इतने समझदार और इतने अनुभवी व्यक्ति राजस्थान की सरकार में बैठे हुए हैं, पंचायती राज के संविधान के संशोधन को 74वां कैसे लिख दिया आपने, यह तो 73वां संशोधन है। आप जरा उठा कर पढ़िएगा अपना भाषण जो आपने यहां पर दिया है, उसमें आपने 74वां संशोधन बताया है। 74वां संशोधन तो नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में है। यह ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर गये, यह बात मेरे समझ में नहीं आयी। किसी और का ध्यान भी इस गलती की ओर कैसे नहीं गया? सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब हो रहा है।

श्री चन्दन मल बैद : आपका गया न ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा तो जाता ही, मैं तो समझदार हूं, होशियार हूं इसलिए मेरा ध्यान चला गया लेकिन आपके तो 153 में से किसी के ध्यान में नहीं गया न, मैं यह कह रही थी आप से।

श्री चन्दन मल बैद : आपकी होशियारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस पंचायती राज की ये बात कर रहे हैं, आज का जो मौजूदा स्वरूप है उसमें वित्त आयोग गठन कर देने से, उसको अधिकार सम्पन्न बनाने से भी काम नहीं चलेगा। आज जिस तरह की व्यवस्था पंचायती राज की है उसमें सरपंच अलग, पंचायत समिति के सदस्य अलग, जिला परिषद के सदस्य अलग। पंचायत समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। सरपंच वहां पर पंचायत समिति में नहीं बैठ सकता। उनका किस तरीके से, कैसे कोआपरेशन हो, क्या है ? या तो आप वापस पहले वाली व्यवस्था ही चालू करें वरना इनको अलग—अलग इनके अधिकार बांटें, वरना यह सब मामला इतना हौचपौच हो गया है कि लोग कहते हैं कि अगली बार पंचायत समिति के सदस्य के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि न तो हमारे पास कोई अधिकार है न कुछ और है। तो निश्चित तौर से जब आप पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी विचार कीजिये कि इसमें आपको क्या करना है। वापस से ये पंचायत समिति के सदस्य रखने हैं या सरपंचों वाली पहले वाली व्यवस्था ही ठीक थी ? मुझे आशा है कि इसके बारे में पुनर्विचार कर पंचायती राज को सचमुच में शक्तिशाली और ताकतवर बानने का प्रयत्न करेंगे।

सभापति महोदय, कृषि के बारे में मुझे यह निवेदन करना था और आपने खुद ने भी माना है, वित्त मंत्रीजी, कि धीरे—धीरे हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है। इसलिए बूंद—बूंद सिंचाई योजना और फव्वारा सैट के ऊपर आपने अनुदान देने की बात कही। फव्वारा सैट पर तो 50 प्रतिशत अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दे रही थी, मेरा लिया हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। मैं भी खेती करती हूं, मेरे पास जमीन है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझती नहीं हूं। मैं खेती के बारे में समझती भी हूं लेकिन यह बूंद—बूंद सिंचाई योजना मेरे भी समझ में नहीं आती कि आखिर यह क्या है। किस तरीके से क्या है, मेरे खुद के समझ में नहीं आती। केवल लिख देने मात्र से कि बूंद—बूंद सिंचाई योजना है, क्या हुआ ? आखिर हमें बताइये तो सही यह बूंद—बूंद सिंचाई योजना क्या है।

श्री शिवचरण माथुर : होर्टिकल्चर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे पास भी होर्टिकल्चर के पेड़ हैं। आम के भी हैं, अनार के भी हैं, अमरूद के भी हैं, आंवले के भी हैं, नींबू के भी हैं, सब हैं लेकिन मेरे को नहीं मालूम है कि यह बूंद—बूंद सिंचाई योजना क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो कृपया कम से कम इस तरीके से इन सब चीजों को बताएं।

श्री चन्दन मल बैद : यह ड्रिप सिस्टम है जो बहुत–से लोगों ने लगा रखा है और इससे फायदा उठा रहे हैं। मैंने ड्रिप सिस्टम को कई किसानों के यहां देखा है। आपने कभी मुझे अपने खेत पर निमंत्रित नहीं किया, किया होता तो मैं बता देता आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप विराजें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति : यह फव्वारा सिस्टम है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, फव्वारा सिस्टम।

फव्वारा सैट के बारे में मुझे निवेदन करना था कि आपने बीस हजार फव्वारा सैट का वितरण करने का अपने इस भाषण के अन्दर जिक्र किया है लेकिन अब आप उनको और क्या सब्सिडी देंगे ? 50 प्रतिशित सब्सिडी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी, अब यह संवैदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार इस पर और कितना देगी, यह भी तो जरा अपने भाषण के दौरान बता दें आप।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ मैं शिक्षा के बारे में निवेदन कर रही थी। सच पूछिये तो आप लोगों को यह जानकार बड़ा ताज्जूब होगा। सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में यूनिसेफ ने एक फैक्ट शीट तैयार की थी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्यवाही एक घण्टे के लिए बढ़ा दी जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि यूनिसेफ ने फैक्ट शीट तैयार की है और इसमें उसने कहा है कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे विद्यालय शिक्षा से वंचित हैं, बाहर हैं। सबसे अधिक ताज्जुब की बात यह है कि पांचवीं से पहले–पहले जो उसमें भर्ती हैं उनमें से भी 50 प्रतिशत छोड़ कर चले जाते हैं, ड्राप आउट हो जाते हैं। पांचवीं योजना की अवधि के बाद से ही हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का बजट है वह 59 प्रतिशत से घट कर 48 प्रतिशत आ गया है। आज राजस्थान की हालत है सो, तो है ही, हिन्दुस्तान की भी हालत यह है कि भारत का हर तीसरा व्यक्ति निरक्षर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि प्राथमिक शिक्षा की कास्ट के ऊपर राजनीतिक आधार पर बड़े–बड़े कालेज और विश्वविद्यालय खोल कर चाहे प्रसन्न हो लें लेकिन नयी पीढ़ी को, नयी पौध को अच्छा और सांस्कृतिक नागरिक बनाने की ट्रेनिंग मिलती है वह तो इन प्राथमिक विद्यालयों से ही मिलती है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आज भी ग्रामीण इलाकों में फटी हुई टाट पट्टियां हैं, टूटी–फूटी इमारतें हैं और अधकचरे और जिसे अल्पज्ञ कहना चाहिये, शिक्षक हैं। उनके भरोसे आपने ग्रामीणों की प्राथमिक शिक्षा को छोड़ रखा है। दूसरी तरफ अभिजात्य वर्ग के लिए जिसे कहना चाहिये, महंगे और इस तरह के सारे स्कूल्स हैं जिनके अन्दर अमीरों और अभिजात्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन है। इन पब्लिक स्कूलों में जो पढ़ते हैं...माननीय वित्त मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप सुन तो रहे ही नहीं हैं। सभापति महोदय, किसे कहें, यहां पर न कोई सुनता है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सरकार सुन रही है न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि इस समाज के अन्दर आपके जैसे अभिजात्य वर्ग के और अमीरों के बच्चे तो पढ़ते हैं पब्लिक स्कूलों में और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं गांवों की चटशालाओं में, जहां वे फटी हुई टाट पट्टियों पर बैठते हैं, टूटी– फूटी इमारतें हैं, अल्पज्ञ, अधकचरे ज्ञान वाले शिक्षक वहां पर हैं। अब आप यह कह कर बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि हम 16 हजार ऐसे प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलेंगे जहां पर 40 बच्चे होंगे लेकिन हम शिक्षक को क्या देंगे ? सभापति महोदय, आप भी जब बोल रहे थे बिलकुल सही बात कह रहे थे कि 1200 रुपये देंगे। और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी ? आठवीं पास। गांव में रहने वाला आठवीं पास आठ वर्ष के बाद ...सुनिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैडम, एक्स्ट्रा एक्टीविटी है यह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह ठीक है, मैं सब समझ रही हूं। और वह अधकचरा, अल्पज्ञ जैसा मैंने बताया, आठ साल के बाद जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाता है। क्योंकि पहली बात तो आपने उसको गांव के अन्दर रखा ही अधकचरा है और आठ साल के अन्तराल के बाद जो कुछ सीखा था, वह भी भूल जाता है। क्या सिखाएगा बच्चों को, क्या पढ़ाएगा वह बच्चों को ? आप भले ही खुश हो लें कि 16,000 ऐसे प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलेंगे हम। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यदि शिक्षा केन्द्र खोलने हैं, 40 बच्चों पर मास्टर देना है तो आप कम से कम सैकण्डरी पास व्यक्ति को वहां लगाएं और 1200 के मानदेय के बजाय कम से कम दो–ढाई हजार रुपये उसे दीजिये तब आपको कोई अच्छा अध्यापक मिलेगा वरना केवल औपचारिकता से काम चलने वाला नहीं है। 1200 रुपये के अन्दर तो आज के दिन आपको अनस्किल्ड लेबर नहीं मिलता है। सच पूछिये तो अनस्किल्ड लेबर भी नहीं मिलेगा, तो कहां से मिल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जाएगा आपको पढ़ाने के लिए आध्यापक ? शिक्षा की हालत हमारी यह है। सभापति महोदय, मेरी बात की आप ताईद करेंगे, मेरी बात से आप सहमत होंगे कि झुन्झुनूं जिला एक मात्र जिला है 32 में से, जहां जिला मुख्यालय पर कोई सरकारी कालेज नहीं है। हम आभारी हैं उन धनपतियों के और उन पैसे वालों के जिन्होंने हमारे यहां पर स्कूल और कालेज खोल रखे हैं लेकिन

(17.00 बजे)

आपको क्या इस बात का श्रेय मिलेगा ? कम से कम जिला मुख्यालय के ऊपर कोई सरकारी कालेज होना चाहिए। मैं सरकारी कालेज की बात इसलिए करती हूं कि इन पाइवेट इंस्टीट्यूशंस में विद्यार्थियों का शोषण होता है, भारी ट्यूशन फीस ली जाती है और मनमर्जी की जाती है। या तो उसे चैक करें, उसके ऊपर किसी तरह का बन्धन लगाएं। सरकारी कालेज में तो ट्यूशन फीस लगती है 12 या 16 रुपये और वे लगाते हैं 100 रुपये। तो उसमें पढ़ने वालों को हार्ट बर्निंग होना स्वाभाविक है। आपने 11 कालेज खोलने की बात कही है, +++ की है। +++ 11 में से केवल एक कालेज आपने वहां दिया जहां से अपोजीशन वाला जीत आया। अपोजीशन वाला भले ही जीता हो लेकिन मुझे मालूम है कि वहां भी क्यों खोला गया है, किस वजह से खोला गया है। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बाकी +++ अच्छी की हैं। एक खोला है केवल फलौदी में। वह सब जानते हैं क्यों फलौदी में खोला। मैं नहीं कहना चाहती उसके बारे में लेकिन आपने अच्छी +++ की है 11 के अन्दर। (व्यवधान) क्यों बताऊं मैं ? अपने आप ध्यान देना, क्यों खोला है, मैं क्यों बताऊं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप बता तो दें, मुझे कुछ जानकारी तो हो। मेरा क्षेत्र आता है इसके अन्दर, तो मुझे तो मालूम हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है। आपका आता हे तो आप जानकारी कर लेना अपनी। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि अच्छी +++ की है। वित्त मंत्रीजी ले गये कालेज, शिक्षा मंत्रीजी ले गये कालेज। कर्म स्थान पर भी ले लिया और जन्म स्थान पर भी ले लिया। विधि विश्वविद्यालय ले लिया मुख्य मंत्रीजी ने, सब लोग ले गये बाकी हम रह गये, कहां जाएं हम ? झुन्झुनूं मुख्यालय पर क्या कालेज इसलिए नहीं है कि वहां पर आपकी कांग्रेस नहीं जीत सकी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जब शिक्षा मंत्री थीं तब आपने नहीं खोले ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कालेज खोले हैं सिर्फ दो। सुनिये, मैं केवल सात महीने शिक्षा मंत्री रही हूं और मैंने कालेज खोले हैं केवल दो और मैंने बिलकुल क्राइटेरिया पर खोले। एक खोला मैंने कुशलगढ़ में...

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन जब आप चिकित्सा मंत्री रही तब तो आपने गजब ही कर दिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो कुछ भी गजब किये लेकिन आपसे कम किये। कुछ भी किसे होंगे लेकिन, खेतसिंहजी, आपसे कम गजब मैंने किये हैं, इतना मैं कह सकती हूं। सुनिये, मैंने एक रतनगढ़ खोला और दूसरा कुशलगढ़ में खोला इसलिए मैंने बिलकुल क्राइटेरिया के मुताबिक खोले थे। मैं झुन्झुनूं नहीं ले गयी थी या मैं पिलानी नहीं ले गयी थी जहां से जीतकर आयी थी। मैंने वहां कालेज नहीं खोला था।

एक माननीय सदस्य : आपको ले जाना चाहिए था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, ऐसा है, विधायक तो अच्छे हो सकते हो आप, आज मुझे अधिकार है अपने झुन्झुनूं के बारे में पैरवी करने का लेकिन एक मंत्री सारे राजस्थान का मंत्री होता है। आप अच्छे मंत्री नहीं होंगे, आप विधायक अच्छे हो सकते हो। मंत्री के लिए समस्त राजस्थान होता है, उसे राजस्थान की जनता के लिए काम करना पड़ता है।

श्री चन्दन मल बैद : एक मिनट माननीय सदस्य, आप जब मंत्री थीं तब आपने नहीं खोला तो फिर मैंने यह समझा कि उनको जरूरत नहीं थी तो मैं क्यों खोलूं।

श्री जगत सिंह दायमा : अगली बार खोल देना। नैक्स्ट टाइम।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपको कोई अधिकार नहीं है मंत्रीजी को ऐसा कहने का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे सब अधिकार हैं, जब तक पजेशन है इस हाउस का, फ्लोर का मुझे हर बात कहने का अधिकार है, माननीय सदस्या। आप बीच में न बोलें तो अच्छा होगा। तो मैं निवेदन कर रही थी कि आपके लिए तो समस्त राजस्थान है। राजस्थान में कहां आवश्यकता है, राजस्थान में कौन पिछड़ा हुआ है, राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से कहां आवश्यक था, कहां उचित था, उस दृष्टिकोण से खोलने चाहिए थे लेकिन आपने राजनीतिक दृष्टिकोण से खोलकर सारी की सारी बात को मटियामेट कर दिया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमको इस बार दिलासा दिलाया है। मैं नहीं कह सकती कि उसको आप क्राइटेरिया से या कैसे खोलेंगे लेकिन जो दिलासा दिलाया है कि एक हजार प्राइमरी स्कूल्स को मिडल बनाएंगे, चार सौ मिडल को सैकण्डरी बनाएंगे और दो सौ सैकण्डरी को सीनियर सैकण्डरी बनाएंगे, मैं समझती हूं कि इस बात का वे ध्यान रखेंगे। खास तौर से मेरा तो आप ध्यान रखेंगे।

मैं इस बात के लिए तो आपको अवश्य धन्यवाद देना चाहूंगी कि पशुओं के बारे में, पशुपालन के बारे में आप बड़े चिन्तित हैं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे आप कितने ही अस्पताल खोल लें, चाहे कितने चिकित्सा उप केन्द्र खोल लें,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पशुपालन के क्षेत्र के अन्दर पर डे हमारा जो दूध का औसत था वह बजाय ऊंचा चढ़ने के धीरे–धीरे नीचे जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र के अन्दर पर कैपिटा जो हमें मिलना चाहिए था मिल्क का प्रोडक्शन वह हमें नहीं मिल रहा है और पशुओं की हमारी जो उन्नत किस्म है वह धीरे–धीरे लुप्त होती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि पेयजल के बारे में आपने काफी बड़ा प्रावधान किया है 1112 करोड़ रुपये का। भारतीय जनता पार्टी के वक्त में 1990 और 1991 में बनी हुई ऊंची टंकियां(एस.एल.आर.) जो अभी तक सूखी पड़ी हैं, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं। उनमें कई जगह तो दरारें पड़ गयी हैं, बिना पानी के वे फट गयी हैं। लेकिन अब कम से कम आपकी तो संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी भी है और जनता के प्रति जवाबदेह भी है इसलिए अब उन टंकियों में भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था तो करियेगा। कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है और गर्मी का मौसम सामने पड़ा है, ऐसी परिस्थिति हो गयी है कि गांव के कुएं सूख गये हैं, मोटरों ने पानी उठाना बन्द कर दिया है। आप इस सम्बन्ध में यह हिदायत दें सभी जिलों के आपके एक्स.ईएन. और एस.ईज. को कि जहां कहीं भी कुओं का जल स्तर इतना नीचे गिर गया है उसको खुदवाने, डीपन और बोर करवाने की अविलम्ब व्यवस्था करें, यह मुझे आपसे निवेदन करना है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ पर्यटन, कला और संस्कृति के बारे में आपने काफी कुछ भाषण में कहा है...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने वहां मीटिंग बुलायी थी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने डायरेक्शंस दिये लेकिन पालन नहीं हो रहा। मैंने लिखकर भेजा, मैंने कहा कि देखो, गांव के अन्दर पानी की प्रोब्लम हो गयी है, मेरे पास कई लोगों के इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र आये हैं। वे कहते हैं कि हमने प्रपोजल बनाकर ऊपर भेजे हैं। जब सैंक्शन आएगी तब काम शुरू होगा। आपकी सैंक्शन तो पता नहीं कौन से दिन आएंगी और आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष के अन्दर यह जनता पानी के लिए त्राहि–त्राहि करती प्यासी मर जाएगी।

मैं निवेदन कर रही थी माननीय सभापति महोदय, कि धार्मिक स्थल, और कला और संस्कृति, यह सही बात है कि हमारे प्रदेश की धरोहर हैं, इनको तवज्जोह देनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, वित्त मंत्रीजी, कि धर्म निरपेक्षता का आप वायदा तो करते हैं, दावा भी करते हैं लेकिन आपने 20–20 लाख रुपये दिये हैं वे किसको दिये हैं ? ओसियां मन्दिर, जोधपुर, नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर और विराटनगर में। क्या एक भी ऐसी दरगाह और मस्जिद आपको नहीं मिली जिसकी तरफ आप ध्यान देते ? उनको भी आप इस प्रकार देते तो आपकी धर्म निरपेक्षता का स्वरूप जो है जिसे आप सही मानते हो...

श्री के.सी. चौधरी : माननीय सभापतिजी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दरगाह के लिए 98 लाख रुपये का प्रोजेक्ट गया हुआ है आलरेडी सैंक्शन के लिए। 98 लाख रुपये के दरगाह के विकास के दो प्रोजेक्ट आलरेडी गवर्नमैंट आफ इण्डिया के पास गये हुए हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह सरकार जवाब दे देगी।

श्री जगत सिंह दायमा : बजट में नहीं है, कोई जिक्र नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, बजट में तो आपने कहीं भी नाम नहीं लिया है। (व्यवधान) पहले की बात छोड़िये लेकिन धर्म निरपेक्षता के स्वरूप को दिखाने के लिए आपको एक—दो जगह मस्जिद और दरगाह को भी लेना चाहिए था, इसके अन्तर उल्लेख करना चाहिए था।

श्री चन्दन मल बैद : इसके पहले ही कर दिया, मैडम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तब हमको लगता कि हां, सचमुच आप धर्म निरपेक्ष हो। इस चीज को आप कैसे भूल गये ? वित्त मंत्रीजी, यह ध्यान देने की बात है। अब भी मौका है, कुछ न कुछ इस तरह के आप एक—दो स्थानों का चयन करके उनके भी पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की आप व्यवस्था करेंगे, यह आपसे मुझे निवेदन करना है।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत के बारे में मुझे एक स्पष्टीकरण आपसे चाहिए। आपने अपने भाषण में कहा है कि जिन लोगों से कीमत अब तक वसूल की गयी है उनको हम कनेक्शन देंगे और अप्रेल से हम नयी नीति के तहत कनेक्शन देने की घोषणा करेंगे। मुझे निवेदन करना है, इसमें थोड़ा—सा स्पष्ट करियेगा कि डिमाण्ड नोट जिनको मिला है उनको कनेक्शन देंगे या उनको जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगा रखी है, जिनके पांच हजार रुपये हैं क्योंकि आप एप्लीकेशन के भी पांच हजार रुपया लेते हो ? मेरे यहां कई इस प्रकार के केसेज हैं।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्या, उसका नोटिफिकेशन कल निकल चुका है बिजली बोर्ड से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या ?

श्री चन्दन मल बैद : यही जो आप पूछ रही हैं, वह निकल गया। बोर्ड का नोटिफिकेशन है वह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह नोटिफिकेशन जो आपका निकला वह हमारे पास तो जाने कब आएगा, आप बता देंगे इस बारे में ?

श्री चन्दन मल बैद : वह अखबार में निकल गया, मैडम। अखबार में मैंने देखा है। मैंने उसको चार अख़बारों में देखा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, आपको बहुत—बहुत धन्यवाद।

मैं यह निवेदन करूंगी आपसे कि आप केवल डिमांड नोट वालों को ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन के पांच—पांच हजार रुपये जमा करा रखे हैं उन लोगों को भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कनेक्शन देने की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूं। पिछली बार 90 करोड़ रुपये विद्युत के ऊपर वसूल करने की बात आयी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस ने धरने भी दिये थे, प्रदर्शन भी किये थे, जेल में भी गये थे। नब्बे करोड़ की उस समय रेट बढ़ी थी, उससे आय हुई थी सरकार को 90 करोड़ की। इस बार आपने 91 करोड़ की ड्यूटी लगा दी। भूल गये आप तो सब। आपका तो आचरण सत्ता में कुछ और है विपक्ष में कुछ और है। इनमें तो दम है नहीं, और दम है नहीं इसलिए मैं आपसे कहती हूं। इनमें दम होता तो करते कुछ ये। इनमें दम नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : आप दम भर रही हो इनमें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं तो क्यों दूंगी ? इनके साथ मेरा तो कोई मेल ही नहीं खाता है। मेरे तो साथ जाने का सवाल ही नहीं है लेकिन इनमें कुछ दम नहीं है। आप विद्युत के इस मामले में 91 करोड़ ड्यूटी के रूप में किसानों से आप आम उपभोक्ताओं से लेने जा रहे हैं, उनकी जेबों से निकालने जा रहे हैं। आपका आचरण सत्ता में कुछ और है और जब आप विपक्ष में हैं तब कुछ और है, यह बात स्पष्ट हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको इस बात के लिए कि वृद्धों के बारे में आपने बड़ा ख्याल रखा है। बड़ा ख्याल रखा आपने वृद्धों का और वृद्ध व्यक्ति को चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी सबकी पेंशन के आपने पैसे बढ़ा दियें। मैं आपको इस बात के लिए बहुत—बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह अपना इन्तजाम किया है बैद जी ने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक अन्तिम निवेदन करती हूं क्या फर्क पड़ता था यदि आप वापस चुंगी लगा देते तो ? एन्ट्री टैक्स लगा दिया यह इसलिए कि उन्होंने कोई नाम रख दिया और अब अपने को नया काम करना है। ऐसी क्या बात थी ? चुंगी यदि आप वापस लगाते तो आपकी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधरती, उसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा था ? अब जितने आपके चुंगी पर बैठे हुए ठेकेदार हैं सब के सब बैठे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं बैठे बैठे, उसके अलावा उनके पास न कोई काम है न कोई काज है। यदि आप वापस चुंगी ही लगा देते तो क्या फर्क पड़ता था ? ज्यादा अच्छा होता बजाय एन्ट्री टैक्स के लेकिन जैसे इनकी जिद है कि कांग्रेस ने जो नाम रख दिया उसे हम बदलेंगे, आप भी उसी तरह से जिद करोगे कि इन्होंने कोई नाम रख दिया तो हम बदलेंगे। यह क्या बात हुई ? मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

श्री चन्दन मल बैद : एंट्री टैक्स का नोटिफिकेशन नहीं देखा है आपने। एन्ट्री टैक्स केवल विदेशी शराब, ओपियम और

(श्री चन्दन मल बैद)

लाटरी टिकट पर लगाया है।

एक माननीय सदस्य : लाटरी तो खतम हो गयी।

श्री चन्दन मल बैद : खतम हो गयी वो भी लेकिन मेरे लगाने के बाद खतम हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लाटरी खतम हो गयी और शराब के ठेके उठे नहीं इसलिए एन्ट्री टैक्स का क्या मतलब है ? जितनी आय आपको चुंगी से होती उतनी आय होगी भी नहीं, यह मैं आपको बताती हूं। उतनी आय होगी भी नहीं तो इस बात से क्या मतलब निकला ?

श्री चन्दन मल बैद : वह मतलब तो मैं आपको बता दूंगा, क्यों लगाया मैंने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए आपसे मैं यही निवेदन करती हूं कि आपने इलैक्ट्रिसिटी पर जो ड्यूटी लगायी है उसको वापस लीजिए, नहीं तो जिस प्रकार से जनता का बी.जे.पी. के विरुद्ध मानस हो गया था उसी तरीके से आपके खिलाफ भी हो सकता है। पुनर्विचार करो इसके ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री चन्दन मल बैद : स्कूल खोलने की घोषणा की वह भी वापस ले लूं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं और नहीं कहती। और घोषणा की बात नहीं कह रही हूं।

आपका बजट आर्थिक प्रगति को तो एक नया आयाम देगा लेकिन मैं इसके साथ चेतावनी भी दे रही हूं। चूंकि एकदम जनता की आशाएं और अपेक्षाएं बहुत अधिक आपसे हो गयीं तो वाह—वाही लूटने के लिए एक साल के लिए आपने यह बजट बना दिया, अगले साल क्या करोगे ? यह घाटा क्या 23 हजार से बढ़कर आगे नहीं जाएगा ? जब आप एक हजार स्कूलें खोल रहे हो, जब आप चार सौ मिडल को सैकण्डरी बना रहे हो, जब इतनी इफरात के अन्दर चिकित्सालय खोल रहे हो, इतनी इफरात के अन्दर 11—11 कालेजेज खोल रहे हो, जब आप विधि विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हो तो अगले साल क्या करोंगे ? आपने तो इन उम्मीद के अन्दर किया कि इस बार पार्लियामैंट के चुनाव होंगे, चलो वैतरणी पार कर जाएंगे लेकिन इस बार नहीं हुए तो अगले साल क्या करोगे ? इसलिए जितना बढ़िया बजट इस बार रखा है उतनी ही कमर अगली बार आप इस जनता की तोड़ोगे, यह मेरी निश्चित मान्यता है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए कि कुछ हद तक आपका बजट काफी अच्छा है, अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : माननीय आप बोलेंगे, जगमाल सिंह जी ?

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बोल लूं, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मैं बोल लूं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अकेला यादव भी हूं, अगर आपको जंचे तो बुलवा लो।

श्री जगत सिंह दायमा : इनको तो

(श्री जगत सिंह दायमा)

बी.जे.पी. आ जाए तो बुलवा लेना। मेरे को बुलवा लो अभी तो।

श्री सभापति : नहीं, ये बहुत उद्वेलित हो रहे थे।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, वे बैठते तो अच्छा रहता। मैं आज अपना उल्टा काम कर आया। जब कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा तो दुबारा तैयारी की है।

श्री सभापति : आपको भी बुलवाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : समय जाया क्यों जाने दूं ?

श्री जगत सिंह दायमा : इनके बोलने के बाद तो ये कुछ छोड़ते ही नहीं हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलवाया तो सही। मैं आपका लाख--लाख शुक्रगुजार हूं कि यादव भी याद आपको रहा।

श्री सभापति : मेरे को तो बराबर याद रहता है।

श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : सभापति महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यू.पी. का आदमी आ गया। मालूम है कौन आया वह ? ज्यादा पैसा दिया, शराब का अलवर का ठेका ले लिया। डी.पी. यादव है, राज्य सभा का मैम्बर है। कैसे कह दिया आपने ? यदि बनिया शराब का ठेका ले ले तो वैलिड है और यादव ले ले तो खराब है। आपका भी नजरिया उपेक्षित ही रहता है हमेशा।

श्री सभापति : कृपया प्रारम्भ करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी और कांग्रेस की सारी सरकार एक प्रोपेगेंडा में जुटी हुई है कि तेईस हजार करोड़ रुपये में पिछली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमैंट इस प्रदेश को टोटे में डाल गयी और कर्जा ले लिया, प्रदेश के माथे पर कर्जा मांड गयी। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, बैद जी, राज्य की जो अगले वर्ष की योजना है उसके पोषण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन्दाजा लगाया आपने ? आप भी कर्जा लेने के पाप से बच नहीं सकते। जितना बी.जे.पी. की सरकार ने कर्जा लिया है उससे कहीं ज्यादा कर्जा आपको लेना पड़ेगा अगले वर्ष की राजकीय योजना का पोषण करने के लिए। पता है क्या लेना पड़ेगा ? सभापति महोदय, एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये अल्प बचत के ऋण लेने पड़ेंगे, 900 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेना पड़ेगा, 290 करोड़ रुपये का नाबार्ड से आर्थिक ढांचा विकास ऋण लेना पड़ेगा, 160 करोड़ रुपये का त्वरिक सिंचाई ऋण लेना पड़ेगा, 350 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता लेनी पड़ेगी और 450 करोड़ रुपये केन्द्र से योजना ऋण लेना पड़ेगा। यह टोटल कितना हुआ ? तीन हजार सात सौ यानि कि साढ़े तीन हजार के लगभग कर अगली राज्य की वार्षिक योजना के पोषण के लिए आपको भार उठाना

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पड़ेगा। यह बात मानता हूं कि ये स्थितियां पैदा इन लोगों ने की हैं, यह सही है। कर्जा लेना राज्य के हित के लिए कोई बुरी बात भी नहीं है और लोग कहते आये हैं कि कर्जा लेकर घी पीना लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लेकर ही नहीं पीया +++ घी भी पीते तो कोई बात होती। ये परिस्थितियां मैं मानता हूं कि पैदा की पिछले आठ साल में बी.जे.पी. की सरकार ने, इस लिए आप कह रहे हो कर्जा ले लिया बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि कर्जे के पाप से कांग्रेस गवर्नमैंट भी नहीं बच सकती।

सभापति महोदय, यहां ऊर्जा मंत्री नहीं हैं। जो कांग्रेस की अच्छी बात है वह अच्छी भी है। अगर हलवाई से दुश्मनी हो जाए तो जलेबी कड़वी नहीं बतायी जाती, मिठाई कड़वी नहीं बतायी जाती। यह सही है कि पिछले दस साल में किसानों ने एक राहत महसूस की है कि सरकार चेंज हुई है, सरकार बदली है। यहां तक कि आपकी जो सरकार भी भैरोंसिंह जी की सरकार से पहले आठ और नौ साल किसानों को एग्रीकल्चर सैक्टर में इतनी बिजली सप्लाई की गयी है, कि मैं ही नहीं कहता हूं और राजनीतिक द्वेषता के आधार पर कोई राजनीतिक आरोप लगाए अलग बात है वरना गांवों में चले जाएं, सर्वे करके देख लो, एक बात साफ कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमैंट ने हमको जिला, दिया, हमारी खेती पैदा कर दी, हमारी खेती को पका दिया और बिजली की कोई समस्या नहीं है।

इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देऊंगा लेकिन कुछ जो प्रयोजन आपने किया है बजट में, आपने कह दिया बैदजी कि 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र हम खोगेंगे। आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रख दी कि 8वीं पास जो आदमी हो उसको 12 सौ रुपये में मैं रोजगार दे देंगे। बैदजी, कोई ठेकेदारी है क्या कि गांव के बच्चों का भविष्य खराब करने की आपने ठान ली कि गांव के बच्चों को पढ़ाएगा 8वीं जमात पास टीचर। और शहर के बच्चों को कौन पढ़ाएगा ? देवीलालजी ने 6 साल से आपसे बढ़िया चला ली, 6 जमात पढ़े हुए आदमी। मुझे देख लो 8–10 जमात पढ़ा हूं, आपसे बढ़िया चला दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : गलत बयानी कर रहे हैं। एम.ए., एलएल.बी. पढ़े हैं यह कहना चाहते हैं, मैंने बता दिया आपको।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं, बैदजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कोई ठेका ले लिया है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने गलत बयानी कैसे की जब आप एम.ए., एलएल.बी. है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे कहने का अर्थ, भाव यह था कि देवीलालजी 8 जमात

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

भी नहीं पढ़े और उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार हरियाणा में चला दी। 15 साल चला दी, किसानों के हित में चला दी और उनकी मिसाल आज तक दुनियां नहीं भूल सकी। याद होगा आपको, प्रद्युम्न सिंहजी, जब देवीलालजी ने यह नारा दिया पूरे देश में कि अगर कांग्रेस को सत्ता से हटा दें और युनाइटेड फ्रंट की गवर्नमैंट दिल्ली में बना दें तो हिन्दुस्तान के समस्त किसानों का 10 हजार तक का कर्जा माफ कर दूंगा। बंशीलालजी की लड़की हैं, सुमित्राजी, कांग्रेस में हैं, उनसे जब प्रेस वालों ने पूछा कि देवीलालजी कह रहे हैं कि अगर मैं हिन्दुस्तान में सत्ता में आ गया तो समस्त कर्जे माफ कर दूंगा किसानों के, ऐसा सम्भव है क्या ? उन्होंने कहा कि, साहब, कानून में तो सम्भव नहीं है लेकिन अनाड़ी आदमी हैं कर सकते हैं। तो राज अनाड़ी आदमी ही चला सकते हैं आपकी तरह से नहीं चला सकते। आपने दो घंटे में और चार घंटे में यह फैसला लिया कि जो आदमी बदगुमानी करता जा रहा है, जो आदमी चाहे जिस पर आरोप लगा दे इस डर से कि भैरोंसिंहजी आएंगे। तो कोई खा नहीं जाएंगे भैरोंसिंहजी। अकेले ही सिंह हैं क्या ? हम भी जगमाल सिंह हैं, ये भी जगत सिंह। आप फैसले नहीं ले सकते हैं, आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। तो मैं हट कर मुद्दे पर आ रहा हूं। बैदजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये अधिकार आपको किसने दे दिये, आज जब संसद में, विधान सभाओं में और दूसरी चुनी हुई संस्थाएं हैं उनमें किसान के बेटे काबलियत के आधार पर आपका राज छीनने लग गये तो आपने नयी योजना निकाली कि उनके बच्चों का भविष्य खराब कर दें ? आप भी अपने बच्चों को 8वीं जमात पास से पढ़वा लोगे, नाते—नवासी, आपके पोते, पोतियों को ? आप समझते हैं कि 8वीं जमात पास पढ़ा देगा ? इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि चाहे 16 हजार मत खोलिये, आप चाहे एक हजार ही प्राइमरी स्कूल खोलिये लेकिन गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का आपको इन्तजाम करना पड़ेगा वरना इन बच्चों का भविष्य समाप्त हो जाएंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मिनिमम है। वरना बी.ए. वालों को भी लगाया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन आप ग्रामीण पृष्ठ भूमि के हैं, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ओसियां से आने वाले से कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास जो लड़के होंगे जिसको बी.एड. और एस.टी.सी. की शिक्षा नहीं मिली वे पढ़ा कैसे देंगे ? जिसने ड्राइवरी नहीं सीखी और उसको बस का ड्राइवर आपने लगा दिया तो कोई पैसेंजर बैठ जाएगा ? उसको जो ड्राइवरी जानता नहीं है, बस का स्टीयरिंग आपने थमा दिया। पैसेंजर को पता लग जाए कि यह ड्राइवर गाड़ी चलाना नहीं जानता, आप सफर कर लेंगे ? खेतसिंहजी, जो एस.टी.सी. नहीं पढ़ा, बी.एड. नहीं पढ़ा उसको गांव में हमारे बच्चों

(श्री जगमाल सिंह यादव)

के साथ खिलवाड़ करने का एक अवसर दे दिया, यही आरोप आप पर लगा रहा हूं जो इन पर लगाया था कि इन्होंने शिक्षा पैसे लेकर बेची है। जो गुलाबचन्दजी कटारिया साहब कह रहे थे, आंकड़े पढ़ रहे थे कि मैट्रिक इतने, सैकण्डरी इतने, 10+2 इतने खोले हैं, यह सही है लेकिन शिक्षा को टोटल व्यवसाय बनाया है उन्होंने। शहरी क्षेत्रों में किसी से एक पैसा नहीं लिया चाहे मिडल स्कूल खोला, चाहे सैकण्डरी खोला, चाहे 10+2 खोला इन बी.जे.पी. वालों ने चूंकि इनकी तो मानसिकता शहरी है। लेकिन आपकी कांग्रेसी पार्टी की मानसिकता शहरी नहीं है। मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस को जन समर्थन मिला है वह शहरी, दुकानदार या फुटकर हैं उन व्यक्तियों का नहीं है, आपको जो समर्थन मिला है वह मिला है एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और किसानों का, माइनोरिटी का और उन लोगों का जो गांव में बसते हैं। फला करके देख लीजिए आपके 153 में, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक आपके यहां सबसे ज्यादा हैं। तो उनके बच्चों के साथ यह खिलवाड़ करने का अधिकार दे किसने दिया आपको ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं कहां कहूं 16 हजार खोल दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : गांवों के अन्दर गरीबों के बीच में, ट्राइबल एरिया के अन्दर पढ़े-लिखे बहुत अच्छे आदमी जाते कब हैं, दुःख तो इस बात का है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उनको एस.टी.सी. करा दो, बी.एड. की परीक्षा दिलवा दो, हमारे बच्चों को उनसे पढ़वा दो आप। यह कौनसा हुआ कि शहर का बच्चा, आई.ए.एस. उनको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वे पढ़ रहे हैं और जब आ.ए.एस. की काम्पीटीशन परीक्षाएं होंगी, आई.ए.एस., आई.पी.एस. या दूसरी स्टेट सर्विसेज की परीक्षाएं होंगी तो आप हमारे बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे ? बैदजी, आप बिलकुल वैसा ही हाल कर रहे हो कि दो पहलवान सामने खड़े हैं, एक के अपने हाथ-पैर पीछे से बांध रखे हैं और एक बराबर वाले को आपने खुला छोड़ रखा है। यह कोई जस्टिस नहीं हुआ, न नैचुरल जस्टिस हुआ। फिर हमारे बच्चों से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में शहर के बच्चों से काम्पीटीशन कर पाएंगे। फिर आप कहते हो आरक्षण किसलिए। आरक्षण इसलिए कि हमको समानता का अवसर आप नहीं दे रहे हैं और हमारे बच्चों की तकदीर खराब करने जा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जनरली स्कूल में ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा जो खोल रहे हैं ना उसके लिए ही है। सारी स्कूलों में है नहीं, आप खुद मानते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : एक्स्ट्रा में लड़के

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं पढ़ेंगे क्या ?

श्री रामसिंह विश्नाई : आपकी बात सही है लेकिन जो जनरल स्कूलें भी बहुत ज्यादा संख्या में है वहां पर तो ट्रेण्ड होंगे, वही लिये जाएंगे। एक्स्ट्रा जो स्कूलें खोल रहे हैं, जहां पर 30—40 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं उनको फिलहाल शिक्षा देने के लिए यह किया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : बैदजी, मैं आपका एक ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्टाम्प ड्यूटी पर और एग्रीमैंट में आपने कह दिया कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तीन फीसदी स्टाम्प ड्यटी लगाना जरूरी है और 6 महीने में उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो एग्रीमैंट की हुई रकम और वह स्टाम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत लैप्स हो जाएगी। मालूम है ये एग्रीमैन्ट कौन करते हैं इसलिए कैटेगरीज बना दी। गांवों में होता क्या है कि 5 रुपये के स्टाम्प पर अपना सौदा लिखवा देते हैं किसी किसान की फसल नहीं आए प्राकृतिक आपदा आ गयी, ओले पड़ गये, फसल खराब हो गयी और उसने एक बीघा का सौदा कर लिया तो उसके एग्रीमैंट की राशि की तीन प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी जो आपने लगायी क्या वह नुकसान नहीं उठाएगा? तो कोई ऐसा प्रावधान करें कि कोई विशेष रीजन हो तो उस 6 महीने की समय अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान आपको करना चाहिए, मेरी राय है।

आपने व्यवसाय कर लगा दिया। आज मुख्य मंत्रीजी का बयान आया कि रिटर्न जो फाइल करते हैं इनकम टैक्स में, यह व्यवसाय कर उन पर ही लागू होगा। मैं कहता हूं कोई आदमी केवल 10 हजार रुपये साल में कमाता है, वह ईमानदारी से टैक्स में जा रहा है और कह रहा है कि मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं ईमानदारी से, इनकम टैक्स के कायदों को फालो कर रहा हूं। यानी जितने इनकम टैक्स की चोरी करने की नीयत नहीं बनायी, इनकम टैक्स कानून को फालो किया और इनकम टैक्स को सारी स्थिति बता दी उस पर आपने 24 सौ रुपये सालाना का टैक्स डाल दिया। डालना चाहिए उन पर जो इनकम टैक्स दे नहीं रहे या इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं न कि उस पर जो इनकम टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है, अपनी रिटर्न डाल रहा है। या तो इसका आप क्राइटेरिया बना दीजिए। रिटर्न फाइल पर क्यों लगा रहे हैं आप ? रिटर्न फाइल अगर किसी की आयी कि मेरी 10 हजार रुपया सालाना की आमद है, उससे भी आप 24 सौ लेंगे। उसको भी आप स्पष्ट करें। मेरी राय है आप इसका निर्धारण कर दें कि अगर किसी के जिम्मे इतना कर निर्धारण है, जो साल में इतना इनकम टैक्स देता है उस पर यह लागू होगा। वरना यह अव्यवाहारिक होगा।

श्री चन्दन मल बैद : दो कंडीशन हैं। पांच हजार रुपया महीने की उसकी आमदनी होनी चाहिए और इनकम टैक्स का असैसी

(श्री चन्दन मल बैद)

होना चाहिए। दोनों में से एक भी बात नहीं होगी तो टैक्स नहीं लगेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : चलो, स्वागत योग्य है। 5 हजार रुपये महीना अगर किसी की आमद है तो वह टैक्स की सीमा को छू जाएगा। चूंकि 50 हजार एग्जम्पशन हो और वह 60 हजार तक टैक्स देगा, अगर यह सीमा बढ़ा तो आप अपने कानून में संशोधन करेंगे ? इनकम टैक्स का कानून है भारत सरकार का, अगर उसने सीमा तय कर दी कि एक लाख तक की इनकम फ्री है तो फिर आपका 5 हजार वाला मरेगा।

श्री चन्दन मल बैद : वे अपने संशोधन कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार को संशोधन करने में कोई रोक नहीं सकता।

श्री जगमाल सिंह यादव : इतनी गुंजाइश तो है ना। तो यह आपको करना चाहिए।

जहां तक एन्ट्री की बात आयी प्रवेश शुल्क की, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसलिए कि मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि एन्ट्री टैक्स कह लो चाहे, प्रवेश शुल्क कह लो, चुंगी कह लो, आक्ट्राय कह लो, मकसद एक ही है। आप इसका अर्थ कुछ भी बदल लें लेकिन अर्थ एक ही है। उसको चाहे चुंगी के नाके लगाकर, चेक पोस्ट लगाकर आप वसूल कर लें और चाहे सैल्स टैक्स से वसूल कर लें, यह कदम स्वागत योग्य है। कारण क्या है कि चुंगी माफ करने के बाद में आम उपभोक्ता को एक नये पैसे का फायदा नहीं हुआ। किसी व्यापारी ने यह कहकर कीमत कम नहीं की कि राज्य सरकार ने चुंगी कम कर दी इसलिये कम पैसे में यह माल ले जाओ। यह आपका कदम स्वागत योग्य है।

एक मैं और अपेक्षा करता था इस कांग्रेस गवर्नमैंट से क्योंकि किसान समर्थक यह सरकार अपने आपको कहती है। फसल बीमा का क्या रहा ? भैरोंसिंहजी की जब सरकार थी और आप जब इधर बैठते थे तो आप रोजाना उठाते थे सवाल कि किसानों का फसल बीमा होना चाहिये। आपने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। मेरी राय है, छोटे—छोटे सेंटैंस में निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको किसान समर्थन होना है तो निश्चित तरीके से फसल बीमा का प्रावधान, इस बार नहीं कर सकते, ये आर्थिक स्थिति बिगाड़ गये तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर भगवान आपकी सरकार को बदस्तूर रखे। क्योंकि सत्ता का नशा सांड के नशे से हजार गुना ज्यादा होता है। कर्म तो आप भी यही कर दो तो साल में, छह महीने में 153 की संख्या 33 तक आ सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बार नहीं तो अगले साल फसल बीमा का प्रावधान, अगर किसान समर्थक अपने आपको सिद्ध करते हो तो आपको करना पड़ेगा।

दूसरा निवेदन करता हूं कि यह तो आपकी सदाशयता होगी चाहिये, विकास के काम में पैसा आएगा। आपने एम.एल.एज. का, पहले तो मुबारकबाद दे दूं कि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। यह सही है कि इनसे ज्यादा बेहतर स्थिति आपने रखी। लेकिन दूसरी तरह से अगर यह पैसा हमको 20 लाख दिया तो आप क्या समझते हो, जैसा अभी आरोप लग रहे थे, कि मंत्री सामान +++ ले गये, हम +++ नहीं ले जाएंगे, हमको टके पकड़ाओगे भी नहीं, ना चैक दोगे, आप हमको तो एक कागज दे दोगे, कलेक्टर को लिखकर दे दोगे डी.आर.डी.ए. आपका काम करा देगी। तो विकास तो राजस्थान का ही होगा। इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दो। पचास नहीं तो 10 बढ़ा दीजिये। दस मेरे ख्याल से सदन के सारे माननीय सदस्य इन सभी की एक राय है और फिर इसमें फायदा पोलिटिकली है भी आपका ही। 153 वाले तो ले जाएंगे अपने क्षेत्र में वे आपकी पार्टी के हैं और ये 33 ले जाएंगे। हम जो हैं हममें से 14 में से 7 आपके गिन लो, 7 इनके गिन लो, इनका तो अलबत्ता 14 में से एक भी नहीं है। तो 50 लाख जो दूसरी स्टेट ने रखे हैं इसी तरह से इस विकास को बढ़ाओ। यह भी विकास में ही पैसा लगेगा, यह कहीं जाया तो जाएगा नहीं।

एक मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत बड़ा प्रजातंत्र में राजीव गांधी का एक सपना था कि पंचायती राज फले फुले। अब तो ये भी नहीं बैठे, ये साम्प्रदायिक शक्तियां भी नहीं बैठीं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने पंचायती राज में जिला प्रमुख को सशक्त बनाया। बल्कि जो जिला प्रमुख बनेगा वह खार हो जाएगा, जिंदगी में दुबारा जिला प्रमुख नहीं बने पाएगा, मैंने इसी सदन में कहा था माननीय सदस्यों से। अशोकजी और आपसे कहा था चन्दन मलजी, कि फिर ये समझ जाएंगे और आपका यह अमैंडमैंट लागू नहीं होगा। कांग्रेस के एम.एल.ए. स्वीकार नहीं करेंगे। पता है क्या कर दिया आपने ? उसमें बाकायदा लिखा कि कलेक्टर जो गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन होता था अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। और उसमें आगे क्या लिखा ? कि गवर्निंग कौंसिल के चेयरमैन के नाते जो भी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार थे, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में निहित होंगे। यही लिखा है ना ? क्या दे दिया आपने ? उसका नाम बदल दिया। और हालत क्या हो गयी। आई.ए.एस. को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मेरी 15 साल की राजनीतिक जिन्दगी है। अगर किसी कलेक्टर ने किसी जिला प्रमुख के यहां किसी एम.एल.ए., प्रधान और सरपंच को देख लिया कि विकास के काम करा दो तो उसकी कलेक्टर खारिज

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

और कर देगा। क्योंकि सारी वित्तीय और प्रशासनिक पावर तो उसमें है। इसलिये अब हमने यह तय कर लिया आपके राज में कि आप जिला प्रमुख की चापलूसी और हैसियत को नहीं बढ़ाना चाहते हो। आप कलेक्टर की बढ़ाना चाहते हो। जिला प्रमुख को तो +++ हम अपनी कलेक्टर से बनाकर रखेंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन वर्क पास करना तो उसी का काम है, पैसा देना उसी का काम है। तो आपने जो कहा था उसको करके तो दिखाओं। केवल नाम बदलने से अधिकार मिल गये ? मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र से लगी हुई समस्या है जो पूरे राजस्थान की भी समस्या है। भिवाड़ी, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है। बरकततुल्ला जी और शिवचरण माथुर जी का एक सपना था कि राजस्थान में दिल्ली के नजदीक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो क्योंकि बहुत दूर उद्योगपति जाना नहीं चाहते। इन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उस इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप किया। हालत यह हो गयी थी कि आफ दी रिकार्ड अलवर से ज्यादा आबादी भिवाड़ी में हो गयी थी और यह चहल—पहल रहती थी भिवाड़ी में कि जो अलवर और जयपुर के बहुत—से हिस्सों में नहीं रहती। आज कव्वे उड़ रहे हैं। यह मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, ये खोटे कर्म तो सब इनके ही हैं, पिछले तीस साल में हुए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़ी जबरदस्त तेजी से गति पकड़ रहा था, मल्टीनेशन इंडस्ट्रीज वहां आ रही थी, ला एण्ड आर्डर की राजस्थान में कोई प्रोब्लम नहीं, मीठा पानी, वहां कोई इस तरह का नहीं कि यूनियनबाजी बहुत ज्यादा पनपी हो, आज वह उजड़ रहा है। अगर ध्यान देना हो, अच्छा। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, वहां सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री थीं, इंगत बनाने वाली फाइनेंस कम्पनीज थीं, लोहे से गलाकर जो इंगत बनाते हैं। 65 थी, आज हालत यह तो हो गयी कि 65 फैक्ट्रीज में से मुशिकल से 3 या 4 इंडस्ट्री रन कर रही हैं। अब आपका बिजली बोर्ड क्या कहता है कि इनका पिछला बकाया है। मैं, बैदजी, आपका और, प्रद्युम्न सिंहजी, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, चाहे आप बिजली बोर्ड के कानूनों में कुछ भी परिवर्तन करें, लेकिन हालत यह है, आप भी जानते हो कि टोटल जो परिसम्पत्तियां हैं फर्नेशिंग वालों की, उनका तो रा—मैटीरियल बिजली ही है। उनको बिजली मिलेगी तो वेस्ट लोहे को गलाकर वे लोहा बना देते हैं। उनका चाहे कितना बकाया हो, आज बिजली बकाया पड़ी है। एग्रीकल्चर में भी बिजली की अब मांग खतम हो गयी, कहां देंगे इस बिजली को ? आप उद्योगपतियों से जो बिजली पर पैसा लेते थे उसको सब्सिडाइज कर देते थे एग्रीकल्चर में। आज आपके बिजली बोर्ड की जो हालत खराब हुई उसका कारण भी यह है कि उद्योगपतियों ने अपने कनेक्शन

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कटवा दिये, या वह यूनिट सिक हो गयी। उधर से तो पैसा आपको मुनाफे में नहीं मिल रहा है और एग्रीकल्चर पर जो सब्सिडाइज कर रहे हो वह स्टेट गवर्नमैंट अपने घर से कर रही है या अपने निजी वालों से कर रही है। उद्योगपति आपको मुनाफा देते, एग्रीकल्चर को आप सब्सिडाइज करते हैं। अब वह एग्रीकल्चर लोड भी समाप्त हो गया, इस बिजली को कहां दोगे ? बोर्ड का टोटा है उसे कैसे आप पूरा करोगे ? मेरी राय यह है कि जो आप पैकेज डील कर रहे हैं कि फिफ्टी परसेंट दे दो, दो—दो करोड़ की पूरी परिसम्पत्तियां हैं, किस्तें बना देंगे प्रद्युम्न सिंहजी, अगर वे छोड़कर भाग गये ना, तो मैं यह कहता हूं आधा पैसा आप जमा करा दो, लेकिन बिजली बोर्ड का क्या रिजल्ट निकला ? एक उद्योगपति आपके पैकेज डील में नहीं आये। मेरी सलाह है कि जो मर गया, जो रूग्ण उद्योग हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने अभी तो चालू ही किया था।

श्री सभापति : चालू रखो।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी यह सजेशन है कि उनके जो ड्यूज हैं, पैंडिंग जो लिटिगेशन हैं उनको पैंडिंग रख दिया जाए। आप किसी भी उद्योगपति से यह बात कह दें कि एक महीने का एडवांस जो आपका एस्टीमेटेड बिल है जमा करा दो, आपके कनेक्शन जोड़ देंगे। छह महीना, दस महीना, साल भर, उनको यह दो। आज बिजली आपके पास सरप्लस हो जाएगी, खपत कहां होगी ? मेरा यह सजेशन है आपको। उद्योग जो रूग्ण हो गये, आप जानते हैं कि उनकी टोटल परिसम्पत्तियां चाहे दो करोड़ हैं, पांच करोड़ हैं वे छोड़कर भागना चाहेंगे। आप ईमानदारी से अपनी इण्डस्ट्री को उठाना चाहते हैं तो उनको आफर कीजिए कि एक महीने का एडवांस पहले दे दो और जब एक महीना पूरा हो उससे पहले एक महीने का जमा करा दोगे तो ठीक है नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी इण्डस्ट्री उत्पादन में आ जाएगी, दूसरी जो आपके पास सरप्लस बिजली बच रही है जिस पर आप सब्सिडी दे रहे हो उस पर उद्योगपति आपको कामर्शियल रेट देंगे। मैं यह नहीं कहता कि फ्री में बिजली दे दो। मैं इस बात का भी हिमायती नहीं हूं कि बिजली विभाग इन इण्डस्ट्रीज को यह अलाउ कर दे कि चोरी करो। आप फिलहाल छह महीना एक्सपैरीमैंट तो करके देख लो। जो उद्योग बंद पड़े हैं, टोटे में जो बन्द करके भाग जाएंगे उनकी जो लाइबिलिटीज हैं वह कहां से देंगे ? इसलिए मेरी भिवाड़ी के मामले में एक राय है, कर सको तो ठीक है। नहीं तो जैसा आज चल रहा है उससे तो आपका रहा सहा औधोगिक एरिया भी उजड़ जाएगा।

मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने पैसे नहीं दिये, जैसे बी.जे.पी. की

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सरकार ने चार सौ सैकण्डरी स्कूल खोले और दो सौ राजस्थान में टैन प्लस टू स्कूल खोले। मैं अब राजनीतिक तरीके से दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। हालांकि हैं नहीं, आनन्द नहीं आएगा। प्रेस वाले लिखेंगे कि निहत्थों पर वार किया। बैदजी, अगर कांग्रेस की सरकार ढंग से चली, सत्ता का नशा नहीं किया...

मोहम्मद माहिर आजाद : किया था।

श्री जगमाल सिंह यादव : किया था तो आठ साल बाहर गये थे ना। सीख आपने नहीं मांगी लेकिन मैं आपको बिना मांगे सीख दे रहा हूं कि अगर आप ढंग से चले तो बी.जे.पी. को राजस्थान में कभी भी मैन्डेट नहीं मिले। आप उठाकर देख लें, 1990 में देवीलाल जी की भूल ने बी.जे.पी. का राज कायम कर दिया। हैलीकाप्टर में बैठे हम जनता दल के लोग थे, नाथूराम जी को अवाइड कर दिया, नाथूराम जी से टसल थी। केवल इस बात के लिए भैरोंसिंह ने हैलीकाप्टर में बैठकर कह गया कि अगला मुख्य मंत्री भैरोंसिंह होगा। आप उठाकर देख लीजिये, पोलिटिकली तरीके से जिन सीटों पर हमारा समझौता हुआ था 80–80 सीटों पर, उन सीटों में जनता दल की सीटें ज्यादा थीं और बी.जे.पी. की सीटें कम थीं। जो हमने ट्रायंगुलर में छोड़ दीं उनमें सात सीटें कम थीं। जो हमने ट्रायंगुलर में छोड़ दीं उनमें सात सीटें हमको मिली और ज्यादातर सीटें बी.जे.पी. को मिलीं क्योंकि देवीलाल जी जो देश के उप प्रधान मंत्री थे, वही घोषणा कर रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर भैरोंसिंह शेखावत होगा। उसके बाद भी वी. पी. सिंह की सरकार गिरी तब कर गयी थी।

लेकिन कुछ जो पाप सबसे ज्यादा था वह तो किया आपकी तरफ बैठे हुए उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और उसका भागीदार में भी हूं वरना उसी समय काला मुंह सांप्रदायिक शक्तियों का हो जाता। अब आ जाए 1993 में, इनको सीटें मिलीं 93, खरीद और फरोख्त करके अपनी सरकार बनायी। कांग्रेस का लोकप्रियता का ग्राफ कभी इतना नीचा नहीं गया कि राजस्थान से साफ हो जाए। अब आपको मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) आ गयी होगी लेकिन वोट परसेंटेज देखेंगे तो कभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था।

सभापति महोदय, अब यह कहते हैं कि हम किसानों के बहुत बड़े हिमायती हैं। यह ताजा प्रकारण है, इस बार राजस्थान में रिकार्ड पैदावार हो रही है। फसल बहुत बढ़िया है, तकदीर आपकी बुलन्द हैं कि आपने कुछ नहीं किया और फसल बहुत बढ़िया आ रही है, बम्पर फसल आ रही है। लेकिन बुवाई का रकबा कम हो गया। और कम कैसे हुआ ? जब बी.जे.पी. की गवर्नमैंट थी तो आपको भी मालूम है कि किसान एक–एक डी.ए.पी. के कट्टे के लिये तरसता रहा। समय पर उसको बीज नहीं मिला, डी.ए.पी. नहीं मिला, रसायनिक खाद नहीं मिली और किसान का बुवाई का रकबा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कम हो गया। किन्होंने किया यह पाप ? अगर रूबरू होने तो ज्यादा बढ़िया लगता। ये कहते हैं आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे और किया भी।

भारत सरकार ने यह बजट पेश किया उसमें किस–किस चीज पर बढ़ा ? रसायनिक खाद पर पैसा बढ़ा है। क्या फैक्ट्री में छिड़का जाता है रसायनिक खाद ? सौ फीसदी रसायनिक खाद किसान के काम आता है। इन्होंने बढ़ाया एक रुपया डीजल पर और पैट्रोल पर किया कम। क्या किसान के पैट्रोल काम आता है ? डीजल काम आता है जिसकी कीमत बढ़ा दी। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि कार के टायर सस्से भारत के बजट में और ट्रैक्टर के टायर महंगे। यह है दृष्टिकोण। ये होते तो ज्यादा बढ़िया होता।

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी पब्लिसिटी डिपार्टमैंट के चीफ रहे हैं। एक किस्सा एक मिनट में ही अर्ज करना चाहता हूं। एक मृत आत्मा को जब यमदूत स्वर्ग में ले जाने लगे तो नरक का रास्ता, नरक वाला कमरा पहले था। नरक का मेन दरवाजा बन्द था, विण्डो खुली हुई थी। विण्डो पर दारू, मुर्ग, मुसल्लम और परियों के नाच हो रहे थे। स्वर्ग का कमरा था आगे। उसको ले जाकर स्वर्ग में एक माला, सफेद वस्त्र और फर्श दे दी। उस मृतात्मा ने पूछा कि यह क्या है ? उसने कहा स्वर्ग। उसने कहा मुझे यहां क्यों ले आये ? और पीछे वह क्या था ? उसने कहा नरक। उसने कहा, मुझे नरक में ले चलो। मेन दरवाजा जब खोला तो पड़े जूते, फिर उसने पूछा कि यह क्या है ? उसने कहा यह नरक है। उसने कहा विण्डो पर कि दैट इज आवर पब्लिसिटी डिपार्टमैंट। +++ किसानों के लिये खड़ा होकर कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, गरीब हूं इसलिए बी.जे.पी. से जुड़ो, बी.जे.पी. का राज कायम करो।

बी.जे.पी. है फुटकर व्यापारियों की पार्टी, उद्योगपतियों की कालाबाजारियों की पार्टी। इसलिए मैं बायकाट नहीं कर रहा था, आपके आदेश का डिसओबे नहीं कर रहा था, लेकिन अब आनन्द नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, एक बात और कह रहे थे रूलिंग फेस की कि बिजनस रूल्स में गवर्नर से अमैंडमैंट करा लिया अशोक जी ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने। हमारे जमाने में जब हम सरकार में थे तो दिग्विजय सिंह जी जानते हैं, हम कहते थे +++

आज कहते हैं कि रूल्स में संशोधन कर दिया, बिजनस रूल्स बदल दिये। सभापति महोदय, बैठे होंगे दिग्विजय सिंह जी, कम से कम मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने अपने सारे विभाग वितरण कर दिये। भैरोंसिंह के बिजनस रूल्स थे, दिग्विजय सिंह जी, आपको याद होगा, रूल बदल दिया, 22 या 16 क्लाज

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

का था, उसमें अमैंड किया और कह दिया कि एल.डी.सी. का भी तबादला अगर किसी विभाग में होगा तो मुख्य मंत्री की परमीशन ली जाएगी। तो आप क्या समझते हैं भैरोंसिंह शेखावत कि अशोक गहलोत +++ राजनेता नहीं है, सारे अधिकार इनको बांट देगा और यहां से पहाड़ पर चला जाएगा, भभूत रमा लेगा। भैरोंसिंह जी क्या उम्मीद करता है ? यह उम्मीद करता है। सभापति जी, अगर होते तो ज्यादा बढ़िया होता। एप्रोप्रिएशन बिल पर भी बोलूंगा, चाहे मुझे दो मिनट का ही समय मिले। +++ जैसे मैंने कहा, बैद जी मेरी तरफ देखें, गहलोत साहब आप काम करें, देवीलाल जी आम सभा में पूछा करते थे 1987 के चुनाव में। उनकी अग्रिम पार्टी का मैम्बर हुआ करते थे। मैं और राजाखेड़ा से आने वाले जो प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ लड़कर आये थे मोहन प्रकाशजी और फाइनल टीम के वक्ता होते थे शरद यादव और देवीलालजी। वे हमारे सामने पूछा करते थे कि किसानों इस बी.जे.पी. को जानते हैं, तो पता नहीं देवीलाल जी ट्रैण्ड आदमी बैठाते थे क्या, 10 बोलते कि नहीं साहब, नहीं जानते। तो देवीलाल जी क्या डेफिनेशन देते थे मालूम है आपको ? कि मित्रों, बी.जे.पी. उस पार्टी का नाम है कि जब चुनाव आते हैं तो +++ बहुत से किसानों से मैं कहता हूं, भुगत भोगी हूं प्रायश्चित करूंगा। सभापति महोदय, हमारे गांवों में सांड होता है, आपने देखा होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं हर किसान को, गरीब को, एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटी के लोगों को कि +++ यह भ्रम है। जैसा मैंने बताया, पब्लिसिटी डिपार्टमैंट का आदमी बैठा है जो कहता है कि मैं किसान हूं, गरीब था, मेरे भाई बिशन सिंह को खाचरियावास में 6 आने के लगान के लिये सजा दे दी गयी। +++ बी.जे.पी. के पास और ज्यादा +++ नहीं है। अब मैं आपको केवल एक मिनट में सजेशन देना चाहता हूं, हालांकि आप बनिये के बेटे हो, अनुभवी हो, वित्त मंत्री रहे हो, काबिल वित्त मंत्री माने जाते हो। आपको अगर इस देश के आंकड़ों की बात...(व्यवधान) एक बात बता दूं, मुझे बिहार की खिलाफत मंजूर भी नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि इन्होंने एक एडजार्नमैंट मोशन दिया है, किसने दिया था ? राजेन्द्र राठौड़ ने जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य हैं और मैंने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया था कि कांग्रेस को बदनाम करने का केवल यह आपका हथकंडा है। जिस दिन सरकार का जवाब आ जाएगा आप बहस नहीं करोंगे। अब कभी हाउस में मांग करते हैं कि हमारा काल अटैंशन क्यों नहीं लगा। और करेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि 17.7.98 को मंत्री ने निर्णय लिया, राजस्थान की सरकार ने, नोट कर लें, 17.7.98 को कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें खून की एक यूनिट के 100 रुपया लिये जाएंगे और प्राइवेट नर्सिंग होम में 200 रुपये लिए जाएंगे। यह

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

फैसला था चूरू से आने वाले तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री का। सभापति महोदय, फिर उसमें अमैंडमैंट किया, सही एक महीने बाद 17.8.98 को कि 250 रुपये लगेंगे सरकारी अस्पतालों में और 500 रुपये लगेंगे प्राइवेट अस्पतालों में और 6.11.98 को शासन सचिवालय से यह आदेश निकला हैल्थ सैक्रेटरी के यहां से। किसकी सरकार थी ? यह फैसला लिया, 17.7.98 और 18.8.98 को, कौन था तत्कालीन मंत्री ? शर्म की बात है कि विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके यहां काल अटैंशन लगाया। प्रोपेगैण्डा पार्टी है, जैसा मैंने आपको कहा। एडजोर्नमैंट मोशन का जवाब आ जाता तो वे बोल ही नहीं पाते, यही जवाब आप पढ़कर सुनाते। यह था खून बाबत जो ये करना चाहते थे।

सभापति महोदय, केवल कुछ सुझाव दे रहा हूं। ऐसे अधिकारियों के पद समाप्त करने चाहिए और ऐसे कार्यालय जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, विशेषकर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय, वित्त मंत्रीजी, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मेरा फैसला था कि जो रीजनल मैनेजर हैं उनका काम केवल कण्डक्टर्स और ड्राइवर्स को सस्पैंड करने का कोटा ट्रांसपोर्ट इंस्पैक्टर्स को देना और बहाल करने के लिए पैसा लेना था। मेरा अनुभव था, इसलिए मैंने आर.एम. आफिस तोड़े पूरे राजस्थान में और सबको चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनका नाम रख दिया सी.एम.। आर.एम. को हटाकर मैंने डिपो मैनेजर बना दिया, मैंने कहा कि मैं डीग्रेड नहीं करूंगा, आपको आर.एम. से सी.एम. बना देता हूं। उनका नाम रख दिया चीफ मेनेजर और शार्ट में सी.एम.। 14 करोड़ रुपये मुनाफे में बोर्ड आया था। सारे नाजायज खर्चों को बन्द कर दिया। केवल दो यूनिटें या तो डिपो से बस संचालन होता था या हैड ऑफिस, सम्भाग स्तर पर कार्यालय। पद उस समय सृजित किए जाते थे जब कोई टेली कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, जयपुर, राजधानी से सीधा कंट्रोल नहीं हो सकता था। आज तो हालत यह है कि अगर जंगल में भी आई.ए.एम. चाहे तो सम्भागीय आयुक्त से, कलेक्टर से, सी.एम. से और वित्त मंत्रीजी से, गृह मंत्रीजी से कभी भी बात कर ले। इसलिए सम्भागीय स्तर पर जो पद कायम कर रखे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें, बहुत लम्बा हो चुका।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। सम्भागीय आयुक्त, उप महानिरीक्षक पुलिस, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, संयुक्त निदेशक, ये जो पद हैं वे किस काम के हैं, इनको समाप्त करें। दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निम्न स्तर पर आपने एल.डी.सी. यू.डी.सी., कार्यालय सहायक लगाए हुए हैं। एक जैसी शिक्षा, एक जैसा स्तर, एक जैसी उनकी ट्रेनिंग है, फाइल में केवल विलम्ब करने का काम करते हैं। इसमें कम से कम

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दो श्रेणी के पद समाप्त किए जा सकते हैं और आपका काम बखूबी चल सकता है। बाबू स्तर पर आपके काम को, आपकी फाइल को केवल विलम्ब करने का काम करते हैं।

टैक्नीकल सर्विसज में जे.ईएन., एईएन., एक्सईएन., एसई. लगाए हुए हैं, दो पद इस स्तर के आप कम कर दें तो आपको काफी बचत होगी और इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने पाजिटिव कदम उठाया है और 80 पद भेड़ और ऊन विभाग में समाप्त कर दिए। राजस्थान में भेड़ों की संख्या है केवल एक करोड़ 43 लाख और बकरियों की संख्या है एक करोड़ 69 लाख, इनका इलाज कौन करता है ? आज भी राजस्थान में इनका वह आदमी इलाज करता है जो पशु चिकित्सक है। आपने क्या कर रखा है ? भेड़ और ऊन विभाग में 150 राजपत्रित कर्मचारी, 1600 अराजपत्रित कर्मचारी और 7 क्षेत्रीय कार्यालय चलते हैं और इनका बजट है 14 करोड़ रुपये। अगर पशु विभाग के अधीन इनको दे दो और उन्हीं डाक्टरों को कह दो कि इनकी चिकित्सा कर दो तो आपको 14 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। मछली के ठेकों पर आपके साढ़े सात करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है और आमदनी हो रही है पांच करोड़ रुपये आप यह काम रेवेन्यू को क्यों नहीं सौंप देते, वह साढ़े सात करोड़ रुपये तो बचेंगे। अगर आप बचाना चाहते हैं तो महिला और बाल विकास विभाग क्या काम कर रहा है ? अगर आपको यू.एन.ओ. से पैसा मिल रहा है तो उसका खूब उपयोग करो, वरना इलाकों में जाकर देखो कि काम क्या हो रहा है इसमें।

श्री सभापति : औरों के लिए छोड़ दें कुछ बात।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक सैकण्ड में समाप्त करता हूं। प्रौढ़ शिक्षा को बंद करें, भू—राजस्व विभाग को रेवेन्यू विभाग में दे दें। इसके साथ—साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अलवर से हमारा मंत्री बना दिया चन्द्रशेखरजी को, विभाग क्या है ? गृह सुरक्षा, होम गार्ड। हम अलवर वालों को ओब्लाइज करें, इन +++ को मुक्ति दे दो, क्यों बंधक बना रखा है ? इनको गृह विभाग दे दो, हमको भी मुक्ति मिल जाएगी, यह मेरा सुझाव है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको फालो करते हुए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हनुमान प्रसादजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी(उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महेश जोशी)

सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया गया।

अनुरोध

श्री मदन दिलावर, सदस्य के निलम्बन को सीमित किया जाना

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवहार किया उस व्यवहार के लिए उन्हें प्रताड़ना देते हुए सात दिन के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित कर दिया, निष्कासित कर दिया। कई बार इस तरह के क्षण आते हैं जब इस तरह आवश में बात निकल जाती है।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से, संसदीय कार्य मंत्रीजी और उप मुख्य सचेतकजी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए जो निलम्बन की सात दिन की सजा है, उसे आज–आज तक की कर दें। एक मौका दिया जाना चाहिए, यह मेरा आपके जरिए निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री हनुमान प्रसादजी।

श्री खेतसिंह राठौड़(संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय आजाद साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मीडियेटर बनाया गया हो, तब तो बात में कोई सार है, इस पर विचार किया जा सकता है। उनकी तरफ से आपसे या अन्य किसी विपक्षी माननीय सदस्य से कोई विचार– विमर्श हुआ हो, उन्होंने थोड़ा–बहुत भी ऐसा कुछ महसूस किया जो तो विचार किया जा सकता है। अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से सुओ मोटो ही कार्यवाही करें, क्या यह उचित रहेगा ?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, सदाशयता तो यही होती है, वही डाली झुकती है जिसमें फल आते हैं एक बार आपने सजा दी, अब उसको कम करने का अधिकार भी सदन को ही है। उनकी तरफ से मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मेरा उनसे कोई लगाव भी नहीं है लेकिन मैं तो सदन के हित में निवेदन कर रहा हूं, बड़प्पन निभाते हुए आप इस तरीके का काम करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : सभापति महोदय, वास्तव में यह बात सही है कि पहले मैंने प्रस्ताव रखा था।

श्री सभापति : देखिए, समय जाया हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बैंठे, मैंने दूसरे सदस्य को पुकार लिया है, अनशिड्यूल्ड काम नहीं, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपक नोटिस में डाल रहा हूं। उनकी मंत्री महोदय से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी है मोटी बात यही है।

श्री सभापति : परपज फुलफिल हो गया। माननीय श्री प्रसाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आब्जैक्ट फुलफिल नहीं हुआ है। (व्यवधान) सभापति महोदय, सुबह आप भी मौजूद थे, उनका पूरा व्यवहार निश्चित रूप से आपत्तिजनक था। सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा था, मैं इससे कतई इन्कार नहीं करता। लेकिन आप सात दिन की सजा दें ओर मैं समझता हूं कि वे बात नहीं करेंगे, सात दिन तक बायकाट करेंगे और अपन हाउस चलाएंगे, मंत्री महोदय, यह ठीक रहेगा, लोकतंत्र के लिए ? जितना बहुमत आपको दिया है उतनी सदाशयता बरतें। एक दिन की सजा बिलकुल वाजिब है। मैं यह नहीं कहता कि आप उसे निरस्त कर दें, आज–आज की सजा को रखें, बाकी की निरस्त कर दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, इस पर बहस नहीं। माननीय सदस्य, बिराजें। श्री हनुमान प्रसाद।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, इस तरह डिस्कशन का टाइम जाया हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे बोलने में क्या आपत्ति हो गई ? आपने उनको तो इजाजत दे दी, अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि बैठ जाइए। मेरे बोलने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री सभापति : आपकी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से पार्लियामैण्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो आपको एक मिनट के लिए कह रहा हूं। मुझे इस बात की आपत्ति है, मैं तो सिर्फ एक मिनट के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : उसकी इजाजत नहीं है, आपके संसदीय कार्य मंत्री बोल चुके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं। आपको मेरे बोलने में ही आपत्ति है तो बैठ जाता हूं।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : बोलने की बात नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जिस प्रकार से...

श्री सभापति : नहीं, उतना टाइम नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, आप जिस

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रकार से निर्देश दे रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है।

श्री सभापति : आप बतला लीजिए। (व्यवधान) अगर आप इस पर विचार करना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष में बैठकर आप बात कर लो।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, वो नहीं है।

श्री सभापति : आप यहां बहस करने की बजाय...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बहस नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपको जो कहना है वह उनको कह दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बिलकुल बहस नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत संयमी और कम बोलने वाला हूं और मैं आपके आदेश का आदर भी करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप सोमवार को करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन ने बहस करके सजा दी है।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको सोमवार को करनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं इस बात के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए हम तो आपसे वैसे ही निवेदन कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हम भी विपक्ष के सदस्य हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको सदाशयता दिखानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने जब तक उनको सजा नहीं दी तब तक हमने आपका साथ दिया। अब सजा पूरी हो गई, उस सात दिन को एक दिन में बदल दीजिए, यह आपसे निवेदन है। आप अगर श्रेय हमें नहीं देना चाहते, हमको कुछ समझते नहीं तो माननीय भैरोंसिंह जी को दे देना। रिजल्ट यही होगा जो अब हम कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, अभी आपके सामने दो माननीय सदस्य बोल लिए, आपने उनको छूट दे दी, मैं अगर एक मिनट के लिए समय मांग रहा हूं तो आप इजाजत दे नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : आप सत्ता पक्ष हैं, आपकी मर्यादाएं भिन्न हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सत्ता पक्ष का है तो उसका मुंह बंद हो जाए ?

श्री सभापति : उनकी मर्यादाएं दूसरी हैं, आपकी मर्यादाएं भिन्न हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सत्ता पक्ष का मतलब है मुंह बंद हो जाए ?

श्री सभापति : नहीं। माननीय श्री प्रसाद।

श्री दिग्विजय सिंह : जब ये बोल सकते हैं विपक्ष से, तो हम नहीं बोल सकते ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो राज कर रहे हो, विपक्ष के पास बोलने के अलावा क्या है ? माननीय सभापति महोदय, वि... को बोलने का ही तो अधिकार है। सत्ता पक्ष के पास तो राज है, हमारे पास थोड़े ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे बिलकुल सहमत नहीं हूं और आपका इस प्रकार का व्यवहार है तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : बोलना ही है तो माननीय खेतसिंह जी राठौड़ साहब बोल लें।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रसाद।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब प्रतिपक्ष के इतने माननीय सदस्यों को आपने बोलने की इजाजत दे दी और आप उनको शांतिपूर्वक सुनते रहे तो मैं केवल आपसे आधा–एक मिनट...

श्री सभापति : मैंने कोई इजाजत नहीं दी, उन्होंने जबर्दस्ती की।

श्री दिग्विजय सिंह : उन्होंने जबर्दस्ती की उसको तो आपने शांति से सुन लिया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यदि आपका उनसे कोई विचार–विमर्श हो गया हो तो निश्चित रूप से उसके ऊपर जरूर विचार कर लेंगे और आगे आने वाले टाइम में सोमवार को उस पर निर्णय हो जाएगा।

श्री सभापति : सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ भी बोलने का अधिकार पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, चीफ व्हिप वगैरह है, दूसरे माननीय सदस्यों को ऐसा नहीं है। आपकी पोजिशन दूसरी है, इनकी स्थिति दूसरी है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपकी रूलिंग तो यह भी है कि आपकी अनुमति से ही कुछ बात कहें, प्रिविलेज मोशन लाएं यदि कोई थप्पड़ मार दे तो यहां पहले अनुमति मांगेंगे आपसे ?

आय व्ययक पर वाद-विवाद

श्री हनुमान प्रसाद(सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी ने 1999-2000 का जो बजट प्रस्ताव पेश किया है उसका स्वागत करता हूं।

कांग्रेस घोषणा पत्र में जैसी सरकार देने का वायदा किया गया था पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी, उसी के अनुरूप बजट प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं जो स्वागत योग्य है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि अल्पावधि में नयी सरकार ने जो निर्णय लिए, खास तौर से आठ घंटे कृषक को बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय, उसका बहुत स्वागत हुआ। साथ–साथ यह निश्चित हुआ कि रबी की फसल राजस्थान में एक रिकार्ड पैदावार थी, उसमें भी विशेष तौर से तिलहन। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक

(श्री हनुमान प्रसाद)

तिलहन पैदा होता है। इस वर्ष सरसों की पैदावार और गेहूं की पैदावार के पीछे आठ घंटे बिजली देने का जो प्रयास रहा है।

इसके अतिरिक्त दो निर्णय सरकार ने और लिए हैं मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के गठन के ये स्वागत योग्य हैं। सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष करने का परिणाम एक दूरगामी परिणाम होगा, विशेष तौर से जो नयी पीढ़ी है उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के दो आयाम बजट में हैं। 16 हजार उप शिक्षा केन्द्र खोलने की बात वास्तव में स्वागत योग्य तो अवश्य है, लेकिन मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि

(18.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रयोग करना उचित नहीं। प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में जब पंचायती राज़ को सुपुर्द की गई उसके पश्चात् प्राथमिक शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र में गिरा। पिछली सरकार के जमाने में शिक्षाकर्मी योजना सुदूर क्षेत्रों के लिए लागू की गई। वे ऐसे क्षेत्र थे जिनमें शिक्षक ठहरता नहीं था, खास तौर से जनजातीय क्षेत्र। उस योजना को कुछ ऐसे जिलों में भी आगे बढ़ाया गया जिनमें शिक्षक नहीं ठहरते थे, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र, जालौर—सिरोही भी उसी में आ जाता है। अंत में शिक्षाकर्मी योजना को ऐसे जिलों में लागू कर दिया गया जहां शिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक है और कम शिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें यही सुझाव देना चाहूंगा, जो मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, जहां शिक्षित और प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में ऐसे उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे उप केन्द्र खोले भी जाएं तो प्रशिक्षित अध्यापक उनमें लगाए जाएं। मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात की गई है, यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता महसूस करता हूं। विशेष तौर से वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच की पंचायत समिति में पहुंच नहीं है। इसी तरह से प्रधान की जिला परिषद में पहुंच नहीं है। साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के जो सदस्यगण हैं वे भी एक तरफ से अपने आपको हताश समझते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में इन चुने हुए सभी सदस्यों की और सरपंचों की पूर्ण भागीदारी हो इसके लिए इसमें समुचित सुधार करने की आवश्यकता आगामी चुनावों से पूर्व है। अन्यथा जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य चुनाव के लिए सामने

(श्री हनुमान प्रसाद)

आने ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, बजट में जो विशेष तौर से आपने प्रावधान रखे हैं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं के लिए, वे स्वागत योग्य हैं और ऐसा कल्याणकारी बजट इससे पहले नहीं आया। जो विश्वास राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी में व्यक्त किया है वह उनकी आकांक्षा के अनुरूप है और मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आम आदमी, ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर, किसान जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और साधारण व्यक्ति सभी सम्मिलित हैं, उनका विश्वास पिछले तीन–चार महीनों का जो कार्यकाल है उसमें लिए गए निर्णयों के कारण सुदृढ़ हुआ है।

आपके बजट प्रस्तावों से एक आशा जगी है कि यह सरकार कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित कर रही है। विशेष तौर से जो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं के लिए उद्धार की जो बात रखी है उससे सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से एक आशा की किरण जगी है, लोगों में विश्वास जगा है कि हमारी जो नई सरकार है वह हर व्यक्ति की सोचती है। कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मैं एक–दो सुझाव देना चाहूंगा, खास तौर से पशुपालन विभाग।

हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन, कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण धंधा है। पशु औषधालय खोलने और उप केन्द्र खोलने की जो घोषणा की गई है वह संख्या की दृष्टि से राजस्थान के पूरे क्षेत्र को देखते हुए कम है। इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा कि 100 नये औषधालय खोलने की जो बात कही है, इसके बजाय पहले से जो डिस्पेंसरी हैं उनको अपग्रेड करके अस्पताल बनाएं जाएं और 100 नई डिस्पेंसरी खोल दी जाए। ऐसी प्रक्रिया पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के जमाने में 1988 में हुई थी। उस समय 200 नये पशु औषधालय खोलने की बात थी तो पुरानी डिस्पेंसरियों को जो सबसे पुरानी थीं, उनको अपग्रेड किया गया और नयी डिस्पेंसरी खोली गई। इस व्यवस्था से किसी तरह की हार्ट बर्निंग नहीं होगी। अब नये स्थानों पर तो सीधा अस्प[illegible]ल खु[illegible] गया और जो पहले से डिस्पेंस[illegible] थी [illegible] वैसी ही रह गई। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय पशु पालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें एक तो संख्या की दृष्टि से और दूसरा डिस्पेंसरी से अस्पताल और नयी डिस्पेंसरी खोले अस्पताल की बजाए।

शिक्षा के क्षेत्र में जो नये विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात हैं वह स्वागत योग्य है। कालेज खोलने वाली बात है, उसमें मेरा एक सुझाव है कि झुंझुनूं जिला एक ऐसा जिला है जिसमें करीब–करीब हर 15–20 किलोमीटर

(श्री हनुमान प्रसाद)

पर कालेज है यह बात अवश्य है कि राजकीय कालेज उस जिले में नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह एक तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हरियाणा सीमा से लगता हुआ है। इस पूरे क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु गोहाना है जहां पर पंचायत समिति और तहसील है। उस स्थान से 25 और 35 किलोमीटर की दूरी में चारों तरफ कोई कालेज नहीं है, न तो प्राइवेट, न राजकीय। मेरा सुझाव है कि जहां पहले से ही कालेज मौजूद हैं ऐसे स्थानों की बजाय जो क्षेत्र उच्च शिक्षा से वंचित हैं उस क्षेत्र में कालेज की स्थापना हो तो बेहतर होगा। इस क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है भवन बनाने के लिए, प्रस्ताव पहले से ही उपलब्ध है और यदि मेरे सुझाव को माना जाता है तो एक क्षेत्रीय असंतुलन की अवस्था भी दूर होती है। उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पोलिटैक्निक कालेज की एक सिर्फ अजमेर में अपग्रेड करने की बात आई तो अजमेर का पोलिटैक्निक कालेज बन गया। इंजीनियरिंग कालेज बनने से वहां पोलिटैक्निक कालेज खोला जा रहा है वह स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरा क्षेत्र भी है जहां पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं विशेष तौर से मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा जो दिल्ली की राजधानी की परिधि का क्षेत्र पड़ता है उसमें भी आता है और औद्योगिक दृष्ट से भी पिछड़ा है। उद्योगों को बढ़ावा देने में तकनीकी शिक्षा से जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं वे आवश्यक हैं, इसलिए एक पोलिटैक्निक कालेज यदि इस क्षेत्र में आता है तो स्वागत होगा।

एक आवश्यक बात यह भी है कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पंचायतों का पुनर्गठन चुनावों से पूर्व हो, क्योंकि 1991 की जनगणना के आधार पर जो पंचायतें गठित हुई, अब वह जनसंख्या बहुत बढ़ गई। वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखकर पुनर्गठन की कार्यवाही करना आवश्यक समझता हूं और उसके लिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

जब क्षेत्र में गए तब सड़कों के रख—रखाव की बहुत कमी महसूस की गयी पिछले 8—10 वर्ष में ऐसा लगा कि सड़कों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे जिला मुख्यालय से तहसील की सड़कें हो, सब डिवीजन को जोड़ने वाली सड़कें हों या ग्रामीण सड़कें हों। नयी सरकार के गठन के पश्चात् भी जो मरम्मत का कार्य है वह हाथ में नही लिया गया है, इससे जो सही संदेश जाना था गांव—गांव तक, वह नहीं जा रहा है। आपके बजट में सड़क मरम्मत का जो व्यय है उसे दुगना अवश्य किया गया है लेकिन जैसी सड़कों की दुर्दशा है और खास तौर से झुंझुनूं जिले में, उसे देखते हुए इस दुगना किये गये प्रावधान को भी मैं कम मानता हूं। नयी सड़कें बनाने की बजाय जो सड़कें पहले से मौजूद हैं उनकी ही अगर मरम्मत, सुदृढ़ीकरण हो

(श्री हनुमान प्रसाद)

जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। सड़कों की ऐसी हालत है कि कंकड़, पत्थर के अतिरिक्त डामर वहां मौजूद नहीं है, उड़ गया है। उन सड़कों की मरम्मत तो आज हो नहीं सकती, नये सिरे से बनने की बात है। क्योंकि सड़क पहले से मौजूद दिखाई गई है तो मरम्मत के अलावा उसमें काम होगा नहीं, इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नई सड़कों को बनाने के लिए जो प्रावधान रखे गये हैं उसको जो मौजूदा सड़कें हैं उनके रख रखाव के साथ जोड़ा जाए। यदि नयी सड़क बनाई जाती है तो सिर्फ कंकड़, पत्थर तक नहीं छोड़ा जाए, उसमें डामरीकरण सम्मिलित हो, चाहे नयी नयी सड़कें कम बनें।

समाज कल्याण का जो महकमा है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं रखी गयी हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति निगम एक ऐसी संस्था है जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से बहुत बड़ी धनराशि हर वर्ष आती है। लेकिन इस निगम के द्वारा जो योजनाएं डी.आर.डी.ए. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही हैं उनका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। उसका कारण है। अगर उसे गहराई में देखें तो यह निगम केन्द्रीय सहायता स्वच्छ योजना या राष्ट्रीय निगमों की राशि जो उसको प्राप्त होती है उसे फिक्स डिपोजिट में रखकर ब्याज कमाता है और उस ब्याज से निगम चलता है। जब तक उनको समुचित ब्याज तनख्वाह देने के लिए प्राप्त नहीं होता तब तक उस राशि को बैंकों से नहीं निकालते। इसलिए जिस राशि से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चलनी चाहिए वह राशि एक तरह से बैंकों में बन्धक रह जाती है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने में इस निगम को सरकार से सहायता हर वर्ष मिलती थी और जो केन्द्रीय सहायता मिलती उसमें भी कुछ प्रतिशत, एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत उनको मिलता था, उससे निगम चलता था। आज जो सहायता सरकार की तरफ से निगम को जानी चाहिए वह नहीं पहुंचती फलस्वरूप इस निगम के माध्यम से जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में लागू होनी चाहिए वह पूरी की पूरी धनराशि या उसमें से ज्यादातर धनराशि बैंकों में रह जाती हैं। तो मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्रीजी इस निगम को राजकीय सहयोग देने की बात सोचे ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की जो राशि प्राप्त होती है वह उन योजनाओं में समुचित समय पर लग सके। वास्तव में ऐसा होता है कि राशि उपलब्ध होती है तब योजनाएं चलती हैं। विशेष तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धनराशि की उपलब्धता नहीं होने के कारण समय पर नहीं चलाया जा रहा है। मेरा यह विशेष तौर से निवेदन रहेगा कि इस निगम को सक्षम बनाया जाए।

(श्री हनुमान प्रसाद)

एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा। नवोदय विद्यालयों की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत हर जिले में हुई और उसमें प्रतिभावान छात्रों को विशेष तौर से चयनित कर उनको आवसीय शिक्षा उपलब्ध करायी गयी और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया गया। 1986 की शिक्षा नीति में यह भी व्यवस्था थी कि एक्सपैरीमैंट के बतौर इस तरह से एक एक विद्यालय खोले गये हैं और बाद में इन जिलों में दूसरे और भी इस कड़ी में जुड़ेंगे। मेरा विशेष तौर पर आपसे निवेदन है कि एस.सी. एस.टी. कारपोरेशन में जो धनराशि विशेष सहायता के माध्यम से उपलब्ध होती है उसके साथ ही राज्य सरकार भी सहयोग कर हर जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खोले उसमें आप और भी कमजोर वर्ग को यदि सम्मिलित करना चाहे तो करें। ऐसे विद्यालय कम से कम 400 छात्रों के लिए हों तो शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है और इन जातियों में जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है।

इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। पिछले 8–10 साल के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को, विशेष तौर से जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग आते हैं, उनको यातनाएं दी गयीं, तिरस्कृत किया गया। आज एक ऐसी संवेदनशील सरकार स्थापित हुई है जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का पूर्ण समर्थन मिला है। वह इससे प्रदर्शित होता है कि अनुसूचित जाति के 33 में से 29 विधायक कांग्रेस के साथ, अनुसूचित जनजाति के 24 में 19 विधायक कांग्रेस के साथ, अल्पसंख्यक जितने भी विधायक हैं ज्यादातर कांग्रेस के साथ हैं और पिछड़े वर्ग का भी बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसी संवेदनशील सरकार के होते हुए अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार चलते रहें, यह बात समझ में नहीं आती। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे मामलों को गम्भीरता से लेने के लिए जिला कलेक्टर और एस.पी. को भी पाबन्द करें। सामूहिक जुर्माने की इसमें एक व्यवस्था थी जिसको कभी काम में नहीं लिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनतंत्र में व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, उसको समुचित आदर मिले और उसे इन्सान समझा जाए, इसके लिए मैं समुचित कदम उठाने की आवश्यकता महसूस करता हूं।

एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूंगा आरक्षण व्यवस्था जो समुचित ढंग से चल रही थी, पिछले कुछ वर्ष में उसमें भी तोड़–मरोड़ की गयी और कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की आड़ में जो राजस्थान में सम्भवतया लागू भी नहीं होते थे, रोस्टर प्रणाली भी बदल दी गयी। ऐसी व्यवस्था की है कि जो हण्डरेड पाइंट रोस्टर था उसमें अब यदि प्रथम पांच नियुक्तियां होनी हैं या चार नियक्तियां होनी हैं तो

(श्री हनुमान प्रसाद)

आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति उसमें नहीं आ सकता। अगर सीधी भर्ती के पद हैं तो 8 नियुक्तियों तक एक ओ.बी.सी. का और एक एस.सी. का यानि 8 में से दो, सिर्फ 25 प्रतिशत आरक्षण रह जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में कहीं नहीं कहा गया कि रोस्टर को परिवर्तित किया जाए। पहले एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी भी पाइंट पर अगर रोस्टर की जिसमें ओ.बी.सी. भी शामिल हो गया था, पालना की जाती तो 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं बैठता। मैं यह नहीं सोच सकता कि इसकी क्या आवश्यकता हुई कि जो रोस्टर पाइंट पहले की व्यवस्था में था उनको परिवर्तित किया गया। यदि 10 पदों की भर्ती होती है तो एक ओ.बी.सी., एक एस.सी. और एक एस.टी., इसका मतलब 3 पद सीधी भर्ती में आते हैं और आरक्षण का प्रतिशत 30 रह जाता है, जबकि राजस्थान में इन तीनों श्रेणियों के लिए 49 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि एस.सी., एस.टी. के लिए नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण की वर्तमान नीति में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कठिनाइयां और विसंगतियां इस आरक्षण की व्यवस्था में हुई हैं उनके पीछे क्या सोच रहा उसमें जाने की आवश्यकता नहीं हैं। इस बात की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि केन्द्र में इसी तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर जो एक आन्दोलन की–सी स्थिति हुई उसमें प्रधान मंत्रीजी को आश्वासन देना पड़ा, वैसी कोई स्थिति राजस्थान में आए। आज हमारी सरकार घोषणा पत्र में यह सब कुछ लेकर चली है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था पर अविलम्ब पुनर्विचार किया जाकर जो व्यवस्था में बिगड़ाव किया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, उसको यथावत किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद : मैं एक–दो निवेदन और करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गये निवेदन।

श्री हनुमान प्रसाद : शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में जो छात्र जाते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, उनमें आठ और छह प्रतिशत का ही आरक्षण रखा हुआ है। यह बिन्दु भी एक ऐसा है जो हमेशा पीड़ा का विषय रहा है। मैं आपके माध्यम से इस बिन्दु पर भी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी पुनर्विचार किया जाए ताकि यह विसंगति दूर हो सके।

अंत में मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि समग्र समाज के विकास के लिए बजट में प्रस्ताव रखे हैं जो स्वागत योग्य हैं और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग

(श्री हनुमान प्रसाद)

में जिसमें अल्पसंख्यक भी सम्मिलित हैं, आशा की किरण जगी है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आपने समय और अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : जगत सिंह जी दायमा बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : जगतसिंह जी दायमा ने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह(उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999–2000 के बजट के ऊपर वाद–विवाद चल रहा है और माननीय सदस्यों ने अपने–अपने सुझाव और बजट प्रावधानों में जो कुछ कमी रही और इस बजट के माध्यम से जो विकास के काम हुए हैं या आगे कुछ और होने चाहिए, उसके ऊपर अपने विचारों का प्रकाश डाला है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का जब बजट प्रस्तुत होता है उस समय बल्कि उसके महीने पहले से ही सभी वर्गो के अन्दर इस प्रकार की एक जिज्ञासा उत्पन्न हाती है कि आने वाला बजट सरकार कैसा पेश करने जा रही है। वह चाहे व्यापारी हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे किसी व्यवसाय का व्यक्ति हो, हर आदमी की उत्सुकता राज्य सरकार के बजट को सुनने के लिए और उसके परिणाम जानने के लिए रहती है। इससे पहले कि मैं उन सब बातों का जिक्र करूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम आज प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसमें सभी का योगदान रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी जिन कठिनाइयों से और जिन समस्याओं से उबारकर इस बजट को लाये हैं, निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, जबकि वर्ष 1998–99 का जो बजट गत सरकार का था उस सरकार में हम इस जगह पर आ गये थे कि 23000 करोड़ रुपये धाटे के रूप में प्रदर्शित हो रहे थे। उससे ऐसा लग रहा था कि किस प्रकार से माननीय वित्त मंत्रीजी आने वाले 1999–2000 का बजट संतुलित करते हुए प्रस्तुत करेंगे ताकि प्रदेश के विकास की गति नहीं रुके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कई आंकड़ों के जाल दिखाए और ऐसी बातें कहीं कि जैसे उनके द्वारा रखे गये गत वर्ष के बजट में कोई कमी रही नहीं हो। जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि गई योजना का जो आकार उन्होंने प्रस्तुत किया और जो मंजूर कराया, नवम्बर के अन्दर चुनाव हो गये, वर्ष खतम हो रहा था मार्च में और सरकार बदल गई, हमारे वित्त मंत्रीजी ने जब कार्यभार संभाला तो नवम्बर के अन्दर यह स्थिति आ गई कि 23000 करोड़ रुपये का घाटा। जब नयी योजना का आकार हमारी सरकार के वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी लेकर गये तो प्लानिंग कमीशन से इस

(श्री दिग्विजय सिंह)

आधार पर कटौती कर दी गयी कि आपने अपनी योजना के अन्दर गये टाइम जो अकाल बताया था और संशोधन जुटाने की बात थी, वे संसाधन नहीं जुटाये। इस बजट से उन्होंने हमारी इस वर्ष की योजना के अन्दर कटौती की। फिर भी माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट के अन्दर उसको यथावत रखते हुए संसाधन जुटाते हुए यह बात कही है कि जब हमारे प्रदेश का विकास और विकास की गति को हम रुकने नहीं देंगे और संसाधन जुटाकर इसको पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि प्रतिपक्ष के नेता और सभी सदस्यगण कहते हैं कि 23000 करोड़ रुपये के घाटा का प्रश्न नहीं उठता उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी बजट पढ़ा होगा और माननीय वित्त मंत्री जी ने श्वेत पत्र दिया है, यह श्वेत पत्र कोई कल्पित नहीं है, ये सब सरकारी आंकड़े हैं और ये वे आंकड़े हैं जो उस समय की सरकार के द्वारा दिये गये हैं, संकलित किये गये हैं। अगर आप इस श्वेत पत्र के अन्दर देखेंगे तो केवल दो वर्षों को छोड़कर बाकी के सारे वर्षों के अन्दर घाटे का बजट रहा है ये वर्ष हैं, 1990–91 और 1991–92 इन दोनों वर्षों के अन्दर बचत रही है और बाकी सारे घाटे के बजट रहे हैं। 1998–99 के बजट में भी यही स्थिति रही पर हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रयास करके इसको संतुलित करने का जो साहसिक कदम उठाया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि कर्ज के बारे में अमूमन प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कर्ज के ऊपर ब्याज इतना देना पड़ता है उसका क्या होगा। मैं खुद मानता हूं कि फाइनेंशल डिसिप्लिन के हिसाब से कोई कर्ज लेना गलत नहीं है। आप कर्ज ले और कर्ज लेने के साथ–साथ यदि राज्य के अन्दर आप असैट्स क्रीएट कर लेते हैं, उसी परसेंटेज में या उससे कम या अधिक परसेंटेज में क्रीएट हों तो कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कर्ज तो आप इतना ले लें और असैट्स क्रीएट कुछ नहीं करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में—साल में, दो साल बाद में लाइबिलिटी स्टेट के ऊपर बढ़ जाती है और बाद में स्टेट कर्ज में डूबता चला जाता है। आज वह स्थिति रही, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कर्ज इतना ज्यादा ले लिया कि उस ऋण का ब्याज ही हम चुका रहे हैं, अभी मूल ऋण बाकी है। अगर असैट्स उसके मुकाबलें, डवलपमैंट के हिसाब से, काम के हिसाब से क्रीएट हो जातीं तो कर्ज लेने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जो असैट्स हम क्रीएट नहीं कर पाये इसके लिए भी गत सरकार दोषी है। यह कहना कि कर्ज लेकर हमने कार्यवाही नहीं की, यह तो गलत है क्योंकि आंकड़ों में और बजट रिकार्ड में इस बात का सबूत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मोटे–मोटे मुद्दों के ऊपर माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान

(श्री दिग्विजय सिंह)

आकर्षित करना चाहूंगा। आपने इस बजट में स्कूलों का भी प्रावधान किया है, सिंचाई के साधनों का भी किया है, विद्युत का भी किया है, सब प्रकार से हमारे आगे विकास करने की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर आपने संकेत दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि टौंक जिले के अन्दर बीसलपुर परियोजना आज इस क्षेत्र की एक जीवनरेखा बनने जा रही है, जो जयपुर को, अजमेर को, ब्यावर को और बड़े–बड़े शहरों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके साथ--साथ हमारे टौंक जिले में सिंचाई की सुविधा भी इससे उपलब्ध होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि उसका पानी कोई टौंक जिले में ही रहे क्योंकि जब हम पानी पंजाब सरकार से मांग सकते हैं तो इस पानी के ऊपर हक सब का है पर कम से कम इतना तो हो कि टौंक जिले का पहला हक रहे। टौंक जिले के अन्दर पानी जितना मिलना चाहिए उसके लिए इस बीसलपुर प्रोजैक्ट के अन्दर और धनराशि रखने का प्रावधान आपने इस बजट में नहीं किया। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक और बात आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर परियोजना बहूद्देश्यीय परियोजना है जो सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा दोनों के लिए रखी गई है। जयपुर के लिए पीने का पानी आप टोडारायसिंह से 193 किलोमीटर लाइन बिछाकर लाएंगे। इसका विकल्प है कि ईसरदा के ऊपर आप एक बांध बांध लें। उसका सर्वे भी हो चुका दो साल पहले, दस लाख रुपये खर्च हुए हैं और टोटल प्रोजैक्ट की कास्ट इतनी 129 करोड़ आज से दो तीन साल पहले की थी, अब दो सौ करोड़ की हो गई होगी। आज भी बनास के अन्दर आठ एम.सी.एफ.टी. पानी बहकर बेकार जा रहा है। अगर हम इसको करके जयपुर को पीने के पानी की व्यवस्था करें तो आपका माइलेज भी कम आएगा क्योंकि किलोमीटर कम है, 90 किलोमीटर की लाइन आएगी और सौ सवा सो करोड़ के अन्दर सारा काम हो जाएगा जबकि उधर दो सौ–सवा दो सौ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि इस ओर भी जरा ध्यान दें। हमारे टौंक जिले की खास तौर से समस्या है यह वैकल्पिक व्यवस्था जयपुर को पीने के पानी की अगर हो गई तो उधर बीसलपुर बांध में पानी बचेना और उधर जो पानी बचेगा वह पानी टौंक जिले की बची हुई तहसीलें हैं, बचे हुए जो ग्राम हैं उनको सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है, आप उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इसी के साथ–साथ...(व्यवधान) अपके तो उधर बढ़ जाएगा तो पीने का पानी खूब मिलेगा। आप तिरना उसके अन्दर, चाहो तो।

श्री रामसिंह विश्नोई : डूब मरना।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, डूब नहीं मरेंगें ये तिरेंगे वहां पर।

श्री के.सी. चौधरी(ब्यावर) : बीसलपुर बांध के दरवाजे खोलने से पानी और कम हो गया, सर।

श्री दिग्विजय सिंह : कहां पर ?

श्री के.सी. चौधरी : बीसलपुर बांध के गेट खोलकर पानी बाहर निकाला था...

श्री दिग्विजय सिंह : गेट खोलने से तो कम होगा ही। भरा रहेगा तब कम थोड़े ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रहा था कि यह जो पानी बचेगा बीलसपुर की तो लैफ्ट लाइन कैनाल जिसको कि गत सरकार ने राजनीतिक कारणों से रोक दिया था, उसके ऊपर भी काम चालू हो जाएगा और उस क्षेत्र को भी पीने का पानी मिलने लग जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की बात है क्योंकि यह जो नहर निकली है वह अधिकतर मेरे क्षेत्र में से होती हुई गई है और फिर टौंक निर्वाचन क्षेत्र में गई है। माननीय वित्त मंत्री का मैं ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारी इस नहर पर दो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं और स्वीकृत हो जाएं, इसे आप अपने बजट प्रावधानों के अनुसार देखें, तो जो क्षेत्र रह गया है, जिसकी ऊंचाई थोड़ी–सी ऊंची है उस क्षेत्र में भी पानी फिरेगा आर.डी. 19 और आर.डी. 26 के ऊपर। मैं कहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी कि इस परियोजना के ऊपर अपने बजट में तो कुछ प्रावधान किया नहीं, कहीं अलग से कुछ व्यवस्था हो तो वह एक अलग बात है, बाकी आप जब अपना उत्तर दें तो इस सम्बन्ध में भी संतुष्ट कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सिंचाई पर आपने कर लगाया। सिंचाई की जो अपने दर बढ़ाई वह मैं समझता हूं कि आज के समय कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि बीस वर्षों में सिंचाई की दर कभी बढ़ी नहीं और कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन किसी डैम की हो, वह बढ़ती चली गई। उसका जो रिटर्न है वह भी आज इर्रिगेशन डिपार्टमैंट को नहीं मिल पा रहा, मेंटिनेंस कास्ट भी नहीं निकल पा रही। मैं इसलिए आपका समर्थन कर रहा हूं सिंचाई की दर बढ़ाने का कि ज्यादा से ज्यादा पन्द्रह प्रतिशत किसान फ्लो इर्रिगेशन से, सिंचाई के रेट बढ़ने से प्रभावित होंगे, बाकी अधिकतर किसान इससे कोई प्रभावित नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सिंचाई की दर बढ़ाई है, मैं समझता हूं इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे सक्षम हैं। आजकल काश्तकारों ने भी अपना क्राप पेटर्न चैंज कर लिया, कैश क्राप करने लग गये। उनको रिटर्न भी अच्छी आती है, इसलिए कोई काश्तकार इसे देने में असमर्थता नहीं बताएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों

(श्री दिग्विजय सिंह)

ने जो बात कही है उसी को मैं भी स्पष्ट करना चाहूंगा व्यवसाय कर के बारे में। अभी आपने स्पष्ट तो किया है कि यह व्यवसाय कर इनकम टैक्स असैसी जो भी हैं उसी के ऊपर लगेगा पांच हजार हो या इनकम टैक्स के अन्दर असैसी हो।

श्री चन्दन मल बैद : दोनों ही हो।

श्री दिग्विजय सिंह : दोनों ही हो उस पर लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं इसलिए पूछना चाहूंगा कि किसी की सारी सैलेरी एमोल्यूमैंट्स, टी.ए., डी.ए. ये सब मिलाकर अगर टोटल पांच हजार बनता है उसको आप टैक्सेबल मानेंगे या केवल बेसिक सैलेरी के आधार के ऊपर उस पर टैक्स इम्पोज करेंगे ? क्योंकि बेसिक उसकी दो हजार है और एच.आर.ए., टी.ए., डी.ए. और दूसरे मिलाकर उसकी हो जाती है तनख्वाह छह हजार रुपये तो फिर वह टैक्स में आ जाएगा। मैं समझता हूं इसके ऊपर आप, वित्त मंत्रीजी, पुनर्विचार करेंगे। सैलरीड आदमी के लिए इन सब को एक्सक्लूड करते हुए इसको बेसिक सैलेरी के ऊपर अगर रख दें तो बेसिक सैलेरी जिसकी पांच हजार से नीचे की है वह इसकी परव्यू में नहीं आएगा। अन्यथा सारा अगर आप जोड़ लेंगे तो जिसकी दो हजार की आज तनख्वाह है उसकी भी आज एच.आर.ए., डी.ए. और दूसरे सब एमोल्युमैंट्स मिला कर 6 हजार हो जाती है। आज एक साधारण सिपाही है उसकी भी फिफ्थ पे कमीशन के आने बाद पे रिवाइज हो गई और जिसकी चौदह सौ थी वह आज पहुंच गई साढ़े चार हजार और अगर उसका एच.आर.ए. और जोड़ लेंगे तो पहुंच जाते हैं आठ हजार रुपये। तो वह सैलेरीड आदमी भी टैक्सेबल हो गया। इसलिए इस पर विचार करें तो कम से कम सैलेरी वालों के लिए इसको आप बेसिक पर ही रखें, मेरा यह सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने बजट में कुछ लग्जरी टैक्स की भी बात कही। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपके मतलब की बात कह रहा हूं।

श्री चन्दल मल बैद : जी हां, मैं आप ही को सुन रहा हूं। चर्चा चाहे दूसरी हो लेकिन मुंह आपकी तरफ ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : अच्छा। यह तो आपकी दया है।

लक्जरी टैक्स जो आपने लगाया है वह आपने 7.2 प्रतिशत किया है, उसमें होटल्स सब इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें मेरा यह संशोधन है कि 7.2 प्रतिशत की जगह आप इसको 9 प्रतिशत करें क्योंकि जो टैरिफ्स हैं होटल्स के, वे तो जो लास्ट टैक्स लगाया था इन्होंने 6 प्रतिशत उसके बाद दो—तीन साल में आज हो गये डबल बल्कि फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स हो गये। जो कमरा दो हजार का आज से तीन साल पहले था आज उसी कमरे के पांच हजार रुपये लेने लग गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच हजार देगा वह इतना और दे देगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा।

श्री रामनारायण चौधरी : पांच हजार देने वाला यह भी दे देगा, इनके कहने का मतलब यह है।

श्री दिग्विजय सिंह : हां, यही तो कह रहा हूं। क्यों नहीं देगा ? इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप रेज करें तो आपकी जो आमदनी आपने एस्टिमेट की है सात करोड़ या ऐसा कुछ, वह बढ़ कर 9–10 करोड़ रुपये आसानी से आ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके पहले कि मैं सुझावों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अकाल राहत और अकाल राजस्थान के करीब–करीब जुड़ा ही रहता है और समूचे प्रदेश में नहीं तो पश्चिमी राजस्थान में तो अकाल की समस्या बनी रहती है। इस अकाल के ऊपर आपने सौ करोड़ रुपये रखे हैं... (व्यवधान) मैं टाइम के पहले ही खतम कर दूंगा।

अनुरोध

श्री मदन दिलावर, सदस्य के निष्कासन को सीमित किया जाना

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पुनः मुख्य सचेतक महोदय को जो कि यहां मौजूद हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन भर माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर को हमने उनके व्यवहार के लिए निष्कासित किया। दिन भर हो गया, एक दिन की सजा पर्याप्त होती है। इनको सदाशयता दिखानी चाहिए। जनतंत्र में यह आज आपने देखा होगा कि बिलकुल रोचक नहीं रही डिबेट। वन साइडेड डिबेट है। वैसे ही वन साइडेड है, आज 153 हैं और जो थोड़े बहुत विपक्ष के अन्दर लोगों को चुनकर भेजा है राजस्थान की जनता ने इनको भी हम बाहर निकाल करके डिबेट करेंगे तो मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, कि आपके लिए भी यह रोचक नहीं रहेगा। अब एक सदस्य के लिए पूरे विपक्ष ने वाकआउट किया। सात दिन तक अगर वे पूरा वाकआउट करेंगे और आप इस तरह से हाउस चलाना चाहे, तो यह ठीक नहीं रहेगा। उनके व्यवहार के लिए मैं कोई समर्थन में खड़ा नहीं हुआ हूं। उनका व्यवहार आपत्तिजनक था, यह मैं खुद मानता हूं लेकिन इसमें कई टैक्निकल पाइंट्स भी आएंगे। ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन तो बनता था उनके खिलाफ पर एक्सपंक्शन का नहीं बनता था।

उपाध्यक्ष महोदय, Constant defiance of chairs instructions. तब बनता है जाकर के। लेकिन उस बात को जाने दीजिये। मेरी तो विनम्र प्रार्थना और अनुरोध यह है कि सचेतक महोदय अगर उचित समझे तो अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए सजा को घटा कर एक दिन की सजा कर दें। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन से आपके माध्यम से...

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मेरा समय थोड़ा आगे और होगा, बढ़ा ही दो न आप।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सजा इसलिए देते हैं कि जो गलती की है उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। इतना ही काफी है। अब उसको रिव्यू करते हुए उनको माफ कर देना चाहिए, रिवोक कर दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इधर बैठने वाले लोग जब उधर बैठते थे तो हमारे साथ भी उन्होंने यही व्यवहार किया था। हमको तीन–तीन बार उन्होंने सदन से निकाला, हमारे साथ क्या–क्या नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह का कह रहे हैं तो फिर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह(मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सवा सात बजे तक।

श्री हरिसिंह : ज्यादा हो जाएगा। बोलने तक। इतना न बोले।

श्री दिग्विजय सिंह : बोलने को तो दो घंटे बोले तो बोलेंगे क्या ये ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा नम्बर था वह कहां गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा।

निलम्बन निरस्तीकरण

श्री मदन दिलावर, सदस्य के निलम्बन की अवधि में कटौती

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं और उन निमयों के अन्तर्गत ही यह सदन संचालित होता है। यह पूरे हमारे संसदीय लोकतंत्र में वैल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, सिद्धान्त है कि इस सदन का सदस्य कौन रहे और कौन न रहे, पवित्र सदन ही इस बात को तय करता है। सदस्यों का आचरण कैसा रहे और उन आचरणों से किस प्रकार से सदन के नियमों के अन्तर्गत वे आसन को सहयोग करें, यह इस बात पर निर्भर करता है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी बात कही। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं चेयर के मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले भी ऐसे अनेकों अवसर आये हैं। सातवीं विधान सभा में माननीय देवीसिंह जी भाटी का निष्कासन हुआ। वे एक

(श्री हरिसिंह)

तख्ती लगा कर लाये थे, उसमें आसन को किसी प्रकार का कोई संकेत उनका नहीं था। मेरा भी निष्कासन हुआ था। मैंने यहां कुछ बोलते—बोलते कोई बात कही जिसको असंसदीय माना गया जिसे सदन की कार्यवाही से निकाला गया और शेष समस्त अवधि तक के लिए मेरा निष्कासन किया गया था। उसमें भी आसन पर कोई आक्षेप नहीं था। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य का भी निष्कासन हुआ था उसमें भी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की अगर अवहेलना की जाती है तो वह आसन की ही अवहेलना मानी जाती है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 22.1.99 को पांच सदस्यों का इस सदन में निष्कासन किया गया था श्री भंवरलाल शर्मा, श्री जुबेर खान, श्री जगदीश धनखड़, श्री गोपीचन्द गुर्जर...

मोहम्मद माहिर आजाद : 22.1.99 नहीं है।

श्री हरिसिंह : 22.1.99 नहीं, आई एम सॉरी, 97 है। इसमें सुधार कर लेवें। मैं इसमें संशोधन कर देता हूं, 22.1.97 को और श्री अमराराम। हमेशा यह सदन सदाशयता दिखाता रहा है और आज भी सदाशयता दिखाने के लिए ट्रैजरी बैंचेज तैयार है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे नगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं, प्रतिपक्ष का जो हमारा रिकग्नाइज दल है, आपके वेश्म में हमारे संसदीय कार्य मंत्री और आपके बीच में बैठ कर कोई बात कर गये और फिर उस बात से मुकर गये। एक खेदजनक स्थिति है। सदन के नेता की सदाशयता भी यह रही है कि किसी भी प्रकार से, उन्हीं के निर्देशन में मुझे भी बुलाया, आपको भी परामर्श के लिए बुलाया, कि इसको लम्बा नहीं खींचा जाए। सदन के नेता, समस्त सत्ता पक्ष इस बात में सदाशयी था लेकिन उम्मीद भी करता है कि यह सदन नियमों के अनुरूप चले। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्वर्ण जयंती के 50वीं वर्ष पर लोक सभा का एक सितम्बर, 1997 को एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, लोक सभा और राज्य सभा का सम्मिलित सत्र था। इस सत्र में 50 वर्ष हमारा लोकतंत्र किस ढंग से चला और किस ढंग से हमको लोकतंत्र को चलाना चाहिये, इस पर वहां बैठ कर दोनों सदनों ने नीति सम्बन्धी कुछ बातें तय की थीं। आपकी इजाजत हो तो मैं उसमें से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं ?

अनेक माननीय सदस्य : सब जानते हैं, सब अखबारों में आया हुआ है।

श्री हरिसिंह : 50 वर्ष के इस प्रजातंत्र में हम जिस—जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और जिस कामयाबी की हम इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं उसमें अगर कहीं कोई रुकावट आती है तो इस सदन के लिये विचारणीय प्रश्न है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य और राज्य मंत्री जी के खिलाफ कुछ आक्षेप लगे। निराधार आक्षेप किसी भी माननीय सदस्य के

(श्री हरिसिंह)

खिलाफ लगे वह एक खेद का विषय है और इस ढंग के आक्षेप नहीं लगने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, हमारे संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जी और समस्त सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उन सबकी अभिलाषा है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको ध्यान में रखते हुए सदाशयता का प्रदर्शन हो, कोई कठोर सजा न हो। लेकिन साथ–साथ यह भी इच्छा करते हैं कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो आज बहिर्गमन करके गये हैं उनसे भी हम यह उम्मीद करते हैं, हमारी अभिलाषा है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से संचालित हो, इस प्रकार का आचरण यहां सदन में करें। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार का मेरा आसन से भी अनुरोध है। यह सब देखते हुए मैं आज जो 7 दिन के निष्कासन का प्रस्ताव रखा गया था उसमें निम्न प्रकार से संशोधन पेश करता हूं :–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292 के सब क्लास (2) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"यह सदन संकल्प करता है कि दिनांक 2 अप्रेल, 1999 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे श्री मदन दिलावर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को 7 दिन के लिये निलम्बित किया गया था, वह आज दिनांक 2 अप्रेल, 1999 को सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर समाप्त किया जाए।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसे स्वीकर किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

श्री मदन दिलावर जी का सस्पैंशन आज की बैठक की कार्यवाही तक के लिये रखा गया। दिनांक 5 अप्रेल, 1999 से वे सदन में उपस्थित हो सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह जी।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था अकाल राहत के ऊपर। अकाल की समस्या राजस्थान के अन्दर कभी–कभी तो सारे प्रदेश में और पश्चिमी राजस्थान में तो प्रायः हर वर्ष बनी रहती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, ने इस वर्ष केवल सौ करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों के लिये रखे हैं जो बहुत अपर्याप्त हैं।

श्री चन्दन मल बैद : जो आलरेडी रखे हुए हैं उनके अलावा है, यह लिखा हुआ है उसमें।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने फरमाया आलरेडी रखे हुए हैं उसके अलावा सौ करोड़ है। तो आलरेडी रखे हुए हैं उसमें भी स्थिति यह है और ज्यादा तो आप जानते हैं कि आज भी राजस्थान के अन्दर जो अकाल राहत के काम चलने चाहिये वे धनाभाव के कारण नहीं हो पा रहे है। उन्होंने कहा कि, साहब, अब नहीं है हमारे पास, वह पैसा

(श्री दिग्विजय सिंह)

समाप्त हो चुका। अब आप सौ करोड़ रुपये और रख रहे हैं तो वे सौ करोड़ रुपये मैं समझता हूं कि एक महीने ही अकाल राहत के लिये काम आ सकते हैं। उसके बाद सौ करोड़ रुपये बहुत निरर्थक हैं, ऊंट के मुंह में जीरा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपको निवेदन है, मैंने पहले भी एक बार सुझाव दिया था जब मैं विपक्ष में उधर बैठता था कि राजस्थान के इस केस को आप किसी प्रकार प्लानिंग कमीशन के सामने प्रजेंट करें। यह सरकार के ऊपर है। मैंने कहा था कि अकाल राजस्थान से ऐसा जुड़ गया है कि इसको प्लान एक्सपैंडीचर में किसी प्रकार से डालें। हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो हर वर्ष अकाल की छाया रहती है वह तो आप जस्टिफाई करके उनको बता ही सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे जिलों में होता है तो विशेष प्रावधान करके उनको राहत पहुंचा सकते है। लेकिन इसकी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन नहीं होगा, हर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिलेगा; मुझे समझ में नहीं आता कि अगले एक–डेढ़ महीने बाद हमारी क्या स्थिति बनेगी और कैसे हम इसका मुकाबला करेंगे, माननीय वित्त मंत्री महोदय बतलाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आज बड़े–बड़े शहरों में कई भूमियां खाली पड़ी हुई हैं और कई भूमियां सोसाइटी में दे दी गयीं उनका यूज कुछ नहीं हो पा रहा। आप अगर कोई प्रक्रिया अपना कर इनके रेगुलराइजेशन की कार्यवाही करें तो मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये आपके पास आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक्सेस लैण्ड ओनर्स एक्ट के अन्तर्गत बड़े–बड़े शहरों में बड़े–बड़े भूमिधारियों के पास शहरी भूमि पड़ी हुई है। सरप्लस भूमि सरकार के पास आनी चाहिये, आज वह आपके पास नहीं है। आप उसको अवाप्त कर लें, आप उसको अपने कब्जे में ले लें। जयपुर में हैं, बीकानेर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, ऐसे–ऐसे बड़े शहरों में है। एक्सेस लैण्ड आनर एक्ट के अन्तर्गत आलरेडी प्रोवाइडेड है और किसी भी सरकार ने, मैं तो साफ कहूंगा, कोई कारण रहे हों, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला। आज करोड़ों की जमीन ज्यों की त्यों खुली पड़ी हुई है और इसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी वाले और दूसरे आकर कब्जा कर रहे हैं। सरकार उसे ले लें और उसका अगर बेचान करें या आक्शन करें तो आज आपके पास करोड़ों रुपये आ जाएंगे। मैं समझता हूं सारे राजस्थान में एक करोड़ रुपये से कम आपके पास नहीं आएंगे। उसका आप एक फण्ड क्रीएट कर लें रिलीफ के लिये तो एक स्थाई फण्ड आपके पास हो सकता है, यह मेरा आपको सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ दो–एक सुझाव और मैं देना चाहूंगा। आपके पब्लिक अंडरटेकिंग हैं जिसमें से कई तो ऐसे हैं जो आज सफेद हाथी की तरह हैं, जहां पर नुकसान के सिवाय कोई मुनाफा नहीं है। हम उनको फिर भी क्यों चलाये बैठे हैं ? गत सरकार ने इसके लिए कहा था कि हम हटाएंगे पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये पब्लिक कोई मुनाफा नहीं दे रहे, उनमें हर वर्ष

(श्री दिग्विजय सिंह)

करोड़ों का घाटा होता है। और इन पब्लिक अंडरटेंकिंग्स का टोटल घाटा देखें तो वह 50–60 करोड़ से कम नहीं होगा। वहां पर अधिकारी बैठे हुए हैं उनको तनख्वाह और दे रहे हैं, दूसरे कर्मचारी और हैं उनको तनख्वाह और दे रहे हैं। सारे का अगर आप संकलन करें तो लगेगा इनको आप एबालिश कर दें, समाप्त कर दें, ताकि जो यह अननैसेसरी एक्सपैंडीचर हो रहा है, उससे हम बच सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपके ट्यूरिज्म डिपार्टमैंट में जो मिड वे हैं और कई दूसरी जगह पर भी गवर्नमैंट के होटल हैं वे प्रापरली नहीं चल रहे हैं, उनको जबरदस्ती से ट्यूरिज्म डिपार्टमैंट में लिये बैठे हैं। इनको अगर आप लीज पर आउट कर दें तो लीज आउट करने से जो आमदनी आएगी वह आपकी बचत होगी और आपका जो एक्सपैंडीचर बेकार में हो रहा है उससे भी आप बच सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं भी एक बात निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आपने शिक्षा के लिए बहुत कुछ इस बजट के अन्दर प्रावधान रखे हैं। 16 हजार प्राइमरी स्कूलें हैं, प्राइमरी से मिडल भी है, माध्यमिक स्कूलों का भी है, उच्च माध्यमिक का भी है और आपने 11 कालेजेज का भी प्रावधान रखा है। निश्चित रूप से जहां तक शिक्षा जगत की बात है आपका ध्यान वहां गया है, पर इसके साथ–साथ हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, एग्रीकल्चर कालेज के बारे में आपका ध्यान नहीं गया, कहीं न कहीं आपको एग्रीकल्चर कालेज भी खोलना चाहिए। पहले एक तो जोबनेर में है और उदयपुर में है, उसके अलावा और इस सैक्टर में, इस एरिया में कहीं नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने तारानगर का ध्यान रखा तो आप उनियारे का भी ध्यान रखते। एग्रीकल्चर कालेज आप अगर वहां इस साल खोल दें तो बहुत ही बढ़िया होगा लेकिन अगले साल के लिए तो निश्चित रूप से वहां आप प्रावधान रखेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि आपने जो बजट पेश किया, जिन परिस्थितियों में पेश किया यह निश्चित रूप से सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने अखबार में पढ़ी थी उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा। आपको किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपका 23 हजार करोड़ रुपये का घाटा है इस घाटे की आप कैसे पूर्ति करेंगे। तो आपने फरमाया था कि मैं तो जानता नहीं, मुख्य मंत्री जी कोई जादू कर दें तो बात दूसरी है। मुख्य मंत्री जी ने कोई जादू किया कि नहीं किया पर आपने तो जादू कर दिया इस बजट को प्रस्तुत करके, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 19.13 बजे सोमवार, 5 अप्रेल 1999 के प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-76 की सूचना)

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा बांदीकुई जिला दौसा में खनिज बजरी के प्रभावशील ठेकों की सूची

क्र.सं.	नाम ठेकेदार	खनिज	ठेके के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	ठेके की वार्षिक	अवधि
1.	श्री बिजेन्द्र सिंह	बजरी	सावा नदी सिकन्दरा से बांदीकुई रोड पर बड़ा गांव सोपला के मध्य का क्षेत्र तहसील बसवा जिला दौसा	5,00,000/–	2.6.98 से 1.6.2000
2.	श्री बजरंग सिंह	बजरी	सावा नदी भाण्डेड से चोरवाडा के मध्या का क्षेत्र तह. बसवा के मध्य का क्षेत्र तह. बसवा जिला दौसा	7,99,157/–	2.6.98 से 1.6.2000
3.	श्री जौहरी लाल	बजरी	ग्राम पलसानिया नदी आनन्दपुरा से बांसरी के मध्य का क्षेत्र तह. बसवा जिला दौसा	15,100/–	17.11.98से 16.11.2000
4.	श्री सूरजमल मीणा	बजरी	राजस्व सीमा ग्राम पलसानिया नदी से महुखेड़ा के मध्य का क्षेत्र.	3,000/–	26.2.99 से 25.2.2000

दिये गये ठेकों के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार निम्न दर से वसूली करने हेतु अधिकृत किये गये हैं :

रायल्टी रु 5/– प्रतिटन एवं समय–समय पर किये गये संशोधन अनुसार

एस.टी.पी.फीस – 2 टन तक रु 1.00
2 टन से अधिक किन्तु 8 टन तक रु 5.00
8 टन से ऊपर 200 टन तक रु 15.00
200 टन से ऊपर 500 टन तक रु 25.00

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-79 की सूचना)

परिशिष्ट ''क''

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु मानदण्ड

आधार	सामान्य क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में
– जनसंख्या (1991) के अनुसार		
छात्र विद्यालय हेतु	5000	4000
छात्रा विद्यालय हेतु	5000	4000
– अन्तिम कक्षा की छात्र-छात्रा संख्या		
छात्र विद्यालय	50	40
छात्रा विद्यालय	40	30
– फीडर विद्यालयों की निकटतम संख्या	02	02
– समान शिक्षा वाले विद्यालय की दूरी	10	10

विद्यालय क्रमोन्नति के अन्य आधार बिन्दू :

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासकीय आधार
3. क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकता
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. क्षेत्र में संचालित अन्य विद्यालयों का आपसी अनुपात
6. समग्र स्थिति पर गुणवत्ता का आकलन

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम चला (नीमकाथाना) में पुलिस थाने की स्थापना

83. **श्री मोहन लाल मोदी**(नीमकाथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के ग्राम चला में नया पुलिस थाना स्थापित करने का आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति अब तक क्यों नहीं हुई ?

(2) उक्त नये थाने के अधीन कौन–कौन से गांव प्रस्तावित हैं ?

(3) अब सरकार कब तक नया थाना ग्राम चला में स्थापित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है। ऐसी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

ब्यावर शहर का बस स्टैण्ड प्रकरण

84. **डा. के.सी. चौधरी**(ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में राजस्थान राज्य पक्ष परिवहन निगम का बस स्टैण्ड पर्याप्त एवं मूलभूत सुविधायुक्त है ? यदि हां, तो किस मानदण्ड के अनुसार और नहीं, तो क्या पर्याप्त मूलभूत सुविधायुक्त बस स्टैण्ड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उप खण्ड ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस सेवा के अन्तर्गत कुल कितनी बसें कहां–कहां संचालित है ?

(3) क्या गत वर्षो की तुलना में बसों के संचालन में कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों और बसों के संचालन में बढ़ोतरी की गई है तो कितनी कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। निगम द्वारा ब्यावर में यात्रियों के लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधायुक्त बस स्टैण्ड के निमार्ण का प्रस्ताव विधाराधीन है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 बीघा 16 बिस्वा आवंटित भूमि का निगम द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। प्रस्तावित बस स्टैण्ड की भूमि पर चार–दीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(2) वर्तमान में ब्यावर क्षेत्र के गांवों में संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। गत वर्षो की तुलना में बसों के संचालन में कोई कटौती नहीं की गई है बल्कि बढ़ोतरी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

ब्यावर उप खण्ड के गांवों में संचालित बस सेवाओं का विवरण

परिवहन निगम द्वारा संचालित

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	2	3
1.	ब्यावर–बदनौर	03
2.	बदनौर–भीम	03
3.	ब्यावर–टाडगढ़	01
4.	ब्यावर–जेतगढ़	01
5.	जेतगढ–भीम	01
6.	भीम–ब्यावर	06
7.	काछबलि–ब्यावर	01
8.	ब्यावर–टाडगढ़ वाया भीम	04
9.	टाडगढ़–ब्यावर	01
10.	ब्यावर–सुरजपुरा	01
11.	ब्यावर–कलालिया	01
12.	कलालिया–टाडगढ़	01
13.	बगडी–ब्यावर वाया जस्साखेड़ा	01
14.	ब्यावर–अजमेर वाया लीडी	01
15.	अजमेर–बगड़ी वाया जस्साखेडा	01
16.	कूकड़ा–भीम	01
17.	दाडगढ़–कूकड़ी वाया भीम	01
18.	देवगढ़–ब्यावर वाया टोडगढ़	01
19.	ब्यावर–बजारेल वाया जस्ताखेड़ा बदाखाम	01
20.	ब्यावर–बराखाम वाया जस्साखेड़ा	02
21.	कालागुमान–ब्यावर	01
22.	गाफा–दाडगढ़ वाया भीम	01
23.	भीम–गाफा वाया जस्साखेड़ा	01
24.	कुनेजा–ब्यावर वाया झालाचोकी	01
25.	ब्यावर–भीम वाया काबरा	01
26.	भीम–ब्यावर वाया नाहरपुरा	01
27	ब्यावर–केकड़ी वाया मसूदा	08
28.	ब्यावर–टाटोती वाया मसूदा	01
29.	ब्यावर–भिनाय वाया मसूदा	01
30.	ब्यावर–जयपुर वाया मालपुरा	01
31.	ब्यावर–मेहरूवलां वाया केकड़ी मसूदा	01
32.	ब्यावर–देवली वाया मसूदा	01
33.	नयागांव–ब्यावर वाया खीमपुरा	01
34.	ब्यावर–मसूदा	03
35.	नयागांव–ब्यावर वाया सीमेन्ट फैक्ट्री	01
36.	ब्यावर–आसन	01
37.	ब्यावर–जी सी.ए.(अजमेर) 08+1	09
38.	ब्यावर–नसीराबाद वाया मागलियावाया	04
39.	ब्यावर–नसीराबाद–रामसर	01
40.	ब्यावर–नसीराबाद–वाया बिड़वाबास	01

1	2		3
41.	ब्यावर–मेड़ता वाया जैतारण		07
42.	ब्यावर–मेड़ता वाया पीसांगन		02
43.	मेड़ता–जैतारण		03
44.	मेड़ता–जसनगर वाया जैतारण		01
45.	ब्यावर–नाईकला		01
46.	बिलाड़ा–ब्यावर		01
47.	ब्यावर–बिलाड़ा वाया पाटवा		01
48.	ब्यावर–लीडी		02
49.	खारवा–ब्यावर	01+1	02
50.	ब्यावर–सारोठ		01
51.	ब्यावर–बूटीवास		01
52.	ब्यावर–भिनाय–केकड़ी		02
	निजी बसों का संचालन		
53.	ब्यावर–विजयनगर–केकड़ी–वाया बयला,श्योपुराघाटा,रतनपुरा,जीवाणा, देवास, रामगढ,हणुतिया,जालिया, विजयनगर		17
54.	ब्यावर–मसूदा–विजयनगर–वाया देगाली,अधेरी,देवरी,धोली,दांता, खोमपुरा,महसूदा,शेरगढ,लोरडी, लोदियाण,विजयनगर		06
55.	ब्यावर–बराखान वाया कोटड़ा, काबरा,देवाता,जवाजा,सुरजपुरा, तारागढ,जससाखेड़ा		01
56.	ब्यावर–प्रीसांगन वाया सुगेल, सोपरा,कनोज,मेवाड़िया		02
57.	ब्यावर–पीसांगन–गोविन्दगढ़–वाया सुमेल–सोपुरा कनोज, मेवाड़िया, भगवानपुरा, फतेहपुर, सेठन, अखेपुरा, गोविन्दगढ़		06
58.	ब्यावर–भीलवाड़ा वाया राजियावास, मोगर इससे जिला भीलवाड़ा है		52
59.	ब्यावर–अजमेर–वाया पुरानी ब्यावर,गोला अलीपुरा,नागेलाव, सरसडी,दांतडा,नन्दी,भावंता डुमाड		04

परिशिष्ट-2

वर्ष 1998-99 में बढ़ायी गई बसों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	2	3
	(क) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा	
1.	ब्यावर–सारोठ	01
2.	ब्यावर–बूटीवास	01
3.	ब्यावर–खारवा	01
4.	ब्यावर–जी.सी.ए. (अजमेर)	01
5.	ब्यावर–भिनाय–केकड़ी	02
		06
	(ख) निजी क्षेत्र द्वारा	
6.	ब्यावर–अजमेर	01
7.	ब्यावर–विजयनगर–केकड़ी	02
8.	ब्यावर–मसूदा–विजयनगर	03
9.	ब्यावर–भीलवाड़ा	02
		08
	कुल	14

जल संसाधन विकास निगम द्वारा सिंचाई क्षमता में वृद्धि

85. **श्री गोविन्द सिंह**(नसीराबाद) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में पूर्णतया सफल रहा है ? यदि नहीं, तो उसने कृषकों के लिए क्या किया ?

(2) कृषकों की सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु कितने समूह कृषकों को नये नल कूपों से लाभान्वित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान जल विकास निगम ने अपनी स्थापना से अब तक सिंचाई कार्य हेतु कृषकों के लिए 2254 एवं 3239 कुओं को क्रमशः बोरिंग एवं ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया है तथा 5 सब सरफेस बेरियर्स का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त भू–जल एवं भौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा कृषकों को तकनीकी परामर्श भी दिया गया।

(2) कोई नहीं।

जिला बांसवाड़ा में जीवन धारा योजनान्तर्गत कूप निर्माण प्रकरण

86. **श्री फतेह सिंह**(कुशलगढ) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार की ओर से राज्य में जीवन धारा योजना द्वारा लघु सीमान्त व चयनित आदिवासी किसानों के कूप निर्माण हेतु योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या बांसवाड़ जिले में कुएं स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जीवन धारा कुओं को बन्द क्यों किया गया ?

(3) क्या सरकार बांसवाड़ा जिले में जीवन धारा कुआं योजना पुनः चालू कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार के ग्रामीण रोजगार मंत्रालय द्वारा यह योजना वर्ष 1988–89 से राज्य में क्रियान्वित करवाई जा रही है।

(2) जी, हां। यह सही नहीं है कि गत तीन वर्षों में बांसवाड़ा जिले में जीवनधारा कुओं को बन्द किया गया है।

(3) वर्तमान में योजना जिल में चालू है, अतः चालू कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मनोविज्ञान चिकित्सालय का मशीन क्रय प्रकरण

87. **श्री हरजीराम बुरड़क**(लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मनोविज्ञान चिकित्सालय, जयपुर में एक बायोफीड बैक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मशीन वर्ष 1996–97 में खरीदी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मशीन का आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो यह निष्फल व्यय किसके द्वारा क्यों किया गया ? यदि इसका उपयोग लिया हो तो इसे कब चालू किया और अब तक क्या–क्या उपयोग हुआ अैर कितने रोगियों को लाभ मिला ?

(3) क्या यह सही है कि मशीन के आपूर्तिकर्त्ता ने दिनांक 25 फरवरी, 1997 को एक पत्र चण्डीगढ़ से भेजा जिसमें उन्होंने 10 मार्च, तक आपूर्ति करने का समय मांगा जो चिकित्सालय में दिनांक 6 मार्च, 1997 को प्राप्त हुआ जिस पर चिकित्सालय के अधीक्षक का यह नोट लिखा हुआ है कि 10 मार्च तक सप्लाई सुनिश्चित की जावे ? यदि हां, तो इस मशीन को दिनांक 27 फरवरी, 1997 को सुपुर्दगी लेना बताकर स्टाक रजिस्टर में दर्ज कैसे किया गया ?

(4) क्या इस मशीन खरीद में घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की या की जानी प्रस्तावित है जो कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बायोफीड बैक मशीन का उपयोग मानसिक तनाव से ग्रस्त रोगियों का उपचार उन्हें अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी गति, श्वास गति, शरीर में तापमान का बदलाव, हृदय गति इत्यादि को स्वेच्छा से नियन्त्रित करने की पद्धति में प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। जिसे बाद में वह स्वयं भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर सकते हैं व तनाव से उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं को स्वंय नियन्त्रित कर तनाव मुक्त हो सकते हैं तथा मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण एवं शोध कार्य में प्रयुक्त किया जाता है।

(2) जी, नहीं। मशीन 26.4.97 को चालू की गई। इस मशीन का उपयोग आवश्य–कतानुसार मानसिक रोगियों जैसे चिन्ताग्रस्तता, अवसाद, फोगिया, पैनिक, डिस आर्डर, आब्सेसिव कम्पलसिव डिस आर्डर इत्यादि आते हैं इन रोगियों का उपचार किया जाता है मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा अपेक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातकोत्तर छात्रों को इस उपचार के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बहिरंग रोगियों का जो रजिस्टर रखा जाता है उसमें नाम, उम्र, लिंग व रोग का ही इन्द्राज किया जाता है, उपचार का इन्द्राज नहीं किया जाता।

(3) जी, हां। मशीन के सप्लायर ने अपनी बिजली सप्लाई में आपूर्ति के अभाव के कारण सप्लाई करने का अतिरिक्त समय मांगा था। जिसे चिकित्सालय प्रशासन द्वारा सामान्य

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। अनुभाग–5 नियम–58 के क्रमांक–2 के अनुसार समय अवधि में वृद्धि किया जाना उचित समझा गया तथा मार्च, 97 तक इसकी सप्लाई सुनिश्चित की गई। नियमानुसार मशीन की डिलीवरी 27.3.97 को प्राप्त होने पर उसी दिनांक (27.3.97) भण्डार शाखा के स्टाक रजिस्टर में दर्ज की गई।

(4) जी, नहीं।

हैरिटेज होटलों की पर्यटक संख्या प्रकरण

88.**श्री भीमसेन चौधरी**(लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षो में "हैरिटैज होटल्स" के लिए कुल कितनी राशि कितने ब्याज पर किन व्यक्तियों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1980 से 1990 तक प्रति वर्ष कितने–कितने देशी व विदेशी पर्यटक राज्य में आये तथा राज्य सरकार ने पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या–क्या प्रयास किये और इन प्रयासों का परिणाम क्या रहा है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा हैरिटेज होटलों को राशि ब्याज पर नहीं दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा हेरिटैज होटलों को दी गई राशि एवं ब्याज की सूचना क्रमांक परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1980 से 1998 तक वर्षवार राज्य में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए पर्यटन साहित्य का मुद्रण व वितरण, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, सेमीनार, मेले त्योहार आयोजित करना, पर्यटन से जुड़े मीडिया, लेखकों एवं छायाकारों को राज्य भ्रमण हेतु आमन्त्रित करना राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रिन्ट व इलैक्टोनिक मीडिया द्वारा विज्ञापन देना एवं पर्यटन स्थलों के विकास व सुलभ पर्यटन हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार आदि के कार्य किये हैं। जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट "क"

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
1–		वित्त निगम द्वारा हैरीटेज होटल योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षो में वितरित की गई राशि एवं उनसे ली जाने वाली रियायतें ब्याज पर का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	इकाई का नाम	प्रवर्तक का नाम	(रु. लाखों में) वितरण राशि	प्रतिवर्ष ब्याज दर
1.	मै. डूडलोद कैसल, झुन्झुनूं	ठा. राजवीर सिंह	9.94	19.25%
2.	मै. केसल विजयपुर, चित्तौड़गढ़	राव नरेन्द्र सिंह	6.74	17.50%
3.	मै. शिवदीप होटल प्रा.लि.,भरतपुर	श्री रघुराज सिंह	22.65	17.50%
4.	मै. होटल रोहितगढ़, पाली	श्री मानवेन्द्र सिंह	17.19	10.00%
5.	मै. भद्रवति कैसल प्रा.लि., दौसा	श्री रघुवीर सिंह	10.00	19.00%
			5.00	17.50%
6.	मै. होटल रोयल केसल्स, झुन्झुनूं	ठा. रघुवीर सिंह	9.00	17.50%
7.	मैं. होटल मूलमन्दगढ़, जोधपुर	श्री आर.पी.सिंह	3.64	19.00%
			3.08	15.50%
8.	मैं. फोर्ट छामली, पाली	श्री दर सिंह	7.97	16.50%
9.	मै. होटल पुष्कर पैलेस, अजमेर	श्री जगत सिंह राठौड़	3.75	17.00%
10.	मै. होटल हरीभवन केसल्स,नागौर	श्रीमती सूरज कंवर	6.52	18.50%
11.	मै. केसर भवन पैलेस, मा.आबू	श्री एन.के.डेकीयत सिंह	43.00	17.50%
12.	मै. रॉयल कैसल्स, नागौर	श्री ओंकार सिंह	12.32	18.50%

2– निगम से सम्बन्धित नहीं है।

परिशिष्ट ''ख''

रीको द्वारा हैरीटेज होटलों को दिये गये ऋण राशि व ब्याज दर का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.स.	होटल का नाम	प्रवर्तक का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	ब्याज दर प्रतिशत में
01.	डजर्ट होलिडे रिसोर्टस मा.आबू (राज.)	श्री जेपू खान श्री फिरोज खान श्री विजय अग्रवाल श्री मोहन लाल शर्मा	126.70	16.5
02.	राठौड़ होटल्स एवं ट्यूर्स प्रा. लि. (होटल कूचामन फोर्ट) कूचामन सिटी (राज.)	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ श्री जय सिंह राठौड़	400.00	16.5

परिशिष्ट ''ग''

वर्षवार देशी विदेशी पर्यटकों का विवरण

क्र.स.	वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1.	1980	2450282	208216
2.	1981	2600407	220440
3.	1982	2780109	237444
4.	1983	2932622	266221
5.	1984	3040197	259637
6.	1985	3120944	268774
7.	1986	3214113	291763
8.	1987	3424324	348266
9.	1988	3495158	366435
10.	1989	3833001	419651
11.	1990	3735174	417641
12.	1991	4300857	494150
13.	1992	5263121	547802

क्र.स.	वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
14.	1993	5454321	540738
15.	1994	4699886	436801
16.	1995	5249862	534749
17.	1996	5726441	560946
18.	1997	6290115	605060
19.	1998	6403310	591369

जिला नागौर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन प्रकरण

89. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा**(डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 के दौरान जिला नागौर में कुल कितने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी समाज सेवी संस्था द्वारा दान देकर किसी ग्राम के उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की इच्छा व्यक्त करने पर कुल कितनी राशि राज्य सरकार में जमा करने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1999–2000 में नागौर जिले के उ.प्रा.वि. से मा.वि. तथा मा.वि.को सी.मा.वि. में क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मापदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-90

(स्थगित)

सीमावर्ती/रेगिस्तानी जिलों में सड़क निर्माण

91. **श्री अमीन खान**(शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सड़क नीति पर पुनर्विचार किया जाना विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार रेगिस्तानी, सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्र में 500 की आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने के लिए सड़क नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। सड़क विकास नीति के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अनुसार जनजाति क्षेत्र एवं रेगिस्तानी जिलों में दूर—दूर तक बसे वे गांव, जिनकी आबादी 1991 की जनगणना पर 750 से अधिक है, उनको नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क से जोड़ने की नीति है।

प्रश्न संख्या-92

(स्थगित)

शहर में आटोरिक्शाओं का किराया प्रकरण

93. **श्री हीरासिंह चौहान**(रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन–किन शहरों में निर्धारित दरों से आटो रिक्शा मीटर के आधार पर चल रहे हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शहरों में मीटर के आधार पर किराया लिये जाने के सम्बन्ध में आटो रिक्शा चालकों पर नियंत्रण रखा जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) गत एक वर्ष में मीटर के आधार पर किराया नहीं लेने के आरोप में कितने आटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिन शहरों में आटो रिक्शा निर्धारित दरों से मीटर के आधार पर संचालित है, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) आटो रिक्शा मीटर के आधार पर निर्धारित दरों पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर इनकी चैकिंग की जाती है।

(3) अप्रेल, 1998 से फरवरी, 1999 तक मीटर के आधार पर किराया नहीं लेने के आरोप में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा 9137 आटो रिक्शाओं के विरुद्ध अभियोग बनाये जाकर 11.83 लाख रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है। विवरण परिशिष्ट "ख" व "ग" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

शहरों की सूची जहां आटो रिक्शा मीटर के आधार पर संचालित है

क्र.स.	शहर का नाम
1.	जयपुर
2.	कोटा
3.	अलवर
4.	उदयपुर
5.	जोधपुर
6.	अजमेर
7.	राजसमन्द
8.	झुन्झुनूं
9.	सिरोही
10.	बाड़मेर
11.	दौसा
12.	चित्तौड़गढ़
13.	सीकर
14.	सवाईमाधोपुर
15.	बूंदी
16.	बारां

क्र.स.	शहर का नाम
17.	झालावाड़
18.	रामगंजमण्डी
19.	भरतपुर
20.	धौलपुर
21.	डूंगरपुर
22.	बांसवाड़ा
23.	करौली
24.	कोटपूतली
25.	जैसलमेर
26.	पाली
27.	भीलवाड़ा
28.	नागौर
29.	टोंक
30.	ब्यावर
31.	किशनगढ़

परिशिष्ट ''ख''

आटो रिक्शा मीटर के आधार पर किराया न लेने के आरोप में परिवहन विभाग द्वारा बनाये गये चालानों का विवरण

(अप्रेल, 1998 से फरवरी. 1999)

क्र.स.	जिले का नाम	बनाये गये चालानों की संख्या	वसूल की गई प्रशमन राशि
1.	जयपुर	11	11,000/–
2.	दौसा	60	92,000/–
3.	झुंझुनूं	105	66,000/–
4.	उदयपुर	51	22,400/–
5.	राजसमन्द	22	12,500/–
6.	अजमेर	36	4,750/–
7.	सिरोही	34	8,500/–
8.	बाड़मेर	24	2,600/–
9.	जोधपुर	5	––
	योग	348	2,19,750/–

परिशिष्ट "ग"

आटो रिक्शा मीटर के आधार पर किराया न लने के आरोप में पुलिस विभाग द्वारा बनाये गये चालानों का विवरण

(अप्रेल, 1998 से फरवरी, 1999 तक)

क्र.स.	जिले का नाम (क्षेत्र का नाम)	बनाये गये चालानों की संख्या	वसूल की गई प्रशमन राशि
1.	अजमेर	2060	1,44,900/–
2.	भीलवाड़ा	78	10,970/–
3.	नागौर	6	2,410/–
4.	जयपुर शहर(उत्तर)	128	———
5.	जयपुर शहर(दक्षिण)	88	650/–
6.	जयपुर ग्रामीण	–	———
7.	झुन्झुनूं	44	11,860/–
8.	सीकर	176	27,250/–
9.	टोंक	7	1,900/–
10.	दौसा	92	35,045/–
11.	बीकानेर	704	2,14,540/–
12.	चूरू	–	———
13.	गंगानगर	42	10,650/–
14.	हनुमानगढ़	40	10,580/–
15.	धौलपुर	–	———
16.	भरतपुर	177	65,590/–
17.	अलवर	–	———
18.	सवाईमाधोपुर	7	2,170/–

क्र.स.	जिले का नाम (क्षेत्र का नाम)	बनाये गये चालानों की संख्या	वसूल की गई प्रशमन राशि
19.	करोली	–	–––
20.	जोधपुर शहर	187	13,160/–
21.	जोधपुर ग्रामीण	–	–––
22.	जालौर	–	–––
23.	जैसलमेर	96	10,700/–
24.	बाड़मेर	24	6,000/–
25.	पाली	735	73,356/–
26.	सिरोही	102	29,580/–
27.	कोटा शहर	466	65,970/–
28.	कोटा ग्रामीण	–––	–––
29.	बूंदी	77	22,470/–
30.	झालावाड़	23	6,170/–
31..	बारां	29	4,010/–
32.	उदयपुर	10	–––
33.	बांसवाड़ा	122	10,816/–
34.	चित्तौड़गढ़	29	4,460/–
35.	डूंगरपुर	328	63,675/–
36.	राजसमन्द	731	1,14,630/–
37.	जयपुर यातायात	2181	–––
	योग	8789	9,63,612/–

जिला परिषदों में अध्यापकों का नियुक्ति प्रकरण

94. **श्री जगत सिंह दायमा**(बानसूर), **श्री निर्भयलाल**(रुपवास) एवं **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की जिला परिषदों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार जून, 1998 में हुए थे ? यदि हां, तो क्या कोई जिलावार चयन सूची जारी हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) चयन सूची में से कितने अध्यापकों की नियुक्ति दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो किस–किस जिले में कितने पद रिक्त है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह चयनित सूची 30 जून, 1999 को नियुक्ति न कर पाने की स्थिति में स्वयं समाप्त हो जायेगी ? यदि हां, तो जो अभ्यर्थी चयन सूची के बाद आयु सीमा पार कर रहे हैं उनके लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां, साक्षात्कार लिए गये थे, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण किसी भी जिले में चयन सूची जारी नहीं की जा सकी है।

(2) प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहने से कोई भी नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।

(3) जी, हां, जिलेवार रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी, नहीं। सरकारी याचिका में शीघ्र निर्णय करवाने हेतु प्रयासरत है।

क्र.स. जिला	अध्यापक	
	स्वीकृत	रिक्त
1. अजमेर	2494	162
2. अलवर	4634	304
3. बारां	1891	222
4. बांसवाड़ा	3140	542
5. बाड़मेर	3722	866
6. भरतपुर	3227	421
7. भीलवाड़ा	3163	412
8. बीकानेर	1576	232
9. बूंदी	1624	145
10. चित्तौड़गढ़	3523	524
11. चूरू	2108	169
12. दौसा	1780	150
13. धौलपुर	1387	155
14. डूंगरपुर	2302	205
15. गंगानगर	2888	228

क्र.स. जिला	अध्यापक	
	स्वीकृत	रिक्त
16. हनुमानगढ़	1508	53
17. जयपुर	4476	266
18. जैसलमेर	1128	442
19. जालौर	1834	316
20. झालावाड़	2407	211
21. झुंझुनूं	2820	115
22. जोधपुर	2975	393
23. कोटा	1592	96
24. करौली	1762	155
25. पाली	2833	283
26. राजसमंद	1912	291
27. सवाईमाधोपुर	1524	181
28. नागौर	2786	375
29. सीकर	3207	226
30. सिरोही	1168	189
31. टोंक	2003	185
32. उदयपुर	4485	912
योग	80875	9448

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में चिकित्सालय की स्थापना

95. **श्री के.सी. विश्नोई**(संगरिया) : क्या चिकित्सालय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कुल कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, उप केन्द्र व सामुदायिक चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो किन–किन केन्द्रों पर चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निवर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने संगरिया में 350 शैया की सुविधा वाले अस्पताल की घोषणा की थी ? क्या घोषणा अनुसार उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया में नया चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां पर और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 10 प्रा. स्वा. केन्द्र, 59 उप केन्द्र व दो सामु. स्वा. केन्द्र, स्वीकृत हैं।

(2) जी, नहीं। सामु. स्वा. केन्द्र., संगरिया में एक पद क. वि. मेडिसन, एक पद क. वि.

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सर्जरी व एक पद चिकित्सा अधिकारी का रिक्त है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालारामपुरा में एक चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है।

(3) जी, नहीं।

(4) वित्तीय वर्ष 1999–2000 में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर राज्य के अन्य स्थानों के साथ विधान सभा क्षेत्र संगरिया में चिकित्सा संस्थान खोले जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला बारां के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

96. **श्री मदन दिलावर**(अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? विद्यालयवार व विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) अटरू में गणित विषय क्यों बन्द किया गया ? तथा अब पुनः कब तक चालू कर रहे हैं ?

(3) उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्रा) अटरू में जीव विज्ञान व गणित विषय का अध्यापन कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के पद, कक्षा व छात्रों की संख्या के आधार पर पर्याप्त हैं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो नये पद कब तक कितने सृजित किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) बारां जिले में संचालित सीनियर माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में 62 व्याख्याताओं तथा 13 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इस विद्यालय में गणित विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम होने के कारण बन्द किया गया। निर्धारित संख्या में विषय अध्ययन हेतु छात्र उपलब्ध होने पर ही पुनः विषय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) इस विद्यालय में जीव विज्ञान एवं गणित विषय के अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुसार होने तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विषय निर्धारित मापदण्ड के आधार पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) जी, हां। विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत है।

परिशिष्ट "क"

क्र.स.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता											
		अंग्रेजी	हिन्दी	अर्थशास्त्र	इतिहास	संस्कृत	भूगोल	रसायन	कृषि	ना. शास्त्र	संगीत	व. अध्यापक	तृ.वे.अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	रा.उ.मा.वि.हरनावदा	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2.	रा.उ.मा.वि.छबड़ा	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3.	रा.उ.मा.वि.पागरोल	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
4.	रा.उ.मा.वि.शाहबाद	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
5.	रा.उ.मा.वि.मोठपुर	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
6.	रा.उ.मा.वि.भंवरगढ़	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	रा.उ.मा.वि.अटरू	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
8.	रा.उ.मा.वि.कल्वाथाना	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
9.	रा.उ.मा.वि.बारां	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	रा.उ.मा.वि.कवाई	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	रा.उ.मा.वि.बोहन	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	रा.उ.मा.वि.छींपाबड़ोद	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
13.	रा.उ.मा.वि.सीसवाली	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
14.	रा.उ.मा.वि.कोयला	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
15.	रा.उ.मा.वि.समरनिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
16.	रा.उ.मा.वि.केलवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
17.	रा.वा.उ.मा.वि.छींपाबड़ोद	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	रा.वा.उ.मा.वि.सीसवाली	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19.	रा.वा.उ.मा.वि.अटरू	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20.	रा.वा.उ.मा.वि.मांगरोल	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
21.	रा.वा.उ.मा.वि.छबड़ा	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	रा.वा.उ.मा.वि.बारां	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
23.	रा.वा.उ.मा.वि.अन्ता	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24.	रा.मा.वि.देवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25.	रा.मा.वि.फलिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
26.	रा.मा.वि.दिलोदरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27.	रा.मा.वि.राजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
28.	रा.मा.वि.बगोरीकलां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
29.	रा.मा.वि.स्टेशन रोड बारां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	योग	12	21	03	04	06	01	02	01	11	01	00	13

इटावा (कोटा) की सड़कों का मरम्मत प्रकरण

97. **श्री रामगोपाल बैरवा**(पीपल्दा) : क्या सार्वजनिकि निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के कस्बा इटावा में सड़क पर पानी भरा रहने से गहरे गड्ढ़े पड़ने से रास्ता खराब हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को सड़क के खराब होने की शिकायतें समय–समय पर प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। कोटा–खातौली मुख्य मार्ग पर स्थिति इटावा कस्बा में क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करवाने हेतु वार्षिक योजना मद 96–97 में 10.00 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की गई थी। जिसके अन्तर्गत माह फरवरी, 99 तक 7.20 लाख रुपयों का व्यय करते हुए क्षतिग्रस्त सड़क की 660 मीटर लम्बाई में डामरीकरण एवं 120 मीटर लम्बाई में खंरजे का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा इस मार्ग पर नालियों के निर्माण हेतु 2.20 लाख रुपयों की स्वीकृति वर्ष 97–98 में दी गई थी जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख रुपये खर्च किए जाकर सड़क के एक और 262 मीटर लम्बाई में नालियों का निर्माण किया जा चुका है। इटावा कस्बे में सड़क के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण घरों के पानी का समुचित निकास न होने के कारण सड़क पर फैलता रहा है।

(3) जी, हां। इटावा कस्बे की मुख्य सड़क पर शेष रहे 405 मीटर लम्बाई में मेटलिंग, डामरीकरण का कार्य एवं सड़क की शेष 100 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण का कार्य जून, 1999 तक पूरा कर दिया जायेगा।

भीलवाड़ा शहर की औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण निवारण संयंत्र

98. **डा. रतनलाल जाट**(सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में भीलवाड़ा शहर एवं आसपास में टेक्सटाइल की कितनी फैक्ट्रियां/प्रोसेस हाउस कार्यरत हैं ?

(2) उक्त फैक्ट्रियां/प्रोसेस हाउसेज में कितनी में ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हुए हैं उनमें से कितने बन्द तथा कितने चालू हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा की इन कपड़ा फैक्ट्रियों/प्रोसेस हाउसेज से निकलने वाले गंदे पानी से किसानों के आसपास के कुआं का पानी खेती व पीने योग्य नहीं रहा है ? क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में भीलवाड़ा शहर व आस–पास में टैक्सटाइल की 534 इकाइयां और 16 प्रोसेस हाउस कार्यरत हैं।

(2) सभी प्रोसेस हाउसों में ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयन्त्र) लगे हुए हैं एवं सभी चालू हैं।

(3) उद्योग विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में निगम बस सेवा

99. **डा. करण सिंह यादव**(बहरोड) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें किन–किन मार्गों पर संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बहरोड क्षेत्र के मार्ग वर्ष 1981 में राष्ट्रीयकृत हुए थे ? यदि हां, तो उन मार्गो पर पथ परिवहन निगम की बसें कितनी एवं किन मार्गों पर चलती हैं ?

(3) क्या बहरोड क्षेत्र के कई मार्गों पर वर्ष 1985 से 1988 तक परिवहन निगम की बसें चलती थीं ? यदि हां, तो वर्तमान में बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों की मार्गवार सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्ष 1981 में निम्नलिखित मार्ग राष्ट्रीयकृत हुए थे :–

1. बहरोड–शाहजहांपुर वाया बड़ौद–जाट बहरोड
2. बहरोड–गूगलकोटा (राज. सीमा) वाया मांजरीकलां–नीमराना–शहजहांपुर
3. शाहजहांपुर–राज.सीमा (एन.एच.–8)
4. बहरोड मांडन (राज. सीमा) वाया कानावास वीरणवास
5. बहरोड–बानसूर वाया सोडावास–हरसौरा
6. बहरोड–भगवाड़ी (राज. सीमा) वाया बिजौरावास

उपरोक्त मार्गों में से वर्तमान में मार्ग संख्या–3 शाहजहांपुर–राज. सीमा पर दिल्ली के लिए 80 बसों का संचालन किया जा रहा है।

(3) जी, हां। निगम वाहनों के अनार्थिक संचालन से इनका संचालन बन्द करना पड़ा।

परिशिष्ट - 1

विधान सभा क्षेत्र, बहरोड में राजस्थान पथ परिवहन निगम की विभिन्न मार्गो पर संचालित बसों का (आगारवार) विवरण

क्र.स.	मार्ग का नाम	दैनिक बसों की संख्या	आगार का नाम
1.	अलवर–बहरोड	21	मत्स्यनगर आगार
2.	अलवर–बहरोड (वाया हरसोर)	1	मत्स्यनगर आगार
3.	अलवर–गादोज	1	मत्स्यनगर आगार
4.	अलवर–कोलीला	1	मत्स्यनगर आगार
5.	अलवर–खोरबसई	1	मत्स्यनगर आगार
6.	अलवर–शाहजहांपुर	1	मत्स्यनगर आगार
7.	अलवर–गंगानगर	2	मत्स्यनगर आगार
8.	अलवर–बीकानेर	2	मत्स्यनगर आगार
9.	अलवर–पिलानी	2	मत्स्यनगर आगार
10.	बहरोड–राय सराना	1	कोटपूतली आगार
11.	बहरोड–निहालपुरा (वाया दोसोद)	1	कोटपूतली आगार
12.	बहरोड–गादोज	1	कोटपूतली आगार
13.	गादोज–दिल्ली (वाया बहरोड)	1	कोटपूतली आगार
14.	बहरोड–खेरथल	12	कोटपूतली आगार
15.	खेरथल–बहरोड	13	कोटपूतली आगार
16.	कोटपूतली–बहारोड	2	कोटपूतली आगार
17.	बहरोड–कोटपूतली	3	कोटपूतली आगार
18.	दिल्ली–कोटपूतली (वाया बहरोड)	13	कोटपूतली आगार
19.	तिजारा–बहरोड (वाया सोडावास–बड़ौद)	1	तिजारा आगार

क्र.स.	मार्ग का नाम	दैनिक बसों की संख्या	आगार का नाम
20.	खेरथल–बहरोड	3	तिजारा आगार
21.	जयपुर–हरिद्वार वाया बहरोड	6	जयपुर आगार
22.	जयपुर–चंडीगढ़ वाया बहरोड	4	जयपुर आगार
23.	जयपुर–देहरादून वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
24.	जयपुर–मुरादाबाद वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
25.	जयपुर–लुधियाना वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
26.	जयपुर–अमृतसर वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
27.	जयपुर–कटरा वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
28.	जयपुर–दिल्ली वाया बहरोड	14	जयपुर आगार
29.	जयपुर–हल्दवानी वाया बहरोड	2	जयपुर आगार
30.	अजमेर–दिल्ली वाया बहरोड	10	अजमेर आगार
31.	ब्यावर–दिल्ली वाया बहरोड	6	ब्यावर आगार
32.	सिरोही–दिल्ली वाया बहरोड	2	सिरोही आगार
33.	नागौर–दिल्ली वाया बहरोड	2	नागौर आगार
34.	जालोर–दिल्ली वाया वहरोड	2	जालौर आगार
35.	फालसा–दिल्ली वाया बहरोड	2	फालना आगार
36.	चित्तौड़गढ़–दिल्ली वाया बहरोड	2	चित्तौड़गढ़ आगार
37.	भीलवाड़–दिल्ली वाया बहरोड	8	भीलवाड़ा आगार
38.	जोधपुर–दिल्ली वाया बहरोड	4	जोधपुर आगार
39.	कोटा–दिल्ली वाया बहरोड	6	कोटा आगार
40.	बूंदी–दिल्ली वाया बहरोड	4	बूंदी आगार
41.	टोंक–दिल्ली वाया बहरोड	6	टोंक आगार

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-77 की सूची)

सामान्य चिकित्सालय, करौली में चिकित्सा संवर्ग की नामवार कार्यरत में रिक्त पदों की सूची

	पद नाम	कार्यरत चिकित्सक	रिक्त
	1	2	3
वरिष्ठ विशेषज्ञ (4)			
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	डा. के.एन. सेहरा	
2.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	डा .एन.के. छंगानी	
3.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	——	
4.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	डा. सन्तोष गुप्त	रिक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) पद विरुद्ध
कनिष्ठ विशेषज्ञ (10)			
1.	कनष्ठि विशेषज्ञ (मेडिसन)	——	रिक्त
2.	कनष्ठि विशेषज्ञ (सर्जरी)	डा. चन्द्रकान्त शर्मा	
3.	कनष्ठि विशेषज्ञ (बालरोग)	डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल	
4.	कनष्ठि विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	डा. जगदीश प्रसाद गुप्ता	
5.	कनष्ठि विशेषज्ञ (पैथेलोजी)	डा. चिमन लाल गुप्ता	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद विरुद्ध
6.	कनष्ठि विशेषज्ञ (एनेस्थेसिया)	——	रिक्त
7.	कनष्ठि विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	——	रिक्त
8.	कनष्ठि विशेषज्ञ (आईसीयू,मेडिसन)	डा. प्रकाश चन्द्र व्यास	
9.	कनष्ठि विशेषज्ञ (क्षय रोग)	——	रिक्त

1		2	3
10.	कनष्ठि विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)	डा. कैलाश चन्द	
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (5)			
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. शिव चरण गुप्ता	
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. हुकम चन्द गर्ग	
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. पुष्पेन्द्र नाथ शर्मा	
4.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. नन्द लाल शर्मा	
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. ओ.पी. मन्थाना	
चिकित्सा अधिकारी (14)			
1.	चिकित्सा अधिकारी	डा. राम गोपाल डंगायच	
2.	–यथा– (पैथेलोजी में एमडी)	डा. उमेश कुमार शर्मा	
3.	–यथा– (सनेस्थेसिया में डिप्लोमा)	डा. टी.आर. गुप्ता	
4.	चिकित्सा अधिकारी	डा. के.एन. गुप्ता	
5.	चिकित्सा अधिकारी	डा. आशोक कुमार जैन	
6.	–यथा– (आपथोमोलोजी में एम.एस.)	डा. दिनेश चन्द्र शर्मा	
7.	चिकित्सा अधिकारी	डा. विजय सिंह राजपूत	
8.	चिकित्सा अधिकारी	डा. जगदीश लाल मीणा	
9.	चिकित्सा अधिकारी	डा. चिरागुद्दीन खां	
10.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	डा. दामोदर लाल शर्मा	
11.	चिकित्सा अधिकारी	डा. गोविन्द प्रसाद गुप्ता	
12.	चिकित्सा अधिकारी	डा. अनिता गर्ग	
13.	चिकित्सा अधिकारी	डा. ममता डंगायच	
14.	चिकित्सा अधिकारी	डा. दशरथ सिंह राजपूत	

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-100 की सूची एवं आदेश की प्रति)

परिशिष्ट ''क''

क्र.स.	जिला	आवासों की संख्या
1.	अजमेर	314
2.	अलवर	125
3.	बांसवाड़ा	93
4.	बाड़मेर	109
5.	बारां	213
6.	भरतपुर	118
7.	भीलवाड़ा	83
8.	बीकानेर	157
9.	बूंदी	97
10.	चितौड़गढ़	128
11.	चूरू	96
12.	दौसा	45
13.	धौलपुर	218
14.	डूंगरपुर	76
15.	श्रीगंगानगर	508
16.	हनुमानगढ़	175
17.	जयपुर	1938
18.	झालावाड़	49
19.	जैसलमेर	75
20.	जालौर	141
21.	झुंझुनूं	234
22.	जोधपुर	201
23.	कोटा	329
24.	नागौर	125
25.	पाली	98
26.	राजसमन्द	49
27.	सवाईमाधोपुर	481
28.	सीकर	65
29.	सिरोही	191
30.	टोंक	95
31.	उदयपुर	239
32.	करौली	34
	योग	6899

परिशिष्ट ''ख''

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन जयपुर शहर में श्रेणीवार स्थित आवास गृहों की सूची

प्रथम श्रेणी कुल आवास - 99

(मंत्रियों के बंगलों सहित)

गांधी नगर	42
सिविल लाइन	28
अस्पताल रोड	13
खातीपुरा	02

हीराबाग	02	जवाहर नगर	49
रामसिंह रोड	03	मालवीय नगर	48
म्यूज्यिम रोड	01	योग	402
भगत सिंह मार्ग	01	**चतुर्थ श्रेणी**	**कुल आवास - 498**
योग	99		**(सभी गांधी नगर में)**
द्वितीय श्रेणी	**कुल आवास - 255**	**पंचम श्रेणी**	**कुल आवास - 405**
(बजाज नगर एपार्टमैंट सहित)		गांधी नगर	320
गांधी नगर	225	विधाधर नगर	85
हीराबाग30		योग	405
योग	255	**"एच" टाइप**	**कुल आवास - 198**
तृतीय श्रेणी	**कुल आवास - 402**		**(सभी गांधी नगर में)**
गांधी नगर	199	**जिला पुल व अन्य कुल आवास-81**	
विधाधर नगर	106	**कुल**	**1938**

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

General Administration (Gr. II) Department

ORDER

No.F.1(21)GA/II/85 Jaipur, dated.3/11/98

Sub: Categorisation of Government Servants for allotment of Government Residential Accommodation in the context of Revised pay Scales, 1998.

In superession of this deptt. order of even number dated 17/2/98 the Governor is pleased to order that the entitlement of officer/officials who draw pay in scales of pay prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised

Pay Scales) Rules 1998. to Government residential accommodation under Rajasthan Civil services (Allotment of Residential Accommodation) Rules, 1958 will be as under :-

S.No.	Type of Accommodation	Officers drawing Pay
(1)	When Posted at Jaipur	
1.	76 - I	Rs.14,300 or above in pay scale No. 20 and above.
2.	76 - II	Rs. 10,000 or above in pay scale Nos. 15 to 19
3.	76 - III	Rs. 8,000 or above in pay scale Nos. 12 to 14
4	76 - IV	Rs. 5,500 or above in Pay Nos. 9 to 11.
5-	76 - V	In Pay Scale No. 8 or below,
(2)	Places other than Jaipur.	
1.	76 - I	Rs.12,000 or above in Pay Scale Nos. 17 and above.
2.	76 - II	Rs. 10,000 or above in Pay Scale No. 13 to 16.
3.	76 - III	Rs. 7,000 or above in Pay Scale No.11 and 12
4.	76 - IV	No. 5,000 or above in Pay Nos 9 to 10.
5.	76 - V	In Pay Scale No. 8 or below.

Note :-

(1) Determination of the type of accommodation for Government College Teachers would be made on the basis of basic pay, dearness allowance at the rates as on 1.1.1996 plus amount of first and second instalments of Interim Relief and the pay scales No. would not be relevant in their cases.

(2) Those who draw pay in the scales of pay specified against each type of accommodation but below the stage (amount) indicated will be entitled to immediately lower type of accommodation.

This order shall come into force with immediate effect.

By order of the Governor,

Sd/-

(M.K.Khanna)

Spl. Secretary to Government

परिशिष्ट ''ग''

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नप्रकार नये आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। लागत निम्न प्रकार है :

श्रेणी	हाउसिंग प्रोजेक्ट (जिलेवार विस्तृत सूची संलग्न है)	जयपुर	जोधपुर	नाथद्वारा
I	38	–	4	–
II	145	35	–	2
III	350	84	–	1
IV	482	88	–	–
V	552	92	–	–
ट्रांजिट होस्टल	296	–	–	–
योग	1863	299	4	3
लागत 7207.00 लाख		2306.00	89.28	23.49

परिशिष्ट "घ"

Districtwise Details of requirement of Government Quarters/Houses

S.No.	District	Categorywise requirement Houses					
Type of House/Qt.		I	II	III	IV	V	Transit Hostels
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	10	18	40	48	48	30 Flats
2.	Alwar	3	12	20	30	24	15 Flats
3.	Bharatpur	1	8	12	12	12	- -
4.	Bhilwara	2	6	12	20	12	10 Flats
5.	Barmer	1	4	12	12	36	20 Flats
6.	Dungarpur	-	4	12	18	12	- -
7.	Jaisalmer	-	2	12	12	18	15 Flats
8.	Jodhpur	5	10	16	24	24	- -
9.	Dholpur	-	-	6	6	6	10 Flats
10.	Kota	2	16	30	24	48	20 Flats
11.	Jalore	-	2	12	12	12	10 Flats
12.	Sirohi	-	6	12	12	18	20 Flats
13.	Pali	1	2	8	12	18	20 Flats
14.	Tonk	-	2	6	6	-	10 Flats
15.	Udaipur	5	12	24	48	48	30 Flats
16.	Nagour	-	-	6	6	6	- -
17.	Sikar	-	1	6	12	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Churu	-	-	6	6	12	- -
19.	Jhalawar	-	-	6	6	-	20 Flats
20.	Baran	-	2	6	12	6	10 Flats
21.	Rajsamand	2	6	6	24	30	10 Flats
22.	Hanumangarh	-	4	6	6	6	- -
23.	Banswara	-	2	8	6	18	6 Flats
24.	Bikaner	1	6	18	24	48	20 Flats
25.	Dausa	1	-	-	6	6	10 Flats
26.	Chittorgarh	1	4	6	12	12	8 Flats
27.	Bundi	-	-	6	12	12	- -
28.	Sawaimadhopur	-	4	16	18	12	- -
29	Sriganganagar	1	2	6	12	12	2 Flats
30.	Jhunjhunu	-	2	6	6	12	- -
31.	Karoli	2	8	8	18	12	- -
	Total Houses	38	145	350	482	552	296 Flats
	GRAND TOTAL			1567 Nos.			296 Flats

परिशिष्ट -6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-101 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति दूदू, जयपुर के महेशवास पहाड़ी क्षेत्र में प्रभावी खनन पट्टों की सूची

क्र.स.	खनन पट्टा	क्षेत्र(रकबा)	खनिज	पट्टाधारी का नाम	अवधि
1.	100/95	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री कालूराम बलाई	15.3.96 से 10 वर्ष
2.	110/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री योगेश कटारा	9.9.96 से 10 वर्ष
3.	238/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री देवाराम कुमावत	12.2.97 से 10 वर्ष
4.	240/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री दीप चन्द	12.2.97 से 10 वर्ष
5.	237/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री श्रवण सिंह	12.2.97 से 10 वर्ष
6.	242/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री गोपाल लाल कुमावत	12.2.97 से 10 वर्ष
7.	241/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री श्रवण सिंह	12.2.97 से 10 वर्ष
8.	94/95	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्री राजेश शर्मा	23.9.96 से 10 वर्ष
9.	401/96	100X100 मी.	चेजापत्थर	श्रीमती वीणा	23.1.98 से 10 वर्ष

नोट : 100X100 मीटर = एक हैक्टेयर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-102 की रिपोर्ट)

परिशिष्ट ''क''

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/92 दिनांक 22.1.92 धारा 147, 353, 332, 283, भा.द.स .व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट थाना दूदू।

आज दिनांक 18.1.92 को समय 1.30 पी.एम. पर टेलीफोन महंला से अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाने पर इत्तला मिली कि एक स्कूटर व एक ट्रक का महंला स्टैण्ड पर एक्सीडेंट हो गया है, तथा औरत की मृत्यु हो गई है। इस इत्तला पर एस.एच.ओ. हनुमान सिंह मय श्री माधोसिंह, ए. एस.आई. श्री मूलसिंह, एच.सी. 343, श्री हनुमान राम 1145, सिंह 780, श्री हरफूल सिंह 705, भीखाराम चालक जो जीप सरकारी आर.एन.एक्स 2119 के थाने से रवाना होकर समय 2 पी.एम. महंला पहुंचा तथा श्री जसवन्त सिंह पुत्र तेज सिंह सोलंकी राजपूज नि. म. नं. 12 करणी माताजी का मंदिर के पीछे सोडाला जयपुर ने ट्रक एच.आर.टी. 4977 व स्कूटर आर.जे. 14–4एम 0069 के एक्सीडेंट से स्वयं के औरत के मृत्यु होने बाबत रिपोर्ट पेश की। जिस पर मौके की कार्यवाही की गई। मृतका का पंचायतनामा पूर्ति कर लाश नस्बे पोस्टमार्टम आस्पताल, बगरू रवाना की गई। इसी दौरान हाईवे पार्टी नं. 6 श्री लूनाराम एस.आई. मय स्टाफ व जिप्सी आर.जे. 01/सी–0299 भी आ गई। उसी समय भूतपूर्व सरपंच कमलेन्द्र सिंह महंला व उसके साथ कैलाश चन्द रामजीवण, चिंरजीलाल राजसिंह वहां पर आ गये। और उन्होंने कहा कि आये दिन यहां पर दुर्घटना होती रहती है। स्पीड ब्रेकर बनाये जाये तथा काफी आदमियों को बुलवा कर इकट्ठा कर लिया तथा पत्थर लगा कर सड़क बन्द कर दिया। और रोड नं. 8 को गैंती व फावड़ों से खोदने लगे, इस पर मन एस.एच.ओ. द्वारा समझाने की कोशिश की, सरपंच कमलेन्द्र सिंह व 50–60 आदमी नारेबाजी करने लगे, ओर कहने लगे कि गाड़ियों को तोड़–फोड़ कर दो, तथा पुलिस वालों को मारा, व गाड़ियों में आग लगा दी, तथा पत्थर बाजी चालू कर दी। जिससे माधोसिंह ए.एस.आई., भूरामल एच.सी. नं. आईवे पार्टी नं. 6 व हरफूल सिंह 705, हनुमानाराम 1145 के चोटे आई, तथा मौके पर खड़ी बस रोडवेज आर.एन.पी. 2977 नागौर आगार थाने की सरकारी जीप आर.एन.एक्स. 2119 व हाईवे पार्टी नं. 6 की जिप्सी आर. जे. 01 सी–0299 एवं ट्रक एच.आर.टी. 4977 एक्सीडेंट में जप्तशुदा को तोड़–फोड़ की, उसी दौरान पुलिस लाइन की फोर्स व थाना बगरू की फोर्स एवं श्रीमान् सी.ओ. साहब सांभर के हमरा थाना जोबनेर की फोर्स मौके पर आ गई, जिन्होंने पत्थर फेंकती हुई एवं तोड़–फोड़ करती हुई भीड़ में से 39 आदमियों को मौके पर ही पकड़ लिया, पकड़ने पर इनसे नाम पता पूछा तो इन्होंने अपने नाम क्रमशः (1) कमलेन्द्र सिंह पुत्र कुशाल सिंह राजपूत नि. महंला, (2) रमेशचन्द पुत्र राम दयाल शर्मा ब्राह्मण नि. केशरीसिंहपुरा (3) हनुमान

पुत्र त्रिलोकचन्द बागडा ब्राह्मण नि. केशरीसिंहपुरा, (4) राधेश्याम पुत्र श्रवण तेली नि. बगरू, (5) जगदीश पुत्र त्रिलोकचन्द बागडा ब्राह्मण नि. केशरीसिंहपुरा, (6) जगदीश पुत्र गजानन्द शर्मा नि. केशरीसिंहपुरा, (7) रामसहाय पुत्र हनुमान नाई नि. कासेल, (8) शंकर पुत्र छीतर नाथ जोगी नि. महंला, (9) माधोसिंह पुत्र बाघसिंह राजपूत नि. महंला, (10) गुरूबक्श पुत्र दुर्गालाल दरोगा, (11) रणजीत पुत्र हरदेव बलाई नि. महंला, (12) ओमप्रकाश पुत्र रामू नाई नि. झरना, (13) राजेश पुत्र तुलसी राम महाजन नि. महंला, (14) राम सहाय पुत्र छीतरनाथ जोगी नि. महंला, (15) बद्रीनारायण पुत्र सुवालाल बलाई नि. महंला, (16) कन्हैयालाल पुत्र छीतरनाथ महंला, (17) हनुमान पुत्र प्रहलाद सोनी नि. महंला, (18) मोहनलाल पुत्र चतुर्भज शर्मा नि. बोराज, (19) राजस्वरूप पुत्र मोहनलाल नाई, नि. उगरियावास, (20) लाला पुत्र छीतर रैगर नि. महंला, (21) हनुमान पुत्र रामसुख बैरवा नि. धमाणा, (22) भंवरलाल पुत्र नाथूलाल राणा नि. महंला, (23) रामगोपाल पुत्र त्रिलोक चन्द नि. केशरीसिंहपुरा, (24) सीताराम पुत्र गोपीराम बागडा ब्राह्मण नि. केशरीसिंहपुरा, (25) ईमामुद्दीन पुत्र गुलाब खां मुसलमान नि. मडाभैसलाना, (26) लालाराम पुत्र रामदायाल ब्राह्मण नि. केशरीसिंहपुरा, (27) रामदेव पुत्र गुलाराम ज़ाट नि. चाणचुक्या, (28) बंशीलाल पुत्र गोमाराम खटीक नि. महंला, (29) रामासिंह पुत्र कानसिंह दरोगा नि. केशरीसिंहपुरा, (30) गोपाल पुत्र मगला बैरवा नि. महंला, (31) सुरेन्द्रसिंह पुत्र हजारी सिंह दरोगा, नि. महंला, (32) मदनलाल पुत्र कानाराम रैगर नि. महंला, (33) उमेश पुत्र तुलसीराम महाजन नि. महंला, (34) सीताराम पुत्र चोथमल कुमावत नि. बोराज, (35) गोविन्द पुत्र दुर्गाराम दरोगा नि. महंला, (36) रामकिशोर पुत्र रूपसिंह दरोगा नि. महंला, (37) ओमप्रकाश पुत्र छीतर खटीक नि. चाणचुक्या, (38) ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम रैगर नि. महंला, (39) हनुमान पुत्र कानाराम जाट नि. चाणचुक्या बताये, जिनका यह फैल जुर्म धारा 147, 283, 336, 332, 353 आई.पी.सी. व 34–पी.डी.पी.पी 1984 को घटित होना पाया जाता है, अतः मन एस.एच.ओ. हनुमानसिंह मौके पर मशरूफ तफ्तीश हूं। असल रिपोर्ट वास्ते कायमी ज़ुर्म बदस्त आरक्षी 780 के हमरा थाने पर भेजी जाती है, जुर्म से सूचित कर। एस.डी. हनुमानसिंह थानाधिकारी थाना दूदू जिला जयपुर (आर. 18.1.92, 3.45 पी.एम.)

नोटः– उपरोक्त रिपोर्ट श्री भूपसिंह का.नि. 780 ने थाना पर लाकर पेश की, जिस पर मु.न. 16/92 धारा 147, 283, 336, 353, 332, आई.पी.सी. व 3 पी.डी.पी.पी. 1984 में दर्ज कर एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी कर असल एफ.आई.आर. आमादा एफसी 780 के हमरा एस. एच.ओ., साहब के पास मौके पर भेजी गई।

एस.डी.चिंहरजीलाल 328
आई.सी.थाना दूदू
18.1.92 ––4.45 पी.एम.

परिशिष्ट -8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-104 का विवरण)

क्र.स. जिले का नाम	पिछले दस वर्षो में निर्मित किये गये खडीनों की संख्या व व्यय (लाखों में)	
	संख्या	कुल व्यय (लाखों में)
1 2	3	4
1.जयपुर	–	–
2.अलवर	–	–
3.दौसा	–	–
4.सीकर	69	64.63
5.झुंझुनूं	3	3.69
6.चूरू	–	–
7.हनुमानगढ़	–	–
8.श्रीगंगानगर	–	–
9.भरतपुर	–	–
10.धौलपुर	–	–
11.कोटा	–	–
12.बारां	–	–
13.झालावाड़	–	–
14.बूंदी	–	–
15.सवाईमाधोपुर	3	3.30
16.करौली	–	–
17.उदयपुर	–	–

1 2	3	4
18.बांसवाड़ा	–	–
19.डूंगरपुर	–	–
20.राजसमन्द	–	–
21.पाली	278	280.86
22.चित्तौड़गढ़	–	–
23.जोधपुर	367	443.94
24.जैसलमेर	77	154.77
25.जालौर	66	101.66
26.सिरोही	–	–
27.बाड़मेर	143	297.97
28.बीकानेर	121	133.39
29.अजमेर	209	242.206
30.नागौर	42	67.46
31.भीलवाड़ा	–	–
32.टोंक	39	11.05
योग	1417	1804.926

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का विवरण)

एनेक्चर ''ए''

लगाए गए आरोप	विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया उत्तर
1. वर्ष 1998 में एलिको प्राइवेट लि. को परचेज के एनालाजिक इक्यूपमेंट खरीदे गए जो कि स्पेशिफिकेशन के मुताबिक नहीं थे और न ही इक्यूपमेंट विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए फिर भी कम्पनी को 7 लाख एडवांस दिए।	विश्वविद्यालय को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राशि वर्ष 1997–98 में विभिन्न उपकरण एवं संयंत्र आदि खरीदने के लिए एल.सी.वी. द.1/डी एण्ड एम/आर.ए.यू./एल.सी.बी/ बीकानेर/97 जारी की एवं टेन्डर प्राप्त करने की तारीख 10.12.97 रखी थी तथा मैं एलिको पाइवेट लि. कं. हैदराबाद की रेट न्यून थी। जिसे समिति ने स्वीकार किया। मैसर्स एलिको कं. ने विश्वविद्यालय की विभिन्न यूनिटों को आदेशानुसार सप्लाई किया। विभिन्न यूनिटों से माल प्राप्ति रसीद प्राप्त होने पर ही 90 प्रतिशत भुगतान किया गया अतः यह आरोप निराधार है।
2. आफिस इक्यूपमेंट ग्रुप में करीब बीस लाख का आफिस इक्यूपमेंट खरीदा और उसके पेटे धारीवाल एंण्ड कम्पनी, बीकानेर को 15 लाख रु अग्रिम दे दिए और माल अभी तक 15 प्रतिशत भी सप्लाई नहीं हुआ तथा 15 प्रतिशत माल भी आलमारियों के रूप में प्राप्त हुआ है तथा आलमारियां भी निम्न श्रेणी की हैं जबकि बिलिंग उच्च श्रेणी के भाव से की गई है।	एल.सी.बी. के तहत आमंत्रित निविदाओं के अनुसार मैं. गोदरेज बायस मेन्युफेक्चर, बम्बई से सीधे ही माल क्रय किया गया है। मैं. धारीवाल एण्ड कम्पनी, बीकानेर तो उक्त कम्पनी का अधिकृत विक्रेता है तथा अग्रिम भुगतान जी.आर. की प्राप्ति पर शर्तों के अनुसार ही किया गया है। धारीवाल एण्ड कम्पनी ने कहीं भी सामान सप्लाई नहीं किया है। यह तथ्य सही भी नहीं हैं कि आलमारी उच्च श्रेणी की नहीं है।
3. वर्ष 1998 में एक ट्रेक्टर विश्वविद्यालय ने नया खरीदा बताया है जबकि यह ट्रेक्टर वास्तव में पुराना है। एक लाख रुपये की कीमत का ट्रेक्टर तीन लाख रुपये में विश्वविद्यालय ने खरीदा है।	यह आरोप सत्य से परे है। सभी ट्रेक्टर मैं भारत मोटर कं., बीकानेर से नये खरीदे गए है।
4. दिनांक 1.6.98 के टेन्डर के मुताबिक हाल में जी.एल.सी. के आइटम नम्बर–8 के	नियमानुसार आई.सी.बी. क्लाज 11 सैक्शन ( ) के मताबिक 90 प्रतिशत भुगतान आर.

अर्न्तगत करीब 22 लाख रुपये तोसलीवाल फर्म, अजमेर को अदा किया जबकि यह इक्यूपमेंट आज तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।	आर/जी.आर. चैक द्वारा प्राप्त होने पर किया जाता है बैंक से डाक्यूमेंट छुड़ाने हेतु ही अग्रिम भुगतान किया गया है तथा माल प्राप्त हो गया है। आरोप सत्य से परे हैं।
5. आटो नाइट्रोजन एनेलाइजर तीन पिछले वर्ष पर हमी फर्म ने एक लाख रुपये से कम कीमत प्रत्येक पर सप्लाई किया था वैसे ही इस वर्ष तीन आइटम टीरेटर फर्म से दो लाख रुपये से ऊपर प्रत्येक आइटम के रेट से खरीद कर सरकार को हानि पहुंचायी।	वर्ष 1997–98 में आई.सी.बी. द्वारा जो खरीद की गई है उसका विवरण निम्न प्रकार है : 1. एक आइटम एफ.ओ.आर.दिल्ली रु 8,84,000/–एस.ई.के. (1,89,747.33) 2. वर्ष 1996–97 में खरीद किया एक आइटम डी.एम. 35,400.00 रुपये 6,93,194.00 वर्ष 1997–98 की खरीद में लगभग रु. 1.90 लाख का अन्तर है उसका कारण है कि इससे निम्न की संविदा पूर्ण नहीं थी। अतः उक्त उपकरण मैं. टेकोटोर से क्रय किया गया।
6. लाइफ कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्वरटिक माइक्रोस्कोप बाइनोक्लर माइक्रोस्कोप, स्पाइट बाइनो कुलर माइक्रोस्कोप करीब 35 लाख रुपये की कीमत के खरीदे गए जबकि उसी स्पेशिफिकेशन के ये इक्यूपमेंट टोसीबा लि. जो भारत में जाइस कम्पनी का प्रतिनिधि है वो इन्हीं इन्स्ट्रूमेंट का 15 लाख रुपये में देने को तैयार था उसे आदेश नहीं दिया गया।	सभी वर्णित उपकरण विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही क्रय किए गए हैं एवं निविदाओं के पूर्ण न होने के करण सामान क्रय नहीं किया गया।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-106 की प्रति)

प्रिय श्री रामलुभाया जी,

डाक्टर सुमीत्रा शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ, महिला रोग, राजकीय चिकित्सालय, बारां द्वारा लापरवाहीपूर्वक इलाज करने से श्रीमती लीला यादव पत्नी कृष्णबिहारी यादव व उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई जिस पर पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा पत्रांक 19253–55 दिनांक 26.12.1998 से जुर्म धारा 304 ए, 315 भारतीय दण्ड संहिता में मानते हुए अभियोग दायर करने हेतु शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान–जयपुर से स्वीकृति चाही है।

इसी तरह डाक्टर सुमीत्रा शर्मा की लापरवाही से ही दिनांक 9.10.1998 को कंचनबाई पत्नी रामलाल की मृत्यु हो गई है जिसकी जांच अतिरिक्त कलक्टर (विकास), बारां से कराई गई, जांच रिपोर्ट क्रमांक 9600 दिनांक 24.12.1998 में मृत्यु का कारण डाक्टर सुमीत्रा शर्मा द्वारा लापरवाही माना गया है।

प्रकरण काफी गम्भीर व मानव जीवन से खिलवाड़ का है जिससे चिकित्सा विभाग की जनमानस में छवि धूमिल हुई, अतएवं कृपया डाक्टर सुमीत्रा शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ, महिला रोग, राजकीय चिकित्सालय, बारां को निलम्बित करते हुए मुख्यालय कोटा सम्भाग से बाहर किया जाना उचित होगा, साथ ही सी.सी.ए नियम 16 के तहत चार्जशीट जारी की जाकर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके साथ ही आपराधिक कृत्य के लिए धारा 304 ए, 315 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दलील भी दी गई है कि विभागीय जांच व आपराधिक प्रकरण लोक सेवक के विरुद्ध एक साथ चल सकते हैं व विभागीय जांच के निर्णय से फौजदारी प्रकरण किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता है।

सभी पत्रावधि व जांच रिपोर्ट पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है, कृपया आवश्यक आदेश जारी कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

एसडी/–

(आर.एस.गठाला)

श्री रामलुभाया जी,

शासन सचिव, चिकित्सा विभाग,

राजस्थान–जयपुर

परिशिष्ट - 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-107 की प्रति)

राजस्थान-सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : योजना/विकास/ओ.चिकि.स्थाना./97/964 दिनांक 14.7.97

आदेश

निम्नलिखित दोहरी चिकित्सा संस्थान होने के फलस्वरूप (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उच्चीकृत उप केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र तथा उच्चीकृत उप केन्द्र/उप केन्द्र) जहां पर कार्यरत उच्चीकृत उप केन्द्र/उप केन्द्र को उनके सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से संलग्न सूची के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने की स्वीकृति एतद्‌वारा प्रदान की जाती है।

निदेशक (योजना आई.ई.सी.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

संलग्न : सूची

जिला- नागौर

1. डीडवाना	लादडिया	दागडी	डेगाना	नागौर
2. मेहतासिटी	रेण	चम्पाखेडी(उच्ची.उपकेन्द्र)	डेगाना	नागौर
3. कुचामनसिटी	देवलीकलां	भामडोदा(उच्ची.उपकेन्द्र)	डीडवाना	नागौर
4. डीडवाना	रसीदपुरा	सेवा(उपकेन्द)	डीडवाना	नागौर
5. जायल	लूनसरा	बहडवा(उच्ची.उपकेन्द्र)	डीडवाना	नागौर
6. नागौर	कुमारी	सिंरोल(उपकेन्द्र)	अराई	अजमेर
7. मूण्डवा	खजवाना	सांपणदा(उपकेन्द्र)	अराई	अजमेर
8. भकराना	जाखली	केहिडया(भोलकिंया)	केकडी	अजमेर

9. डीडवाना	ठाकरियावास	आपलियास	हुरडा	भीलवाडा
10. कुचामनसिटी	चारणवास	अमरसिया	हुरडा	भीलवाडा

जिला- सीकर

1. फतेहपुर	रोरूसडी	बलोदभांकर	फतेहपुर	सीकर
2. फतेहपुर	दातरू	गुगलकोट	नीमराना	अलवर
3. फतेहपुर	बिरानियां	बहडका कलां	रेणी	अलवर
4. नीमकाथाना	रायपुर जागीर	गोरियां	दांतारामगढ	सीकर
5. लक्ष्मणगढ़	गंगलूणा	जूनियासर(उच्चीकृतउपकेन्द्र)	लक्षमणगढ़	सीकर
6. लक्ष्मणगढ़	पनलावा	कानपुरा(उपकेन्द्र)	बानसूर	अलवर
7. पराली	रेगासातीर्थ	लाडपुरा	दांतारामगढ़	सीकर
8. पराली	तारपुरा	श्यामपुरा	सांभर	जयपुर

जिला- सवाईमाधोपुर

1. करौली	सायपुर	सकरघटा	करौली	
2. खिण्डौन	सूरोठ	पीपरानी	करौली	
3. बौंली	मित्रपुरा	जयलालपुर	बौंली	

जिला- टोंक

1. निवाई	डागरथल	पथराजकलां	टोडारायसिंह	टोंक
2. निवाई	राजमहल	ढाणी जुगलपुरा	निवाई	टोंक
3. निवाई	गुदलिया	पपलाज	कोटडी	भीलवाड़ा
4. निवाई	दतवास	रावतखेड़ा(उच्ची उपकेन्द्र)	जहाजपुर	भीलवाड़ा

जिला- उदयपुर

1. कोटड़ा	मालवा खाचौरा	तेजो का बास	कोटड़ा	उदयपुर

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-109 की सूची)

क्र.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	राशि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति तिथि	डीमाण्ड 95–96	डीमाण्ड 96–97	डीमाण्ड 97–98	डीमाण्ड 98–99	आवंटन 95–96	आवंटन 96–97	आवंटन 97–98	आवंटन 98–99	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	गंगापुर अप्रोच रोड वावंडिया	मुअ/एफ–2/19 10/एएस/95 7.6.95	6.00	10.12.95	9.6.96	15.12.96	–	2.73	–	.70	–	2.00	1.50	.70	कार्य में प्रारम्भिक देरी के मुख्यः निम्न कारण रहे हैं :–
2.	गंगापुर करेडा से अप्रोच रोड पालरा (एच.32)	–यथा–	7.50	10.2.96	9.2.97	15.2.99	-	6.00	1.00	0.22	1 .00	3.40	2.00	0.22	(1) श्रीमान् मुख्य अभियन्ता कार्यालय
3.	गंगापुर करेडा से बोराना कोट	–यथा–	12.50	10.2.96	9.2.96	15.2.99	-	6.00	7.05	3.60	2.00	6.00	7.00	3.60	से स्वीकृति प्राप्ति पश्चात् विस्तृत
4.	मुणात महेन्द्रगढ़ आमली से अप्रोच रोड शिवरति	–यथा–	5.00	10.2.96	9.2.97	15.2.99	-	3.41	1.34	–	1.00	2.00	1.00	–	तकमीना बनाने व
5.	गंगापुर करेडा से अप्रोच रोड थला	–यथा–	4.00	1.12.95	31.3.96	27.6.96	-	1.07	–	.69	–	2.00	0.50	0.69	समक्ष अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति
6.	अप्रोच रोड डेलाना	–यथा–	6.00	डेलाना व वीरखेड़ा पूर्व में ही डामर सड़क पर											पश्चात् नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की गई।
7.	अप्रोच रोड बीरखेड़ा	–यथा–	6.00	होने से स्वीकृति का उपयोग नहीं किया जा सका											
8.	ताखोला फतहनगर से अप्रोच रोड अरनिया	–यथा–	6.00	10.2.96	9.2.97	15.2.99	-	3.74	2.52	0.03	1.00	3.00	1.50	0.30	(2) मांग के अनुरूप बजट आंबटन नहीं
01.	अप्रोच रोड अरनिया	एफ–2(29)पी डब्लू/एएस/96 /डी/2298 22.10.96	5.00	14.2.97	13.1.98	7.11.98	-	0.01	3.00	1.18	-	–	2.00	3.43	होने व समुचित मात्र में बिटुमन उपलब्ध नहीं होने से कार्य में देरी हुई है।
02.	अप्रोच रोड सातलियात	–यथा–	5.00	14.2.97	13.1.98	7.11.98	–	0.20	4.01	2.32	-	1.31	2.00	4.62	
03.	अप्रोच रोड गतवा	–यथा–	4.50	14.2.97	13.12.97	15.12.98	–	1.02	3.35	1.34	–	0.08	2.00	3.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.	आचार्य तुलसी विद्यालय	–यथा–	5.00	14.2.97	13.1.98	7.11.98	–	0.51	5.00	1.39	–	0.01	2.00	4.13	
05.	साथरिया जबरकिया	–यथा–	8.00	14.2.97	13.1.98	7.11.98	–	0.09	2.50	4.56	–	0.01	3.00	5.42	
06.	वीरखेड़ा आशाहोली	–यथा–	6.00	14.2.97	13.1.98	7.11.98	–	0.11	6.00	0.94	–	–	2.00	3.44	
07.	बोराणा जगदीश	–यथा–	4.00	14.9.97	13.12.97	15.12.98	–	2.36	2.20	2.20	–	–	2.00	2.20	
08.	मोखुन्दा जिलोता	–यथा–	12.00	14.9.97	13.12.98	15.12.98	–	11.97	9.91	–	–	0.03	6.00	7.82	
09.	अप्रोच रोड अडसीपुरा	डीएलपीडब्लूडी एफ–2/70/एएस 96/6.11.96	20.00	2.4.97	1.12.97	10.1.99	–	0.07	520.00	11.44	–	0.09	5.00	12.16	
10.	अप्रोच रोड पालरा	–यथा–	21.00	15.4.97	14.12.97	12.2.99	–	0.02	20.20	8.20	–	0.80	8.00	15.00	
11.	अप्रोच रोड शिवरति	–यथा–	4.00	21.3.97	26.6.97	15.11.98	–	–	4.00	1.22	–	–	2.00	2.90	
12.	गंगापुर करेडा से बोराणा कोट रोड	–यथा–	34.00	30.4.97	21.4.98	कार्य प्रगति पर	–	–	30.84	6.87	–	3.15	5.00	14.62	

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-110 की स्थिति एवं तिथि)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1998-99 में नयी सड़कों के स्वीकृत कार्य

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	योजना का नाम	लम्बाई	कार्य को पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि
1.	सड़क निर्माण कार्य जुगरावर से मस्ताबांद	37.20	मेवास योजना	6.50	डायरीकरण का कार्य मार्च, 2000 तक किया जाना प्रस्तावित है।
2.	अलवर, भरतपुर सड़क से संपर्क सड़क पीपलखेड़ा	13.27	मेवास योजना	2.00	डामरीकरण का कार्य मार्च, 2000 तक किया जाना प्रस्तावति है।
		50.47		8.50	

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1999-2000 में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिये प्रस्तावित कार्य

क्र.स. कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	लम्बाई	कार्य को पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि
1	2	3	4
1. महुआ–रामगढ़–नौगांवा स्टेट हाईवे संख्या 35 पर सड़क सुधार का कार्य।	22.50	6.00 कि.मी.	मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2. सम्पर्क सड़क पूढी का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य	5.00	1.50 कि.मी.	मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3. बहाला सड़क का सुधार कार्य	2.00	1.00 कि.मी.	मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
4. बांदोली सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य	10.00	4.00 कि.मी.	मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
	39.50	12.50 कि.मी.	

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-112 की सूची)

बाल श्रमिक सर्वे 1997 में चिन्हित बाल श्रमिकों की जिलेवार सूचना

क्र.स.	जिले का नाम	व्यवसाय एवं प्रक्रिया		
		जोखिमपूर्ण	गैर जोखिमपूर्ण	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	467	229	696
2.	अलवर	410	406	816
3.	बांसवाड़ा	–	38	38
4.	बारां	163	90	253
5.	बाड़मेर	16	10	26
6.	भरतपुर	112	104	216
7.	भीलवाड़ा	310	82	392
8.	बीकानेर	106	478	584
9.	बूंदी	85	243	328
10.	चित्तौड़गढ़	30	55	85
11.	चूरू	–	347	347
12.	दौसा	264	11	275
13.	धौलपुर	5	36	41
14.	डूंगरपुर	38	4	42
15.	हनुमानगढ़	–	117	117
16.	जयपुर	110	254	364

1	2	3	4	5
17.	जैसलमेर	6	21	27
18.	जालौर	–	36	36
19.	झालावाड़	28	62	90
20.	झुंझुनूं	19	52	71
21.	जोधपुर	67	330	397
22.	करौली	58	34	92
23.	कोटा	52	292	344
24.	नागौर	–	295	295
25.	पाली	71	124	195
26.	राजसमन्द	34	29	63
27.	सवाईमाधोपुर	28	09	37
28.	सीकर	01	32	33
29	सिरोही	07	28	35
30.	श्रीगंगानगर	16	932	948
31.	टोंक	420	33	453
32.	उदयपुर	103	251	354
	योग	3026	5064	8090

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-116 की सूचियां)

क्र.स.	नाम
1.	देहली विश्वविद्यालय, कालेज आफ एजूकेशन, दिल्ली
2.	दरबंगा यूनिवर्सिटी, आसाम
3.	एम.डी.यूनिवर्सिटी, रोहतक
4.	एच. पी. यूनिवर्सिटी, शिमला
5.	पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब
6.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
7.	एच.एन.बी. यूनिवर्सिटी, श्रीनगर
8.	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ
9.	रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी
10.	कुमाऊ यूनिवर्सिटी, अलमोड़ा
11.	उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
12.	बैंगलोर यूनिवर्सिटी (पत्राचार) बैंगलोर
13.	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, कर्नाटक
14.	एम.सी. यूनिवर्सिटी, केरल
15.	नार्थ गुंजरात यूनिवर्सिटी, पटना देहरान, गुजरात
16.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट, गुजरात
17.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत गुजरात

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप - 3) विभाग

क्रमांक : एफ.7(18)शिक्षा–3/80 जयपुर, दिनांक : 23.11.91

1. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर।
2. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
5. निदेशक, नियोजन विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला नियोजन अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
8. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषय : विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न जिला नियोजन अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कई विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के बारे में समय–समय पर शंका प्रकट की जाती रही है एवं इन उपाधियों की मान्यता के बारे में राज्य सरकार से पत्र–व्यवहार कर स्पष्टीकरण चाहा जाता रहा है। इस प्रक्रिया में उपाधिधारियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है एवं कई बार उन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां देने से इन्कार भी किया जाता रहा है।

इस विषय में राज्य सरकार द्वारा इन विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 8.7.88 द्वारा स्पष्टीकरण भी किया जा चुका है परन्तु फिर भी शंका उत्पन्न की जा रही है तथा विभाग के पास आए दिन इस सन्दर्भ हेतु स्पष्टीकरण चाहा जाता रहा है जिससे उपाधिधारियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः निम्नप्रकार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 26/4/52–सी.एस. दिनांक 30.9.1952 जो बाद

में उनके पत्र क्रमांक 6.7.62–संस्था–डी दिनांक 4–7–1962 द्वारा संशोधित किया गया था, के अन्तर्गत भारत सरकार ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि उन समस्त विश्वविद्यालयों को, जो कि केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए हैं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 3(1956) के द्वारा भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान घोषित किए गए हैं, उनके द्वारा प्रदत्त उपाधियों नियमित रूप से नियोजन के दृष्टिकोण से मान्य होगी। इस प्रकार अब विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों (डिग्री/डिप्लोमा) की मान्यता के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वविद्यालयों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर उनके द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा का विवरण राज्य के नियोजन अधिकारियों को भेजते रहे विशेष रूप से जब कोई विश्वविद्यालय नया पाठ्यक्रम आरम्भ करता है।

भवदीय,

(जशोदा नन्दन शर्मा)

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-117 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल

पद का नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
व्याख्याता	अंग्रेजी	01	6/97
व्याख्याता	हिन्दी	01	6/98
व्याख्याता	संस्कृत	01	10/97
व्याख्याता	शा. शिक्षक	01	9/97
जमादार	—	01	9/95
च.श्रे.क.	—	01	1/95
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल			
व्याख्याता	अंग्रेजी	01	7/97
व्याख्याता	हिन्दी	02	8/96
व्याख्याता	ना.शास्त्र	01	6/96
च.श्रे.क.	—	01	8/96

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-119 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

क्र.स.	संस्था का नाम	राज्य सरकार द्वारा एन.ओ.सी. दिये जाने का वर्ष	वर्ष बार आंवटित सीटें	
1	2	3	4	
1.	विद्याभवन कला संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, उदयपुर	1948	48–49 से 49–50 तक 60 प्रति वर्ष	50–51 से 52–53 तक 120 प्रति वर्ष
			53–54 से 57–58 तक 150 प्रति वर्ष	58–59 से 61–62 तक 100 प्रति वर्ष
			63–64 से 65–66 तक 150 प्रति वर्ष	66–67 से 67–78 तक 200 प्रति वर्ष
			68–69 से 84–85 तक 250 प्रति वर्ष	85–86 से 92–93 तक 240 प्रति वर्ष
			93–94 से 98–99 तक 180 प्रति वर्ष	
2.	गांधी विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू)	1955	55–56 से 92–93 तक 240 प्रति वर्ष	93–94 से 98–99 तक 180 प्रति वर्ष
3.	निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	1978	78–79 से 84–85 तक 120 प्रति वर्ष	85–86 में 180
			86–87 से 98–99 तक 240 प्रति वर्ष	

1	2	3	4
4.	गोपीकृष्ण पीरामल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,	1972	72 से 73 में 75; 73–74 से 93–94 तक 120 प्रति वर्ष 94–95 से 96–97 तक 180 प्रति वर्ष; 97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
5.	शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, जोधपुर	1961	61 से 62 तक 120; 62–63 से 63–64 तक 160 प्रति वर्ष 64–65 से 68–69 तक 200 प्रति वर्ष; 69–70 से 73–74 तक 220 प्रति वर्ष 74–75 से 87–88 तक 240 प्रति वर्ष; 88–89 से 98–99 तक 180 प्रति वर्ष
6.	जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर	1963	63–64 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
7.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय संगरिया, हनुमानगढ़	1965	65–66 से 83–89 तक 120 प्रति वर्ष; 84–85 से 85–86 तक 160 प्रति वर्ष 86–87 से 90–91 तक 180 प्रति वर्ष; 91–92 200; 92–93 204 93–94 200; 94–95 160; 95–96 से 98–99 तक 150 प्रति वर्ष
8.	जवाहर लाल नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, सकतपुरा, कोटा	1965	65–66 से 74–75 तक 120 प्रति वर्ष; 91–92तक 90 91–92 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
9.	नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिण्डोन सिटी (करौली)	1968	68–69 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष

1	2	3	4
10.	गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	1969	69–70 से 84–85 तक 120 प्रति वर्ष; 85–86में 180; 86–87 से 89–90तक 240 प्रति वर्ष; 90–91में 194; 91–92 में 190; 92–93 में 127; 93–94 में 191; 94–95 में 205; 95–96 से 96–97 तक 230 प्रति वर्ष; 97–98 से 98–99 तक 140 प्रति वर्ष
11.	राजस्थान शि.प्र.महा विद्यालय गुलाबपुरा बाग, अजमेर रोड, जयपुर	1970	70–71 से 92–93 तक 180 प्रति वर्ष; 93–94 से 98–99 तक 180 प्रति वर्ष
12.	आर्दश शि.प्र.महा विद्यालय, जामडोली जयपुर (अग्रसेन)	1979	79–80 से 87–88 तक 120 प्रति वर्ष; 88–89 में 150; 89–90 में 191; 90–91में 142; 91–92में 134; 93–94में 120; 94–95में 180; 95–96में 210; 96–97में 254; 97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
13.	लोकमान्यतिलक शि. प्र. महाविद्यालय डबोक (उदयपुर)	1966	66–67 201; 67–78 201; 68–79 229; 69–70 236; 70–71 से 71–72 200 प्रति वर्ष; 72–73 से 90–91 250 प्रति वर्ष; 91-92 से 95-96 240 प्रति वर्ष; 96-97 98-99 180 प्रति वर्ष

1	2	3	4
14.	श्री रघुनंदन दास शि. प्र. महाविद्यालय डूंगरपुर	1985	85–86 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
15.	भारतीय शि. प्र. महा विद्यालय बासवाड़ा	1984	84–85 85–86 से 86–87 87–88 से 92–93 60 180 प्रति वर्ष 240 प्रति वर्ष 93–94 94–95 95–96से 96–97 120 180 150 प्रति वर्ष 97–98 से 98–99 तक 90 प्रति वर्ष
16.	श्री साईबाबा शि. प्र. महाविद्यालय बडायली (नागौर)	1985	85–86 से 90–91 तक 91–92 से 92–93 तक 120 प्रति वर्ष 90 प्रति वर्ष 93–94 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
17.	जवाहर विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कनोड़	1987	87–88 88–89 89–90 90–91 60 100 122 138 92–93 से 94–95 तक 95–96 से 96–97 तक 120 प्रति वर्ष 150 प्रति वर्ष 97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
18.	संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर	1987	87–88 से 91–92 तक 92–93 से 98–99 तक 60 प्रति वर्ष 120 प्रति वर्ष
19.	राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,ब्रह्मपुरी,जयपुर	1993	93–94 से 98–99 120 प्रति वर्ष

1	2	3	4
20.	टगौर शि.प्र.महाविद्यालय केकड़ी (अजमेर)	1985	85–86 86–87 से 98–99 तक 60 120 प्रति वर्ष
21.	एस.एस.जी.पारीक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,जयपुर	1965	65–66 से 98–1999 120 प्रति वर्ष
22.	महाराजा सुरजमल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,भरतपुर	1985	65–66 से 98 –1999 120 प्रति वर्ष
23.	बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,डीग(भरतपुर)	1969	69–70 70से 98–99 तक 60 120 प्रति वर्ष
24.	श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलवर	1968	68–69 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
25.	आर्य विद्या मंदिर शि.प्र. महाविद्यालय, भुसावर भरतपुर	1976	76–77 से 85–86 तक 86–87 से 96–97 तक 120 प्रति वर्ष 180 प्रति वर्ष 97–98 से 98–99 तक 140 प्रति वर्ष
26.	श्रीमती नारायणी देवी वर्मा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,भीलवाड़ा	1984	84–85 से 85–86 तक 86–87 से 96–97 तक 120 प्रति वर्ष 180 प्रति वर्ष 97–98 से 98–99 तक 160 प्रति वर्ष
27.	राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर	1985	1985–86में 86–87 87–88से 94–95 तक 60 120 180 प्रति वर्ष 95–96 19–97 से 98–99 तक 199 180 प्रति वर्ष

1	2	3	4
28.	हरिभाऊ उपाध्याय शि. प्र. महाविद्यालय हटुन्डी, अजमेर	1974	74–75 से 85–86 तक 120 प्रति वर्ष 86–87 से 98–99 तक 180 प्रति वर्ष
29.	हितकारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा	1981	81–82 से 96–97 तक 120 प्रति वर्ष 97–98 से 98–99 तक 110 प्रति वर्ष
30.	इन्दिरा गांधी शिक्षक प्र. महाविद्यालय,अराडवता,झुंझुनूं	1984	84–85 से 85–86 तक 60 प्रति वर्ष 86–87 से 98–99तक 120 प्रति वर्ष
31.	दधिमति महिला शि. प्र. महाविद्यालय, गंगानगर	1980	80–81 से 84–85 तक 120 प्रति वर्ष 85–86 शून्य 86–87 से 88–89 तक 120 प्रति वर्ष 89–90 से 90–91 तक 180 प्रति वर्ष 91–92 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
32.	गीता बजाज बाल मन्दिर शि. प्र. महाविद्यालय,जयपुर	1976	76–77 से 86–87 तक 120 प्रति वर्ष 87–88 से 91–92 तक 180 प्रति वर्ष 92–93 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
33.	आर्य महिला शि. प्र. महा विद्यालय, अलवर	1995	95–96 60 96–97 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
34.	लाल बहादुर शि. प्र. महा विद्यालय, अलवर	1996	96–77 60 97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
35.	श्रीमती महादेवी वर्मा शि.प्र महाविद्यालय नारायणपुरा अलवर	1995	95–96 60 96–97 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष

1	2	3	4	
36.	महिला विद्या मंदिर शि. प्र. महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (चितौड़)	1977	96–97 60	97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष
37.	श्री दिगम्बर जैन आर्दश शि. प्र. महाविद्यालय श्रीमहावीरजी(स.मा.)	1996	96–97 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष	
38.	राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर	1988	1988–89 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष	
39.	सबल (महिला) शि.प्र.महा विद्यालय पोरूंदा, जोधपुर	1997	97–98 से 98–99 तक 120 प्रति वर्ष	

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-121 की संख्या)

शिक्षाकर्मी परियोजनान्तर्गत दिवस विद्यालय एवं प्रहर पाठशालाओं की संख्या

क्र.स.	जिला	पंचायत सिमिति का नाम	दिवस विद्यालय	प्रहर पाठशाला
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1. अराई	31	72
		2. किशनगढ़	10	23
		3. पीसांगन	15	32
		4. मसूदा	22	49
		5. केकड़ी	18	39
		6. जवाजा	14	28
2.	अलवर	7. थानागाजी	11	15
		8. उमरेण	4	8
3.	बाड़मेर	9. सिवाना	28	71
		10. चौहटन	41	90
		11. बालोतरा	33	70
		12. बाड़मेर	20	40
		13. सिणधरी	13	12
		14. धोरिमन्ना	7	13
		15. बायतू	39	55
		16. शिव	14	28
4.	बारां	17. छबड़ा	26	08
		18. छींपाबड़ोद	4	32
		19. किशनगंज	28	53

1	2	3	4	5
		20. शाहबाद	64	108
		21. अटरू	12	14
		22. अन्ता	16	35
		23. बारां	7	14
5.	बांसवाड़ा	24. आन्दपुरी	22	63
		25. घाटोल	29	94
		26. गढ़ी	32	52
		27. पीपलखूंट	35	82
		28. तलबाड़ा	24	44
		29. कुशलगढ़	17	35
		30. बागीदौरा	17	39
		31. सज्जनगढ़	13	23
6.	बीकानेर	32. कोलायत	44	51
		33. लूणकरणसर	56	35
		34. बीकानेर	90	143
7.	बूंदी	35. नैनवां	7	16
		36. तालेड़ा	7	09
		37. हिण्डौली	9	16
8.	भरतपुर	38. बयाना	17	12
		39. बैर	15	22
		40. डीग	10	05
		41. कामां	8	19

1 2	3	4	5
9. भीलवाड़ा	42. कोटड़ी	13	27
	43. जहाजपुर	15	34
	44. आसीन्द	4	08
	45. रायपुर	5	10
	46. मांडलगढ़	17	29
	47. माण्डल	14	22
	48. सहाड़ा	11	17
	49. बनेड़ा	12	22
	50. हुरड़ा	13	17
10. चित्तौड़गढ़	51. अरनोद	17	36
	52. बड़ी सादड़ी	23	34
	53. राशमी	7	14
	54. भैंसरोडगढ़	11	17
	55. डूंगला	6	12
	56. भदेसर	20	36
	57. प्रतापगढ़	27	54
11. चूरू	58. रतनगढ़	13	15
	59. सरदारशहर	11	37
	60. तारानगर	6	05
	61. सुजानगढ़	38	81
	62. राजगढ़	1	02
12. दौसा	63. बांदीकुई	21	61

1	2	3	4	5
		64. लालसोट	23	33
		65. सिकराय	36	61
		66. दौसा	16	28
13.	धौलपुर	67. बसेड़ी	28	28
		68. धौलपुर	28	17
		69. राजाखेड़ा	18	18
		70. बाड़ी	21	29
14.	डूंगरपुर	71. बिच्छीवाड़ा	32	24
		72. सागवाड़ा	5	06
		73. आसपुर	3	04
		74. सिमलवाड़ा	3	06
15.	गंगानगर	75. अनूपगढ़	8	16
		76. सूरतगढ़	12	30
		77. रायसिंहनगर	8	16
16.	जयपुर	78. चाकसू	14	31
		79. दूदू	17	42
		80. कोटपूतली	27	25
		81. फागी	7	14
		82. सांभर	11	16
17.	जालौर	83. आहोर	9	35
		84. भीनमाल	19	49
		85. रानीवाड़ा	16	18

1	2	3	4	5
		86. जसवंतपुरा	7	12
		87. जालौर	15	45
		88. सायला	7	14
18. जैसलमेर		89. सांकड़ा	24	36
		90. सम	4	08
19. जौधपुर		91. फलौदी	57	92
		92. औसियां	16	30
		93. शेरगढ़	33	36
		94. बाप	7	08
		95. भोपालगढ़	5	10
		96. बालेसर	8	16
		97. मंडोर	4	08
		98. लूणी	15	20
20. झालावाड़		99. झालरापाटन	30	62
		100. पिड़ावा	9	16
		101. मनोहरथाना	16	25
		102. डग	12	24
		103. खानपुर	9	16
		104. बकानी	13	27
21. झुंझुनूं		105. खेतड़ी	2	04
22. करौली		106. करौली	39	77
		107. सपोटरा	27	77

1 2	3	4	5
	108. हिण्डौन	19	29
	109. नादौती	15	22
	110. टोडाभीम	1	02
23. कोटा	111. इटावा	16	17
	112. सांगोद	15	16
24. नागौर	113. कुचामनसिटी	55	44
	114. नागौर	45	92
	115. मेड़ता	4	08
	116. डीडवाना	2	04
	117. परबतसर	8	16
25. पाली	118. बाली	28	36
	119. रायपुर	31	54
	120. मारवाड़ जक्शन	3	06
26. राजसमन्द	121. कुम्भलगढ़	43	64
	122. देवगढ़	10	19
	123. भीम	15	29
	124. खमनोर	10	21
	125. रेलमगरा	1	02
27. सवाईमाधोपुर	126. बौंली	15	29
	127. खण्डार	21	41
	128. गंगापुर	4	05
28. सिरोही	129. आबूरोड	32	55

1 2	3	4	5
	130. पिण्डवाड़ा	15	25
	131. शिवगंज	–	05
	132. रेवदर	8	18
29. सीकर	133. नीमकाथाना	21	51
30. टोंक	134. निवाई	10	20
	135. मालपुरा	23	57
	136. टोंक	16	44
	137. टोडारासिंह	–	13
31. उदयपुर	138. सराड़ा	30	80
	139. सलूम्बर	32	56
	140. झाड़ौल	60	124
	141. कोटड़ा	41	81
	142. भीण्डर	35	63
	143. गोगुन्दा	16	39
	144. गिवां	14	25
	145. धरियाबाद	14	27
	146. मवली	1	02
कुल योग		2697	4829

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-123 की सूचियां)

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) के तहत 27.11.96 के बाद तीसरी संतान हो जाने के कारण अयोग्य घोषित पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों की जिलेवार सूची

जिला	पंच	सरपंच	प.स. सदस्य	जिला परिषद सदस्य	योग
1	2	3	4	5	6
अजमेर	40	2	0	0	42
अलवर	55	3	1	0	59
बांसवाड़ा	2	4	0	0	6
बारां	16	2	0	0	18
बाड़मेर	7	1	0	0	8
भरतपुर	10	0	0	0	10
भीलवाड़ा	31	5	2	0	38
बीकानेर	1	0	0	0	1
बूंदी	9	0	0	0	9
चित्तौड़गढ़	51	8	0	0	59
चूरू	20	3	0	0	23
दौसा	14	1	0	0	15
धौलपुर	0	0	0	0	0
डूंगरपुर	15	0	0	0	15
गंगानगर	9	0	0	0	9
हनुमानगढ़	0	0	0	0	0
जयपुर	34	3	0	0	37

1	2	3	4	5	6
जैसलमेर	5	0	0	0	5
जालौर	4	0	0	0	4
झालावाड़	2	0	0	0	2
झुंझुनूं	60	0	0	0	60
जोधपुर	0	0	0	0	0
करौली	0	0	0	0	0
कोटा	9	1	0	0	10
नागौर	0	1	0	0	1
पाली	9	2	0	0	11
राजसमन्द	13	0	0	0	13
सवाईमाधोपुर	2	1	1	0	4
सीकर	77	0	0	0	77
सिरोही	17	1	1	0	19
टोंक	17	0	1	1	19
उदयपुर	8	1	0	0	9
योग	537	39	6	1	583

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) के तहत पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के लम्बित प्रकरणों की जिलेवार सूची

जिला	पंच	सरपंच	प.स. सदस्य	जिला परिषद सदस्य	योग
1	2	3	4	5	6
अजमेर	18	1	0	0	19
अलवर	76	12	3	0	91
बांसवाड़ा	13	14	1	0	28

1	2	3	4	5	6
बारां	44	5	2	0	51
बाड़मेर	34	11	2	0	47
भरतपुर	128	8	2	0	138
भीलवाड़ा	66	8	5	0	79
बीकानेर	11	2	1	2	16
बूंदी	42	14	1	1	58
चित्तौड़गढ़	92	7	5	1	105
चूरू	14	2	0	0	16
दौसा	23	6	2	0	31
धौलपुर	71	4	3	0	78
डुंगरपुर	21	6	1	0	28
गंगानगर	15	0	0	0	15
हनुमानगढ़	5	3	1	0	9
जयपुर	22	3	0	0	25
जैसलमेर	24	0	0	0	24
जालौर	50	12	8	0	70
झालावाड़	69	6	0	0	75
झुंझुनूं	8	4	0	0	12
जोधपुर	56	6	1	0	63
करौली	31	7	1	0	39
कोटा	40	1	1	0	42
नागौर	72	17	5	0	94
पाली	52	5	3	0	60

1	2	3	4	5	6
राजसमंद	39	3	2	0	44
सवाईमाधोपुर	32	4	0	0	36
सीकर	24	2	2	0	28
सिरोही	30	2	0	0	32
टौंक	21	6	0	0	27
उदयपुर	91	0	8	0	99
योग	1334	181	60	4	1579

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति का नाम	संवर्ग	प्रतिनियुक्ति पर आने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री गंगाराम गुर्जर	श्रीनगर	शिक्षा	7.1.99
2.	श्री राजेन्द्र सिंह	पिसांगन	कृषि	24.3.98
3.	श्री एस.एस. उदावत	जवाजा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
4.	श्री रामगोपाल शर्मा	मसूदा	कृषि	30.9.98
5.	श्री शिवराज हिंगोनिया	केकड़ी	शिक्षा	21.2.97
6.	श्री शिवजी राम	भिनाय	कृषि	30.9.98
7.	श्री नवल किशोर शर्मा	किशनगढ़	कृषि	30.9.98
8.	श्री बी.एल.सुनरिया	अराई	राज.प्रशा.सेवा	17.3.99
9.	श्री ओम प्रकाश मीणा	किशनगढ़वास	सहकारिता	5.3.99
10.	श्री कृष्णलाल अदलखा	कोटकासिम	शिक्षा	21.2.97
11.	श्री श्रीकान्त अग्निहोत्री	राजगढ़	कृषि	24.3.98
12.	श्री प्रभुदत्त मिश्रा	उमरेण	शिक्षा	5.3.99
13.	श्री सुंधाशु सिंह	लक्ष्मणगढ़	कृषि	30.9.98
14.	श्री सज्जन सिंह मीणा	तिजारा	शिक्षा	7.1.99
15.	श्री रामू मीणा	कठूमर	शिक्षा	5.3.99
16.	श्री केसरलाल मीणा	रामगढ़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
17.	श्री जगदीश चन्द यादव	बेहरोड	सिंचाई	5.3.99
18.	श्री राजेश कुमार नैनावत	बानसूर	कृषि	5.3.99

1	2	3	4	5
19.	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	थानागाजी	सहकारिता	4.7.96
20.	श्री सुवालाल जाट	रेणी	कृषि	30.9.98
21.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	बारां	सिंचाई	30.9.98
22.	श्री नेमीचन्द जैन	अटरू	शिक्षा	15.11.94
23.	श्री देवीसिंह राजावत	शाहबाद	कृषि	15.11.94
24.	श्री हरेन्द्र खरे	छींपाबड़ोद	सिंचाई	30.9.98
25.	श्री घनश्याम दाधीच	छबड़ा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
26.	श्री भरतकुमार जोशी	किशनगंज	शिक्षा	7.1.99
27.	श्री बालमुकुन्द असावा	कुशलगढ़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
28.	श्री मगनलाल योगी	सज्जनगढ़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
29.	श्री मानसिंह	भूखिया	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
30.	श्री राजेन्द्र मकबाना	घाटोल	सिंचाई	30.9.98
31.	श्री बाबूलाल मीणा	पीपलखूंट	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
32.	श्री लक्ष्मणसिंह चौहान	तलवाड़ा	शिक्षा	5.3.99
33.	श्री मोहनलाल टेलर	सिवाणा	शिक्षा	6.5.97
34.	श्री एच.एस.गोयल	बालोतरा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
35.	श्री पृथ्वीसिंह	चौहटन	कृषि	26.6.96
36.	श्री हुकमदान चारण	धोरीमन्ना	सिंचाई	30.9.98
37.	श्री बलदेव सिंह	बाड़मेर	सिंचाई	30.9.98
38.	श्री छोगाराम चौधरी	सिण्घरी	सहकारिता	15.11.94
39.	श्री गोरीशंकर कटारा	डीग	कृषि	5.3.99
40.	श्री गंगाराम मीणा	बैर	सहकारिता	4.7.96
41.	श्री महावीर प्रसाद	रूपवास	सहकारिता	5.3.99

1	2	3	4	5
42.	श्री मोहनलाल पाराशर	नदबई	सहकारिता	30.9.98
43.	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	माण्डलगढ़	सिंचाई	30.9.98
44.	श्री रामगोपाल कीर	शाहपुरा	शिक्षा	30.9.98
45.	श्री पूर्णशंकर त्रिपाठी	सुवाना	कृषि	15.11.94
46.	श्री भंवरलाल बैराव	माण्डल	सांख्यकी	15.11.94
47.	श्री रामवतार मीणा	आसिन्द	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
48.	श्री श्यामलाल विजयवर्गीय	हुरड़ा	शिक्षा	15.5.94
49.	श्री मदनलाल कटेवा	बनेड़ा	सहकारिता	21.2.97
50.	श्री राकेश शर्मा	जहाजपुर	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
51.	श्री गोपाल लाल	कोटड़ी	कृषि	30.9.98
52.	श्री विरेन्द्र कुमार जैन	सहाड़ा	शिक्षा	7.1.99
53.	श्री पी. आर. फुलवारिया	नोखा	सिंचाई	5.3.99
54.	श्री श्याम दास वैष्णव	लूणकरणसर	सिंचाई	30.9.98
55.	श्री पी. पी. शर्मा	कोलायत	सिंचाई	30.9.98
56.	श्री सोहन लाल	बीकानेर	सिंचाई	30.9.98
57.	श्री रामरतन मीणा	तालेड़ा	सहकारिता	4.7.96
58.	श्री विष्णुकुमार चास्टा	नैनवां	शिक्षा	5.3.99
59.	श्री रणधीर सिंह	केशोरायपाटन	कृषि	30.9.98
60.	श्री युगल बिहारी दाधीच	बेगू	शिक्षा	5.3.99
61.	श्री अजय सिंह शेखावत	चित्तौड़गढ़	कृषि	30.9.98
62.	श्री सतीश चन्द्र बुन्दीवाल	राशमी	शिक्षा	6.3.99
63.	श्री अरूण गर्ग	प्रतापगढ़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99

1	2	3	4	5
64.	श्री रामसहाय जागेटिया	निम्बाहेड़ा	सहकारिता	26.6.96
65.	श्री नेनाराम मेघवंशी	भदेसर	सांख्यकी	26.6.96
66.	श्री जी. एस. दुगाया	डूंगल	सिंचाई	5.3.99
67.	श्री रामलाल हिगोनिया	छोटी सादड़ी	सहकारिता	26.6.96
68.	श्री प्रताप सिंह राजावत	अरनोद	सहकारिता	26.6.96
69.	श्री जगदीश सिंह	भैंसरोडगढ़	कृषि	24.3.98
70.	श्री बलदेव राम्	बड़ी सादड़ी	सिंचाई	30.9.98
71.	श्री राजेन्द्रकुमार खण्डेलवाल	भोपालसागर	कृषि	5.3.99
72.	श्री मनसुख राम डुडी	गंगरार	सिंचाई	30.9.98
73.	श्री उदयभान	रतनगढ़	कृषि	5.3.99
74.	श्री सोहनलाल छाबड़ा	सरदारशहर	शिक्षा	30.9.98
75.	श्री विजेन्द्र कुमार गोयल	राजगढ़	सिंचाई	30.9.98
76.	श्री शिम्भुदयाल शर्मा	तारानगर	सहकारिता	30.9.98
77.	श्री आर. पी. सिंह	रतननगर	शिक्षा	16.2.96
78.	श्री मोहनदान चारण	सुजानगढ़	सिंचाई	30.9.98
79.	श्री विरेन्द्र कुमार भार्गव	डूंगरगढ़	सिंचाई	30.9.98
80.	श्री जगदीश प्रसाद यादव	बांदीकुई	कृषि	24.3.98
81.	श्री जन्सीराम मीणा	लालसोट	सहकारिता	30.9.98
82.	श्री गोविन्द पाठक	दौसा	शिक्षा	5.3.99
83.	श्री विश्वम्भरदयाल शर्मा	सिकराय	कृषि	5.3.99
84.	श्री के.के. शर्मा	महुवा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
85.	श्री श्याम सिंह मीणा	धोलपुर	सांख्यकी	24.3.98
86.	श्री सुरेश चन्द वर्मा	बाड़ी	सांख्यकी	15.11.94

1	2	3	4	5
87.	श्री बाबूलाल कटारा	सीँगवाड़ा	सांख्यकी	15.11.94
88.	श्री गणपत लाल रोत	सीमलवाड़ा	सहकारिता	30.9.98
89.	श्री कमल राम मीणा	बिच्छीवाड़ा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
90	श्री सुदर्शन कुमार भावसार	डूंगरपुर	सिंचाई	30.9.98
91.	श्री गोविन्द राम मीणा	आसपुर	सहकारिता	26.6.96
92.	श्री मांगीलाल विश्नोई	रायसिंहनगर	शिक्षा	7.1.99
93.	श्री सुखजिन्दर सिंह	करणपुर	सिंचाई	30.9.98
94.	श्री पुखराज सोनी	सादुलशहर	सिंचाई	5.3.99
95.	श्री गोगनराम मटोरिया	श्रीगंगानगर	कृषि	24.3.99
96.	श्री तेज सिंह कांकड़	हनुमानगढ़	शिक्षा	30.9.98
97.	श्री शिवरकरण	नोहर	सिंचाई	30.9.98
98.	श्री रामचन्द्र मोसलपुरिया	सूरतगढ़	सिंचाई	5.3.99
99.	श्री सत्यपाल चराया	पदमपुर	शिक्षा	5.3.99
100.	श्री घीसालाल चावला	अनूपगढ़	कृषि	5.3.99
101.	श्री जे. पी. जाट	बस्सी	सांख्यकी	24.3.98
102.	श्री भगवान सहाय शर्मा	सांगानेर	राज.प्रशा.सेवा	17.3.99
103.	श्री चेतन कुमार जैन	झोटवाड़ा	सिंचाई	30.9.98
104.	श्री प्यारेलाल	फागी	सिंचाई	26.6.96
105.	श्री जितेन्द्र सिंह राजावात	सांभर	कृषि	5.3.99
106.	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	दूदू	सांख्यकी	24.3.98
107.	श्री ईश्वरलाल यादव	आमेर	कृषि	30.9.98
108.	श्री सुरेश चन्द्र	जमवारामगढ़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
109.	श्री लक्ष्मणराम जाट	कोटपूतली	कृषि	30.9.98

1	2	3	4	5
110.	श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव	चाकसू	सिंचाई	30.9.98
111.	श्री बाबूलाल गोयल	सौंकड़	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
112.	श्री नखतदान बारैठ	जैसलमेर	राज.प्रशा.सेवा	17.3.99
113.	श्री मीठालाल व्यास	सम	शिक्षा	21.2.97
114.	श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत	आहौर	सिंचाई	30.9.98
115.	श्री शंकरलाल	सायला	शिक्षा	7.1.99
116.	श्री विनोद कुमार पाण्डे	भीनमाल	कृषि	30.9.98
117.	श्री उदयभान बेनीवाल	बकानी	सहकारिता	15.11.94
118.	श्री रामवतार शर्मा	झुंझुनूं	कृषि	30.9.98
119.	श्री राकेश शर्मा	बुहाना	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
120.	श्री राम सिंह	खेतड़ी	सहकारिता	5.3.99
121.	श्री जग्गीराम वर्मा	उदयपुरवाटी	सहकारिता	30.9.98
122.	श्री मनवीर सिंह अत्रि	बिलाड़ा	राज.प्रशा.सेवा	17.3.99
123.	श्री प्रकाश चन्द जैन	भोपालगढ़	शिक्षा	5.3.99
124.	श्री अमरचंद चौधरी	मेड़तासिंटी	सहकारिता	21.2.97
125.	श्री जयनारायण स्वामी	लूणी	कृषि	30.9.98
126.	श्री दुर्गासिंह गौड़	शेरगढ़	कृषि	24.3.98
127.	श्री मोहनलाल बारूपाल	बालेसर	कृषि	5.3.99
128.	श्री ध्रुवसत्य अग्रवाल	फलौदी	सिंचाई	5.3.99
129.	श्री ज्ञानचन्द जैन	बाप	सिंचाई	5.3.99
130.	श्री नूर मोहम्मद	खेराबाद	सहकारिता	26.6.96
131.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	सांगोद	शिक्षा	6.5.97
132.	श्री भंवरलाल मनात	इटावा	शिक्षा	7.1.99

1	2	3	4	5
133.	श्री रामकरण	डीडवाना	कृषि	5.3.99
134.	श्री रमेश चन्द शर्मा	लाडनूं	कृषि	26.6.96
135.	श्री जितेन्द्रपाल सिंह	कुचामनसिटी	कृषि	5.3.99
136.	श्री रामेश्वरलाल शर्मा	मूंडवा	शिक्षा	6.5.97
137.	श्री राधेश्याम शर्मा	जायल	शिक्षा	6.5.97
138.	श्री मोहनलाल स्वामी	परबतसर	शिक्षा	30.9.98
139.	श्री शंकरराम बेड़ा	मेहता	कृषि	30.9.98
140.	श्री मोहनलाल गुप्ता	बाली	सिंचाई	6.5.99
141.	श्री रामस्वरूप प्रजापति	सुमेरपुर	शिक्षा	30.9.98
142.	श्री मोहनलाल त्रिवेदी	खारची	शिक्षा	5.3.99
143.	श्री भंवर मो. लोहार	रानीस्टेशन	शिक्षा	5.3.99
144.	श्री खीवराज	जैतारण	सिंचाई	30.9.98
145.	श्री मदनलाल लोहार	रायपुर	सहकारिता	15.11.94
146.	श्री संतोष कुमार महावर	सोजत	कृषि	24.3.98
147.	श्री कपूर चन्द गर्ग	पाली	सहकारिता	30.9.98
148.	श्री अशोक कुमार शर्मा	राजसमन्द	सिंचाई	5.3.99
149.	श्री जमनालाल लावटी	कुम्भलगढ़	सहकारिता	15.11.94
150.	श्री जगदीश चन्द संठिया	रेलमगरा	शिक्षा	5.3.99
151.	श्री हरजीराम चौधरी	आमेठ	कृषि	24.3.98
152.	श्री रमेश कुमार जारौली	देवगढ़	कृषि	30.9.98
153.	श्री अरूण कुमार हसीजा	खमनौर	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
154.	श्री जयनारायण बेनीवाल	भीम	कृषि	30.9.98
155.	श्री दाना राम गोदारा	गंगापुर	कृषि	30.9.98

1	2	3	4	5
156.	श्री अर्जुन लाल मीणा	सवाईमाधोपुर	सांख्यकी	15.11.94
157.	श्री ओम प्रकाश बैरवा	खण्डार	सांख्यकी	15.11.94
158.	श्री धनश्याम मीणा	बामनवास	कृषि	26.6.96
159.	श्री डालचन्द	हिण्डौन	सांख्यकी	26.6.96
160.	श्री शिवराम शर्मा	नादौती	शिक्षा	21.2.97
161.	श्री देवीलाल मीणा	करौली	सहकारिता	30.9.98
162.	श्री रामदयाल मीणा	सपोटरा	सहकारिता	26.6.96
163.	श्री धनश्याम कुलदीप	लक्ष्मणगढ़	सांख्यकी	24.3.98
164.	श्री रामकिशोर खाती	धोद	शिक्षा	5.3.99
165.	श्री रामधन मीणा	दातारामगढ़	सहकारिता	30.9.98
166.	श्री बनवारीलाल जोशी	पिंडवाड़ा	शिक्षा	6.5.97
167.	श्री इशाक मो. शेख	शिवगंज	शिक्षा	5.3.99
168.	श्री बलराम रोकणा	आबूरोड	सिंचाई	5.3.99
169.	श्री सुदरदास दोलतानी	सिरोही	सिंचाई	5.3.99
170.	श्री एन.के.सेठी	टौंक	सांख्यकी	25.3.99
171.	श्री महेन्द कुमार शर्मा	मालपुरा	कृषि	30.9.98
172.	श्री कैलाश मीणा	निवाई	कृषि	24.3.98
173.	श्री रामलाल मीणा	उनियारा	कृषि	30.9.98
174.	श्री शाहिन अली	टोडरायसिंह	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
175.	श्री वनेश्वर त्रिवेदी	गिर्वा	शिक्षा	5.3.99
176.	श्री बृजेश कुमार चंदोनिया	बडगांव	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
177.	श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़	कोटड़ा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
178.	श्री मुकुल शर्मा	धरियाबद	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99

1	2	3	4	5
179.	श्री हरसहाय मीणा	सलूम्बर	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
180.	श्री राजेश वर्मा	सराड़ा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
181.	श्री विशम्बर दयाल	मावली	सांख्यकी	24.3.98
182.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा	खैरवाड़ा	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99
183.	श्री हिम्मत सिंह बारेठ	भिण्डर	राज.प्रशा.सेवा	17.3.99
184.	श्री सुरेश चन्द त्रिवेदी	गोगुदा	शिक्षा	5.3.99
185.	श्री एन.के.कौठारी	झाड़ोल	राज.प्रशा.सेवा	26.2.99

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-127 की प्रति)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग

क्रमांक : प.20(3)शिक्षा--1/99 दिनांक : 4.5.99

आदेश

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा का विषय तथा इससे सम्बन्धित निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए तथा नई व्यवस्था को दिनांक 1.7.99 से प्रभावी करने के समुचित प्रबन्ध कर लिये जाएं।

उक्त हस्तांतरण के लिये राज्य सरकार के रूल्स आफ बिजनेस में आवश्यक संशोधन कराने तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थएं करने/दिशा निर्देश जारी करने का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शिक्षा विभाग की सहमति से दिनांक 1.7.99 से पूर्व संपादित कर लिये जायेंगे।

हस्ताक्षर

(प्रियदर्शी ठाकुर)

प्रमुख शासन सचिव